# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

****

# परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।

## मैनुअल संख्या–5

## खण्ड–1

## कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

## मोटरयान अधिनियम, 1988।

*****

# मैनुअल–5

## अनुक्रमणी


| क्र0सं0 | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1– | मोटरयान अधिनियम, 1988 | 1 |
| 2– | केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 | 1–2 |
| 3– | उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 | 2 |
| 4– | मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी अधिसूचनाएं | 3–5 |
| 5– | उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम/ नियमावली, 2003 | 5 |
| 6– | परिवहन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां | 6–7 |
| 7– | **सलंग्न अभिलेखः–** | 7–9 |
| **खण्ड–1** | | |
| (8) | मोटरयान अधिनियम, 1988। | 10–241 |
| **खण्ड–2** | | |
| (9) | उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998। | 242–382 |
| **खण्ड–3** | | |
| (10) | केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 । | 383–603 |
| **खण्ड–4** | | |
| (11) | रैन्ट ए कैब स्कीम, 1989। | 604–610 |
| (12) | रूल्स ऑफ दि रोड रैगुलेशन, 1989। | 611–615 |
| (13) | सोलेशियम स्कीम, 1989। | 616–622 |
| (14) | चालन अनुज्ञप्ति (छूट की शर्ते) नियम,1992। | 623 |
| (15) | ओवर आल डायमेन्सन्स ऑफ मोटर वेहिक्लिस।<br>(प्रेस्क्रिप्सन ऑफ कंडीशन्स फॉर एक्जम्सन रूल्स, 1991) | 624–625 |
| (16) | मोटर वेहिकिल्स।<br>(आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) | 626–637 |

| | | |
|---|---|---|
| (17) | रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997। | 638–644 |
| (18) | स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मोटर वेहिकिल्स। | 645–646 |
| (19) | अधिकतम् गति सीमा (मैक्सिमम् स्पीड लिमिट)। | 647 |
| (20) | स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम् ग्रॉस वेहिकिल वेट एण्ड मैक्सिमम् सेफ एक्सिल वेट। | 648–650 |
| (21) | रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन वेहिकिल्स फॉर स्टेट्स एण्ड यूनियन टैरिटरीज। | 651–652 |
| (22) | मोटर वेहिकिल्स (न्यू हाई सेक्यूरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) आर्डर, 2001। | 653–655 |
| (23) | लिक्विफाइड प्रेट्रोलियम गैस (रेगुलेसन आफ यूज इन मोटर वेहिकिल्स) आर्डर, 2001। | 656–664 |
| (24) | ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स यूजड बाई मैन्यूफैक्चर्र– एक्जम्ट फ्राम परमिट। | 665 |
| (25) | ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स परचेस्ड इन वन स्टेट प्रोसीडिंग टु अनदर विदाआउट कैरिंग गुड्स– एक्जम्ट फ्राम परमिट। | 666 |
| (26) | ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स यूजड फार सरटेन परपज– एक्जम्ट फ्राम परमिट। | 667 |
| (27) | ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स कैरिंग रिलीफ सप्लाइज इन नैचुरल क्लैमिटीज– एक्जम्ट फ्राम परमिट। | 668–670 |
| (28) | स्पेशल डिस्टींगगुसिंग मार्क टु बी डिस्पलेड आन पब्लिक सर्विस वेहिकिल्स कवड बाई स्पेशल परमिट। | 671 |
| (29) | ड्राइवरस आफ टुरिस्ट वेहिकिल्स– क्वालीफिकेशनस आफ। | 672–673 |
| (30) | स्पेशिफिकेसन आफ सर्टेन ड्रग्स बीम्ड टु रेंडर ड्राईवर इन कैपिबल आफ एक्सरसाइजिंग कन्ट्रोल ओवर वेहिकिल्स। | 674–675 |
| (31) | ब्रीद ऐनालाइजर टु इन्डिकेट परजेन्स आफ एल्कोहल इन ब्लड। | 676 |

| | | |
|---|---|---|
| (32) | मिनिमम क्वालीफिकेसन्स फार इन्सपेक्टर एण्ड असिस्टेंट इन्सपेक्टर आफ मोटर वेहिकिल्स। | 677–679 |
| **खण्ड–5** | | |
| (33) | उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003। | 680–703 |
| (34) | उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003। | 704–720 |
| (35) | उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 (यथा उत्तरांचल में लागू)। | 721–725 |
| (36) | उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू)। | 726–731 |
| (37) | उत्तर प्रदेश परिवहन अधीनस्थ अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा उत्तरांचल में लागू)। | 732–737 |
| (38) | उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू)। | 738–744 |
| (39) | उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004। | 745–755 |
| (40) | उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004। | 756–764 |
| (41) | उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003। | 765–771 |
| (42) | समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004। | 772–778 |


–✱–✱–✱–

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## मैनुअल–5

## परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।

## कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

## विभाग के कार्यकलापों सम्बन्धी नियम

परिवहन विभाग द्वारा मुख्यतया जिन अधिनियम, नियमावलियों के अधीन कार्य किया जाता है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

**(1) मोटर यान अधिनियम, 1988**

मोटर यानों से सम्बन्धित विधिक व्यवस्था इस अधिनियम में है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयान से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है :–

1– मोटर गाड़ियो के चालकों का अनुज्ञापन

2– मंजिली गाडियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन

3– मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रीकरण

4– परिवहन यानों का नियंत्रण

5– राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशिष्ट उपबंध

6– मोटरयानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण

7– यातायात का नियंत्रण

8– अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत में आने वाले मोटरयान

9– कतिपय मामलों मे त्रुटि के बिना दायित्व

10– मोटरयानों का पर–व्यक्ति जोखिम बीमा

11– दावा अधिकरण

12– अपराध, शास्तियॉ और प्रक्रिया

**(2) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989**

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 12, 27, 64, धारा 88 की उपधारा (14), धारा 110, 137, 164, 208 सपठित धारा 211 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 बनायी है। इस नियमावली में मोटरयान से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है :–

1– मोटरयान चालाकों को अनुज्ञापन

2– मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण

3– परिवहन यान का नियंत्रण, पर्यटक परमिट

4– मोटरयान का निर्माण, उपकरण और अनुरक्षण

5– यातायात का नियंत्रण

6– पर–व्यक्ति जोखिम के विरूद्ध मोटरयानों का बीमा

7– अपराध, शास्तियाँ और प्रक्रिया

### (3) उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तरांचल में लागू)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176 और 213 के अधीन पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 बनायी है। इस नियमावली में मोटरयान से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है :–

1– मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

2– मंजिली गाड़ियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

3– मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

4– परिवहन यानों का नियंत्रण

5– मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन

6– सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन

7– राज्य परिवहन उपक्रम के बारे में विशेष उपबन्ध प्रस्थापना में समाविष्ट किये जाने वाली विशिष्टियाँ

8– मोटरयानों का निर्माण, उपस्कर एवं अनुरक्षण

9– यातायात का नियंत्रण

10– दावा अधिकरण

**(4) रेन्ट ए कैब स्कीम, 1989**

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 75 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अपने निजी उपयोग के लिए मोटर कैब को चलाना चाहता है, मोटर कैब किराया पर देने के व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या एस0ओ0 437 (ई0) दिनांक 12 जून 1989 द्वारा रेन्ट ए कैब स्कीम अधिसूचित की गयी है।

**(5) रूल्स ऑफ दि रोड रैगुलेशन, 1989**

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयानों के चालन हेतु रूल्स ऑफ दि रोड रेगुलेशन, 1989 अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 12–06–1989 द्वारा बनाये गये हैं।

**(6) सोलेशियम स्कीम, 1989**

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा "हिट एण्ड रन" मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए सोलेशियम स्कीम, 1989 अधिसूचना संख्या एस/ ओ/440(ई) दिनांक 12 जून 1989 द्वारा अधिसूचित की गयी है।

**(7) चालन अनुज्ञप्ति (छूट की शर्तें) नियम,1992**

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो मोटर यान चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, प्रशिक्षण के दौरान मोटरयान अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में दिये गये उपबन्धों से छूट प्रदान करने की शर्तों का उपबन्ध किया गया है।

**(8) ओवर आल डायमेन्सन्स ऑफ मोटर वेहिक्लिस**
**(प्रेस्किप्सन ऑफ कंडीशन्स फॉर एक्जम्सन रूल्स, 1991)**

मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 110 कि उप धारा (3) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 583 (ई0) दिनांक 12–09–1991 द्वारा उन नियमों शर्तो का उल्लेख किया है जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के अधीन रहते हुए नियम 93 में दिये गये उपबन्धों से किसी मोटरयान को राज्य सरकार छूट दे सकती है।

**(9) मोटर वेहिकिल्स**
**(आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 :–**

मोटर यान अधिनिमय,1988 की धारा–88 की उप धारा (14) सपठित उपधारा (9) के अधीन आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या जी/एस/आर/541 (ई0) दिनांक 10–08–1991 के द्वारा नियम बनाये गये हैं।

**(10) रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997 :–**

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 75 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो, अपने उपयोग के लिए किसी किराये की मोटर साइकिल को चलाना चाहता है किराये पर मोटर साइकिल उपलब्ध कराने के लिए उसके कारबार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या–एस0आर0 375 (ई) दिनांक 12–05–97 द्वारा रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997 अधिसूचित की गयी है।

**(11) स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मोटर वेहिकिल्स :–**

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा–41 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0 859 (ई0) दिनांक 14–11–1992 द्वारा परिवहन यान और परिवहन यान से भिन्न मोटर यानों के प्रकार अधिसूचित किये गये है।

**(12) अधिकतम गति सीमा (मैक्सिमम् स्पीड लिमिट) :–**

मोटरयान अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्गो के मोटर यान के लिए अधिकतम प्रति घन्टा गति सीमा निर्धारित करते हुए की अधिसूचना संख्या–425 (ई) दिनांक 09–09–89 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

**(13) स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम् ग्रॉस वेहिकिल वेट एण्ड मैक्सिमम् सेफ एक्सिल वेट :–**

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा–58 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों (Category) के परिवहन यानों के लिए अधिकतम ग्रास वेहिकिल वेट (G.V.W.) टन में तथा अधिकतम सुरक्षित धुरी भार (Maximum Safe Axle Weight) अधिसूचना संख्या–728 (ई) दिनांक 18–10–1996 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

**(14) रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन वेहिकिल्स फॉर स्टेट्स एण्ड यूनियन टैरिटरीज :–**

मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा–41 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0 444(ई) दिनांक 12–06–89 सपठित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 1080 (ई) दिनांक 30–11–2000 एवं अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 14 (ई) दिनांक 05–01–2001 द्वारा अधिसूचित किये गये है।

**(15) मोटर वेहिकिल्स (न्यू हाई सेक्यूरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) आर्डर, 2001 :–**

दिनांक 28–09–2001 एवं उसके पश्चात रजिस्टर्ड मोटरयानों पर तात्कालिक प्रभाव से एवं उससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत मोटर यानो पर दो वर्ष पश्चात हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने की व्यवस्था इस आदेश में की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0 814(ई) दिनांक 22–08–2001 द्वारा अधिसूचित ।

**(16) उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003**

उत्तरांचल राज्य में मोटरयानों के उपयोग के सम्बन्ध में कर एवं अतिरिक्त कर लिए जाने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है। इसके अधीन समस्त मोटर यानों से कर (मार्गकर) एवं सार्वजनिक सेवा यान व माल वाहनों से अतिरिक्त कर लिये जाने की व्यवस्था है।

**(17) उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003**

उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 की धारा–28 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा यह नियमावली बनायी गयी है। इसमे मोटर यानों से कर एवं परिवहन यानों से कर/अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण की प्रक्रियात्मक व्यवस्था उपबंधित है।

# परिवहन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा नियमावलियॉ / अन्य नियम

**(1) उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 (यथा उत्तरांचल में लागू) :–**

इस नियमावली में परिवहन सेवा के समूह 'क' एवं 'ख' के पदों के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये है, जिसके अन्तर्गत अपर परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं दी गयी है।

**(2) उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू) :–**

इस नियमावली में परिवहन विभाग के सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) एवं सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं दी गयी है।

**(3) उत्तर प्रदेश परिवहन अधीनस्त अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा उत्तरांचल में लागू) :–**

इस नियमावली में परिवहन विभाग के सहायक अभियोक्ता की नियुक्ति एवं सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं दी गयी है।

**(4) उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू) :–**

इस नियमावली में परिवहन विभाग के यात्रीकर अधिकारी, यात्रीकर अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं दी गयी है।

**(5) उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 :–**

इस नियमावली के अन्तर्गत परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त मुख्यालय एवं सम्भागीय कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा सम्बन्धी अन्य उपबन्ध किये गये हैं।

**(6) उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 :—**

इस नियमावली में परिवहन विभाग के प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन चालन एवं प्रवर्तन सिपाही के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध किये गये है।

**(7) उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 :—**

इस नियमावली में चालक के पद पर भर्ती के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 590/कार्मिक–2/2003–55(26)2003 दिनांक 13–05–2003 के द्वारा प्रख्यापित।

**(8) समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 :—**

विभिन्न विभागों में समूह "घ" के पदों पर भर्ती सम्बन्धी नियमावली कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–880/XXX–(2)2004–55(39)/2004 दिनांक 14–06–2004 द्वारा प्रख्यापित।

**संलग्न अभिलेखः—**

**खण्ड—1**

1— मोटरयान अधिनियम, 1988।

**खण्ड—2**

2— उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998।

**खण्ड—3**

3— केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 ।

**खण्ड—4**

4— रैन्ट ए कैब स्कीम, 1989।

5— रूल्स ऑफ दि रोड रैगुलेशन, 1989।

6— सोलेशियम स्कीम, 1989।

7— चालन अनुज्ञप्ति (छूट की शर्तें) नियम,1992।

8— ओवर आल डायमेन्सन्स ऑफ मोटर वेहिक्लिस।
(प्रेस्क्रिप्सन ऑफ कंडीशन्स फॉर एक्जम्सन रूल्स, 1991)

9– मोटर वेहिकिल्स।

(आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स)

10– रेन्ट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997।

11– स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मोटर वेहिकिल्स।

12– अधिकतम् गति सीमा (मैक्सिमम् स्पीड लिमिट)।

13– स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम् ग्रॉस वेहिकिल वेट एण्ड मैक्सिमम् सेफ एक्सिल वेट।

14– रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन वेहिकिल्स फॉर स्टेट्स एण्ड यूनियन टैरिटरीज।

15– मोटर वेहिकिल्स (न्यू हाई सेक्यूरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) आर्डर, 2001।

16– लिक्विफाइड प्रेट्रोलियम गैस (रेगुलेसन आफ यूज इन मोटर वेहिकिल्स) आर्डर, 2001।

17– ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स यूजड बाई मैन्यूफैक्चर्र– एक्जम्प्ट फ्राम परमिट।

18– ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स परचेस्ड इन वन स्टेट प्रोसीडिंग टु अनदर विदाआउट कैरिंग गुड्स– एक्जम्प्ट फ्राम परमिट।

19– ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स यूजड फार सरटेन परपज– एक्जम्प्ट फ्राम परमिट।

20– ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल्स कैरिंग रिलीफ सप्लाइज इन नैचुरल क्लैमिटीज– एक्जम्प्ट फ्राम परमिट।

21– स्पेशल डिस्टींगगुसिंग मार्क टु बी डिस्पलेड आन पब्लिक सर्विस वेहिकिल्स कवड बाई स्पेशल परमिट।

22– ड्राइवरस आफ टुरिस्ट वेहिकिल्स– क्वालीफिकेशनस आफ।

23– स्पेशिफिकेसन आफ सर्टेन ड्रग्स बीम्ड टु रेंडर ड्राईवर इन कैपिबल आफ एक्सरसाइजिंग कन्ट्रोल ओवर वेहिकिल्स।

24– ब्रीद ऐनालाइजर टु इन्डिकेट परजेन्स आफ एल्कोहल इन ब्लड।

25– मिनिमम क्वालीफिकेसन्स फार इन्सपेक्टर एण्ड असिस्टेंट इन्सपेक्टर आफ मोटर वेहिकिल्स।

**खण्ड–5**

26– उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003।

27– उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003।

28– उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 (यथा उत्तरांचल में लागू)।

29– उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू)।

30– उत्तर प्रदेश परिवहन अधीनस्थ अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा उत्तरांचल में लागू)।

31 उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 (यथा उत्तरांचल में लागू)।

32 उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004।

33– उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004।

34– उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003।

35– समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004।

**-XXXXX-**

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

****

## परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।

## मैनुअल संख्या–5

## खण्ड–1

## कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

## मोटरयान अधिनियम, 1988।

*****

# मोटरयान अधिनियम, 1988

## विषय-सूची

*धारा* *पृष्ठ*

अध्याय 1

**प्रारम्भिक**


1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार तथा प्रारम्भ ..... 1
2. परिभाषायें ..... 1


अध्याय 2

**मोटर गाड़ियों के चालकों का अनुज्ञापन**


3. चालन-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता ..... 7
4. मोटरयान चलाने के सम्बन्ध में आयु सीमा ..... 8
5. धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटरयानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व ..... 8
6. चालन अनुज्ञप्ति के धारण पर निर्वचन ..... 8
7. कुछ यानों के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निर्बधन ..... 8
8. नौसिखिया अनुज्ञप्ति का दिया जाना ..... 9
9. चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना ..... 10
10. चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप विषय वस्तु ..... 12
11. चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन ..... 13
12. मोटरयानों के चलाने की शिक्षा देने के लिए स्कूलों या स्थापनों का अनुज्ञापन और विनियमन ..... 13
13. मोटरयानों के चलाने के अनुज्ञप्तियों के प्रभावी होने का विस्तार ..... 15
14. मोटरयानों के चलाने की अनुज्ञप्ति का चालू रहना ..... 15
15. चालन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण ..... 15
16. रोग या निशक्तता के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति का वापस लिया जाता ..... 17
17. चालन-अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करने या उन्हें वापस लेने के आदेश तथा उनसे अपील ..... 17
18. केन्द्रीय सरकार के मोटरयानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति ..... 17

*धारा* *पृष्ठ*

19. अनुज्ञापन प्राधिकारी की, चालन-अनुज्ञप्ति धारण से निरर्हित करने या उसे वापस लेने की शक्ति ........ 18
20. न्यायालय को निर्हित करने की शक्ति ........ 19
21. कुछ मामलों में चालन-अनुज्ञप्ति का निलम्बन ........ 20
22. दोषसिद्ध पर चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण ........ 21
23. निर्हता आदेश का प्रभाव ........ 21
24. पृष्ठांकन ........ 22
25. पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति कर दिया जाना ........ 23
26. राज्य चालन अनुज्ञप्तियों के रजिस्टरों का रखा जाना ........ 23
27. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ........ 24
28. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ........ 25

## अध्याय 3

## मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन

29. कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता ........ 26
30. कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना ........ 26
31. कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निर्हताएँ ........ 27
32. कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर वापस लिया जाना ........ 27
33. कंडक्टर अनुज्ञप्तियाँ देने आदि से इंकार करने वाले आदेश तथा उनसे अपील ........ 27
34. अनुज्ञापन प्राधिकारी की निर्हित करने की शक्ति ........ 27
35. न्यायालय की निर्हित करने की शक्ति ........ 28
36. अध्याय 2 के कुछ उपबन्धों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना ........ 28
37. व्यावृत्तियाँ ........ 28
38. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ........ 29

## अध्याय 4

## ✓ मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रीकरण

39. रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता ........ 29
40. रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है ........ 30
41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा ........ 30
42. [illegible] ........ 32

*धारा* **पृष्ठ**

43. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण ........ 32
44. रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश किया जाना ........ 33
45. रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से इंकार ........ 33
46. रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता ........ 33
47. किसी अन्य राज्य के लिए हटाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन ........ 34
48. अनापत्ति प्रमाणपत्र ........ 35
49. निवास स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन ........ 36
50. स्वामित्व का अंतरण ........ 37
51. अवक्रय करार, आदि के अधीन मोटरयान के बारे में विशेष उपबन्ध ........ 38
52. मोटरयान में परिवर्तन ........ 41
53. रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन ........ 42
54. धारा 53 के अधीन निलम्बित रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ........ 43
55. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना ........ 43
56. परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र ........ 44
57. अपीलें ........ 45
58. परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध ........ 46
59. मोटरयान का जीवनकाल नियत करने की शक्ति ........ 50
60. केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण ........ 51
61. अध्याय का ट्रेलर को लागू होना ........ 51
62. पुलिस द्वारा मोटरयानों की चोरी और उनकी बरामदगी के सम्बन्ध में जानकारी का राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना ........ 52
63. राज्य मोटरयान सम्बन्धी रजिस्ट्ररों का रखा जाना ........ 52
64. केन्द्रीय सरकार का नियम बनाने की शक्ति ........ 52
65. राज्य सरकार की नियम की बनाने की शक्ति ........ 53

## अध्याय 5

## परिवहनयानों का नियंत्रण

66. परमिटों की आवश्यकता ........ 55
67. राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियन्त्रण करने की शक्ति ........ 60
68. परिवहन प्राधिकरण ........ 63
69. परमिटों के लिए आवेदनों सम्बन्धी साधारण उपबन्ध ........ 66

*धारा* *पृष्ठ*

70. मंजिली गाड़ी परमिट के लिये आवेदन ........ 66
71. मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया ........ 67
72. मंजिली-गाड़ी परमिटों का दिया जाना ........ 69
73. ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन ........ 71
74. ठेका गाड़ी परमिटों का दिया जाना ........ 71
75. मोटर कैबों को किराये पर देने की स्कीम ........ 73
76. प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन ........ 73
77. मालगाड़ी परमिट के लिए आवेदन ........ 74
78. मालगाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना ........ 75
79. मालगाड़ी परमिट का दिया जाना ........ 75
80. परमिटों के लिए आयोजन करने और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया ........ 76
81. परमिटों की अस्तित्वावधि और उनका नवीकरण ........ 78
82. परमिट का अन्तरण ........ 79
83. यानों का बदला जाना ........ 79
84. सभी परमिटों पर साधारण शर्तों का होना ........ 79
85. परमिटों का साधाराण प्रारूप ........ 80
86. परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन ........ 80
87. अस्थायी परमिट ........ 82
88. जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उनसे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण ........ 83
89. अपील ........ 87
90. पुनरीक्षण ........ 88
91. ड्राइवरों के कार्य के घंटों के बारे में निर्बंधन ........ 89
92. दायित्व का निर्बंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण ........ 89
93. अभिकर्ता या प्रचारक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना ........ 89
94. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ........ 90
95. मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत नियम बनाने की शक्ति ........ 90
96. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ........ 91

*धारा* *पृष्ठ*

अध्याय 6

## राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशिष्ट उपबंध

97. परिभाषा ........ 94
98. अध्याय का अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना ........ 94
99. राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के सम्बन्ध में प्रस्थापना की तैयारी और प्रकाशन ........ 94
100. प्रस्थापना पर आपत्ति ........ 95
101. राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चालू करना ........ 96
102. स्कीम का रद्द या परिवर्तित किया जाना ........ 96
103. राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना ........ 96
104. अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन ........ 97
105. प्रतिकर अवधारित करने के सिद्धान्त और रीति तथा उसका संदाय ........ 98
106. यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन ........ 99
107. राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति ........ 99
108. राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ........ 100

अध्याय 7

## मोटरयानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण

109. यानों के निर्माण और अनुरक्षण सम्बन्धी साधारण उपबंध ........ 100
110. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ........ 102
111. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ........ 103

अध्याय 8

## यातायात का नियंत्रण

112. गति सीमा ........ 103
113. वजन की सीमाएँ और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धित ........ 104
114. यान तुलवाने की शक्ति ........ 105
115. यानों का उपयोग निर्बन्धित करने की शक्ति ........ 105
116. यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति ........ 106
117. पड़ाव और विराम स्थान ........ 107

*धारा* *पृष्ठ*

118. चालन विनियम ..... 107
119. यातयात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य ..... 107
120. बाईं ओर के नियंत्रण वाले यान ..... 107
121. संकेत और संकेतन युक्तियाँ ..... 107
122. यान को खतरनाक हालत में छोड़ना ..... 108
123. चलते यान के फुट बोर्ड आदि पर सवारी ..... 108
124. पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध ..... 108
125. ड्राइवर को बाधा ..... 108
126. बड़े यान ..... 108
127. सार्वजनिक स्थान पर अननुसेवित छोड़ गए या रहने दिए गए मोटरयानों का हटाया जाना ..... 109
128. ड्राइवरों और पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय ..... 109
129. सुरक्षात्मक टोप का पहनना ..... 109
130. अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करने का कर्तव्य ..... 110
131. रक्षक रहित रेल फाटकों पर कतिपय पूर्वविधानियाँ बरतने का ड्राइवर का कर्त्तव्य ..... 111
132. कुछ दशाओं में ड्राइवर का रूकने का कर्त्तव्य ..... 111
133. मोटरयान के स्वामी का जानकारी देने का कर्त्तव्य ..... 112
134. दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्त्तव्य ..... 112
135. दुर्घटना के मामलों और मार्गस्थल सुख-सुविधाओं आदि का अन्वेषण करने के लिए स्कीमें बनाना ..... 112
136. दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण ..... 113
137. केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति ..... 113
138. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ..... 113

अध्याय 9

## अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत में आने वाले मोटरयान

139. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ..... 114

अध्याय 10

## कतिपय मामलों में त्रुटि के बिना दायित्व

140. त्रुटि न होने के सिद्धान्त पर कतिपय मामलों में प्रतिकर कर संदाय करने का दायित्व ..... 115
141. मृत्यु का स्थायी निःशक्तता के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए अन्य अधिकार के विषय में उपबंध ..... 117

*धारा* | *पृष्ठ*

142. स्थायी निःशक्तता ........ 117

143. 1923 के अधिनियम 8 के अधीन कतिपय दावों को इस अध्याय का लागू होना ........ 118

144. अध्यारोही-प्रभाव ........ 118

## अध्याय 11

## मोटरयानों का पर-व्यक्ति जोखिम बीमा

145. परिभाषा ........ 118

146. पर-व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता ........ 118

147. पालिसियों की अपेक्षाएँ तथा दायित्वों की सीमाएँ ........ 119

148. व्यक्तिकारी देशों में दी गई बीमा पालिसियों की विधिमान्यता ........ 122

149. पर-व्यक्ति जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध हुए निर्णयों और अधिनिर्णयों की तुष्टि करने का बीमाकताओं का कर्त्तव्य ........ 122

150. बीमाकृत व्यक्ति के दिवालिए होने पर बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पर व्यक्ति के अधिकार ........ 127

151. बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्त्तव्य ........ 128

152. बीमाकर्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता ........ 129

153. धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के बारे में व्यावृत्ति ........ 130

154. बीमाकृत व्यक्तियों के दिवाले से बीमाकृत के दायित्व या पर-व्यक्तियों के दावे पर प्रभाव न पड़ना ........ 130

155. कुछ वाद-हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव ........ 130

156. बीमा-प्रमाणपत्र का प्रभाव ........ 130

157. बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण ........ 131

158. कतिपय दशाओं में कुछ प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट का पेश किया जाना ........ 131

159. यान का उपयोग करके प्राधिकार के लिए आवेदन पर बीमा-प्रमाणपत्र पेश किया जाना ........ 133

160. दुर्घटनाग्रस्त यानों की विशिष्टियाँ देने का कर्त्तव्य ........ 133

161. टक्कर मारकर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबन्ध ........ 133

162. धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर को कतिपय मामलों में प्रतिदाय ........ 134

163. टक्कर मारकर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में प्रतिकर के संदाय के लिए स्कीम ........ 135

163-क. प्रतिकर प्रदान करने के लिए प्रावधान ........ 135

**धारा** **पृष्ठ**

163-ख. कुछ मामलों में, दावा करने का विकल्प ........ 136
164. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ........ 136

## अध्याय 12

## दावा अधिकरण

165. दावा अधिकरण ........ 137
166. प्रतिकर के लिए आवेदन ........ 138
167. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के सम्बन्ध में विकल्प ........ 141
168. दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय ........ 141
169. दावा अधिकारणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ ........ 144
170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना ........ 144
171. जहाँ दावा मंजूर किया गया है वहाँ ब्याज दिलाना ........ 144
172. कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चे दिलाना ........ 145
173. अपीलें ........ 146
174. बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना ........ 147
175. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वजन ........ 147
176. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ........ 147

## अध्याय 13

## अपराध, शास्तियाँ और प्रक्रिया

177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबन्ध ........ 147
178. पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इंकार करने के लिए शास्ति आदि ........ 149
179. आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना ........ 150
180. अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना ........ 150
181. धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना ........ 151
182. अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अपराध ........ 151
182-क. वाहन क रख रखाव के लिए दण्ड ........ 151
183. अत्यधिक गति से चलाना ........ 151
184. खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना ........ 152

| धारा | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 185. | किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाया जाना | 152 |
| 186. | मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए चलाना | 153 |
| 187. | दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड | 153 |
| 188. | कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड | 153 |
| 189. | दौड़ और गति का मुकाबला | 153 |
| 190. | असुरक्षित दशा में बाले यान का उपयोग किया जाना | 153 |
| 191. | यान का ऐसी हालत में विक्रय या यान का ऐसी हालत में परिवर्तन जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो | 154 |
| 192. | बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग | 154 |
| 192-क. | बिना अनुमति के (permit) वाहन का उपयोग | 155 |
| 193. | समुचित प्राधिकारी के बिना अभिकर्त्ताओं और प्रचारकों के रूप में कार्य करने वालों को दण्ड | 155 |
| 194. | अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन वाले यान को चलाना | 156 |
| 195. | कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माने का अधिरोपण | 156 |
| 196. | बीमा न किये गये यान को चलाना | 156 |
| 197. | प्राधिकार के बिना यान ले जाना | 156 |
| 198. | यान में अनधिकृत हस्तक्षेप | 157 |
| 199. | कम्पनियों द्वारा अपराध | 157 |
| 200. | कतिपय अपराधों का शमन | 157 |
| 201. | यातायात के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए शस्ति | 158 |
| 202. | वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति | 158 |
| 203. | श्वास-परीक्षण | 158 |
| 204. | प्रयोगशाला परीक्षण | 160 |
| 205. | मोटरयान चलाने की अयोग्यता की उपधारण | 160 |
| 206. | पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति | 161 |
| 207. | रजिस्ट्रीकरणं, प्रमाण-पत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये यानों को निरुद्ध रखने की शक्ति | 161 |
| 208. | मामले का संक्षिप्त निपटारा | 162 |
| 209. | दोषसिद्धि पर निर्बधन | 163 |
| 210. | दोषसिद्धि सम्बन्धी सुचनाओं का न्यायालय द्वारा भेजा जाना | 163 |

*धारा* *पृष्ठ*

## अध्याय 14

## प्रकीर्ण

211. फीस उदगृहीत करने की शक्ति ........ 164
212. नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारम्भ और रखा जाना ........ 164
213. मोटरयान अधिकारियों की नियुक्त ........ 165
214. आरम्भिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव ........ 166
215. सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियाँ ........ 166
216. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ........ 167
217. निरसन और व्यावृति ........ 167
217-क. मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन प्रदत्त परमिटों, चालन अनुज्ञप्तियों और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ........ 168
प्रथम अनुसूची ........ 169
द्वितीय अनुसूची ........ 220

######

# मोटरयान अधिनियम, 1988

(1988 अधिनियम संख्या 59)

(14 अक्टूबर, 1988)

[अधिनियम संख्या 54, 1994 द्वारा संशोधित]

*मोटरयानों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो*

अध्याय 1

## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम करे और भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

*टिप्पणियां*—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 यह 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। आदेश संख्या 368 (इ) दिनांक 22 मई, 1988

**2. परिभाषाएँ.**—(1) "क्षेत्र" से, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में, ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करें;

### टिप्पणी

धारा 3 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराधान के लिये, किसी मोटर गाड़ी को प्रयोग के लिये या उसमें विक्रय के लिये किसी स्थानीय क्षेत्र में आना आवश्यक है तथा जो मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण का भी दायी होता है। [*बोस अब्राहम* बनाम *केरल राज्य,* ए० आई० आर० 2001 एस०सी० 835(837)]

**तुलनात्मक धारा**—एस 2 (1) पुराना अधिनियम VI 1939 :

(2) "संलग्न गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिससे कोई अर्द्ध-टेलर संलग्न है;

(3) "धुरी भार" से किसी यान की धुरी के सम्बन्ध में उसे धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा उस भू-तल पर जिस पर वह यान टिका हुआ है, संचारित कुल वजन अभिप्रेत है;

(4) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है कि मोटरयान कृत्य की अध्याय 4 के उपबन्धों के अनुसार उचित रूप से रजिस्टर कर दिया गया है;

(5) "कन्डक्टर" से, मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया इकट्ठा करने, उनका मंजिली गाड़ी में आना या उसमें से जाना विनियमित करने और ऐसे कृत करने में लगा हुआ है जो विहित किए जाएं;

(6) "कन्डक्टर" से ऐसी अनुज्ञाप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन दी गई है और जो उसमें विनिर्दिशट व्यक्ति को कन्डक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है;

(7) "ठेका गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो संविदा में वर्णित यात्रियों के वहन के लिए किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन अनुबंधित की गई है और उसे यान के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुज्ञापत्र के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ की गई—

(क) समय के आधार पर चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रतिनिर्देश से हो अथवा नहीं था,

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक, चलाई जाती है, और इन दोनों ही दशाओं में किसी में भी यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को, जो संविदा में सम्मिलित नहीं है, चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रुके बिना उसे पूरे यान का उपयोग नियत या तय हुई दर या धनराशि पर करने के लिए की गई है, और इसके अन्तगर्त—

(i) मैक्सी कैब भी है; और

(ii) मोर कैब, इस बात के होते हुए भी है कि इसके यात्रियों से अलग-अलग किराये भी प्रभारित किए जाते है ;

## टिप्पणी

बृजेन्द्र कुमार चौधरी ब. उ० प्र० राज्य [(1992) 2 एस० सी० सी० 703] में धृत किया गया कि निर्बन्धन स्टेट कैरेज परमिट के लिये लागू होता है। जहाँ कोई मिनी बस न तो मैक्सी कैब है न मोटर कैब तो मोटर कैब व मैक्सी कैब के लिये उपबन्धित अपवाद मिनी बसों को लागू नही होगा।

(8) "व्यवहारी" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो—

(क) [1][* * *]

(ख) चैसिस से संलग्न करने के लिए बाडियों का निर्माण करने में लगा हुआ है, या

(ग) मोटरयानों की मरम्मत में लगा हुआ है, या

(घ) मोटरयानों के अंडमान करने, पट्टा पर देने या अवक्रय में लगा हुआ है,

(9) "ड्राइवर" किसी ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में जो किसी अन्य मोटरयान से चलाया जाता है, "ड्राइवर" के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जो चलाए जाने वाले यान के स्टियरमैन के रूप में कार्य करता है;

(10) "चालन-अनुज्ञाप्ति" से ऐसी अनुज्ञाप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और जो उसमें विनिर्दिष्ट नौसिखिया से भिन्न अन्यथा व्यक्ति को मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है;

(11) "शिक्षा संस्था बस" से ऐसी कोई आमनी बस अभिप्रेत है जो किसी कालेज, विद्यालय या बन्द शिक्षा संस्था के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग उसके किसी क्रिया-कलाप के

1. अधिनियम सं० 54 सन् 1994 द्वारा निकाला गया।

सम्बन्ध में शिक्षा संस्था के विद्यार्थियों और कर्मचारीवृन्द के परिवहन के प्रयोजन के लिए किया जाता है;

(12) "किराए" के अन्तर्गत वे धनराशियां हैं जो किसी सीजन टिकट के लिए अथवा ठेका गाड़ी के भाड़े लेखे संदेय हैं;

(13) "माल" के अन्तर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय यान द्वारा ले जाया जाने वाला पशु धन और (यान में मामूली तौर पर काम आने वाले उपस्कर से भिन्न) कोई भी चीज है, किन्तु मोटर कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीजबस्त या यान में यात्रा करने वाले गाड़ियों की निजी सामान इसके अन्तर्गत नहीं है;

(14) "माल गाड़ी" से ऐसी कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो केवल माल ढोने के काम में लाए जाने के लिए निर्मित या अनुकूल बना लिया गया है या ऐसा कोई मोटरयान भी जो ऐसे निर्मित या अनुकूल नहीं बना लिया गया है, उस दशा में अभिप्रेत है जब उसका उपयोग माल ढोने में किया जाता है;

## टिप्पणी

धारा 2(14) प्राविधानों को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि नवीन अधिनियम का विधायी आशय मालवाहन को किसी यात्री के ले जाने को मना करना है।

माल वाहन में किसी यात्री का कोई प्रसंग नहीं है। इसलिये अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि नये अधिनियम के प्राविधान किसी यान के किसी मालिक पर ऐसा कोई विधिक दायित्व नहीं सौंपा है कि वह किसी मालवाहन में यात्रा करने वाले किसी यात्री के लिये अपनी गाड़ी का बीमा करवाये और बीमाकर्त्ता भी एतदर्थ दायित्वाधीन नहीं होगा। [*ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लि०* बनाम *डी० के रेड्डी,* ए० आई० आर 2003 एस० सी० 1009]

मात्र ट्रेलर के लग जाने से कोई ट्रेक्टर यातायात नही हो जाता। [*नागाशेट्टी* बनाम *युनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि०,* 2002 सु० को० क्रि० रु० 313]

(15) "सकलयान वजन" किसी यान की बाबत "सकल यान वजन" से यान का कुल वजन और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रभावित और रजिस्ट्रीकृत यथा अनुज्ञेय यान का कुल वजन अभिप्रेत है;

(16) "भारी माल यान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई माल यान जिसका सफल वजन या ऐसा ट्रैक्टर या रोड-रोलर जिसका लदान रहित वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है;

## टिप्पणी

निस्सन्देह यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के गाड़ियों को परिभाषित करता है। यह भी सही है कि धारा 2(16) व (17) में अलग–अलग 'भारी माल वाहन' व 'भारी यात्री मोटर गाड़ी' को परिभाषित किया गया है। तो भी इन परिभाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि पैरामीटर स्पष्टतः अधिकथित किये गये हैं। मूल अपेक्षा यह है कि लदान रहित वजन 12000 किलोग्राम से बढ़ना नहीं चाहिये। एक बार इस अपेक्षा की पूर्ति हो जाने पर यह नही कहा जा सकता कि दो श्रेणियों के वाहनों में कोई वास्तविक व सारवान गुण्वत्तीय भिन्नता है कि जिससे किसी बस चलाने से किसी चालक को किसी भारी मोटर यान के लाइसेन्स रखने पर अयोग्य ठहराया जाये। [*युनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि०* बनाम *कमल,* (2001) टी० ए० सी०) 742 (प०वही)]

(17) "भारी यात्री मोटरयान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई बस जिसका सकल यान वजन अथवा ऐसे मोटर कार जिसका लदान रहित वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है;

(18) "अशक्त यात्री गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो किसी शारीरिक खराबी या निःशक्तता से पीड़ित किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से रूपांकित तथा निर्मित किया गया है, न कि केवल अनुकूल बना दिया गया है और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए ही किया जाता है;

## टिप्पणी

सड़क से कुछ दूरी पर अपनी ओर खड़ी मोटरगाड़ी की धारा 2(18) (अब धारा 2 (28) के अर्थों में मोटर गाड़ी ही रहती है। [*एस० डी० पाटिल* बनाम *वी० यू० मोरे*, ए०आई०आर० 1991 एस०सी० 1769]

जहाँ डम्पर कराकर सड़क पर गाड़ी के रूप में स्वीकार कर लिये गये हैं या प्रयोग के लिये उचित मान लिये गये हैं तो मोटरगाड़ी होने के कारण कराधान के दायी होंगे तथा राज्य विनियामक व प्रतिकरात्मक कर ही हकदार होगी। [*मेसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०* बनाम *उड़ीसा राज्य*, ए० आई० आर० 1992 एस०सी० 1371]

(19) "नौसिखिया अनुज्ञप्ति" से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है, और जो उसके विनिर्दिष्ट व्यक्ति को नौसिखिया के रूप में कोई मोठरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है;

(20) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से ऐसा कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, अध्याय 2 या अध्याय 3 के अधीन अनुज्ञाप्ति देने के लिए सशक्त किया गया है;

(21) "हल्का मोटरयान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल यान वजन अथवा ऐसी मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी लदान रहित वजन [1][7500] किलोग्राम से अधिक है;

## टिप्पणी

स्कूटर/मोटर साइकिल/कार/जीप/टेम्पों की यन्त्र रचना प्रयोगतः वही है इसके लिये विशेष प्रशिक्षण अपेक्षित नहीं है। ये हलके मोटर यान की परिभाषा में ही आ जाते हैं। [*हरदयाल सिंह* बनाम *चिरंजी लाल*, 2003(1) ए०सी०सी० 114 (प० वही)]

धारा 2 (47) के अन्तर्गत परिभाषित 'यातायात यान' को धारा 2 (21) के अन्तर्गत परिभाषित 'हलके मोटर यान के साथ पढ़ा जाना चाहिये। धारा 2 (21) द्वारा परिभाषित 'हलका मोटर यान' का अर्थ है यातायात यान या बहुप्रयोजनीय 7500 किलोग्राम से कम इंजन का यान। [*युनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि०* बनाम *विमला बाई*, (2001) टी० ए० सी० 482]

[2][(21-A) "निर्माता" व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मोटर वाहनों के निर्माण में लगा है;

(22) "मैक्सी कैब" से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक, पर छह से अधिक यात्रियों, किन्तु बारह से अनधिक यात्रियों को, जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बना लिया गया है;

(23) "माध्यम माल यान" से ऐसा कोई माल यान अभिप्रेत है जो हल्के मोटरयान या भारी यान से भिन्न है;

(24) "मध्यम यात्री मोटरयान" से ऐसा कोई लोक सेवा यान या निजी सेवा यान या शिक्षा संस्था बस अभिप्रेत है जो मोटर साइकिल, अशक्त यात्री गाड़ी, हल्का मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान से भिन्न है;

---

1. अधिनियम सं० 54 सन 1994 द्वारा बदला गया।
2. अधिनियम सं० 54 सन 1994 द्वारा बदला गया।

(25) "मोटर कैब" से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक छह यात्रियों को जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बना लिया गया है;

(26) "मोटर कार" से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो परिवहन यान बस रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल या अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न है;

### टिप्पणी

अधिनियम के अन्तर्गत मोटरकार की परिभाषा में ट्रैक्टर नहीं आ सकता। [*राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि०* बनाम *शिन्दर कौर,* ए० आई० आर० 1998 पं व हरि 184]

(27) "मोटर साइकिल" से दो पहियों वाले मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें किसी एक अतिरिक्त पहिए वाली पृथक्करणीय साइड कार, जो मोटरयान से संलग्न हो, सम्मिलित है;

(28) "मोटरयान" या "यान" से कोई ऐसा यंत्र नोदित यान अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया, चाहे उससे नोदित शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचारित की जाती है या आंतरिक स्रोत से और इसके अन्तर्गत चेसिस, जिससे बाडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है किन्तु पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या चार से कम पहियों वाला यान जिसमें [1](पचीस) घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाला इंजन फिट किया गया है, इसके अन्तर्गत नहीं है;

### टिप्पणी

अधिनियम में मोटरयान की परिभाषा के विश्लेषण में 'डम्पर' भी आता है तथा इसे मोटरयान कहा जा सकता है। [*राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि०* बनाम *साहिबा खातून,* ए०आई०आर० 1998 म०प्र० 238]

(29) "ओमनी बस" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो चालक को लेकर छह व्यक्तियों का वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बना दिया गया है;

(30) "स्वामी" से वह व्यक्ति जिसके नाम में मोटरयान रजिस्टर है और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, उस अवयस्क का संरक्षक अभिप्रेत है और उस मोटरयान के सम्बन्ध में जो, अब क्रय करार या पट्टे के करार या आडमान के करार पर लिया गया है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार के अधीन कब्जा है;

### टिप्पणी

अभिव्यक्ति 'स्वामी' किसी व्यक्ति को शामिल करता है जिसके वास्तविक कब्जे व नियंत्रण में यान हो तथा जिसके निर्देशन व समादेश से चालक बस को चलाता है। [*राजस्थान राज्य सड़क यातायात निगम* बनाम *के० एन० कोठारी,* ए० आई० आर० 1997 एस० सी० 3444]

(31) "परमिट" से ऐसी परमिट अभिप्रेत है जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या अधिनियम के अधीन इस निमित्त विहित प्राधिकरण ने किसी मोटरयान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए जारी की है;

(32) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(33) "निजी सेवा यान" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो बालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों का वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूल बना दिया गया है और साधारणतः

---

1. अधिनियम सं० 54 सन 1994 द्वारा बदला गया।

ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से, भाड़े या पारिश्रमिक से अन्यथा उसके व्यापार या कारबार के लिए या उसके सम्बन्ध में, व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मोटरयान नहीं है;

(34) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसी सड़क, गली, मार्ग या अन्य स्थान, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, अभिप्रेत है जिस पर जनता को पहुंच का अधिकार प्राप्त है, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा स्थान या अड्डा भी है जहाँ पर मंजिली गाड़ी द्वारा यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है;

## टिप्पणी

व्यक्तिगत स्थान के मामले में भी जहाँ जनता बिना निर्बन्धन के सीमित ही किन्तु अनुमति से जाती है तो उसे सार्वजनिक स्थान के रूप में नाम दिया जा सकता है। [*यूनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी स्वामी* बनाम *गुजरात शिप ट्रेडिंग निगम,* (1998)। टी० ए० सी० 538 (गुज०)]

खानों के क्षेत्र में सड़कें सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं क्योंकि जनता पूर्वानुमति से उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। बीमाकर्त्ता व स्वामी क्षतिपूर्ति करने से इन्कार नहीं कर सकते। [*राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि०* बनाम *साहिबा खातून,* ए०आई०आर० 1998 म०प्र० 238]

(35) "सार्वजनिक सेवा यान" से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है जो उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत मैक्सी कैब, मोटर कैब, ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी भी है,

(36) "रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन" से किसी यान की धुरी के सम्बन्ध में धुरी वजन अभिप्रेत है जिसकी बावत रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत है कि वह उस धुरी के लिए अनुज्ञेय धुरी वजन है;

(37) "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अध्याय 4 के अधीन मोटरयानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त किया गया है;

(38) "मार्ग" से यात्रा का वह पथ अभिप्रेत है जिसकी बावत वह विनिर्दिष्ट है कि वह ऐसा राजमार्ग है जिसमें एक टर्मिनस से दूसरे टर्मिनस तक मोटरयान आ जा सकता है;

(39) [1]["सेमी ट्रेलर" का तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो यांत्रिक रूप से (ट्रेलर के अन्यथा) संचालित नहीं है और जो किसी मोटर वाहन से संलग्न है वह उसी का भाग माना जाएगा और उसके द्वारा लाया गया माल उसी वाहन द्वारा लाया गया माना जायेगा;]

(40) "मंजिली गाड़ी" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसे ड्राइवर के अलावा छह से अधिक यात्रियों को, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा या उसकी ओर से दिए गए अलग-अलग किरायों पर भाड़े या पारिश्रमिक पर वहन करने के लिए, निर्मित किया गया है, या अनुकूल बनाया गया है;

(41) "राज्य सरकार" किसी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 229 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(42) "राज्य परिवहन उपक्रम" से ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत है जो वहाँ सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करता है, जहाँ ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाता है,—

(i) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार,

(ii) सड़क परिवहन नियम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई सड़क परिवहन निगम;

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(iii) केन्द्रीय सरकार एक या अधिक राज्य सरकारों के, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई नगरपालिका या कोई निगम या कंपनी अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के,

[1](iv) "जिला परिषद या उसी प्रकार के कोई अन्य स्थानीय निकाय।"

*स्पष्टीकरण*—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सड़क परिवहन सेवा" से भाड़े या पारिश्रमिक के लिए सड़क मार्ग द्वारा यात्रियों या माल अथवा दोनों का वहन करने के लिए मोटरयान सेवा अभिप्रेत है;

(43) "पर्यटन यान" से ऐसी ठेका गाड़ी अभिप्रेत है जो उन विनिदेशों के अनुरूप निर्मित या अनुकूलित तथा सज्जित और अनुरक्षित की गई है जिन्हें इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए,

(44) "ट्रैक्टर" से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो स्वयं (नोदन के प्रयोजन के लिए काम में आने वाले उपस्कर से भिन्न) कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं किया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत रोड-रोलर नहीं है;

(45) "यातायात संकेत" के अन्तर्गत सभी संकेत, चेतावनी संकेत स्तम्भ, दिशा सूचक स्तम्भ, सड़कों पर पार्किंग या अन्य युक्तियां हैं जो मोटरयानों के ड्राइवरों की जानकारी, मार्ग-दर्शन या निर्देशन के लिए है,

(46) "टेलर" से अर्द्ध-ट्रेलर और साइड कार से भिन्न कोई ऐसा यान अभिप्रेत है जो मोटरयान के द्वारा खींचा जाता है अथवा खींचे जाने के लिए आशयित है;

(47) "परिवहन यान" से कोई सार्वजनिक सेवा यान, माल यान, शिक्षा संस्था बस या प्राइवेट सेवा यान अभिप्रेत है;

(48) "लदान रहित वजन" से यान या, ट्रेलर का ऐसे सभी उपस्कर सहित वजन अभिप्रेत हैं जिसका उपयोग मामूली तौर पर यान या ट्रेलर के चालू होने पर किया जाता है, किन्तु इसमें ड्राइवर या परिचारक का वजन सम्मिलित नहीं है तथा जहाँ अनुकल्पिक पुर्जों या बाडी का उपयोग किया जाता है वहाँ यान के लदान रहित वजन से यान का, ऐसे सबसे भारी अनुकल्पिक पुर्जे या बाडी सहित वजन अभिप्रेत है;

(49) "वजन" से यान के पहियों द्वारा उस भू-तल पर, जिस पर वह यान टिका हुआ है उस समय संचारित किया जाने वाला कुल वजन अभिप्रेत है;

## अध्याय 2

## मोटर गाड़ियों के चालकों का अनुज्ञापन

**3. चालन-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता.**—(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करने के वास्ते उसके नाम में दी गयी प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति है; और कोई भी व्यक्ति ऐसी [2](एक मोटर कैब या मोटर साइकिल) से भिन्न जिसे उसमें अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है या धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन किराए पर लिया है परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन-अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) वे शर्ते जिनके अधीन उपधारा (1) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटरयान चला सीख रहा है, ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

**टिप्पणी**

अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रयोग हेतु यातायात यान को उस व्यक्ति द्वारा चला को जिसके पास यातायात यान की अपेक्षा अन्य मोटरयान के चलाने का वैध लाइसेन्स हों प्रतिषिद्ध कर का कोई विधान नहीं है। [*संजय गुप्ता* बनाम *ओरियन्टल बीमा कम्पनी लि०* 1997 ए०सी०जे० 216(इला०)]

**4. मोटरयान चलाने के सम्बन्ध में आयु सीमा.**—(1) कोई भी व्यक्ति जो अट्ठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में यान नहीं चलाएगा;

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कल लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में [1]("50 सी० सी० इन्जन से अनधिक क्षमता धारण करने वाली मोटर साइकिल") चलाई जा सकेगी।

(2) धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति जो बीस वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा।

(3) कोई नौसिखिया अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति उस वर्ग के, जिसके लिए उसने आवेदन किया है किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने के लिए पात्र नहीं है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 4 पुराना अधिनियम (iv) 1959 से मिलता जुलता है।

**5.** धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटरयानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व मोटरयान का कोई स्वामी या भार साधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता है, यान नहीं चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 5 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**6. चालन अनुज्ञप्ति के धारण पर निर्वचन.**—(1) कोई भी व्यक्ति जब वह उस समय प्रवृत्त कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार दी गई नौसिखिया अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति के सिवाय कोई अन्य अनुज्ञप्ति या ऐसे दस्तावेज को जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत करता है, धारण नहीं करेगा।

(2) चालन अनुज्ञप्ति या नौसिखिया अनुज्ञप्ति का कोई धारक उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(3) इस धारा की कोई बात धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे वर्गों के यानों में जिनको चालन अनुज्ञप्ति चलाने के लिए धारक को प्राधिकृत करती है, सम्मिलित करने से निवारित नहीं करेगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 6 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**7. कुछ यानों के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निर्बंधन.**—[2][(1) किसी व्यक्ति को यातायान वाहन (Transport vehicle) चलाने का लाइसेन्स तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब उसके पास हल्के मोटर वाहन चलाने का एक वर्ष का लाइसेन्स न हो।]

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(क) भारी यात्री मोटरयान चलाने के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम दो वर्ष तब तक या मध्यम यात्री मोटरयान चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण न की हो,

(ख) मध्यम माल यान या मध्यम यात्री मोटरयान चलाने के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण न की हो।

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अट्ठारह वर्ष से कम आयु का है, नौसिखिया अनुज्ञप्ति की वांछा रखने वाले व्यक्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना, बिना गियर वाली मोटर साइकिल को चलाने की नौसिखिया अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 7(1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जहाँ धारा 7(1), (8) के प्राविधान नियम 5 (2) से असंगत हों वहाँ नियम निर्माता प्राधिकारी अधिनियम के विषय क्षेत्र के बाहर जा सकता है। [*कर्नाटक राज्य* बनाम *एच० जी० कोमथ,* ए० आई० आर० 1983 एस० सी० 550]

**8. नौसिखिया अनुज्ञप्ति का दिया जाना**—(1) जो व्यक्ति धारा 4 के अधीन मोटरयान चलाने के लिए निर्हित नहीं है और जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निर्हित नहीं है, वह धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नौसिखियों को अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है—

(i) जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है, या

(ii) जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट वह स्कूल या संस्था स्थित है जहाँ मोटरयान चलाना सीखना चाहता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे तथा ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) उपधरा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र ऐसे प्रारूप में संलग्न होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाय और उस पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे, जो राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

[1]["परन्तु यह कि यातायात वाहन (Transport vehicle) चलाने के अन्यथा ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए चिकित्सकीय प्रमाणपत्र आवश्यक न होगा।"]

(4) यदि आवेदन से या उपधारा (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा-प्रमाणपत्र से यह प्रतीत होता है कि आवेदन किसी ऐसे रोग या ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ष के मोटरयान का चलाया जाना, जिसे चलाने के लिए वह उस नौसिखिया चालन अनुज्ञप्ति द्वारा, जिसके लिए आवेदन किया गया है प्राधिकृत हो जाएगा जनता या यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी नौसिखिया चालन दी जा सकेगी।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

परन्तु यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक अशक्त यात्री गाड़ी चलाने के लिए ठीक हालत में है तो आवेदक की अशक्त यात्री गाड़ी चलाने तक सीमित नौसिखिया अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी;

(5) किसी भी आवेदक को कोई नौसिखिया अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(6) जब समुचित अनुज्ञापन अधिकारी का सम्यक् रूप से आवेदन कर दिया गया है और आवेदक ने ऐसे प्राधिकारी का उपधारा (3) के अधीन अपनी शारीरिक समर्थता के बारे में समाधान कर दिया है और जिसने उपधारा (5) में निर्दिष्ट परीक्षण अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में उत्तीर्ण कर लिया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आवेदक के नौसिखिया चालन अनुज्ञप्ति देगा जब तक कि आवेदक मोटरयान चलाने के लिए धारा 4 के अधीन निर्हित न हो या मोटरयान चलाने के लिए तत्समय कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निर्हित न हो:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी मोटर साइकिल या हल्के मोटरयान को चलाने के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा। इस बात के होते हुए भी कि वह समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करने की आवेदक की असमर्थता के लिए वैध कारण है।

(7) जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ इस निमित्त बनाए गये नियमों द्वारा, साधारणतया या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों की उपधारा (3) या उपधारा (5) अथवा दोनों के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(8) मोटर साइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त, कोई नौसिखिया अनुज्ञप्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटर साइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 8 पुराना अधिनियम (iv) 1930 :

## टिप्पणी

चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा एलोपैथी में कम से कम एम बी बी एस डिग्री न रखने वाले पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या जी० ओ० एम्स० संख्या 25, ट्रांसपोर्ट्स, रोड्स एण्ड बिल्डिंग्स (टी० आर० II) विभाग की अधिसूचना के अनुसार स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी समान डिग्री धारक से जारी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किये जाने पर उसे यातायात प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। [*डा० बी० एस० एस० सनघ राज* बनाम *यातायात आयुक्त,* हैदराबाद, ए० आई० आर० 2001 आन्ध्र प्रदेश 162; *मो० अब्दुल वहाब* बनाम *आन्ध्र प्रदेश राज्य,* ए० आई० आर० 2001 आन्ध्र प्रदेश 225 भी दृष्टव्य]

**9. चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना.**—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अधिप्राप्त करने के लिए निर्हित नहीं है, वह चालन अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है—

(i) जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है; या

(ii) जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट वह स्कूल या स्थापन स्थित है, जहाँ वह मोटरयान चलाना सीखता है या सीख चुका है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसी फीस और ऐसे दस्तावेज होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) [1][यदि आवेदनकर्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षण में पास हो जाता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेन्स प्रदान कर दिया जाएगा।

परन्तु यह कि उस आवदेनकर्ता का परीक्षण आवश्यक नहीं होगा जो यह दर्शित कर देता है कि—

(a) (i) आवेदनकर्ता ने उसी प्रकार के वाहन के चलान का लाइसेन्स रखता है और उस लाइसेन्स की नवीनीकरण की तिथि समाप्त होने के पांच वर्ष के भीतर पुनः आवेदन करता है।

(ii) आवेदनकर्ता धारा 18 में वर्णित किसी प्रकार के वाहन के चलाने का लाइसेन्स पहले से धारण करता है।

(iii) आवेदनकर्ता भारत के बाहर स्थित किसी सक्षम निकाय या प्राधिकारी द्वारा उसी प्रकार के वाहन को चलाने का लाइसेन्स धारण करता है, किन्तु यह उपबन्ध धारा 8 के उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन होगा।

(b) यह कि आवेदनकर्ता किसी ऐसी अक्षमता से ग्रसित नहीं है कि उसके वाहन चालन के कारण जनसामान्य को क्षति हो सकती है और लाइसेन्स प्रदान करने वाला अधिकारी यह अपेक्षा कर सकेगा आवेदनकर्ता धारा 8 के उपधारा (3) में वर्णित प्रारूप से चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह और कि जहाँ पर मोटर वाहन (जो यातायात वाहन न हो) के चालन हेतु लाइसेन्स के लिए आवेदन किया गया हो) वहाँ पर अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority) आवेदनकर्ता को चालन क्षमता के परीक्षण से मुक्त कर सकता है और यदि आवेदनकर्ता राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त संख्या का चालन लाइसेन्स (Driving Licence) प्रस्तुत कर देता है।]

(4) जहाँ आवेदन किसी परिवहन यान को चलाने का अनुज्ञप्ति के लिए है, वहाँ किसी आवेदक को तब तक प्राधिकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, और धारा 12 में निर्दिष्ट किसी स्कूल या स्थापन द्वारा दिया गया कोई चालन प्रमाणपत्र न हो।

[2][(5) जहाँ पर आवेदनकर्ता परीक्षण में पास नहीं होता है वहाँ उसे सात दिन की अवधि के पश्चात् पुनः उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

परन्तु यह और कि जहाँ पर आवेदनकर्ता इस प्रकार तीन उपस्थिति पर भी परीक्षण को पास नहीं करता है तो वह ऐसे अन्तिम परीक्षण की तिथि से 60 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व पुनः उपस्थित होने के लिए अयोग्य समझा जायेगा।]

(6) चलाने का सक्षमता परीक्षण उस प्रकार के यान में किया जायेगा जिसका आवेदन में निर्देश है:

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसमें गियर वाली मोटर साइकिल चलाने का परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है वह समझा जाएगा कि उसमें बिना गियर वाली मोटर साइकिल चलाने का परीक्षण भी उत्तीर्ण कर लिया है।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(7) जब समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी को उचित रूप से आवेदन कर दिया गया है और आवेदक ने अपनी चालन क्षमता की बावत ऐसे प्राधिकारी का समाधान कर दिया है तब अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को चालन अनुज्ञप्ति उस दशा में देगा जबकि वह चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए उस समय निर्हित न हो;

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी मोटर साइकिल या हल्का मोटरयान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्तिं इस बात के होते हुए भी कि वह समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी नही है उस दशा में दे सकेगा जिसमें उस अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इस बात का उचित और पर्याप्त कारण है कि आवेदक समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करने में असमर्थ है :

परन्तु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को नई चालन अनुज्ञप्ति नहीं देगा यदि उसके पास पहले कोई चालन अनुज्ञप्ति थी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं जाता है कि उसकी पहली अनुज्ञप्ति की दूसरी प्राप्त करने में उसकी असमर्थता का उचित और पर्याप्त कारण है।

(8) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि वह :

(क) अभ्यस्ततः अपराधी या अभ्यस्ततः शराबी है; या

(ख) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1986 का 61) के अर्थ के अन्तर्गत किसी स्वापक औषधि का मनःप्रभावी पदार्थ का व्यसनों, है या

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति को पहले किसी समय वापस ले लिया गया है।

तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे किसी व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने वाला आदेश कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(9) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त मोटर साइकिल चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् गियर या बिना गियर वाली मोटर साइकिल चलाने के लिए प्रभावी समझी जायेगी।

## टिप्पणी

चालक लाइसेन्स के लिये प्रार्थना पत्र देने हेतु यह आवश्यक है कि एक प्रमाण पत्र दिया जाये कि प्रार्थी ने विद्यालय से प्रशिक्षण लिया है तथा प्रार्थी विद्यालय का पता प्रयोग में न लाये क्योंकि अस्थायी पता बिना किसी आधार के होता है। अधिनियम स्वतः प्रार्थी को चालक विद्यालय के क्षेत्राधिकार में लाइसेन्स के लिये प्रार्थना पत्र देने का अवसर देता है। यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का शहर में कोई अस्थायी पता न हो। वह शहर के बाहर किसी स्थान पर स्थायी कर्मचारी हो सकता है किन्तु जब शहर चलाना सीखने आता है तो वह स्थायी पता अस्थायी पता के रूप में नहीं दे सकता। विद्यालय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रार्थी का अस्थायी गृह होगा। यदि विद्यालय का स्वामी किसी छल साधन का कार्य करता है तो यह प्राधिकारियों का कार्य है कि कार्यवाही करें न कि उस विद्यार्थी को रोका जाना चाहिये जो विद्यालय में पढ़ रहा है और विद्यालय के पते को अस्थायी पते के रूप में दिया है। [*आल केरल मोटर ड्राइविंग स्कूल वर्कर्स वेलफेयर्स एसोसियेशन* बनाम *केरल राज्य,* ए० आई० आर० 1999 केरल 33]

**10. चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप विषय वस्तु**—(1) धारा 18 के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति के सिवाय प्रत्येक नौसिखिया अनुज्ञप्ति और चालन अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में होगी और उसमें अन्य जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) यथास्थिति, नौसिखिया अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति में यह भी अभियुक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्ग में से एक या अधिक वर्ग का मोटरयान चलाने का हकदार है, अर्थात्—

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल;

(ख) गियर वाली मोटर साइकिल;

(ग) अशक्त यात्री गाडी;

(घ) हल्का मोटरयान;

(ङ) [1](यातायात वाहन (Transport vehicle);

(च) मध्यम यात्री मोटर;

(छ) भारी माल यान;

(ज) भारी यात्री मोटरयान;

(झ) रोड-रोलर;

(ञ) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार का मोटरयान।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 8 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जहाँ मामले में शामिल यान एक ट्रक है जो कि एक भारी मोटर यान है तथा लाइसेन्स ऐसे यानों के चालन को आच्छादित करता है तो बीमा कम्पनी भी स्वामी व चालक के साथ संयुक्तः दायी होती है। [*प्रताप सिंह* बनाम *शर्मिला,* (1997)1 ए०सी०सी० 624 (पं० बंगाल)]

**11. चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन.**—(1) किसी वर्ग या वर्णन के मोटरयानों को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटरयान को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति करने के लिए तत्समय निर्हित नहीं है, उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिस क्षेत्र की अधिकारिता में वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटरयानों का जोड़ देने के लिए आवेदन कर सकता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 8 A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, धारा 9 के उपबन्ध इस धारा के अधीन आवेदन को उसी प्रकार लागू होंगे मानों उक्त आवेदन उस धारा के अधीन उस वर्ग या वर्णन के मोटरयान को चलाने के लिए जिसे आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति में जुड़वाना चाहता है, अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 8 A (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**12. मोटरयानों के चलाने की शिक्षा देने के लिए स्कूलों या स्थापनों का अनुज्ञापन और विनियमन.**—(1) केन्द्रीय सरकार, मोटरयानों के चलाने और उससे सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूलों या स्थापनों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के अनुज्ञापन और विनियमन के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा खण्ड (ङ) से (ज) तक की जगह खण्ड (ङ) प्रतिस्थापित हुआ।

(क) ऐसे स्कूलों या स्थापनों का अनुज्ञापन जिसके अन्तर्गत ऐसी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, नवीकरण और प्रतिसंहरण भी है;

(ख) ऐसे स्कूलों या स्थापनों का पर्यवेक्षण;

(ग) आवेदन का प्रारूप और अनुज्ञप्ति का प्रारूप और वे विशिष्टियाँ जो उसमें अन्तर्विष्ट होंगी;

(घ) वह फीस जो ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन के साथ दी जाएगी;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञप्तियाँ दी जा सकेंगी;

(च) ऐसी अनुज्ञप्तियों के दिये जाने या नवीकरण करने से इंकार किए जाने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें और ऐसे अनुज्ञप्तियों के प्रतिसंहरण करने वाले आदेशों के विरुद्ध अपीलें;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति मोटरयानों के चलाने में शिक्षा देने के लिए किसी ऐसे स्कूल या स्थापनों की स्थापना और उसका अनुरक्षण कर सकेगा; .

(ज) किसी मोटरयान के चलाने में दक्षतापूर्ण शिक्षा के लिए पाठयक्रम या पाठयक्रमों की प्रकृति, पाठय विवरण और अवधि; या

(झ) ऐसी शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षि साधित्र और उपस्कर (जिसके अन्तर्गत दोहरे नियंत्रण से युक्त मोटरयान है);

(ञ) ऐसे परिसरों की उपयुक्तता जिनमें ऐसे स्कूलो या स्थापनों को स्थापना या अनुरक्षण किया जा सकेगा और वे सुविधा जो उनमें दी जाएगी;

(ट) शैक्षिक और वृत्तिक दोनों अर्हताएँ (जिसके अन्तर्गत अनुभव भी है) जो मोटरयान चलाने में शिक्षा देने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए;

(ठ) ऐसे स्कूलों या स्थापनों का निरीक्षण (जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ और ऐसा शिक्षा देने के लिए उनके द्वारा रखे गए साधित्र, उपस्कर और मोटरयान भी है।);

(ड) ऐसे स्कूलों या स्थापनों द्वारा अभिलेखों का रखा जाना;

(ढ) ऐसे स्कूलों या स्थापनों की वित्तीय सुदृढ़ता;

(ण) चालन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, जो ऐसे स्कूलों या स्थापनों द्वारा दिए जाएंगे और वह प्रारूप जिसमें ऐसे चालन प्रमाणपत्र दिए जाएंगे और ऐसे प्रमाणपत्र देने के प्रयोजन के लिए अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएँ;

(त) ऐसे अन्य विषय जो इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।;

(3) जहाँ केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा, साधारण तथा या तो आत्यांतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएँ मोटरयान चालन में या उससे सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने वाले किसी वर्ग के स्कूलों या स्थापनों को इस धारा के उपबंधनों से छूट दे सकेगी।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मोटरयानों के चालन या उससे सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने वाला कोई स्कूल या स्थापन, चाहे अनुज्ञप्ति के अधीन हो अथवा न हो, ऐसे प्रारम्भ से एक मास की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के बिना किसी ऐसी शिक्षा देता रहेगा और यदि उसने एक मास की उक्त अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन

ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन विहित प्रारूप में है, उसमें विहित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट हैं और उसके साथ विहित फीस है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक ऐसी शिक्षा देता रहेगा।

**13. मोटरयानों के चलाने के अनुज्ञप्तियों के प्रभावी होने का विस्तार.**—इस अधिनियम के अधीन दी गई नौसिखिया अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 9 पुराना अधिनियम (iV) 1939 :

**14. मोटरयानों के चलाने की अनुज्ञप्ति का चालू रहना.**—(1) इस अधिनियम के अधीन दी गई नौसिखिया अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन दी गई या नवीकृत चालन अनुज्ञप्ति—

(क) परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी,

[1][* * *]

[2](परन्तु उन मामलो में जिनको किसी चालक को खतरनांक वस्तुओं के वाहन को चलाने का लाइसेन्स प्रदान किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसा लाइसेन्स एक साल के लिए प्रभावी होगी और उसका नवीनीकरण निर्धारित परीक्षण के पश्चात् किया जाएगा।]

(ख) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में—

(i) यदि उस व्यक्ति ने, जिसने या तो मूल रूप से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है या उसका नवीकरण कराया है, उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख का [3](पचास वर्ष) की आयु प्राप्त नहीं की है, तो—

(अ) अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीकरण की तारीख से बीस वर्ष की अवधि तक, अथवा

(आ) उस तारीख तक जिसको ऐसा व्यक्ति [4](पचास वर्ष) की आयु में प्राप्त करता है, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो प्रभावी रहेगी।

[5](ii) यदि उपखण्ड (i) में उल्लिखित व्यक्ति लाइसेन्स जारी किए जाने की तिथि को या नवीनीकरण की तिथि को 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है तो ऐसे लाइसेन्स का नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए ऐसे शुल्क की अदायगी पर किया जायेगा जैसा कि निर्धारित है।

परन्तु प्रत्येक चालन-अनुज्ञप्ति, इस उपधारा के अधीन उसका अवसान हो जाने पर भी, ऐसे अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि तक प्रभावी बनी रहेगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 10 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**15. चालन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण.**—(1) कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गयी हो उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा शब्द "और" निकाला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
3. अधिनियम सं० 54 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
4. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
5. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।

परन्तु ऐसी दशा में, जिसमें कि चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से तीस से अधिक दिन के पश्चात् किया गया है, चालन-अनुज्ञप्ति उसके नवीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहाँ आवेदन, परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या जहाँ किसी अन्य दशा में आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वहाँ उसके साथ धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रारूप और रीति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र होगा और धारा 8 की उपधारा (4) के उपबध, जहाँ तक हो सके, ऐसी प्रत्येक दशा के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नौसिखिया अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में लागू होते है।

(2) चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएँ।

(3) जहाँ चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् अधिक से अधिक तीस दिन के अन्दर किया गया है वहाँ ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस ऐसी होगी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) जहाँ चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीस से अधिक दिन के पश्चात् किया गया है वहाँ ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस वह रकम होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट फीस, इस उपधारा के अधीन चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की बावत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाया था।

परन्तु यह और कि यदि चालन-अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने के पाँच वर्ष से अधिक के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन-अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इन्कार कर सकेगा जब तक कि आवेदक उस प्राधिकारी के समाधनप्रद रूप में धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चालन क्षमता का परीक्षण नहीं दे देता और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता।

(5) जहाँ नवीकरण के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया गया है वहाँ संदत्त फीस उतनी सीमा तक और रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ, वापस कर दी जाएगी।

(6) जब चालन-अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थीं तो नवीकरण के तथ्य की संसूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी।

**तुलनात्मक धारा—एस० 11 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :**

## टिप्पणी

धारा 15 लाइसेन्स प्रदान करने वाले प्राधिकारी को केवल सशक्त करती है कि "इस अधिनियम नवीकृत प्राविधानों के अधीन जारी किये गये चालक लासेन्स को इसे इसके अवसान की तिथि से पुर्नवीकृत करें।" किसी लाइसेन्स प्रदान करने वाले प्राधिकारी को गलत लाइसेन्स को नीवकृत करने की शक्ति नहीं प्रदान की गयी है तथा यदि नवीनीकरण हो गया है तो गलत लाइसेंन्स में परिवर्तित नहीं हो जायेगा। मूलतः जो कूट कृत है वह सदा के लिये आकृत व शून्य ही रहेगा तथा इसे किसी भी समय किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता नहीं प्रदान किया जा सकता है। [*न्यू इंडिया इन्सोरेन्स कम्पनी, शिमला* बनाम *कमला,* ए०आई०आर 2001 एस०सी० 1419; *राष्ट्रीय इन्शोरेन्स कम्पनी* बनाम *सत्रोदेवी,* 1997 ए०सीजे० 111 (पं० व हरि०) भी दृष्टव्य]

**16. रोग या निशक्तता के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति का वापस लिया जाता.**—(1) पूर्वगामी धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार है कि किसी चालन अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी रोग या निःशक्तता के आधार पर मोटरयान चलाने के अयोग्य है तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय उस चालन अनुज्ञप्ति को वापस ले सकेगा या ऐसी चालन-अनुज्ञप्ति के धारक से उसे धारित करते रहने की शर्त के तौर पर यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसी प्रारूप और उसी रीति में जो धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, एक नया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, और जहाँ चालन-अनुज्ञप्ति को वापस लेने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन-अनुज्ञप्ति दी थी तब वह चालन-अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को वापस लिए जाने के तथ्य की सूचना देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 12 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जहाँ प्रक्रियात्मक स्मृति पत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों के विषय मेंउनके नाम व पते इत्यादि का कोई संकेत नहीं यद्यपि आदेश में स्वामी के कथन अभिलिखित थे कि वह यान मरम्मत के लिये लिया गया था तथा परमिट भी समर्पित कर दिया गया था जिन पर विचार किया गया नहीं दर्शाया गया और इस प्रकार स्टेच्यूट की अपेक्षा के अनुसार दण्ड लगाया गया था। धृत किया गया कि जब्ती व दण्ड का लगाया जाना विधि विरुद्ध था। [*नीरज गुप्ता* बनाम *म०प्र० राज्य,* ए० आई० आर० 2003 म० प्र० 11]

**17. चालन-अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करने या उन्हें वापस लेने के आदेश तथा उनसे अपील.**—(1) जब अनुज्ञापन प्राधिकारी नौसिखिया अनुज्ञप्ति देने या चालन-अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करता है या उसे वापस लेता है या चालन-अनुज्ञप्ति में किसी वर्ग के मोटरयान जोड़ने से इंकार करता है तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना, यथास्थिति, आवेदक या धारक को दी जाएगी और उसमें ऐसे इंकार या वापस लिए जाने के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 13 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति को और उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्धकर होगा जिसने आदेश दिया था।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 13 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**18. केन्द्रीय सरकार के मोटरयानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति.**—(1) ऐसा प्राधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटरयान चलाने के लिए जो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन है और देश की रक्षा से सम्बन्धित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई सम्बन्ध नहीं है उपयोग में लाए जाते हैं, भारत भर में विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 14 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) इस धारा के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति में उस वर्ग या वर्णन के यानों को, जिन्हें चलाने के लिए उसका धारक हकदार है और उस अवधि को, जिसके लिए वह इस प्रकार हकदार है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 14 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) इस धारा के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति से उसका धारक उस मोटरयान के सिवाय जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, कोई अन्य मोटरयान चलाने का हकदार नहीं होगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 14 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) इस धारा के अधीन कोई चालन-अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे व्यक्ति की बावत, जिसे चालन-अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसी जानकारी देगा जैसी वह सरकार किसी समय माँगें।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 14 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**19. अनुज्ञापन प्राधिकारी की, चालन-अनुज्ञप्ति धारण से निरर्हित करने या उसे वापस लेने की शक्ति**.—(1) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि वह—

(क) आभ्यासिक अपराधी आभ्यासिक शराबी है; या

(ख) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अर्थ में किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का आभ्यासिक व्यसनी है; या

(ग) कोई संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग कर रहा है या उपयोग कर चुका है; या

(घ) किसी मोटरयान के ड्राइवर के रूप में अपने पूर्वाचरण से यह दर्शित कर चुका है कि उसके यान चलाने से जनता को खतरा हो सकता है; या

(ङ) उसने कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयान की चालन-अनुज्ञप्ति या चलाने की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है; या

(च) कोई ऐसा कार्य कर चुका है जिससे जनता को न्यूसेस का खतरा कारित होने की सम्भावना है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए; या

(छ) जो धारा 22 की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट परीक्षणों में बैठने में असफल रहा है या उनको उत्तीर्ण नहीं कर सका है; या

(ज) अट्ठारह वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति होते हुए जिसे उस व्यक्ति को लिखित अनुमति से नौसिखिया अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति दी गई है जो अनुज्ञप्ति के धारक की देखभाल करता है और जो अब ऐसी देखभाल में नहीं है;

तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे।

(i) उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णन का यान चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्हित करने का आदेश दे सकेगा या

(ii) ऐसी किसी अनुज्ञप्ति को वापस ले सकेगा।

(2) (क) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहाँ चालन-अनुज्ञप्ति का धारक, यदि चालन-अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है तो वह उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा जिसने वह आदेश दिया है तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी—

(ख) उस चालन अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति होने पर उसे तब तक अपने पास रखे रहेगा जब तक निर्हता समाप्त नहीं हो जाती या हटा नहीं दी जाती, या

(ग) किसी अनुज्ञप्ति के वापस लिए जाने की दशा में, उस पर वापस लिए जाने का पृष्ठांकन करेगा और यदि वह ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसने वह दी थी, तो वह वापस लिए जाने के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति दी थी :

परन्तु जहाँ चालन अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को एक से अधिक वर्ग या वर्णन के मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है और उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश उसे किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयान चलाने से निरर्ह करता है वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन-अनुज्ञप्ति वह निरर्हता पृष्ठांकन करेगा और उसे धारक के लौटा देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 15 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और ऐसा अपील प्राधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देगा तथा किसी भी पक्षकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसकी सुनवाई करेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे किसी अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा ।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 15 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**20. न्यायालय को निर्हित करने की शक्ति**.—(1) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए जिसके करने में मोटरयान का उपयोग किया गया था, दोषसिद्ध किया गया है तब वह न्यायालय, जिसने उसे दोषसिद्ध किया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दण्ड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार दोषसिद्धि किया गया है, सभी वर्गों या वर्णन के यान, या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के ऐसे यानों को जो ऐसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उतनी अवधि तक, जितनी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, निरर्ह घोषित कर सकेगा :

परन्तु धारा 183 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बावत ऐसा कोई आदेश पहले या दूसरे अपराध के लिए नहीं किया जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(2) जहाँ किसी व्यक्ति की धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), धारा 134 या धारा 185 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है वहाँ ऐसे किसी अपराध के लिए व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निरर्हता का आदेश करेगा और यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) या धारा 134 के सम्बन्ध में है तो ऐसी निरर्हता एक मास के अन्यून की अवधि के लिए होगी और यदि अपराध धारा 185 के सम्बन्ध में है तो ऐसी निरर्हता छह मास से अन्यून की अवधि के लिए होगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(3) जब तक न्यायालय, विशेष कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, अन्यथा आदेश देना उचित न समझे, वह किसी ऐसे व्यक्ति को निरर्ह करने का आदेश देगा—

(क) जो धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया गया है;

(ख) जो धारा 189 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(ग) जो धारा 192 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है :

परन्तु निरर्हता की अवधि खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में पाँच वर्ष से या खँड (ख) में निर्दिष्ट दशा में दो वर्ष से या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(4) धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को निरर्ह करने का आदेश देने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि चाहे ऐसे व्यक्ति ने धारा 9 की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट चालन क्षमता का परीक्षण पहले उत्तीर्ण कर लिया हो या न कर लिया हो वह तब तक निरर्ह बना रहेगा जब तक वह निरर्हता का आदेश दिये जाने के पश्चात् वैसे परीक्षण में अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में उत्तीर्ण नही हो जाता।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (6) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(5) वह न्यायालय, जिसको सामान्यतः उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध के लिए हुई किसी दोषसिद्धि की अपील की जा सकेगी उस उपधारा के अधीन किए गए निरर्हता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जिसके परिणामस्वरूप निरर्हता का ऐसा आदेश किया गया था।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (7) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**21. कुछ मामलों में चालन-अनुज्ञप्ति का निलम्बन.**—(1) जहाँ किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 184 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अभिकथन पर कोई मामला रजिस्टर किया गया है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी वर्ग या वर्णन के मोटरयान को खतरनांक रूप से चलाने के कारण, जैसा कि उक्त धारा 184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें घोर उपहति कारित की है, वहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे वर्ग या वर्णन के मोटरयान के सम्बन्ध में धारित चालन अनुज्ञप्ति—

(क) उस तारीख से, जिसको मामला रजिस्टर किया जाता है, छः मास की अवधि तक, या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उन्मोचित या दोषमुक्त किया गया है तो यथास्थिति, ऐसे उन्मोचन या दोषमुक्त तक निलम्बित हो जायेगी।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति उपधारा (1) के उपबंधों के आधार पर निलम्बित हो जाती है वहाँ वह पुलिस अधिकारी जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामला रजिस्टर किया है, उसे निलम्बन की जानकारी उस न्यायालय को देगा जो ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम है और तब ऐसा न्यायालय चालन अनूज्ञप्ति को कब्जे में ले लेगा, उस पर निलंबन का पृष्ठाकंन करेगा और ऐसे पृष्ठांकन की तथ्य वे सूचना उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति दी थी या उसका अन्तिम बार नवीकरण किया था।

(3) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति दोषमुक्त या उन्मोचित किया जाता है वहाँ न्यायालय, चालन अनुज्ञप्ति निलम्बन के सम्बन्ध में ऐसी चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को रद्द करेगा।

(4) यदि किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयान के सम्बन्ध में कोई चालन अनुज्ञप्ति उपधारा (1) के अधीन निलम्बित की जाती है तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने से या उसे अभिप्राप्त करने से तब तक के लिए विवर्जित किया जाएगा जब तक कि चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन प्रवृत्त रहता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (A) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**22. दोषसिद्ध पर चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण।**—(1) धारा 20 की उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ धारा 21 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, किसी वर्ग या वर्णन के मोटरयान को ऐसे खतरनाक रूप में चलाने के कारण, जैसा कि धारा 184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहतिकारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहाँ ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञप्ति को जहाँ तक वह उस वर्ग या वर्णन के मोटरयान के सम्बन्ध में है, ऐसी अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकेगा; जो वह ठीक समझे।

(2) धारा 20 की उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 185 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका है, उस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध के के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, उस व्यक्ति द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को, आदेश द्वारा, रद्द करेगा।

(3) यदि कोई चालन अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो न्यायालय चालन अनुज्ञप्ति को अपनी अभिरक्षा में लेगा, उस पर, यथास्थिति रद्दकरण या निलंबन का पृष्ठांकन करेगा और इस प्रकार पृष्ठांकित चालन अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीकरण किया था, और वह प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को निलंबन की अवधि समाप्त हो जाने पर, उसके धारक को ऐसी वापसी के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर वापस करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि उसका धारक निलंबन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसने अनुज्ञप्ति दी थी या उसका अन्तिम बार नवीकरण किया था। समाधानप्रद रूप में धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट यान चलाने का क्षमता परीक्षण नए सिरे से नहीं दे देता और उसमें उत्तीर्ण न हो गया हो और धारा 8 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट प्रारूप और रीति में चिकित्सा प्रमाणत्र प्रस्तुत नहीं देता।

(4) यदि किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयान को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन यानों को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने से उसे अभिप्राप्त करने से तब तक के लिए वर्जित हो जब तक चालन-अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन प्रवृत्त रहता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 17 (B) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**23. निर्हता आदेश का प्रभाव।**—(1) ऐसा व्यक्ति जिसकी बावत धारा 20 के अधीन कोई निर्हता आदेश दिया गया है; उस सीमा तक और उतनी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से विवर्जित रहेगा और आदेश की तारीख को यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई चालन अनुज्ञप्ति धारित है तो वह उस सीमा तक और उस अवधि के दौरान प्रभावशील न रहेगी।

(2) धारा 20 के अधीन दिये गये निर्हरता आदेश का प्रवर्तन, उस आदेश के विरुद्ध, अथवा उस दोषसिद्धि के विरुद्ध, जिसके फलस्वरूप वह आदेश दिया गया था, अपील के विचाराधीन होने के दौरान तब तक निलंबित या मुल्तवी नहीं किया जायेगा जब तक कि अपील न्यायालय वैसा निदेश न दे।

(3) कोई व्यक्ति जिसकी बावत कोई निर्हता आदेश दिया गया है उस आदेश की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी समय उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिनसे आदेश किया था, निर्हता हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा। यथा, यथास्थिति, वह न्यायालय या प्राधिकारी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो निर्हता के आदेश का रद्द कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

परन्तु जहाँ न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस धारा के अधीन निर्हरता के किसी आदेश को रद्द करने या उसमें कोई परिवर्तन करने से इंकार करता है, वहाँ उसके अधीन दूसरे आवेदन को, ऐसे इंकार किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ग्रहण नहीं किया जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 18 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**24. पृष्ठांकन.**—(1) वह न्यायालय या प्राधिकारी, जिससे निर्हता का आदेश दिया है, निर्हरता के आदेश की तथा उस अपराध के दोषसिद्धि की, जिसके सम्बन्ध मे निर्हता का आदेश दिया गया है; विशिष्टियाँ का चालन अनुज्ञप्ति पर; यदि कोई हो; पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा जो निर्हित व्यक्ति द्वारा धारित है तथा धारा 23 उपधारा (3) के अधीन दिए गए निर्हता के आदेश को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने की विशिष्टियाँ भी उसी प्रकार पृष्ठांकित की जाएगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 19 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939

(2) जिस न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विहित किया जाए, चाहे ऐसी दोषसिद्ध के सम्बन्ध में निर्हता का आदेश दिया गया हो या नहीं, ऐसी दोषसिद्धि की विशिष्टियाँ उस चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा जो दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति द्वारा धारित है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 19 (2) पुरा अधिनियम (iv) 1939:

(3) जो व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन विहित किसी अपराध के लिए अभियुक्त है, वह न्यायालय में हाजिर होते समय अपनी चालन अनुज्ञप्ति यदि वह उसके पास हो, अपने साथ लाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 19 (3) पुरा अधिनियम (iv) 1939 :

(4) जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध और तीन मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाता है, वहाँ दंडादेश अधिनिर्णीत करने वाला न्यायालय, सम्बन्धित व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति पर ऐसे दंडादेश के तथ्य को पृष्ठांकित करेगा और अभियोजन प्राधिकारी ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य को सूचना उसे प्राधिकारी की भेजेगा, जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी या अन्तिम बार नवीकृत किया था।

(5) जब चालन अनुज्ञप्ति किसी न्यायालय द्वारा पृष्ठाकित की जाती है या पृष्ठांकित कराई जाती है, तो ऐसा न्यायालय पृष्ठांकन की विशिष्टियाँ उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी या अन्तिम बार नवीकृत की।

(6) जहाँ किसी न्यायालय को दोषसिद्धि या आदेश के विरुद्ध जो चालन-अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित की गई है, किसी अपील में अपील न्यायालय दोषसिद्धि या आदेश में परिवर्तन कर देता है या उसे अपास्त कर देता है तो अपील न्यायालय उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित

करेगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी या अन्तिम बार नवीकृत की थी और ऐसा प्राधिकारी पृष्ठांकन में संशोधन करेगा या संशोधन करवाएगा।

## टिप्पणी

कोई व्यक्ति जो कोई धमकी देता है या जनता के कोई खतरा या लोक विक्षोप कारित करने की सम्भावना व्यक्त करता है तो वह अयोग्य हो सकता है और उसका लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है। [एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ (1997)7 स्केल 114]

**25. पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति कर दिया जाना.—** (1) किसी चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन को उसके धारक द्वारा अभिप्राप्त चालन अनुज्ञप्ति की किसी नई या दूसरी प्रति पर तब तक उतारा जाएगा जब तक कि धारक इस धारा के उपबंधों के अधीन पृष्ठांकन रहित चालन राहित अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाता।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 20 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(2) जहाँ यह अपेक्षित है कि चालन-अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया जाए और वह चालन अनुज्ञप्ति उस न्यायालय या अधिकारी के पास नहीं है जिसके द्वारा पृष्ठांकन किया जाना है वहाँ—

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसकी बाबत पृष्ठांकन किया जाना है, उस समय किसी चालन अनुज्ञप्ति का धारक है तो वह उस चालन अनुज्ञप्ति को न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष पांच दिन के भीतर या इतने अधिक समय के भीतर पेश करेगा जितना न्यायालय या प्राधिकारी नियत करें; या

(ख) यदि उस समय वह चालन अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, किन्तु उसके पश्चात् चालन, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करता है तो वह उस चालन अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने के पश्चात् पांच दिन के भीतर उसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 20 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

और यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर चालन अनुज्ञप्ति पेश नहीं की जाती है तो वह उक्त समय की समाप्ति पर तब तक प्रभावहीन रहेगी जब तक वह पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए पेश नहीं कर दी जाती।

(3) जिस व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया जाता है, यदि ऐसे पृष्ठांकन के पश्चात् लगातार तीन वर्ष की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन कर आदेश नहीं किया गया है तो वह अपनी चालन-अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने पर और पाँच रुपये की फीस देने पर ऐसी नई चालन अनुज्ञप्ति, जिसमें कोई पृष्ठांकन न हो, प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु यदि पृष्ठांकन केवल धारा 112 में निर्दिष्ट गतिसीमा का उल्लंघन करने वाले अपराध की बाबत है तो ऐसे व्यक्ति पृष्ठांकन की तारीख से एक वर्ष के अवसान पर नई चालन अनुज्ञप्ति पाने का हकदार होगा, जिसमें कोई पृष्ठांकन न हो :

परन्तु यह और कि क्रमशः तीन वर्ष और एक वर्ष की उक्त अवधि की गणना करने में वह अवधि अपवर्जित की जाएगी जिसके दौरान उक्त व्यक्ति चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निर्हित कर दिया गया था।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 20 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**26. राज्य चालन अनुज्ञप्तियों के रजिस्टरों का रखा जाना.**—(1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, राज्य सरकार के अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा दी गई

और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों की बाबत, एक रजिस्टर रखेगी जो राज्य चालन अनुज्ञप्ति के रजिस्टर के रूप में ज्ञात होगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्—

(क) चालन अनुज्ञप्तियों के धारकों के नाम और पते,

(ख) अनुज्ञप्ति संख्या,

(ग) अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीकरण की तारीख,

(घ) अनुज्ञप्तियों की समाप्ति की तारीख,

(ङ) यानों के वर्ग और प्रकार जो चलाए जाने के लिए प्राधिकृत किए गए है, और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर की एक [1](मुद्रित प्रति या ऐसी प्रति जैसा केन्द्र सरकार उचित) केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त करेंगी और ऐसे रजिस्टरों में समय-समय पर की गई सभी अभिवृद्धियाँ और अन्य संशोधनों के बारे में अविलम्ब केन्द्रीय सरकार को भी सूचित करेगी।

(3) राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर ऐसी रीति में रख जाएगा जो राज्य सरका द्वारा विहित की जाए।

**27. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें;

(ख) उस प्रारूप का जिसमें नौसिखिया अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वह सूचना जो उसमें अन्तर्विष्ट होगी और धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उन दस्तावेजों का जो आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, उपबंध करना;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्रारूप का उपबंध करना;

(घ) धारा 8 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट परीक्षा के लिए विशिष्टियों का उपबंध करना,

(ङ) उस प्रारूप का जिसमें चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वह जानकारी जो उसमें अन्तर्विष्ट होगी और आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले धारा 9 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का उपबंध करना,

(च) धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण की बावत विशिष्टियों का उपबंध करना;

(छ) उन व्यक्तियों की जिनके परिवहन यान चलाने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियाँ जारी कर सकेंगी, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ और वह समय जिसके भीतर ऐसी अर्हताएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जानी है, विनिर्दिष्ट करनी;

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के प्रारूप फीस और अन्तर्वस्तु का उपबंध करना;

(झ) धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्रारूप और अन्तर्वस्तु का तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और भारित की जाने वाली फीस का उपबंध करना;

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ञ) ऐसी शर्तों का उपबंध करना जिनके अधीन धारा 11 के अधीन किए गए आवेदन को धारा 9 लागू होगी,

(ट) धारा 15 उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्रारूप और अन्तर्वस्तु का तथा धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों का उपबंध करना,

(ठ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकारी का उपबंध करना,

(ड) धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 15 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाने के लिए मोटरयान चलाने मे शिक्षा देने वाले विद्यालयों या स्थापन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए चालन अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञप्तियों को दिए जाने और उनके नवीकरण के लिए संदेय फीस विनिर्दिष्ट करना,

**तुलनात्मक धारा**—एस० 20 (A) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(ढ) धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए कार्य विनिर्दिष्ट करना;

(ण) इस अधिनियम के अधीन धारा 24 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अपराध विनिर्दिष्ट करना;

(त) धारा 26 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध करना,

(थ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या विहित किया जाए।

**28. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति**—(1) राज्य सरकार धारा 27 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात—

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारियों और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता नियंत्रण और कृत्य;

(ख) इस अध्याय के अधीन की जाने वाली अपीलों का संचालन और उसकी सुनवाई ऐसी अपीलों की बाबत ये फीसें और ऐसी फीसों का वापस दिया जाना;

परन्तु इस प्रकार नियत की जाने वाली कोई फीस पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ग) किन्हीं खोई, नष्ट या कटी-फटी अनुज्ञाप्तियों के बदले में दूसरी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, ऐसी फोटो के बदले में, जो पुरानी पड़ गई है, नई फोटो रखना और उनके लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें,

(ङ) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के लिए संदेय फीस,

(च) इस अध्याय के अधीन देय सब फीसों को या उनमें से किसी को या उनके किसी भाग को देने में विहित व्यक्तियों या विहित वर्गों के व्यक्तियों को छूट,

(छ) एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों को सूचना,

(ज) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य, कृत्य और आचरण जिनको परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्तियां दी जाती है,

(झ) रोड रोलरों के ड्राइवरों को इस अध्याय के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सब या किन्हीं उपबंधों से छूट;

(ञ) वह रीति जिसमें राज्य चालन अनुज्ञप्ति के रजिस्टर धारा 26 के अधीन रखे जाएँगे,

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

## अध्याय 3

## मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन

**29. कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता**—(1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य तभी करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के वास्ते उसके नाम दी गई है, और कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है।

(2) राज्य सरकार ऐसे शर्तें विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा (1), किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को, जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है, या ऐसे व्यक्ति को, जो अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, लागू नहीं होगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-A पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**30. कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना**—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है तो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और जो व्यक्ति धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन निर्हित नहीं है और जो उस समय कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निर्हित नहीं है, वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसने ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी जानकारी दी जाएगी जो विहित की जाए।

(3) कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक प्रारूप में, जैसा विहित किया जाए, चिकित्सा प्रमाणपत्र होगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसके साथ आवेदक के नई फोटो की दो साफ प्रतियाँ भी होंगी।

(4) इस अध्याय के अधीन दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में होगी जैसी विहित की जाए और उसमें ऐसी विशिष्ट होगी जो विहित की जाएँ और उसे पूरे राज्य में प्रभावी होगी जिसमें वह दी गई है।

(5) कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस चालन-अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-B पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**31. कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निर्हताएँ.**—(1) कोई भी व्यक्ति जो अट्ठारह वर्ष से कम आयु का है, न तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और न वह उसे दी जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से उस दशा में इंकार कर सकेगा जिसमें

(क) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ नहीं है,

(ख) आवेदक द्वारा पेश किये गये चिकित्सा प्रमाणपत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दुष्टि से ठीक हालत में नहीं है, तथा

(ग) आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति वापस ले ली गई थी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-C पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**32. कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर वापस लिया जाना.**—(1) यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार है कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति का धारक किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे कि उसके ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय उस कंडक्टर अनुज्ञप्ति को वापस ले सकेगा और जब किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति को वापस लेने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी थी तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति ऐसे वापस लिए जाने की संसूचना देगा;

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-D पुराना अधिनियम (iv) 1939:

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को वापस लेने के पूर्व, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

**33. कंडक्टर अनुज्ञप्तियाँ देने आदि से इंकार करने वाले आदेश तथा उनसे अपील.**—(1) जब अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करता है या उसे वापस ले लेता है तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना, यथास्थिति, आवेदक या धारक को दी जाएगी और जिसमें ऐसे इंकार या वापस लिए जाने के कारण लिखित रूप से दिए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसे सूचना प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर प्राधिकारी की अपील कर सकेगा जो उसे तथा लाइसेन्स प्राधिकारी की सुनवाई का अवसर देकर उसका निर्णय करेगा तथा अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय आदेश देने पर प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-E पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**34. अनुज्ञापन प्राधिकारी की निर्हित करने की शक्ति.**—(1) यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि कंडक्टर के रूप में से किसी व्यक्ति के पूर्वाचरण के कारण यह आवश्यक है कि उसे कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने अथवा अभिप्राप्त करने से निर्हित कर दिया जाए तो वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएँगे, उस व्यक्ति को कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक न होगी, निर्हित करने का आदेश दे सकेगा।

परन्तु अनुज्ञप्ति के धारक को निर्हित करने के पूर्व, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(2) ऐसे किसी आदेश के दिए जाने पर, यदि कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उस कंडक्टर अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है तो वह उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा जिसने यह आदेश दिया है और वह प्राधिकारी उस अनुज्ञप्ति को तब तक अपने पास रखे रहेगा जब तक निर्हित समाप्त नहीं हो जाती या हटा नहीं दी जाती।

(3) जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक को इस धारा के अधीन निर्हित करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को ऐसे निर्रह किये जाने की संसूचना देगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील होने के तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय, उस प्राधिकारी पर आबद्धकर होगा, जिसने वह आदेश दिय था।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-F पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**35. न्यायालय की निर्हित करने की शक्ति.**—(1) जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोषसिद्ध किया है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार दोषसिद्ध किया गया है, कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने से इतनी अवधि के लिए, जितनी वह न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, निरर्ह घोषित कर सकेगा।

(2) जिस न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए हुई किसी दोषसिद्धि की अपील होती है वह निचले न्यायालय द्वारा दिये गए निर्हता के किसी आदेश को अपास्त कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा, और वह न्यायालय, जिसमें मामूली तौर पर निचले न्यायालय से अपीलें होती है, उस न्यायालय द्वारा किये गये निर्हता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोषसिद्धि की अपील नहीं होती जिसके सम्बन्ध में वह आदेश दिया गया था।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-G पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**36. अध्याय 2 के कुछ उपबन्धों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना.**—धारा 6 की उपधारा (2), धारा 14, धारा 15 और धारा 23, धारा 24 की उपधारा (1) और धारा 25 के उपबंध कंडक्टर अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में यथासंभव वैसे ही लागू होंगे जैसे वे चालन-अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-H पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**37. व्यावृत्तियाँ.**—यदि मंजिली गाड़ी के (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति किसी राज्य में दी गई है और इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व उस राज्य में प्रभावी है, तो ऐसे प्रारम्भ के होते हुए भी वह उस अवधि के लिए प्रभावी बनी रहेगी, जिसके लिए उस दशा में प्रभावी होती जब यह अधिनियम पारित न किया गया होता और ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन ऐसे दी गई अनुज्ञप्ति है मानो यह अध्याय उस तारीख को प्रवृत्त था, जिस तारीख को वह अनुज्ञप्ति दी गई थी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-I पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**38. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-J पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारियों और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता, नियंत्रण और कृत्य;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कंडक्टर के कृत्यों का पालन करने वाले मंजिली गाड़ियों के चालकों को और कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए अस्थाई रूप से नियोजित व्यक्तियों की धारा 29 की उपधारा (1) के उपबन्धों से छूट दी जा सकेगी;

(ग) कंडक्टरों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ, उनके कर्तव्य और कृत्य और उन व्यक्तियों के आचरण, जिनको कंडक्टर अनुज्ञप्तियाँ दी गई है;

(घ) कंडक्टर अनुज्ञप्तियों के लिए अथवा ऐसी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण के लिए आवेदन के प्रारूप और वे विशिष्टियाँ, जो उसमें हो सकेंगी,

(ङ) वह प्रारूप, जिसमें कंडक्टर अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी या उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां, जो उसमें हो सकेंगी;

(च) किन्हीं खोई, नष्ट या कटी-फटी अनुज्ञप्तियों के बदले में दूसरी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, ऐसी फोटो के बदले में, जो पुरानी पड़ गई हैं, नई फोटा रखना और और उनके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) इस अध्याय के अधीन की जाने वाली अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई, ऐसी अपीलों की बाबत देय फीस का वापस दिया जाना;

परन्तु इस प्रकार नियत की जाने वाली कोई फीस पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ज) मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों द्वारा पहली जाने वाली वर्दी और लगाए जाने वाले बैज, और ऐसे बैजों के लिए दी जाने वाली फीसें,

(झ) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा द्वारा धारा 30 को उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों का दिया जाना, और ऐसे प्रमाणपत्रों का प्रारूप;

(ञ) वे शर्तें जिनकी अधीन रहते हुए और वह विस्तार जिस तक अन्य राज्यों में दी गई कंडक्टर की अनुज्ञप्तियाँ राज्य में प्रभावी होगी,

(ट) कंडक्टर अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की एक प्राधिकारी से अन्य प्राधिकारियों को संसूचना; और

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 21-J (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

## अध्याय 4

## मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रीकरण

**39. रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता.**—किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटरयान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटरयान का स्वामी तभी चलवाएगा

या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो,

**तुलनात्मक धारा**—एस० 22 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए किसी व्यवहारी के कब्जे में की मोटरयान को लागू नहीं होगी।

### टिप्पणी

अधिनियम के विद्यमान प्राविधान ही पुलिस बल के सदस्य तथा यातायात प्राधिकारियों को जनता की सुरक्षा हेतु यातायात को नियमित व नियंत्रित करने के लिये पूर्णशक्ति प्रदान करने में पर्याप्त है। [*एम०सी० मेहता* बनाम *भारत संघ*, ए०आई०आर० 1998 एस०सी० 186]

**40. रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है.**—धारा 42, धारा 43, और 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटरयान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहाँ कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 23 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**41. रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है.**—(1) मोटरयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप के होगा और उसमें ऐसे दस्तावेजें, विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होंगी और ऐसी कालावधि के भीतर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ :

परन्तु जहाँ मोटरयान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है, वहाँ आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवेदक को ऐसे मोटरयान का स्वामी समझा जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 24 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटरयान के स्वामी को, जिसने रजिस्टर किया हो ऐसे प्रारूप में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होंगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

(4) ऐसी अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त जो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में सम्मिलित की जाने के लिए अपेक्षित है, वह उस मोटरयान का प्रकार भी विनिर्दिष्ट करेगा जो इस प्रकार का है जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटरयान के डिजाइन, निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की विशिष्ट एक रजिस्टर में करेगा जिसे ऐसे प्रारूप और रीति में रखा जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(6) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान में विहित रीति से प्रदर्शित किये जाने के लिए (इस अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के रूप में निर्दिष्ट ) एक पहचान चिन्ह देगा जो ऐसे अक्षर में से किसी एक समूह से मिलकर बनेगा और उसके पश्चात् ऐसे अक्षर और अंक होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य को समय-समय पर आवंटित करती है,

और उन्हें मोटरयान पर ऐसे प्रारूप और रीति में प्रदर्शित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 24 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के बारे में उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाणपत्र के जारी किये जाने की तारीख से केवल पन्द्रह वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा और उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 24 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(8) परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के स्वामी द्वारा या उनकी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 24 (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 24 (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(10) धारा 56 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (8) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर रजिस्ट्रकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण पाँच वर्ष की अवधि के लिए कर सकेगा और उस तथ्य की सूचना, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा।

(11) यदि स्वामी यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन विहित कालावधि के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वामी से, उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, एक सौ रुपये से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा (13) के अधीन विहित की जाय, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु धारा 177 के अधीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई तब की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता हो।

(12) जहाँ स्वामी ने उपधारा (11) के अधीन रकम का संदाय कर दिया हो, वहाँ धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की जाएगी।

(13) उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए विलंब की कालावधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न रकमें विहित कर सकेगी।

(14) रजिस्ट्रीकरण का दूसरा प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में मूल [1](अन्तिम पंजीकरण प्राधिकारी) को किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ और जानकारी होगी और उनके साथ ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

## टिप्पणी

जहाँ मोटरगाड़ियों के लिये वे सिक्युलर स्मार्ट कार्ड्स की तैयारी के लिये नीलामी होनी थी तथा टेंडर विचारित स्मार्ट कार्डस को दोनों माइक्रोप्रोसेसर चिप के साथ–साथ उसी कार्ड में आप्टिकल स्ट्रिप

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

जैसा सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय से जारी दिशा निर्देशानुसार होना चाहिये था जिससे कि राज्य यदि वैसा वह चाहे लार्जर कैपेसिटी कार्ड या अन्य कोई तकनीकी रख सके। धृत किया गया कि ऐसे निर्देश वैध नहीं थे। [*स्मार्टचिप लि० उ०प्र० राज्य,* ए०आई०आर० 2003 इला० 80]

नियम में संशोधन का उद्देश्य यह है कि कोई भी पंजीकरण/नम्बर प्लेट बदलने के काबिल नहीं होना या उसे छेड़ नहीं सकता है एवं नवीन उच्च सुरक्षित पंजीकरण नम्बर प्लेटों को कारों में लगाया जाये जिससे यानों से हटाया न जा सके। इस प्रकार नियम की माँग है कि सभी पूर्वोपायों को ध्यान में रखा जाये जिसे कि उक्त अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने में शासन आवश्यक करे तथा जिसका कोई अपवाद न अपनाया जा सके। [*डी० आर० थाडानी* बनाम *भारत संघ,* ए० आई आर 2003 दि० 10]

**42. राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध.**—(1) जहाँ किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौसंलीय अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है वहाँ उस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान को ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्धित की जाए तथा उन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस यान पर प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा तथा इस बात का प्रमाणपत्र (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कहा गया है) देगा कि वह यान इस धारा के अधीन रजिस्टर कर दिया गया है, और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई यान जब तक किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौसलीय अधिकारी की संपत्ति बना रहता है, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर किये जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

(2) यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी की सम्पत्ति नहीं रहता तो इस धारा के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी प्रभावी नहीं रहेगा, और तब धारा 39 और धारा 40 के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजनयिक अधिकारियों और कौंसलीय अधिकारियों के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे यानों को रजिस्टर करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में, उस प्रारूप के बारे में जिसमें ऐसे यानों को रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र दिये जाने हैं, उस रीति के बारे में जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उन यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उन यानों के स्वामियों को भेजे जाने हैं और ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के बारे में नियम बना सकेगी।

(4) इस धारा कि प्रयोजन के लिए "राजनयिक अधिकारी" या "कौंसलीय अधिकारी" से ऐसे कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसे केन्द्रीय सरकार ने उस रूप में मान्यता प्रदान की है और यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति ऐसा अधिकारी है या नहीं तो उस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

तुलनात्मक धारा—एस० 24-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**43. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.**—(1) धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी, किसी मोटरयान का स्वामी विहित रीति से यान को अस्थायी रूप में रजिस्टर कराने के लिए और विहित रीति से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा अन्य विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण एक मास से अनधिक की अवधि के लिए ही विधि मान्य होगा, और नवीकरणीय नहीं होगा :

परन्तु जहाँ इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई मोटरयान चैसिस है जिसमें कोइ बॉडी नहीं लगाई गई है और उसे कार्यशाला में एक मास की उक्त अवधि से आगे [1](बॉडी के साथ फिटिंग करने के लिए या स्वामी के नियंत्रण से परे किन्हीं अनदेखी परिस्थितियों से) आगे जाता है वहाँ ऐसी फीस यदि कोई हो, जो कि विहित की जाये, देने पर उस अवधि को या अवधियों के इतना अतिरिक्त अवधियाँ जो यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी, तक बढ़ाया जा सकेगा अनुज्ञात करे।

[2][(3) ऐसे मामलों में जहाँ पर मोटर वाहन को हायर परचेज, पट्टा या (Hypothecation) पर धारित किया गया है वहाँ पर पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य समुचित प्राधिकारी ऐसे वाहन के अस्थायी पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा जिसमें उस व्यक्ति का नाम एवं पता वर्णित होगा जिसके साथ उक्त करार या वाहन को धारित किया गया है।)

**तुलनात्मक धारा**—एस० 25 पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**44. रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश किया जाना.**—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी मोटरयान को रजिस्टर करने के सम्बन्ध में या परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस व्यक्ति से जिसमें, यथास्थिति, उसे यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया है या अपेक्षा करेगा कि वह उस यान को या तो उसके समक्ष अथवा ऐसे अधिकारी के समक्ष पेश करे जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नियुक्त करे जिससे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपना यह समाधान कर सके कि आवेदन में दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 26 पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**45. रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से इंकार.**—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, आदेश द्वारा किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण करने से या किसी मोटरयान (परिवहन यान से भिन्न) की बाबत रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से उस दशा में इंकार कर सकता है यदि इन दोनों में से किसी भी दशा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटरयान चुराया हुआ है या यांत्रिक रूप से यान खराब है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल होता है या आवेदक यान के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियाँ प्रस्तुत करने में असफल रहता है या, यथास्थिति, यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन में गलत विशिष्टियाँ देता है और, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस आवेदक को जिसके यान के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है या जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर किया गया है ऐसे आदर्श की एक प्रति, ऐसे इंकार के लिए कारणों की एक प्रति सहित देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 27 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**46. रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता.**—धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे मोटरयान की बाबत, जो इस अध्याय के अनुसार किसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे भारत में अन्यत्र रजिस्टर कराया जाए और ऐसे यान के बाबत इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सारे भारत में प्रभावी होगा।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 28 पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**47. किसी अन्य राज्य के लिए हटाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन.** —(1) जब कोई मोटरयान जो एक राज्य में रजिस्ट्रीकृत है, किसी अन्य राज्य में बारह मास से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है, तब यान, का स्वामी नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता में उस समय यान है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा—

रजिस्ट्रीकरण

(i) धारा 48 के अधीन अनापत्ति, प्रमाणपत्र; या

(ii) उस दशा में जहाँ ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है वहाँ,-

(क) धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रसीद, या

(ख) यदि यान के स्वामी वे इस निमित्त आवेदन धारा 48 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है तो उसके द्वारा प्राप्त डाक रसीद, जिसके साथ यह घोषणा होगी कि उसे ऐसे प्राधिकारी से ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें ऐसे प्रमाणपत्र के दिये जाने से इंकार किया गया है या ऐसे किसी निदेश का पालन करने की उससे उपेक्षा की गई है जिसके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में यहाँ मोटरयान अवक्रय, पट्टा या आडमान करार के अधीन धारित है वहाँ इस उपधारा के अधीन आवेदन के साथ उस व्यक्ति का कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र होगा और ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ ऐसा करार किया गया है ऐसा प्रमाणपत्र होगा और ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ ऐसा करार किया गया है ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की बाबत धारा 51 के उपबंध जहाँ तक हो सके, निम्नलिखित को लागू होंगे—

**तुलनात्मक धारा**—एस० 29 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जिसकी उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, धारा 62 के अधीन प्राप्त विवरणियों का, यदि कोई हो, ऐसा सत्यापन करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे उस यान पर प्रदर्शित और दर्शित किये जाने के लिए धारा 40 की उपधारा (6) में यथाविनिर्दिष्ट एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह उस यान को समनुदेशिक करेगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के साथ पत्र-व्यवहार करके, जिसके द्वारा वह यान उससे पूर्व रजिस्टर किया गया था, उस यान के रजिस्ट्रीकरण को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अभिलेखों से अपने अभिलेखों में अन्तरित करा लेने की व्यवस्था करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 29 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(3) जहाँ मोटरयान अवक्रय या पट्टा या आडमान करार पर धारित है वहाँ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटरयान को उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के पश्चात् उस व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसके साथ रजिस्ट्रीकर्ता स्वामी ने अवक्रय या पट्टा या आडमान करार किया है (उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने के तथ्य की जानकारी उसके उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दिया हुआ है, रसीदी रजिस्ट्री डाक से ऐसे व्यक्ति को सूचना भेज कर) देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 29 (2-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(4) राज्य सरकार धारा 65 के अधीन ऐसे नियम बना सकेगी जिसमें उस राज्य में रजिस्टर न किये गये ऐसे मोटरयान के स्वामी से, जो उस राज्य में लाया जाता है या उस समय वहाँ है यह अपेक्षा की जाए कि वह उस राज्य में ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए उस मोटरयान और उसके रजिस्ट्रीकरण के बारे में ऐसी जानकारी दे, जैसी विहित की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 29 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(5) **यदि स्वामी** उपधारा (1) के अधीन विहित कालावधि के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वामी से उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, एक सौ रुपये से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा (7) के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगी:

परन्तु धारा 77 के अधीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई तब की जाएगी जब स्वामी रकम का संदाय करने में असफल रहा हो।

(6) जहाँ स्वामी ने उपधारा (5) के अधीन रकम का संदाय कर दिया हो, वहाँ धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(7) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए विलम्ब को कालावधि को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न रकमें विहित कर सकेगी।

**48. अनापत्ति प्रमाणपत्र**.—(1) किसी मोटरयान का स्वामी धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिये जाने के लिए आवेदन करते समय, या जहाँ किसी मोटरयान को उसके रजिस्ट्रीकरण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में अंतरित किया जाना हो, वहाँ ऐसे यान का अंतरक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अंतरण की रिपोर्ट करते समय उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने यान की रजिस्ट्री की थी एक आवेदन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस प्रभाव का प्रमाणपत्र (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् **अनापत्ति प्रमाणपत्र कहा गया है**) जारी करने के लिए करेगा या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, यथास्थिति यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व के अन्तरण की विशिष्टियाँ दर्ज करने पर कोई आक्षेप नही है।

(2) **रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी** उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर एक रसीद ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर ऐसी जाँच करने और ऐसे आवेदक से ऐसे निदेशों का जो वह ठीक समझे अनुपालन करने की अपेक्षा करने के पश्चात् और आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आवेदक को यह लिखित आदेश संसूचित कि उसने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है या देने से इंकार कर दिया है:-

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से तब तक इंकार नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध न कर दे और उसकी एक प्रति आवेदक को न दे दी गई हो।

(4) जहाँ उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इंकार नहीं करता है या आवेदक को इंकार की संसूचना नहीं देता है वहाँ यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है।

(5) अनापत्ति प्रमाणपत्र देने या देने से इंकार करने के पूर्व रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी पुलिस से इस बात को लिखित रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित मोटरयान की चोरी के सम्बन्ध में किसी मामले रिपोर्ट नहीं दी गई है या कोई मामला लंबित नहीं है और यह सत्यापित करेगा कि क्या उस मोटरयान की बाबत सरकार को देय सभी रकमों का, जिसके अन्तर्गत सड़क कर भी है, संदाय कर दिया गया है और ऐसी अन्य बातों पर विचार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

[1][(6) वाहन के स्वामी को, वाहन चोरी होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी को इस बात की प्रथम सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी और ऐसी सूचना के साथ उस थाने का नाम भी उल्लेखनीय किया जाएगा जिसमें वाहन के चोरी की सूचना दर्ज कराई गई है और पंजीकरण प्राधिकारी इस सूचना का ध्यान अनापत्ति (No objection) प्रमाणपत्र, स्वामित्व अंतरण, पंजीकरण या द्वितीयक पंजीकरण प्रमाणपत्र देते समय रखेगा।]

**तुलनात्मक धारा**—एस० 29-A पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**49. निवास स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन.**—(1) यदि किसी मोटरयान का स्वामी उस स्थान पर, जिसका पता यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित है, निवास करना छोड़ देता है या अपने कारबार का स्थान परिवर्तित कर देता है तो वह अपने पते के ऐसे किसी परिवर्तन के तीन दिन के अन्दर अपने नए पते की सूचना ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएँ उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया था, या यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है तो ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा तथा उसके साथ ही रजिस्ट्री प्रमाण पत्र से भी यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेज देगा जिससे नया पता उसमें दर्ज किया जा सके।

(2) यदि मोटरयान का स्वामी संबंद्ध रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अपने नये पते की सूचना उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से ऐसे कार्रवाई के बदले में, जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, ऐसी रकम देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उपधारा (4) के अधीन विहित की जाए, किन्तु जो एक सौ रुपये से अधिक नही होगी :

परन्तु धारा 177 के अधीन कार्यवाही स्वामी के विरुद्ध तभी की जाएगी जब वह उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा (2) के अधीन रकम दे दी है वहाँ उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(4) राज्य सरकार अपने नये पते की सूचना देने में हुए विलम्ब की अवधि को ध्यान में रखते हुए उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें विहित कर सकेगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसा सत्यापन करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, नये पते को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज करवाएगा।

(6) मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से भिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जो इस प्रकार दर्ज करता है, परिवर्तित पते की सूचना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

(7) उपधारा (1) की कोई बात उस दशा में लागू होगी जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते में परिवर्तन, ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुआ है जिसकी अवधि छह मास से अधिक होनी आशयित नहीं है या जब मोटरयान को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते पर न तो काम में लाया जाता है और न वहाँ से हटाया जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 30 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**50. स्वामित्व का अंतरण.**—(1) जब इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान का स्वामित्व अन्तरित किया जाता है तब।

**(क) अतंरक.**—(i) उसी राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में, अंतरण के चौदह दिन के भीतर अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएँ, देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण किया जाने वाला है और उसी समय उस उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अन्तरिती को भेजेगा, और

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में, अन्तरण के पैतालीस दिन के भीतर, उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को-

(क) धारा 48 के अधीन प्राप्त आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र भेजेगा, या

(ख) ऐसे मामले में, जहाँ ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है—

(1) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रसीद, या

(2) यदि उसने धारा 48 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है तो अंतरक द्वारा प्राप्त डाक रसीद भेजेगा जिसके साथ यह घोषणा होगी कि उसे ऐसे प्राधिकारी से ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र दिये जाने से इंकार किया गया है या ऐसे किसी निदेश का पालन करने की उससे अपेक्षा की गई है जिसके अधीन रहते हुए ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा;

**(ख)** अंतरिती उस अंतरण की रिपोर्ट अंतरण के तीस दिन के अन्दर उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहाँ यान सामान्यतया रखा जाता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित फीस तथा अंतरक से प्राप्त उस रिपोर्ट की एक प्रति के साथ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिससे स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज की जा सके।

(2) जहाँ –(क) उस व्यक्ति की जिसके नाम में मोटरयान रजिस्ट्रीकृत है, मृत्यु हो जाती है, या

(ख) मोटर यान सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किया जाता है या अर्जित किया जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

वहाँ यान के कब्जे को उत्तराधिकार से प्राप्त करने वाला व्यक्ति या यथास्थिति, वह व्यक्ति जिसमें मोटरयान क्रय किया है या अर्जित किया है, अपने नाम में यान के स्वामित्व का अंतरण कराने के प्रयोजन के लिए उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में, यथास्थिति, उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहाँ यान सामान्यतया रखा जाता है, ऐसी रीति

में ऐसी विहित फीस सहित और ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए आवेदन करेगा।

(3) यदि अंतरक या अंतरिती रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, या यदि वह व्यक्ति जिससे उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है (जैसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्य व्यक्ति कहा गया है) विहित अवधि के भीतर ऐसा आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्तरक या यथास्थिति, अन्तरिती में ऐसी कार्यवाही के बदले में जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए ऐसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उपधारा (5) के अधीन विहित की जाए, किन्तु जो एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु धारा 177 के अधीन कोई कार्यवाही, यथास्थिति, अतंरक या अंतरिती या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध वहाँ की जाएगी जहाँ वह उक्त रकम का संदाय करने मे असफल रहता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31 (1-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा (3) के अधीन रकम का संदाय कर दिया है, वहाँ उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31 (1-B) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(5) राज्य सरकार, मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट देने में अंतरक या अंतरिती या उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने में अन्य व्यक्ति की ओर से किये गये विलम्ब की अवधि को ध्यान में रखते हुए उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें विहित कर सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31 (1-C) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(6) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की या उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वामित्व के अंतरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज करा सकेगा।

(7) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जो ऐसा कोई अंतरण दर्ज करता है, स्वामित्व के अंतरण की सूचना अंतरक को और यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

### टिप्पणी

यान के अन्तरण पर धारा 50 व नियम 55(1) व (2) के अन्तर्गत विहित अन्तरण की प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करना पड़ता है। उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन के बिना अन्तरण की केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करना वैध अन्तरण नहीं माना जायेगा। सुसंगत मामले में कर के बकाये की अदायगी का दायित्व ऐसे यान के अन्तरणकर्ता/स्वामी पर होगा। [*सी० पी० पटेल* बनाम *गुजरात राज्य*, ए० आई आर 2001 गुज० 200]

**51. अवक्रय करार, आदि के अधीन मोटरयान के बारे में विशेष उपबन्ध.**—(1) जहाँ उस मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, जो अवक्रय, पट्टा या आडमान करार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) के अधीन धारित है, वहाँ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस करार के अस्तित्व की बात रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) जहाँ इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान का स्वामित्व अन्तरित हो जाता है और अन्तरिती किसी व्यक्ति के साथ उक्त करार करता है, वहाँ [1][अन्तिम पंजीकरण प्राधिकारी] उक्त करार के पक्षकारों से ऐसे प्रारूप में आवेदन मिलने पर जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, उक्त करार के अस्तित्व की बात रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज करेगा [2][और यदि अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण प्राधिकारी नही है तो इसकी सूचना प्रारम्भिक पंजीकरण प्राधिकारी को दी जायेगी।]

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दर्ज की गई बात सम्बद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे प्रारूप में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, आवेदन किये जाने पर उक्त करार की समाप्ति का सबूत दिये जाने पर [3][अन्तिम पंजीकरण प्राधिकारी] द्वारा रद्द की जा सकेगी [और यदि अन्तिम पंजीकरण प्राधिकारी, पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है तो इसकी सूचना प्रारम्भिक पंजीकरण प्राधिकारी को दी जायेगी]

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(4) जो मोटरयान उक्त करार के अधीन धारित है उसके स्वामित्व के अन्तरण की बात रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उस व्यक्ति को लिखित सम्मति से ही दर्ज की जायेगी जिसका नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी ने उक्त करार किया है, न कि अन्यथा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) जहाँ वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी ने उक्त करार किया है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसने उक्त करार के उपबंधों के अधीन उस यान पर [4][रजिस्ट्रीकृत स्वामी से] कब्ज़ा रजिस्ट्रीकृत स्वामी के व्यतिक्रम के कारण कर लिया है और रजिस्ट्रीकृत स्वामी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने से इंकार करता है या फरार हो गया है, वहाँ ऐसा प्राधिकारी रजिस्ट्रीकृत स्वामी को (उसके उस पते से जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दिया हुआ है, रसीदी रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजकर) ऐसा अभ्यावेदक करने का, जैसा वह करना चाहे, अवसर देने के पश्चात् तथा इस बात के होते हुए भी कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके समक्ष पेश नहीं किया गया है उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा और उस व्यक्ति के नाम में जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी ने उक्त करार किया है, नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा :

परन्तु मोटरयान की बाबत रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाणपत्र तभी जारी किया जायेगा जब उस व्यक्ति ने विहित फीस दे दी हो, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि ऐसे मोटरयान की बाबत जो परिवहन यान से भिन्न है, जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाणपत्र केवल उस शेष अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके लिए इस उपधारा के अधीन रद्द किया गया प्रमाणपत्र प्रभावी रहता ।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

[1][(6) रजिस्ट्रीकृत स्वामी धारा 81 के अधीन परमिट नवीकरण के आवेदन के लिए या धारा 41 की उपधारा (14) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए या धारा 47 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के लिए या अन्य राज्य के लिए यान हटाने या एक वर्ग से अन्य वर्ग में यान परिवर्तित करने के समय या धारा 48 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए या धारा 49 के अन्तर्गत निवास या कारबार का स्थान परिवर्तित करने के लिए या धारा 52 के अन्तर्गत यान परिवर्तित करने के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करने के पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ स्वामी ने उक्त करार किया है (ऐसे व्यक्ति को इस धारा में इसके पश्चात् वित्तपोषक कहा गया है) आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) जारी किये जाने के लिए आवेदन कर सकेगा।]

*स्पष्टीकरण*—इस उपधारा और उपधारा (8) और उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए किसी परमिट के सम्बन्ध मे "समुचित प्राधिकारी" से, वह प्राधिकारी अभिप्रेंत है जो इस अधिनियम द्वारा ऐसे परमिट का नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत है और रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने या नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के लिए प्राधिकृत है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(7) उपधारा (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति से सात दिन के भीतर वित्तपोषक, आवेदक किये गये प्रमाणपत्र को जारी कर सकेगा या ऐसे कारणों से इन्कार कर सकेगा, जो लेखबद्ध किये जाएगे और आवेदक को संसूचित किये जायेंगे और जहाँ वित्तपोषक उक्त सात दिन की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र जारी करने में असफल रहता है और आवेदक को प्रमाणपत्र जारी किए जाने से इंकार करने के कारणों को संसूचित करने में भी असफल रहता है वहाँ आवेदन किए गए प्रमाणपत्र को वित्तपोषक द्वारा जारी किया गया समझा जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (5-B) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(8) रजिस्ट्रीकृत स्वामी धारा 81 के अधीन परमिट के नवीकरण करने के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करते समय या धारा 41 की उपधारा (14) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये या धारा 47 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के लिए आवेदन करते समय, आवेदन के साथ उस प्रमाणपत्र को, यदि कोई हो, जो उपधारा (7) के अधीन अप्रिप्राप्त किया गया है देगा या जहाँ ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत नहीं किया गया है वहाँ वित्तपोषक से उस उपधारा के अधीन प्राप्त संसूचना देगा या ऐसी घोषण करेगा कि उसने उपधारा में विनिर्दिष्ट सात दिन की अवधि के भीतर वित्तपोषक से कोई संसूचना प्राप्त नहीं की है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (5-C) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(9) समुचित प्राधिकारी, किसी परमिट के नवीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए या उस यान के सम्बन्ध में जो उक्त करार के अधीन धारित है नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के लिए आवेदन प्राप्त करने पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए —

(क) ऐसी दशा में, जब वित्तपोषक ने आवेदन किये गये प्रमाणपत्र को जारी करने से इन्कार कर दिया हो, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्—

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा संशोधित।

(i) परमिट का नवीकरण कर सकेगा या नवीकरण करने से इन्का कर सकेगा; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा या जारी करने से इन्कार कर सकेगा, या

(iii) नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दे सकेगा या देने से इन्कार कर सकेगा,

(ख) किसी अन्य दशा में—

(i) परमिट का नवीकरण कर सकेगा; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा; या

(iii) नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हो सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 31-A (5-d) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(10) निम्नलिखित के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कोई प्रविष्टि करते समय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी वित्तपोषक को यह संसूचित [1][सम्यक अभिस्वीकृत पंजीकृत डाक द्वारा] करेगा कि ऐसी प्रविष्टि कर दी गई है।

अर्थात—

(क) किसी मोटरयान का अवक्रय, पट्टा या आडमान करार; या

(ख) किसी प्रविष्टि का उपधारा (3) के अधीन रद्दकरण; या

(ग) मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण का अभिलेखन; या

(घ) किसी मोटरयान में कोई परिवर्तन; या

(ङ) किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन या रद्दकरण; या

(च) पते में परिवर्तन।

[2][(11) एक पंजीकरण प्राधिकारी नये वाहन का पंजीकरण करने समय या पंजीकरण का द्वितीय प्रमाणपत्र देने समय या अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करते समय या पंजीकरण का अस्थाई प्रमाणपत्र प्रदान करते समय वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करते समय या अनुमति (permit) प्रदान करते समय उसमें संबंधित प्रविष्टियों की संसूचना इस संव्यवहार के वित्त पोषक (Financer) को देगा।

(12) जब पंजीकरण प्राधिकारी प्रारम्भिक पंजीकरण प्राधिकारी नही है तो यह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई प्रविष्टि करते समय या इन प्रविष्टियों को उपधारा (3) के अधीन रद्द करते समय या उपधारा (5) के अधीन पंजीकरण का नया प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रारम्भिक पंजीकरण प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

[3][**52. मोटरयान में परिवर्तन**—(1) कोई मोटर यान का स्वामी यान में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दी हुई विशिष्टियाँ उनसे भिन्न हो, जो मूल रूप से विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट है :

परन्तु जहाँ मोटरयान का स्वामी भिन्न प्रकार के ईधन या ऊर्जा के स्रोत, जिनमें बैटरी सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, तरल पेट्रोलियम गैस शामिल है, या किसी अन्य ईधन या

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदल कर बढ़ाया गया।
3. अधिनियम सं० 27 की धारा 2 सन 2000 द्वारा प्रतिस्थापित (11-8-2000)

ऊर्जा के स्रोत द्वारा संपरिर्तन उकरण को सज्जित करके वाहन के चालन को सुकर बनाने के लिए उसके इंजर या उसके किसी भाग में उपान्तरण करता है, वहाँ ऐसा उपान्तरण ऐसी शर्तों के अध्यधीन किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये,

परन्तु यह और कि केन्द्र सरकार ऐसे संपरिर्तन उपकरण के लिए अनुमोदन, पश्चगामी सज्जा या अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए विनिर्देश, शर्ते विहित कर सकेगी :

परन्तु यह और भी केन्द्र सरकार किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त निर्दिष्ट ढंग के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग में यान के परिवर्तन के लिए छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन स्वामियों को, जिनके पास कम से कम दस परिवहन यान हैं, ऐसी शर्तों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, अपने स्वामित्वाधीन किसी यान में ऐसा परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी या अनुमति दे सकेगी, जिससे कि वे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उसका इंजन उसी संरचना और प्रकार के इंजन से बदल सके।

(3) जहाँ मोटरयान में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना या ऐसे अनुमोदन के बिना उपधारा (2) के अधीन उसके इंजर के प्रतिस्थापन के कारण कोई परिवर्तन किया गया है, वहाँ यान का स्वामी, परिवर्तन करने के चौदह दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर वह निवास करता है परिवर्तन की रिपोर्ट करेगा और विहित फीस के साथ उस प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर अग्रसारित करेगा, जिससे रजिस्ट्रीकरण का विवरण उसमें प्रविष्ट किया जाये।

(4) कोई ऐसी प्रविष्टि करने वाले मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्रविष्टि के विवरण की संसूचना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा।

(5) उपधारा (1), (2), (3) और (4) के अधीन लिए गए प्रावधानों के अध्यधीन, अवक्रय करार के अधीन यान को धारण करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत स्वामी की लिखित सम्मति के सिवाय यान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परिवर्तन" से यान के संरचना में परिवर्तन है जिसका परिणाम उसके मूल संरचना में परिवर्तन होता है।

## टिप्पणी

यात्रीयान को मालवाहन में परिवर्तित करने का कोई अवसर नहीं है जब तक कि उस वाहन का मूलरूप परीक्षण में दूसरे प्रकार के वाहन में परिवर्तित करना शामिल न हो। [*पी० के० बैजू* बनाम *संयुक्त क्षेत्रीय यातायता अधिकारी,* ए० आई० आर० 2003 केरल 26]

जब किसी मूलरूप परीक्षण में यह प्रमाणित किया गया था कि वाहन का प्रयोग माल ढोने का है तो उसे पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा यात्री यान के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। [*जार्ज पामाके झम* बनाम *आर०टी०ओ०,* ए०आई० आर० 1999 केरल 133]

वाहन के इंजन या उसके किसी भाग में सुधार का किया जाना चूँकि स्वीकार्य है इसलिये किसी नागरिक को किसी स्थिति में होने वाली कठिनाई प्राविधान को असंवैधानिक नही बनाते। [*ए०सी०एस० रेड्डी* बनाम *भारत संघ,* ए० आई० आर० 2002 आ० प्र० 148]

**53. रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन.**—(1) यदि किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता के अन्दर कोई मोटरयान—

(क) ऐसी हालत में है जिसमें सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से जनता के लिए खतरा पैदा होगा, या वह इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नही करता है, या

(ख) भाड़े या पारिश्रमिक पर काम में लाये जाने के लिए विधिमान्य परमिट के बिना इस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है,

तो वह प्राधिकारी उसके स्वामी को (उस पते से, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दिया हुआ है, रसीदी रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजकर) ऐसा अभ्यावेदन करने का जैसा वह करना चाहे, अवसर देने के पश्चात् उस यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे—

(i) खण्ड (क) के अधीन आने वाले किसी मामले में तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक उसके समाधानप्रद रूप में खराबियाँ दूर नहीं कर दी जातीं, और

(ii) खण्ड (ख) के अधीन आने वाले किसी मामले में अधिक से अधिक चार मास की अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से भिन्न कोई प्राधिकारी जब उपधारा (1) के अधीन ऐसे निलंबन का आदेश देता है तब वह निलंबन किये जाने की, और उसके कारणों की लिखित सूचना उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर वह यान निलंबन के समय है।

(3) जब किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (1) के अधीन कम से कम एक मास की लगातार अवधि के लिए निलंबित रहा है, तब वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के अन्दर वह यान उस समय था जब रजिस्ट्रीकरण का निलंबन किया गया था, उस दशा में, जिसमें वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है उस निलंबन की सूचना उस प्राधिकारी को देगा।

(4) किसी मोटरयान का स्वामी, ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी द्वारा, जिसने इस धारा के अधीन उस यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया है, माँग किये जाने पर उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित कर देगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जो उपधारा (4) के अधीन अभ्यर्पित किया गया है, उस स्वामी को तब लौटाया जायेगा, जब रजिस्ट्रीकरण का निलंबन करने वाला आदेश विखंडित कर दिया गया है, न कि उससे पूर्व।

तुलनात्मक धारा—एस० 33 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**54. धारा 53 के अधीन निलम्बित रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.**—जहाँ धारा 53 के अधीन किसी यान के रजिस्ट्रीकरण का निलंबन किसी विघ्न के बिना छह मास से अन्यून की अवधि तक जारी रहा है, वहाँ ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के भीतर यान उस समय था जब रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया था, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है तो रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नही है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस प्राधिकारी को भेजेगा, जो उसे रद्द कर सकेगा।

**55. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.**—(1) यदि कोई मोटरयान नष्ट हो गया है या स्थायी रूप से इस लायक नहीं रह गया है कि उसका उपयोग किया जा सके, तो स्वामी उस बात की रिपोर्ट चौदह दिन के अन्दर अथवा यथाशक्य शीघ्र, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर उसका निवास स्थान या कारबार स्थान, है जहाँ यथास्थिति, यान सामान्यतया रखा जाता है तथा वह यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उस प्राधिकारी के पास भेज देगा।

(2) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करेगा, अथवा यदि वह ऐसा प्राधिकारी नही है तो मूल रजिस्ट्रीकरता प्राधिकारी को वह रिपोर्ट और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भेज देगा और वह प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण को रद्द करेगा।

(3) कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी ऐसे मोटरयान की बाबत, जो उसकी अपनी अधिकारिता के अन्दर है, यह आदेश दे सकेगा कि उसकी परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाए जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा नियुक्त करे तथा यदि ऐसी परीक्षा करने पर और उसके स्वामी को (उस पते से, जो रजिस्ट्रकरण प्रमाणपत्र में दिया हुआ है रसीदी रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजकर) ऐसा अभ्यावेदन करने का, जैसा वह करना चाहे अवसर देने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि वह यान ऐसी हालत में है कि वह इस लायक नहीं है कि उसका उपयोग किया जा सके अथवा सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से जनता के लिए खतरा पैदा होगा और वह इस योग्य भी नहीं है कि उसकी समुचित मरम्मत की जा सके तो वह रजिस्ट्रीकरण को रद्द करेगा।

(4) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई मोटरयान हमेशा के लिए भारत से बाहर ले जाया गया है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा।

(5) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण ऐसे दस्तावेजों के आधार पर या तथ्यों के ऐसे व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है जो किसी सारवान विशिष्ट के सम्बंध में मिथ्या थे या उस पर समुदभूत इंजन संख्यांक या चेसिस संख्यांक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज किये गये संख्यांक से भिन्न है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वामी को ऐसा अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् जो वह करना चाहे (स्वामी) को उसके उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से प्रविष्ट है, रसीदी डाक द्वारा सूचना भेजकर) और उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा।

(6) धारा 54 के अधीन या इस धारा के अधीन किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यान के स्वामी को उस बात को संसूचना लिखित रूप से देगा और उस यान का स्वामी उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा।

(7) धारा 54 या इस धारा के अधीन रद्द करने का आदेश देने वाला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यदि मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को और अपने अभिलेखों में उस यान के बारे में जो कुछ दर्ज किया गया है उसको रद्द करेगा तथा यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है, तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भेजेगा और वह प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को और अपने अभिलेखों में उस मोटरयान के बारे में जो कुछ दर्ज किया गया है उसको रद्द करेगा।

(8) इस धारा में और धारा 41, धारा 49, धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 53 और धारा 45 में "मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" से वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसके अभिलेख में यान का रजिस्ट्रीकरण अभिलिखित किया गया है।

(9) इस धारा में "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" के अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 34 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**56. परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र.**—(1) धारा 59 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी परिवहन यान को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए तभी

**विधिमान्यतः** रजिस्ट्रीकर्ता समझा जाएगा जब उसके पास ऐसी विशिष्टियों और जानकारी सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे प्रारूप में ठीक हालत में होने का विहित प्राधिकारी द्वारा या उपधारा (2) में वर्णित किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र हो कि वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की उस समय की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है :

परन्तु जहाँ विहित प्राधिकारी परीक्षण केन्द्र ऐसा प्रमाणपत्र देने से इन्कार करता है वहाँ वह यान के स्वामी को ऐसे इंकार के लिए अपने कारण लिखित रूप में देगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 38 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र से ऐसा यान सर्विस केन्द्र या सार्वजनिक या प्राइवेट गैरेज अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, ऐसे केन्द्र या गैरेज के प्रचालक के अनुभव, प्रशिक्षण और योग्यता को और उसके उपस्करण तथा परीक्षण कार्मिक को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों या गैरेजों के विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र उतनी अवधि के लिए प्रभावशील बना रहेगा जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विहित की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 38 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) विहित प्राधिकारी ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाएंगे, किसी भी समय उस दशा में रद्द कर सकेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि जिस यान के सम्बन्ध में वह प्रमाणपत्र है उसके सम्बन्ध में अब इस अधिनियम को और इसके अधीन बनाये गये नियमों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नही होती, और ऐसे रद्द किये जाने पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की ओर यान के बारे में अध्याय 5 के अधीन दिये गये परमिट की बाबत यह समझा जाएगा कि वह तब तक के लिए निलम्बित कर दिया गया है जब तक ठीक हालत में होने का नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नही कर लिया जाता :

[1][परन्तु यह कि इस तरह का कोई भी निरस्तीकरण ऐसे प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकेगा जो कि निर्धारित तकनीकी योग्यता न रखता हो या ऐसे प्राधिकारी योग्यता धारण करने वाले प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी तकनीकी योग्यता न धारण करता हो।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 38 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) इस अधिनियम के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र जब तक प्रभावशील बना रहता है जब तक वह सम्पूर्ण भारत में विधिमान्य होगा ।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 38 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**57. अपीलें**,—[2][पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा धारा 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 या 56 के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की सूचना प्राप्ति के तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी अपील को सूचना मूल प्राधिकारी को देगा और अपील में मूल प्राधिकारी को तथा अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जो वह ठीक समझता है।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 35 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जब यह पाया जाये कि अपीलीय प्राधिकरण का ओदश लोकहित में नहीं होगा तथा जब अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दे वाला कोई क्षुब्ध पक्षकार नहीं है तो राज्य रिट याचिका की प्रस्तुति द्वारा ऐसे आदेश को चुनौती देने सकती है। [*पी०के० पाउल्से* बनाम *केरल राज्य,* ए०आई०आर० 1998 केरल 10]

**58. परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध.**—(1) केन्द्रीय सरकार (मोटर कैब से भिन्न) किसी परिवहन यान के पहियों में लगे टायरों की संख्या, उनके आकार और प्रकार और उनकी बनावट और मॉडल और सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, हर बनावट और मॉडल के परिवहन यान के सम्बन्ध में ऐसे यान का निरापद अधिकतम [1][वाहन का कुल भार] और ऐसे यान की हर धुरी का निरापद अधिकतम धुरी वजन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकार मोटर कैब से भिन्न किसी परिवहन यान को रजिस्टर करते समय रजिस्ट्रीकरण के अभिलेख में और यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में भी निम्नलिखित विशिष्टियाँ दर्ज करेगा, अर्थात् :

(क) यान का लदान रहित वजन,

(ख) हर पहिये में लगे टायरों के नम्बर, आकार और प्रकार

(ग) यान का सकल यान, वजन और उसकी विभिन्न धुरियों से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन, और

(घ) यदि उस यान का उपयोग या अनुकूलन केवल यात्रियों को या माल के साथ-साथ यात्रियों को वहन करने के लिए किया जाता है तो उस यात्रियों की संख्या जिनके लिए उसमें बैठने के स्थान का प्रबन्ध है।

तथा यान का स्वामी उन विशिष्टियों को विहित रीति से यान पर प्रदर्शित कराएगा।

(3) ऐसे किसी यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कोई सकल यान वजन या उसकी धुरियों में से किसी का ऐसा रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन दर्ज नहीं किया जाएगा जो ऐसे यान को बनावट और मॉडल के तथा उसके पहियों पर लगे टायरों के नम्बर, आकार और प्रकार के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वजन से भिन्न हो :

परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वजनों से अधिक भारी वजन किसी विशिष्ट प्रकार के यानों के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनुज्ञात किये जा सकते हैं; वहाँ केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस उपधारा के उपबंध ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

[2][(4) जब यान में किसी परिवर्तन के कारण जिसके अन्तर्गत उसके टागरों के नम्बर, आकार या प्रकार में कोई परिवर्तन भी है, सकल यान, यान वजन या उसकी धुरियों में से किसी का रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन उपधारा (3) के उपबंधों के अनुरूप नहीं रहता, तब धारा 52 के

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिनियम सं० 27 की धारा 3 सन 2000 द्वारा धारा 58 की उपधारा (4) निकाल दी गयी जो (11-8-2000 से प्रभावी)।

उपबंध लागू होंगे और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उन पुनरीक्षित रजिस्ट्रीकृत वजनों को दर्ज करेगा जो उक्त प्राधिकारी के अनुरूप है।]

(5) किसी यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज सकल यान वजन में उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षक करने की दृष्टि से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी परिवहन यान के स्वामी से ऐसे प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाये, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे इतने समय के भीतर, जितना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 36 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

I. मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की उक्त धारा 58 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में क्रेन्द्र सरकार निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये अधिकतम सुरक्षित वजन और उसके विस्तार वाले ट्रेक्टर ट्रेलर के पंजीकरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है[1] :

## अनुसूची

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ट्रैक्टर ट्रेलर का प्रकार | — | 19 टन क्षमता वाला "MAN" निर्मित ट्रैक्टर |
| 2. | स्वामित्व | — | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०, नयी दिल्ली |
| 3. | ट्रैक्टर ट्रेलर का विवरण (संख्या में 1) | | |
| | लोडिंग क्रेन के साथ ट्रैक्टर | | |
| | (i) चेसिस सं० | — | 528-0555-0555 |
| | (ii) इंजन सं० | — | 331 4082 054 / 2110 |
| | (iii) DIN NPCC | — | 240 / 11330 CM |
| | (iv) निर्माण वर्ष | — | 1982 |
| | **सेमी ट्रेलर** | | |
| | (i) चेसिस सं० | — | 026 748 |
| | (ii) वर्क्स सं० | — | 465865 |
| 4. | ट्रैक्टर ट्रेलर का कुल अनुमानित विस्तार निम्नवत् हो : | | |
| | (i) अधिकतम लम्बाई | — | 16.61 मीटर |
| | (ii) अधिकतम चौड़ाई | — | 2.550 मीटर |
| | (iii) भूमि से ट्रैलर बेड की ऊँचाई | — | 1.360 मीटर |
| | (iv) ट्रैक्टर के केबिन की अधिकतम ऊँचाई | — | 3.330 |
| | (v) टायर के आकार की सं० | — | (ट्रेलर के साथ 8+ ट्रैक्टर के साथ 6) |
| | (vi) अनुमेय g.v.w. | — | 19000 किग्रा० |
| | (vii) अनुमेय अग्र धूरी वजन | — | 6500 किग्रा० |
| | (viii) अनुमेय पश्य धूरी वजन | — | 13000 किग्रा० |

---

1. अधिनियम सं० एस० ओ० 777 (E), दिनांक 8 नवम्बर, 1996, भारत सरकार के असाधारण गजट भाग 2, खण्ड 3 (ii) दिनांक 8 नवम्बर, 1996 में प्रकाशित।

5. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) यदि वाहन काफी पुराना हो और कम से कम 7 वर्षों से प्रयोग में न आ रहा हो, तो उसकी सड़क पर चलने की क्षमता, उसके पंजीकरण से पूर्व; राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) वाहन को मात्र उसी मार्ग पर चलाया जायेगा, जो राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग के द्वारा अनुमेय हो।

(iii) लोकनिर्माण विभाग यातायात के दौरान उक्त वाहन या उसके किसी भाग के कारित किसी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) सभी आवश्यक संकेत चिन्ह दिन में यथा लाल झंडा और रात्रि में प्रवर्तनीय लाल प्रकाश का उपयोग वाहन को स्पष्ट रूप से देखे जाने और संकेतित किये जाने हेतु किया जायेगा।

(v) उक्त वाहन ट्रैफिक को बिना किसी प्रकार की बाधा कारित किये चलाया जायेगा।

(vi) वाहन को यह अनुमति दिया जाना हाईवे एवं ग्राम्य निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों को इन वाहनों की गति को, परिस्थितियों के अनुसार और सड़क एवं सड़क की संरचना को ध्यान में रखते हुए, रोकने अथवा विनियमित करने से प्रविरत नहीं करेगा।

(vii) लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, अधिकतम सुरक्षित धुरी भार और सुरक्षित भार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(viii) ट्रैक्टर ट्रेलर का संचालन मात्र संयम से किया जायेगा।

(ix) ट्रेलरों को सड़क की चौड़ाई के दूना करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(x) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जब वह वाहन जा रहा हो कोई अन्य वाहन सड़क पर तो नहीं है।

**II**. दिनांक 10 नवम्बर, 1998 को जारी अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये अधिकतम सुरक्षित वजन आदि उसके विस्तार वाले ट्रेलरों के पंजीकरण के पंजीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया है[1] :

## अनुसूची

| | | |
|---|---|---|
| 1, ट्रेलरों का प्रकार | — | हैवी ड्यूटी इंडिपेंडेंट ट्रेलर |
| 2, **स्वामित्व** | — | **क्टारिया परिवहन सेवा, फरीदाबाद** |
| 3. ट्रेलरों का विवरण (संख्या में 2) | | |

1. भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० ओ० 966 दिनांक 10 नवम्बर, 1998, भारत सरकार के असाधारण गजट भाग 2, 10 नवम्बर, 1998 में प्रकाशित।

| चेसिस सं० | धुरियों की संख्या | टायरों की सं० एवं विवरण | मापदण्ड (लम्बाई और चौड़ाई) | बिना लादे वजन (किग्रा में) | अधिकतम प्रति धुरी भार (किग्रा में) | कुल योग (किग्रा में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| टी०आर टी०/एम० टी० 6/002 | 6 | 7.25 X 20 12 प्लाई 8 प्रत्येक धुरी में (8 X 6 = 48 टायर) | 12275 मी०मी० X3000 मी०मी० | 27000 | 18000 | 1.08000 |
| टी०आर० टी० एम०टी० 4/00 | 6 | 7.25 X 20, 12 प्लाई 8 प्रत्येक धुरी में (8 X 4 = 32 टायर) | 9175 मी०मी० X 3000 मी० मी० | [illegible]7800 | 18000 | 72000 |

4. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(क) ट्रेलर का संचालन मात्र संयम से किया जायेगा।

(ख) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियत विभिन्न सड़कों पर भार के बारे में स्थानीय प्रतिबन्ध का ध्यान रखा जायेगा और ऐसे प्राधिकारियों की अनुमति, उन सड़कों पर ले जाने पर जहाँ प्रतिबन्ध विनिर्दिष्ट किया गया हो, हर समय प्राप्त की जायेगी। ऐसी हर गतिविधि सड़क प्राधिकारियों द्वारा सूक्ष्म रूप से नियन्त्रित की जायेगी।

(ग) लादे गये वाहन को उन पुलों पर, जहाँ ट्रेलर के सकल भार से नीचे कोई भार प्रतिबन्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विहित किया गया हो, जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी और स्वामी नदी/नालों को पार करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा यथानिर्देशानुसार अपनी व्यवस्था करेंगे।

(घ) वाहनों को सभी खतरे के झंडे और प्रकाशों को दर्शित करना चाहिए, प्राथमिक रूप से प्रयास होना चाहिए कि वाहन इस बात को निर्दिष्ट करने वाले वाहन के पीछे और आगे होना चाहिए कि भारी वजन गुजर रहा है।

(ङ) सड़क की चौड़ाई के बराबर ट्रेलर को दूना करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

III. दिनांक 29 मई, 1999 को जारी अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये अधिकतम सुरक्षित वजन और उसके विस्तार वाले ट्रेलरों के पंजीकरण हेतु अनुमति प्रदान किया है[1] :

## अनुसूची

1. ट्रेलरों का प्रकार — इंडिपेंडेट ट्रेलर
2. स्वामी — कटारिया कैरियर्स, कानपुर
3. ट्रेलरों का विवरण
   (संख्या में 2)

1. भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० ओ० 396 (E), दिनांक 24 मई 1999, भारत सरकार के असाधारण गजट भाग, दिनांक 24-5-99 में प्रकाशित।

| चेसिस सं० | धुरियों की संख्या | टायरों की सं० एवं विवरण | मापदंड (लम्बाई और चौड़ाई) | बिना लादे वजन (किग्रा में) | अधिकतम प्रति धुरी भार (किग्रा में) | कुल योग (किग्रा में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| टी०आर टी०/एम० टी० 6/016 | 6 | 7.50 X 20 12 प्लाई प्रत्येक धुरी में 8(8x6 = 48 टायर) | 12612 मी०मी० X3000 मी०मी० | 27000 | 18000 | 1.08000 |
| टी०आर० टी० एम०टी० 4/016 | 6 | 7.50 X 20, 12 प्लाई प्रत्येक धुरी में 8 (8 X 4 = 32 टायर) | 9512 मी०मी० X 3000 मी० मी० | 17800 | 18000 | 72000 |

4. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(क) ट्रेलर का संचालन मात्र संयम से किया जायेगा।

(ख) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारिकी द्वारा नियत विभिन्न सड़कों पर भार के बारे में स्थानीय प्रतिबन्ध का ध्यान रखा जायेगा और ऐसे प्राधिकारियों की अनुमति, उन सड़कों पर जाने के लिए, हर समय प्राप्त की जायेगी।

(ग) लादे गये वाहनों को इस राज्य में सड़कों पर निर्मित पुलों से होकर जाने की अनुमति नहीं होगी और स्वामी नदी/नालों को पार करने हेतु विभाग द्वारा यथानिर्देशानुसार अपनी व्यवस्था करेंगे।

(घ) वाहन को सभी खतरे के झंडे और प्रकाशों को दर्शित करना चाहिए, प्राथमिक रूप से प्रयास होना चाहिए कि वाहन इस बात को विर्दिष्ट करने वाले वाहन के पीछे और आगे होना चाहिए कि भारी वजन गुजर रहा है।

(ङ) सड़क की चौड़ाई के बराबर ट्रेलर को दूना करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(च) ट्रेलरों का पंजीकरण व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा, सामूहिक रूप से नहीं।

(छ) ट्रेलर की अधिकतम गति, सड़क पर, 10 किमी०/घण्टे से अनधिक होगी।

5. ट्रेलर का पंजीकरण केन्द्री मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 के अन्तर्गत उपबन्धित शर्तों को पूरा करने पर और विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

**59. मोटरयान का जीवनकाल नियत करने की शक्ति.**—(1) केन्द्रीय सरकार, लोक सुरक्षा, सुविधा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटरयान का जीवन काल विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी गिनती उसके विनिर्माण की तारीख से की जाएगी, जिसके अवसान के पश्चात् उस मोटर यान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहा है:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, विभिन्न वर्गों या विभिन्न प्रकार के मोटरयानों के लिए भिन्न-भिन्न जीवनकाल विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी मोटरयान के प्रयोजन जैसे, किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए प्रदर्शन या उपभोग, तकनीकी अनुसंधान या किसी विंटेज कार रैली में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए उपभोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी वर्ग या प्रकार के मोटरयान को, उस अधिसूचना में कथित प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(3) धारा 56 में किसी बात के होते हुए भी विहित प्राधिकारी परीक्षण केन्द्र उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मोटरयान को ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र नहीं देगा।

**60. केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण.**—(1) ऐसा प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, ऐसे किसी मोटरयान को रजिस्टर कर सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति है या उस समय अनन्य रूप से, उस सरकार के नियंत्रण में है और उसका उपयोग देश की रक्षा से सम्बन्धित सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध नहीं है और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई यान, जब तक वह केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति बना रहता है, या केवल उसके अनन्य रूप से नियंत्रण के अधीन रहता है, तब तक उसकी बाबत या अपेक्षित न होगा कि उसे इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर कराया जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 39 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(2) उपधारा (1) के अधीन यान का रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, समनुदेशित करेगा और उस यान की बाबत इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगी कि ऐसा यान उस समय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों को सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और यह कि यान इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 39 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत यान में उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र होगा।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 39 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(4) यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति या उसके अनन्य नियन्त्रण के अधीन नहीं रह जाता है तो धारा 39 और धारा 40 के उपबन्ध लागू होंगे।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 39 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) किसी यान को उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी यान के साधारण स्वरूप, सम्पूर्ण आकार और धुरी वजन के बारे में ऐसी सभी जानकारी राज्य सरकार को देगा जैसी वह राज्य सरकार किसी समय माँगे।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 39 (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**61. अध्याय का ट्रेलर को लागू होना.**—(1) इस अध्याय के उपबन्ध ट्रेलरों को रजिस्ट्रीकरण को वैसे ही लागू होंगे जैसे व किसी अन्य यान को लागू होते हैं।

(2) ट्रेलर को समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ऐसी रीति से चलाने वाले यान के एक तरफ प्रदर्शित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 40 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

(3) कोई व्यक्ति उस मोटरयान को, जिसके साथ ट्रेलर संलग्न किया गया है या किये गये हैं, तभी चलाएगा जब इस प्रकार चलाये जाने वाले मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह यथास्थिति, ट्रेलर पर या श्रृंखला के अन्तिम ट्रेलर पर प्रदर्शित हो, अन्यथा नहीं और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 40 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**62. पुलिस द्वारा मोटरयानों की चोरी और उनकी बरामदगी के सम्बन्ध में जानकारी का राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना**.—राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो पुलिस महानिरीक्षक (चाहे वह किसी पदनाम से पुकारा जाता है) और ऐसे अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, राज्य परिवहन प्राधिकरण को ऐसे यानों के बारे में जो चोरी हो गए हैं और बरामद किये गये हैं, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी से सम्बन्धित ऐसी विवरणी दिए जाने के लिए निदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे और ऐसा प्रारूप जिसमें और वह जिसके भीतर ऐसी विवरणी दी जाएगी, विहित कर सकेगी।

**63. राज्य मोटरयान सम्बन्धी रजिस्ट्ररों का रखा जाना**.—(1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, राज्य मोटरयान रजिस्टर के रूप में ज्ञात एक रजिस्टर उस राज्य के मोटरयानों की बाबत रखेगी जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी, अर्थात्

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक;

(ख) विनिर्माण का वर्ष;

(ग) वर्ग और प्रकार;

(घ) रजिस्ट्रीकृत स्वामियों के नाम और पते; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार [1][केन्द्रीय सरकार को] राज्य मोटरयान रजिस्टर की एक मुद्रित (केन्द्रीय सरकार को देगी यदि उसके द्वारा अपेक्षा किया जाय)[2] प्रति देगी और केन्द्रीय सरकार को ऐसे रजिस्टर में समय-समय पर किये गये सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की जानकारी भी अविलंब देगी।

(3) राज्य सरकार वह रीति विहित कर सकेगी जिससे राज्य मोटरयान रजिस्टर ऐसी रीति से रखा जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

**64. केन्द्रीय सरकार का नियम बनाने की शक्ति**.—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी विषयों या उसमें से किसी का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात :

(क) वह अवधि जिसके भीतर और वह प्रारूप जिसमें आवेदन किया जाएगा और धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वे दस्तावेजों, विशिष्टियाँ और जानकारी जो उसमें अन्तर्विष्ट होगी;

(ख) वह प्रारूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बनाया जाएगा और वे विशिष्टियाँ और जानकारी जो उसमें अंतर्विष्ट होगी और वह रीति, जिसमें वह धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन दिया जाएगा;

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 निकाला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

(ग) वह प्रारूप और वह रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियाँ धारा 41 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अभिलेखों में दर्ज की जाएगी;

(घ) वह रीति जिससे और वह प्रारूप जिसमें धारा 41 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, अक्षर और अंक तथा अनय विशिष्टियाँ प्रदर्शित और दर्शित की जाएंगी;

(ङ) वह अवधि जिसके भीतर और वह प्रारूप, जिसमें आवेदन किया जाएगा और वे विशिष्टियाँ और जानकारी जो धारा 41 की उपधारा (5) के अधीन उसमें अन्तर्विष्ट होंगी;

(च) वह प्रारूप जिसमें धारा 41 की उपधारा (14) में निर्दिष्ट आवेदन किया जाएगा और वे विशिष्टियाँ और जानकारी जो उसमें अन्तर्विष्ट होंगे और प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) वह प्रारूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर, धारा 47 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया जाएगा और वे विशिष्टियाँ जो अन्तर्विष्ट होंगी;

(ज) वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिसमें 'आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन किया जाएगा और धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली रसीद का प्रारूप;

(झ) ऐसे अन्य विषय, जिनका किसी आवेदक द्वारा अनुपालन धारा 48 के अधीन आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जाता है;

(ञ) वह प्रारूप जिसके पते में परिवर्तन की सूचना धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन दी जाएगी और दस्तावेज जो आवेदन के साथ दिये जाएंगें;

(ट) वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिससे स्वामित्व के अन्तरण की संसूचना धारा 50 की उपधारा (1) या धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन दी जाएगी या वह दस्तावेज जो आवेदन के साथ दिया जाएगा;

(ठ) वह प्रारूप जिसमें आवेदन धारा 51 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया जाएगा;

(ड) वह प्रारूप जिसमें ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन दिया जाएगा और वे विशिष्टियाँ और जानकारी जो उसमें अंतर्विष्ट होंगी;

(ढ) वह अवधि जिसके लिए धारा 56 के अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र प्रभावी रहेगा;

(ण) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के दिये जाने या नवीकरण या परिवर्तन के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व के अन्तरण की बाबत प्रविष्टि करने, अवक्रय या पट्टा या आडमान करार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की बाबत कोई पृष्ठांकन करने या उसे रद्द करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र के लिए मोटरयानों की परीक्षा या निरीक्षण के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस और ऐसी फीस का प्रतिदाय;

(त) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जा सकेगा या विहित किया जाए।

**65. राज्य सरकार की नियम की बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार धारा 64 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 41 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) उन अपीलों का संचालन और सुनवाई जो इस अध्याय के अधीन की जाएं (ऐसी अपीलों के बारे में दी जाने वाली फीसों और ऐसी फीसों का वापस दिया जाना);

(ख) रजिस्ट्रीकर्ता और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति, कृत्य और अधिकारिता;

(ग) रोड, रोलर, ग्रेडर और ऐसे अन्य यानों को, जिनको सड़कों के निर्माण, मरम्मत और उनकी सफाई के लिए बनाया गया है और अनन्य रूप से उपयोग में लाया जाता है इस अध्याय के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट और ऐसी छूट को शाशित करने वाली शर्ते;

(घ) रजिस्ट्रीकरण और ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र, और खोए, नष्ट या कटे-फटे प्रमाणपत्रों के बदले में उन प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रतियाँ देना या उनका नवीकरण करना;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को, यान के कुल वजन से सम्बन्धित उसमें की विशिष्टियों की प्रविष्टियों का पुनरीक्षण करने के लिए, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करना;

(च) मोटरयानों का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों और चिन्हों का दिया जाना;

(छ) वह रीति जिससे धारा 58 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्टियाँ और अन्य विहित विशिष्टियाँ प्रदर्शित की जाएंगी;

(ज) जो फीसें इस अध्याय के अधीन देय है उन सबको या उनमें से किसी को या उनके किसी भाग को देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गो के व्यक्तियों को छूट;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्रारूपों से भिन्न प्रारूप जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने हैं;

(ञ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की विशिष्टियों का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों के बीच परस्पर संसूचित किया जाना तथा उन यानों के स्वामियों द्वारा, जो राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत हैं, उन यानों की और उनके रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का संसूचित किया जाना;

(ट) धारा 41 की उपधारा (13) या धारा 47 की उपधारा (7) या धारा 49 की उपधारा (4) या धारा 50 की उपधारा (5) के अधीन रकम या रकमें;

(ठ) ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्रों की नवीकरण के लिए आवेदनों के लंबित रहने तक उन प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता की अवधि का बढ़ाया जाना;

(ड) जो मोटरयान व्यवहारियों के कब्जे में है उन्हें इस अध्याय के उपबंधों से छूट और उस छूट के दिये जाने के लिए शर्ते और फीस;

(ढ) वह प्रारूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर धारा 62 के अधीन विवरणी भेजी जाएगी;

(ण) वह रीति जिससे राज्य मोटरयान रजिस्टर धारा 63 के अधीन रखा जाएगा;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

**तुलनात्मक धारा**—एस० 41 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जहाँ एक ही पंजीकरण संख्या के लिये उसी दिन एक से अधिक प्रार्थना पत्र हों तो नियम निर्देशित करता है कि संख्या का आवंटन नीलामी द्वारा सर्वोच्च बोली वाले को किया जाये। घृत किया गया कि यातायात आयुक्त द्वारा जारी सर्कुलर जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उसी संख्या के लिये पश्चात्वर्ती तिथि को दिये गये प्रार्थना पत्र को नियम लागू हो नियम 95(4) व (5) के विपरीत था। [*बी० एम० ज्योथी* बनाम *केरल राज्य,* ए० आई० आर० 2002 केरल 353]

# अध्याय 5

# परिवहनयानों का नियंत्रण

**66. परमिटों की आवश्यकता**—(1) किसी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में उस यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग, से चाहे उस यान से वास्तव में ये यात्री या माल का वहन किया जा रहा है या नहीं, उस परमिट की शर्तों के अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा जो उस स्थान में उस रीति से, जिससे उस यान का उपयोग किया जा रहा है, उसका उपयोग करने के लिए प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा दिया गया है या प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हैं।

परन्तु मंजिली-गाड़ी परमिट से, ऐसे शर्तों पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाये, उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करना प्राधिकृत होगा—

परन्तु यह और कि मंजिली परमिट से ऐसी शर्तों पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाये, उस यान का उपयोग माल यान के रूप में करना, भले ही वह यात्रियों का वहन कर रहा हो या नहीं, प्राधिकृत किया जा सकेगा;

परन्तु यह और भी कि माल-वाहन के परमिट से, उन शर्तों पर जो परमिट में, विनिर्दिष्ट हो, उसके धारक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारबार के लिए या उसके सम्बन्ध में माल का वाहन करने के लिए उसके द्वारा यान का उपयोग करना प्राधिकृत होगा;

**तुलनात्मक धारा**—एस० 42 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939

(2) माल वाहन परमिट का धारक, यान का उपयोग किसी ऐसे ट्रेलर या अर्द्ध-ट्रेलर के, जो उसके स्वामित्व के अधीन नहीं है, खींचने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो विहित की जायें।[1]

**परन्तु किसी (carticulated vehicle) का परमिट धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस वाहन के (Primer Mover) को किसी अन्य सेमी ट्रेलर में प्रयुक्त कर सकता है।**

(3) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात—

(क) कोई ऐसा परिवहन यान जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है और ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई सम्बन्ध नहीं है;

(ख) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के अथवा स्थानीय प्राधिकारी से की गई संविदा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है और केवल सड़क को साफ करने, सड़क पर जल छिड़कने या सफाई प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है;

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

(ग) कोई ऐसा परिवहन यान जो केवल पुलिस, दमकल या रोगी वाहन प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है;

(घ) कोई ऐसा परिवहन यान जो शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के प्रवहण के लिए ही उपयोग में लाया जाता है;

(ङ) ऐसा कोई परिवहन यान जो किसी बिगड़े हुए यान का अनुकर्षण करने के लिए अथवा किसी बिगड़े हुए यान से माल को निरापद स्थान पर हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(च) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है जो राज्य सरकार इस निर्मित्त विहित करें;

(छ) कोई ऐसा परिवहन यान जो मोटरयानों का विनिर्माण करने के लिए या उनमें व्यवहार करने वाले या चेसिस से संलग्न किए जाने के लिए उनकी गाड़ी बनाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें;

[1][(ज) कोई ऐसा परिवहन यान जो ऐसी किसी शैक्षणिक संस्था के स्वामित्वाधीन है और केवल उसके प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार ने मान्यता दे रखी है अथवा जिसकी प्रबन्ध समिति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है;]

[2][(झ) कोई ऐसा मालि यान जिसकी सकल वजन 3000 किलोग्राम से अधिक नही है;

(ञ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विहित करे, कोई ऐसा परिवहन यान जो एक राज्य में खरीदा गया है और कोई यात्री या माल वहन किए बिना उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान को जा रहा है;

(ट) धारा 43 के अधीन अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत कोई परिवहन यान उस समय जब वह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली हो किसी स्थान को जा रहा है;

[3][(ठ) विद्युत बैटरी कम्प्रेस्ड, प्राकृतिक गैस या सोलर शक्ति से संचालित होने वाला मोटर यान;

(ड) कोई ऐसा परिवहन यान जिसे बाढ़, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक दुर्घटना, सड़क पर बाधा या अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण किसी अन्य मार्ग, पर लगाकर, भले ही वह राज्य के अन्दर हो या बाहर इस दृष्टि से भेजा जाना आवश्यक है कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाये;

(ढ) कोई ऐसा परिवहन यान जो ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

---

1. अधिनियम सं० 27 की धारा 4 सन 2000 द्वारा निकाल दिया गया जो (11-8-2000 से प्रभावी)।
2. अधिनियम सं० 39 सन 2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2001 द्वारा निकाल दिया गया।
3. अधिनियम सं० 54 की धारा 20 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित जो (14-11-1994 से प्रभावी)।

(ण) कोई ऐसा परिवहन यान जो अवक्रय पट्टा या आडमान करार के अधीन है और जिसे स्वामी के व्यक्तिक्रम के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार किया है, कब्जे में ले लिया गया है, जिससे कि ऐसा मोटरयान अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सके; या

(त) कोई ऐसा परिवहन यान जब वह खाली ही मरम्मत के प्रयोजन के लिए जा रहा हो।

**तुलनात्मक धारा**—42 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) किसी मोटरयान को, जिसे ड्राइवर के अलावा नौ से अधिक व्यक्तियों का वहन करने के अनुकूल बना लिया गया है, तब लागू होगी जब राज्य सरकार ने धारा 96 के अधीन बनाये गये नियम द्वारा ऐसा विहित करे।

**तुलनात्मक धारा**—42 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## सार-संक्षेप

1. *परिवहन गाड़ी का स्वामी*
2. *लाइसेन्स का स्वामी के नाम में होना जरूरी नहीं है*
3. *अपने चालक या परिचालक के कार्यों के लिए स्वामी का दायित्व*
4. *साझीदारी करार **(partnership agreement)***
5. *धारा 42 और 123 में सुभेदक तथ्य **(Distinguishing Features)***
6. *चालक का दायित्व*
7. *लोक आयोग **(Public Parpose)***

**1. परिवहन गाड़ी का स्वामी.**—दायित्वाधीन कौन होगा? धारा 123 के अधीन कोई दोषसिद्ध केवल तब अभिलिखित की जा सकती है जब कि अभियुक्त ने धारा 42 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो। धारा 42 गाड़ी के स्वामी पर कतिपय दायित्वों का अधिरोपण करती है। उक्त उपधारा चालक अथवा परिचालक पर कोई कर्तव्य नहीं थोपती। अतः उसका परिणाम यह है कि लाइसेन्स में उल्लिलिखत निदेशों का अनुपालन करने से चालक अथवा परिचालक धारा 42 के उपबन्धों को उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि वह धारा उन पर किसी दायित्व का अधिरोपण नहीं करती।[1]

**2. लाइसेन्स का स्वामी के नाम में होना जरूरी नहीं है.**—धारा 42 (1) व्यक्त या विवक्षित रूप से बेनामी संव्यवहार या बेनामी बसों के स्वामियों को लाइसेन्स के लिए आवेदन करना, अर्जित नहीं करती। धारा 42 (1) यह अपेक्षा नहीं करती कि स्वयं स्वामी ही लाइसेन्स प्राप्त करे।[2]भारत में विधि बेनामी संव्यवहारों पर रोष नहीं करती। परिणामस्वरूप, परिवहन के लिये लाइसेन्स बेनामी धारण की जा सकती है।

धारा 60 (1) खंड (ग) परिवहन प्राधिकारी को किसी लाइसेन्स के रद्द करने या निलम्बित करने के लिए प्राधिकृत करता है, यदि लाइसेन्सधारी लाइसेन्स के अन्तर्गत आने वाली गाड़ी या गाड़ियों का स्वामी नहीं रह जाता। लेकिन वह परिवहन प्राधिकारी को लाइसेन्स के रद्द करने का निदेश मात्र करता है। वह चाहे तो रद्द करे या न करे।[3]

**3. अपने चालक या परिचालक के कार्यों के लिए स्वामी का दायित्व.**—आपराधिक मनःस्थिति प्रमाण और जरूरत-यह संदर्भित करने के लिए साक्ष्य के अभाव में कि स्वामी चालक के इस कार्य को जानता

---

1. *हरी गोपाल* बनाम *राज्य*, 1956 ए०एल०जे० 177 : 1956 ए०डब्ल्यू०आर० 122।
2. ए०आई०आर० 1969 सुप्रीम कोर्ट 493 (ए०आई०आर० 1967 मद्रास 100 अव्यवस्थित कर दिया गया)।
3. ए०आई०आर० 1969 सुप्रीम कोर्ट 493 ए०आई०आर० 1963 इला० 33 (388)।

था या उसमें मौनानुकूल था (connived) कि वह गाड़ी को अप्राधिकृत मार्ग से ले गया था लाइसेन्स में उल्लिखित सीमा का अतिलंघन करते हुए चार से अधिक सेवकों को ले गया, वह धारा 112 या 123 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता।[1]

एक ओर, मोटर गाड़ी बिना किसी लाइसेन्स के चलाने या किसी ऐसी लाइसेन्स पर चलाने में जो पहले ही समाप्त हो चुकी हो, तथा दूसरी ओर, वर्तमान लाइसेन्स की जो शर्तों के अतिलंघन में गाड़ी चलाने में अन्तर होता है। पहली दशा में बिना किसी और साक्ष्य आपराधिक मनःस्थिति का अनुमान किया जा सकता है, किन्तु दूसरी दशा में नहीं (तदैव)

यदि चालक तथा परिचालक षड्यंत्र करके अधिक बोझ लाद देते हैं तो निःसन्देह रूप से जब तक कि यह सिद्ध न हो जाये कि अधिक बोझ स्वामी के कहने से या उसके अनुमोदन पर लादा गया था, स्वामी को दंडित नही किया जा सकता।[2]

धारा 123 के अधीन विधान मंडल का यह आशय नहीं था कि गाड़ी का स्वामी प्रतिनिधि के रूप में अपने सेवकों तथा एजेन्टों के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो, और उसका दायित्व तो केवल तब पैदा होगा यदि वह अपने अवैध कार्यों अथवा कार्यकलापों द्वारा चालक को अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए अनुमति देता है। अतः मुझे ऐसा लगता है कि अधिनियम की धारा 123 द्वारा उपबन्धित आपराधिक मनःस्थिति अपराध का जरूरी भाग है और इस प्रकार, स्वामी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका मन दोषी न हो।[3]

**4. साझीदारी करार (Partnership agreement).**—इस बात पर कि आया साझीदारों में से किसी एक के नाम में लाइसेन्स के आधार पर या उनमें से किसी एक के स्वामित्व में होने वाली गाड़ी के विषय में परिवहन कारबार करने के लिए कोई विधिमान्य साझीदार हो सकती है या नहीं, विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी मत धारण किये गये है।

मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा केरला के उच्च न्यायालयों ने यह धारणा किया है कि यदि (ऐसी लाइसेन्स के) अन्तरण प्रतिसिद्ध करने वाला कोई व्यक्ति उपबन्ध है तो परिवहन कारबार करने के सम्बन्ध में किया गया कोई साझीदार करार अवैध और शून्य होता है।[4]

मध्य प्रदेश, मुम्बई, नागपुर, पंजाब तथा पटना उच्च न्यायालयों ने अन्यथा धारण किया है। इसके विपरीत उन्होंने यह धारणा किया है कि परिवहन की साझीदारी कारबार एक साझीदार द्वारा प्राप्त की गई लाइसेन्स के आधार पर तथा उसकी एक गाड़ी से किया जा सकता है। मोटर गाड़ी अधिनियम में साझे में परिवहन कारबार किये जाने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध होने के अभाव में, वह केवल ऐसी लाइसेन्स पर किया जा सकता है जो कि स्वयं साझीदारी के नाम में जारी की जाये और प्राप्त की जाये और ऐसा कारबार ऐसी गाड़ियों से किया जा सकता है जिनका स्वामी साझीदारी फर्म ही हो। जब परिवहन कारबार ऐसी गाड़ियों से किया जाये भी किसी साझीदारी की हों, या किसी एक साझीदार द्वारा धारित किसी लाइसेन्स के आधार पर किया जाये, तो यह नही कहा जा सकता कि अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण किया जा रहा है।[5]

**5. धारा 42 और 123 में सुभेदक तथ्य (Distingushing Features).**—धारा 42 (1) गाड़ी का बिना लाइसेन्स के इस्तेमाल प्रतिसिद्ध करती है जबकि धारा 123 उसके उल्लंघन की अनुमति देती है।[6]

---

1. 1959 क्रि०एल०जे० 358 : ए०आई०आर० 1959 उड़ीसा 50।
2. 1960 क्रि०एल०जे० 11 : ए०आई०आर० 1960 म०प्र० 181।
3. 1977 इला० (40) (186) : ए०आई०आर० 1949 इला० (11) : ए०आई०आर० 1960 राज० 83 : ए०आई०आर० 1951 सुप्रीम कोर्ट 204 : ए०आई०आर०1947 पी०सी० 135 का अवलम्ब लिया गया।
4. ए०आई०आर० 1963 मद्रास 413 (492) : ए०आई०आर० 1957 आन्ध्र प्रदेश 837 : ए०आई०आर० 1960 केरल 276।
5. ए०आई०आर० 1966 म०प्र० 13 : ए०आई०आर० 1917 बम्बई : 250 ए०आई०आर० 1961 पंजाब 405 : ए०आई०आर० 1956 नागपुर 225 : ए०आई०आर० 1960 पटना 298
6. ए०आई०आर० 1956 इला० 27।

कोई स्वामी गाड़ी चला सकता है और धारा 123 में पद "जो कोई गाड़ी चलाता है" का स्वामी पर लागू होना अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं चलाता है या चालकों द्वारा चलवाता है। ऐसा समझना गलत है कि यह धारा स्वामी या चालक दोनों को दंडित करता है। वस्तुतः केवल एक ही व्यक्ति दंडित किया जाता है, और वह व्यक्ति स्वयं स्वामी ही है। स्वामी या तो स्वयं गाड़ी चलाकर या लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति से उसका इस्तेमाल करा कर, उल्लंघन कर सकता है। धारा 123 स्वामी को दोनों में से किसी कार्य के करने पर स्वामी को दण्डित करती है और इसीलिये चलाता है या गाड़ी का इस्तेमाल कराता है? शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

धारा 42 के अधीन, स्वामी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति दन्डित नहीं किया जा सकता। यदि चालक स्वामी नहीं है और धारा 42 के अधीन उसको दण्डित किया गया, तो उसकी दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।[1]

**6. चालक का दायित्व**—यदि चालक कोई गाड़ी चला रहा हो जिसके इस्तेमाल के लिये लाइसेन्स प्राप्त नहीं की गई है, तो वह अधिनियम की धारा 42, 123 के अधीन दायित्वाधीन होगा। ए०आई०आर० 1957 राज० 63 (खंड पीठ) का अवलम्ब किया गया।[2]

*लेकिन वंश राज* बनाम *राज्य*,[3] में यह धारणा किया गया कि धारा 123 के अधीन दाषसिद्धि केवल इसी अधार पर अभिलिखित नहीं की जा सकती कि अभियुक्त गण ने धारा 42 (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। धारा 42 गाड़ी के स्वामी पर कतिपय दायित्वों (obligation) का अधिरोपण करती हैं। उपधारा द्वारा चालक या परिचालक पर कोई कर्तव्य नहीं थोपा गया है। अतः इसका परिणाम यह है कि लाइसेन्स में दी गई शर्तों का अनुपालन करने से चालक तथा परिचालक धारा 42 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि वह धारा उन पर काई दायित्व अधिरोपित नहीं करती।

गाड़ी चलाना आरम्भ करने से पूर्व चालक को धारा 132 के अधीन अपना समाधान कर लेना चाहिये कि (1) गाड़ी की लाइसेन्स प्राप्त कर ली गई है, और (2) गाड़ी अन्यथा इस्तेमाल के लिये ठीक दशा में है।[4] (खण्डपीठ) अतः धारा 42 (1) तथा धारा 123 दोनों को साथ पढ़ने को साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट ही है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी को उसकी लाइसेन्स में दी गई शर्तों के विपरीत नहीं चला सकता।[5]

धारा 42 (1) प्रतिषेधात्मक (Prohibitive) धारा है। प्रतिषेध गाड़ी के इस्तेमाल के विरुद्ध नहीं है, बल्कि लाइसेन्स की शर्तों के विपरीत गाड़ी चलाने के विरुद्ध है। धारा 42 दण्डित करने वाली नहीं है, बल्कि उसका भंग करना अधिनियम की धारा 123 के अधीन दण्डनीय है। धारा 123 के अन्तर्गत स्वामी और ऐसा व्यक्ति जो स्वामी न हो किन्तु गाड़ी चलाता हो, दोनों ही आते हैं, और वह धारा 123 के अधीन दोषसिद्ध किये जा सकेंगे।[6]

"जो कोई" शब्द का इतना संकुचित अर्थ लगाने का कि वह केवल स्वामी पर ही लागू होता है, कोई औचित्य नहीं है। धारा 42 (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध से यह स्पष्ट है कि सिवाय लाइसेन्स के अधीन और लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार कोई मोटर गाड़ी सार्वजनिक सड़क पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। धारा 123 (1) में दन्डात्मक उपबन्ध (Penal provision) को इतना व्यापक बनाया गया है कि वह गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू हो।[7]

---

1. 1974 क्रि०एल०जे० 218।
2. ए०आई०आर० 1950 राज० 350, ए०आई०आर० 1950 इला० 234 : ए०आई०आर० 1941 मद्रास 845।
3. 1956 ए०एल०जे० 177 : 1956 ए०डब्ल्यू०आर० 122।
4. ए०आई०आर० 1957 राज० 63।
5. ए०आई०आर० 1959 सुप्रीम कोर्ट 79 द्वारा ए०आई०आर० 1960 इला० 234 का अनुमोदन किया गया तथा : ए०आई०आर० 1956 इला० 27 उलट दिया गया।
   ए०आई०आर० 1959 सुप्रीम कोर्ट 79।
6. ए०आई०आर० 1959 केरल 161 क्रि०एल०जे० 594।
7. ए०आई०आर० 1959 केरल 161 क्रि०एल०जे० 594।

7. **लोक आयोग (Public purpose).**—खण्ड (च) के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन को लोक प्रयोजन नहीं समझा जा सकता।[1] अतः सरकार इस खंड के अधीन छूट का दावा नहीं कर सकती, और उ०प्र० मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 70-क् जो कि अविधिमान्य है, के बावजूद मंजिली गाड़ियाँ चलाने के लिये उसकी धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।[2]

लेकिन उ० प्र० सरकार ने पुराने नियम 7-क को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चय के पश्चात् काट दिया है: और नया नियम 70-क 1974 से प्रभावी हो गया है, जो ए० आई० आर० 1963 इला० 301 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विचार से मेल खाता।

ए० आई० आर० 1956 इला० 27 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारण किया गया मत, जिसमें वंशराज को धारा 1-42-123 के अधीन एक लोक वाहन में छः के स्थान पर 23 यात्रियों को ले जाने लिये दोषसिद्ध किया गया था, ए० आई० आर० 1956 उच्चतम न्यायालय 79 : 1959 ए० एल० जे० 1 में प्रतिवेदित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट दिया गया। यह धारणा किया गया कि मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 42 (1) किसी परिवहन गाड़ी के लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किये जाने की अपेक्षा करती है। और वह स्वामी को लाइसेन्स की शर्तों के विपरीत इस्तेमाल करने मात्र से प्रतिसिद्ध नहीं करती। जो कोई धारा 42 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई मोटर गाड़ी चलाता है' पद के अन्तर्गत स्वामी तथा कोई व्यक्ति जो स्वामी न हो, दोनों ही आते हैं धारा 123 के अधीन जो कुछ दन्डनीय किया गया है, वह है किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 42 (1) उपबन्धों के विपरीत गाड़ी चलाया जाना। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी गाड़ी को उसके सम्बन्ध में होने वाली लाइसेन्स की शर्तों के विपरीत नहीं चला सकता। अतः किसी मोटर गाड़ी का चालक तो उसका स्वामी है और जो धारा 42 (1) के अधीन लाइसेन्स की शर्तों के विपरीत उसे चलाता हैं, वह अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत आयेगा।

**67. राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियन्त्रण करने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार—

(क) मोटर परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार और उद्योग के होने वाले फायदों,

(ख) सड़क और रेल परिवहन में समन्वय करने की वांछनीयता;

(ग) सड़क व्यवस्था की खराबी के निवारण के लिए वांछनीयता;

(घ) परमिट धारकों के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, दोनों को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर निम्नलिखित की बाबत निदेश दे सकेगी—

(i) मंजिली-गाड़ी, ठेका गाड़ी तथा माल-यान के लिए किरायों और माल भाड़े को नियत करना (जिनके अन्तर्गत, अधिकतम तथा न्यूनतम किराए और माल भाड़े नियत करना भी है);

[3][परन्तु बैटरी, कम्प्रेस्ड गैस या सौर्य ऊर्जा द्वारा संचालित राजकीय वाहनों, संविदाधीन वाहनों तथा मालवाहन वाहनों के किराये और बाड़े उसके स्वामी या परिचालक द्वारा तय किया जायेगा।

---

1. ए०आई०आर० 1962 सुप्रीम कोर्ट 116 : ए०आई०आर० 1963 इला० 301 : ए०आई०आर० 1971 इला० 438 (खण्डपीठ)।
2. ए०आई०आर० 1973 इला० 301 : ए०आई०आर० 1971 इला० 488।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया तथा अधिनियम सं० 39 सन् 2001 द्वारा निकाला गया। दिनांक 11 सितम्बर, 2001 से प्रभावी।

(ii) ऐसी शर्तों पर, जो ऐसे निदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, साधारणतः लम्बी दूरी वाले माल-यातायात का अथवा विनिर्दिष्ट वर्गों के मामलों का माल यानों द्वारा प्रवहण किये जाने का प्रतिषेध या निर्बन्धन;

(iii) कोई अन्य बात जिसकी बाबत राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि वह साधारणतः मोटर परिवहन का विनियमन करने और विशिष्टितः उसके परिवहन के किसी अन्य साधन से समन्वय करने तथा लम्बी दूरी वाले माल-यातायात को ले जाने सम्बन्धी किसी करार, को, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य देश की सकरार से किया गया हो, प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन है:

परन्तु खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट बातों की बाबत ऐसी कोई अधिसूचना तब तक नहीं निकाली जायेगी जब तक प्रस्थापित निदेशों का प्रारूप राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता जिसमें ऐसे प्रकाशन के कम से कम एक मास पश्चात् की तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायेगा और जब तक किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो प्राप्त हो, उन व्यक्तियों के, जिनके हित प्रभावित होतें है, प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राज्य परिवहन प्राधिकरण के परामर्श से विचार नहीं कर लिया जाता।

**तुलनात्मक धारा**—43 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) मंजिली-गाड़ी और माल-यान के लिए किराया और माल भाड़ा नियत करने से सम्बन्धित उपधारा (i) के अधीन किसी निदेश में यह उपबंध किया जा सकेगा कि ऐसे किरायों या माल पर कर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन मंजिली गाड़ी ठेका गाड़ी, या मालयान चलाने वालों के अधीन मंजिली गाड़ी ठेका गाड़ी या माल-यान चलाने वालों को, यथास्थिति, गाड़ियों या माल भेजने वालों द्वारा संदेय कर भी संम्मिलित होगा।

## सार-संक्षेप

1. *राज्य सरकार द्वारा यात्रियों पर अधिरोपित कर*
2. *लाइसेन्स*
3. *स्थानीय संशोधन*
4. *Note*

**1. राज्य सरकार द्वारा यात्रियों पर अधिरोपित कर**—यदि राज्य द्वारा धारा 43 (1) (i) यात्रियों पर कर अधिरोपित किया जाये तो मंजिली गाड़ी के आपरेटर को उसकी वसूली करनी होती है, और वह धारा के उपबन्धों का अतिलंघन (Infringement) नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार का कर न तो अतिरिक्त किराया है और न ही वह भाड़ा है।[1]

ए० आई० आर० 1962 मध्य प्रदेश 108 में यह धारण किया गया कि मध्य प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री कराधान अधिनियम की धारा 3 यात्रियों पर कर अधिरोपित करती है और मोटर गाड़ियों के अपरेटरों पर नहीं करती। अतः अधिनियम विधिमान्य है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19.23 तथा 234 का अतिलंघन नहीं करता। उसी मामले में यह भी धारण किया गया कि यात्री कराधान अधिनियम आपरेटरों के सम्बन्ध में मंजिली गाड़ियों की किराया सारणी के पुनरीक्षण पर ही प्रभावी होगा और तब तक कोई आपरेटर अधिनियम की धारा 16 के अधीन अभियोजित नहीं किया जायेगा।

**2. लाइसेन्स**—ए० आई० आर० 1945 कलकत्ता 260 में यह नोट किया गया कि लाइसेन्स शुल्क का नियत किया जाना उपधारा (1) के खण्ड (iii) में सम्मिलित नहीं है। वह राज्य सरकार की अधिकारिता में नहीं बल्कि राज्य परिवहन प्राधिकारी की अधिकारिता में आता है।

---

1. ए०आई०आर० 1963 मैसूर 49।

अधिकरण की विवेकीय अधिकारिता को नियन्त्रित करने के लिए कार्यपालिका अनुदेश जारी नही किये जा सकते।[1]

**3. स्थानीय संशोधन**—उत्तर प्रदेश में नियम 1 तथा 2 उ० प्र० अधिनियम संख्या 25 सन् 1972 द्वारा जोड़े गये और पैरा 2 तथा 6 अधिनियम संख्या 152 सन् 1976 द्वारा जोडे गये।

1978 एस० सी० खंड (1), *शरीफ अहमद* बनाम *उ० प्र० राज्य,* में यह धारण किया गया कि मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 43-क और धारा 47 (3) उ०प्र० अधिनियम संख्या 24 सन् 1972 तथा अधिनियम संख्या 15 सन् 1976 द्वारा संशोधित की गई। अपीलीय अधिकरण का आदेश निष्पादित किया जाना (Carry out) है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लिपिकीय कार्य मात्र करने के लिए है। विधि में परिवर्तन उसको आदेश का पालन करने से नहीं रोकता है।

4. **Note**—An act further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows—

**Prefatory Note--Statement of Objects and Reasons**—The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is a Central legislation through which the road transport is regulated in the country. By the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994, *inter alia*, amendments were made to make special provisions under Sections 66 and 67 so as to provide that vehicles operating on eco-friendly fuels shall be exempted from the requirements of permits and also the owners of such vehicles shall have the discretion to fix fares and freights for carriage of passengers and goods. The intention in bringing the said amendments was to encourage the operation of vehicles with such eco-friendly fuels.

2. However, it has been observed that during the last several years, not only the supply of eco-friendly fuels like CNG has increased tremendously, a large number of vehicles have come on the road which in terms of Sections 66 and 67, as amended by the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994, are operating without any requirement of permits and are, therefore, not subject to any control of the State Governments. The number of such vehicles is likely to further increase substantially.

3. The aforesaid situation is likely to lead to indiscipline on the roads and consequent increase in the road accidents. It is, therefore, considered essential to remove exemption provided under Sections 66 and 67 of the said Act to CNG operated vehicles so that vehicles which operate on eco-friendly fuels are also covered by the terms and conditions applicable to all other vehicles.

The proposed amendments are essential in the overall interest of securing road safety and maintaining a clean environment.

5. The Bill seeks to achieve the above object.

## टिप्पणी

खण्डपीठ द्वारा धृत किया गया कि डी.टी.सी. द्वारा मोटरगाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन में किराये की वसूली उचित नहीं थी तथा प्रत्यर्थी अधिसूचना दि० 17–5–2002 के अनुसार किराया लेने के लिये बाध्य थे न कि उसके उल्लंघन में। अन्य प्रत्यर्थी विधिक कर्त्तव्य के अन्तर्गत थे कि वे उसका पालन अवश्य करें। [*आत्मा प्रकाश गोयल* बनाम *राज्य यातायात प्राधिकारी,* ए० आई० आर० 2003 दिल्ली 69]

---

1. ए०आई०आर० 1978 उच्च न्यायालय 423।

**68. परिवहन प्राधिकरण**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण, गठित करेगी जो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी और इसी प्रकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी जो प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सम्बन्ध में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में (जिन्हें इस अध्याय में प्रदेश कहा गया है) सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो ऐसे प्राधिकरणों को इस अध्याय द्वारा या अधीन प्रदत्त किये गये है :

परन्तु संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गठित नहीं करेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे एक अध्यक्ष से, जिसे न्यायिक अनुभव या किसी विधि के अधीन अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त है या न्याय निर्णय प्राधिकरण के रूप में कोई आदेश पारित करने में या विनिश्चय करने में सक्षम है तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में चार से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से (चाहे वे शासकीय हों) या न हों तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की दशा में दो से अनधिक ऐसे व्यक्तियों से (चाहे वे शासकीय हों या न हों) जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे मिलकर बनेगा। किन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित चाहे स्वत्वधारी, कर्मचारी के रूप में अन्यथा है, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जायेगा, न रहने दिया जायेगा, और यदि कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे प्राधिकरण का सदस्य है, किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित अर्जित कर लेता है तो वह ऐसा हित अर्जित कर लेने के चार सप्ताह के अन्दर ऐसे हित के अर्जन को लिखित सूचना राज्य सरकार को देगा तथा पद रिक्त कर देगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से, यथास्थिति, राज्य परिवहन या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्यों में से कोई ऐसे प्राधिकरण की बैठकों में उस दौरान जब अध्यक्ष अनुपस्थित है सभाप्रतित्व करने से इस बात के होते हुए भी निभारित न होगी कि ऐसे सदस्य को न्यायिक अनुभव या किसी विधि के अधीन, अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त नहीं है या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कोई आदेश पारित करने या विनिश्चय करने में सक्षम नहीं है :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार—

(i) जहाँ वह आवश्यक या समीचीन समझती है वहाँ किसी प्रदेश के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे गठित कर सकेगी कि उसमें केवल एक सदस्य हो जिसे न्यायिक अनुभव प्राप्त है या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कोई आदेश पारित करने या विनिश्चय करने में सक्षम है;

(ii) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में ऐसे प्राधिकरण का कारबार किया जा सके तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन, और वह रीति, जिससे वह कारबार किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

परन्तु यह भी कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि (परिवहन उपक्रम के प्रबन्ध या चलाने से प्रत्यक्षतः संबंधित शासकीय व्यक्ति से भिन्न) कोई शासकीय व्यक्ति किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या बने रहने से केवल इस बात के कारण विवर्जित होगा कि वह शासकीय व्यक्ति जिस सरकार के नियोजन में है उस सरकार का कोई वित्तीय हित उस परिवहन उपक्रम में है या उस सरकार ने कोई वित्तीय हित परिवहन उपक्रम में अर्जित कर लिया है।

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 67 के अधीन निकाले गये किन्हीं निदेशों को प्रभावी करेगा तथा ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये और इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर राज्य में सर्वत्र निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्—

(क) यदि राज्य का कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है तो उसके क्रियाकलापों और नीतियों का समन्वयन और विनियमन;

(ख) जहाँ ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है वहाँ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के कर्त्तव्यों का पालन और यदि वह ठीक समझता है या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की जाती है तो दो या अधिक प्रदेशों के किसी सामान्य मार्ग की बाबत उन कर्त्तव्यों का पालन;

(ग) उन सब विवादों का निपटारा और उन सब विषयों का विनिश्चय जिन पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के बीच मतभेद पैदा हो; और

[1][(ग-क) राजकीय वाहकों के लिए सरकार मार्ग सुनिश्चित करेगी;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन जो विहित किये जाएँ।

(4) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएँ, किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को निदेश दे सकेगा तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसे निदेशों को प्रभावी करेगा और उनमें मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

(5) यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को धारा 96 के अधीन बनाये गये नियमो द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है तो वह अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति को तथा ऐसे निबन्धनों, परिसीमाओं और शर्तों पर, जो उक्त नियमों में विहित की जाए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—44 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## सार-संक्षेप

1. *विस्तार क्षेत्र*
2. *प्रादेशिक परिवहन अधिकारी धारा 47 (2) के अधीन प्रादे० परि० प्रा० का सदस्य हो सकेगा।*
3. *राज्य परिवहन प्राधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी पर उसकी अधिकारिता*
4. *प्रादे० परि० प्राधिकारियों का समावर्ती अधिकारिता*

**1. विस्तार क्षेत्र.**—धारा के विश्लेषणात्मक से यह स्पष्ट है कि राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा० परि० प्रा०) तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (प्रादे० परि० प्रा०) दोनों ही द्वारा उन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, अर्थात् (1) दोनों का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। (2) गठन की अधिसूचना गजट में की जानी चाहिये।[2] रा० परि० प्रादे० तथा प्रा० परि० रा० द्वारा इस प्रकार प्रयुक्त शक्ति धारा 44 (1) द्वारा प्रदत्त की गई है, जो कार्यपालिका शक्ति (Executive power) नहीं है, बल्कि विधान मण्डल द्वारा प्रदत्त की गयी शक्ति है।[3] प्राधिकार के किसी पश्चात्वर्ती प्रत्यायोजन का कोई भूतलक्षी प्रभाव किसी

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
2. ए० आई०आर० 1961 असम 56।
3. ए० आई०आर० 1960 केरल 222।

पूर्वगामी अधिप्रमाणन (Earlier authentication) पर नहीं होगा, न ही उसके कारण कोई आदेश विधिमान्य हो जायेगा।[1]

अतः इस धारा की उपधारा (2) के अधीन, रा० परि० प्रा० परि० प्रा० कम से कम दो सदस्यों का होगा, अन्यथा वह अधिकारिता का अनुचित प्रयोग होगा।[2]

इसलिए, अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर कम से कम तीन सदस्य होंगे। लेकिन, सरकार, यदि आवश्यकतानुसार उचित विचार करे, तो अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्यों को भी नियुक्ति कर सकती है।

धारा 44(2) सदस्यों की कम से कम ऐसी संख्या निर्धारित करती है जो दोनों ही प्राधिकारियों के लिये गणपूर्ति (Quoaum) होगी।[3]

**2. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी धारा 47 (2) के अधीन प्रादे० परि० प्रा० का सदस्य हो सकेगा.**—धारा 47 (2) के अधीन प्रा० परि० अधि० प्रा० परि० प्रा० का सदस्य हो सकेगा।[4] धारा 44 (2) का दूसरा परन्तुक राज्य सरकार को इसके लिए सशक्त करता है कि यदि वह उचित विचार करे तो प्रादे० परि० प्रा० का गठन केवल एक ऐसे अधिकारी से कर सकती है जिसकी न्यायिक अनुभव प्राप्त हो। मध्य प्रदेश में भी विधि की स्थिति ऐसी ही है।

**3. राज्य परिवहन प्राधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी पर उसकी अधिकारिता.**—दो उपधाराएँ (3) तथा (4) रा० परि० प्रा० को प्रत्येक एवं समस्त प्रादे० परि० प्राधिकारी पर नियन्त्रण रखने की अधिकारिता प्रदान करती है। रा० परि० प्रा० न केवल उस परिस्थिति में निदेश जारी कर सकता है जबकि एक से अधिक प्रादे० परि० प्राधिकरणों के बीच कार्यकलापों में विषय के संघर्ष हो, बल्कि वह उस समय भी निर्देश जारी कर सकता है जबकि ऐसा कोई संघर्ष भी न हो।[5] पूर्वोक्त मामले में यह भी धारणा किया गया कि प्रादे० परि० प्रा० एक अधीनस्थ प्राधिकारी है, जो रा० परि० प्रा० द्वारा जारी किये गये निदेशों द्वार आबद्ध होता है और रा० परि० प्रा० प्रत्येक प्रादे० परि० प्रा० को रा० परि० प्रा० द्वारा निर्दिष्ट रीति से कार्य करने के लिए विनियमित करने के लिये सशक्त होता है। ऐसे निदेश प्रादे० परि० प्राधिकारियों को केवल न्यायिकेतर (Non-judicial) या प्रासनिक मामलों में ही दिये जा सकते है, न कि न्यायिककल्प (Quasi judicial) मामलों में।[6]

**4. प्रादे० परि० प्राधिकारियों का समावर्ती अधिकारिता.**—यदि ऐसे मार्गों के लिये लाइसेन्स जारी की जानी है जो दो या उससे अधिक प्रदेशों से गुजरते हों तो यह लोक हित में होगा तथा आवेदक के लिये भी उचित होगा कि सभी आवेदनों की सुनवाई तथा उनका निस्तारण एक ही प्राधिकारी द्वारा एक ही स्थान पर निकाय जाय। एक प्रादे० परि० प्रा० से दूसरे की अन्तरित किये जाने का कोई उपबन्ध नहीं है।[7]

रा० परि० प्रा० के लिये तो यह और भी अच्छा होगा कि वह लम्बित रहने वाले समस्त आवेदन पत्रों को अपने पास अन्तरित करा ले, जिससे कि समस्त आवेदन पत्र पर सुनवाई एक ही स्थान पर हो सके।[8] प्रादे० परि० प्रा० ऐसे मार्ग के लिये लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है, जिसके दोनों सीमायें उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो।[9]

1. ए० आई०आर० 1961 असम 56।
2. ए०आई०आर० 1964 आन्ध्र प्रदेश 36 (पूर्ण न्यायपीठ) : ए० आई० आर० 1967 आन्ध्र प्रदेश 14 (खण्डपीठ)।
3. ए०आई०आर० 1971 आन्ध्र प्रदेश 192।
4. ए०आई०आर० 1979 इला० 197।
5. ए०आई०आर० 1962 बम्बई 124।
6. ए०आई०आर० 1969 मैसूर 242 (248)।
7. ए०आई०आर० 1974 उड़ीसा 576 : ए०आई०आर० 1969 मध्य प्रदेश 92।
8. ए०आई०आर० 1959 म०प्र० 92।
9. ए०आई०आर० 1971 उड़ीसा 63।

रा० परि० प्रा० का यह निदेश कि लाइसेन्स के लिये आवेदनपत्र उस प्रादे० परि० प्रा० को दिया जाय जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत मार्ग की सबसे लम्बा भाग पड़ता हो, धारा 45 के विरुद्ध है और निदेश विधिमान्य नहीं है।[1] यह निदेश कि कोई नया मार्ग न खोला जाय, एक न्यायिक-कल्प मामले के विषय में निदेश है, (नये मार्ग के लिये लाइसेन्स का आवेदन पत्र धारा 57 के अधीन दिया जाता है), क्योंकि उस पर उसके गुणावगुण के आधार पर न्यायिक रूप से विचार करना होता है। उसके विपरीत निदेश की अनवेक्षा करनी होगी।[2] यदि अन्तर्राज्यीय तथा अन्तरप्रादेशीय मार्ग के ही हों अर्थात् जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग कोई अन्तरप्रादेशीय मार्ग हो एक या दोनों राज्य में, वहाँ लाइसेन्स के सम्बन्ध में रा० परि० प्रा० द्वारा इस धारा की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही की जायेगी, जो अपनी शक्तियों के प्रयोग में उपधारा (4) के अधीन उपयुक्त निदेश जारी कर सकेगा।[3]

## टिप्पणी

धारा 68(2) द्वारा प्रतिपादित "वित्तीय हित" का अर्थ व्यक्तिगत वित्तीय हित से नहीं था इस अभिव्यक्ति का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया गया था। यह तथ्य कि यातायात व्यवसाय यातायात विभाग के बाजू (विंग) के रूप में चलाया जा रहा था इसे व्यवसाय नहीं बनाया। [*एम० एम० को०आप०टी० एस० लि०* बनाम *फाइनेन्सियल सी० ऐण्ड एस० टु० गवर्नमेन्ट, हरियाणा,* ए० आई० आर० 2002 एस० सी० 2513]

**69. परमिटों के लिए आवेदनों सम्बन्धी साधारण उपबन्ध.**—(1) परमिट के लिये प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को काम में लाने का विचार है:

परन्तु यदि ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो उसी राज्य के अन्दर हैं, उस यान या उन यानों का उपयोग करने का विचार है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें उस यान का उन यानों की रखने का विचार है:

परन्तु यह और कि यदि ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो विभिन्न राज्यों में पड़ते हैं यान या यानों का उपयोग करने का विचार है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या उसके कारबार का मुख्य स्थान है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे यान या यानों की दशा में जिनका उपयोग विभिन्न राज्यों में आने वाले दो या अधिक प्रदेशों में करने का विचार है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उस उपधारा के अधीन आवेदन उस प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान है।

**तुलनात्मक धारा**—45 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**70. मंजिली गाड़ी परमिट के लिये आवेदन.**—(1) मंजिली-गाड़ी या मंजिली गाड़ी की बाबत परमिट के लिए (जिसे इस अध्याय में मंजिली-गाड़ी परमिट, कहा गया है) आवेदन में यथाशक्य निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जायेंगी, अर्थात्—

(क) वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र जिससे या जिनसे वह आवेदन सम्बन्धित है;

---

1. ए०आई०आर० 1951 उड़ीसा 81।
2. ए०आई०आर० 1967 राज० 114; ए० आई० आर० 1966 राज० 127 (पूर्ण न्यायपीठ) रा० परि० प्रा० द्वारा प्रादे० परि० प्रा० को किराये के सम्बन्ध में निदेश जारी किये जा सकते हैं। ए० आई० आर० 1962 बम्बई 124।
3. 1961 म० प्र० लॉ जर्नल (नोट्स) 140।

(ख) ऐसे प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह;

(ग) जितनी दैनिक ट्रिपों उपलब्ध कराने का विचार है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा सामान्य ट्रिपों की समय-सारणी।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा, धारा 72 धारा 80 और धारा 102 के प्रयोजनों के लिए "ट्रिपों" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की एकल यात्रा अभिप्रेत है, और प्रत्येक वापसी यात्रा को एक पृथक् ट्रिप समझा जाएगा;

(घ) उन यानों की संख्या जिनको सेवा बनाये रखने तथा विशेष अवसरों के लिये व्यवस्था करने के वास्ते रिजर्व में रखने का इरादा है;

(ङ) वे दन्तजाम जिन्हें यानों को आश्रय गृह में रखने, अनुरक्षण और उनकी मरम्मत के लिए तथा यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए तथा सामान के भंडारकरण तथा निरापद अभिरक्षा में रखनें, के लिए करने का इरादा है;

**तुलनात्मक धारा**—46 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जाएँ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो विहिप किये जाएँ।

**71. मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया.**—(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिली-गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा।

[1][*　*　*]

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिली-गाड़ी परमिट मंजूर करने से उस दशा में इन्कार करेगा जिसमें उसे दी गई समय-सारणी से यह प्रतीत होता है कि जिस गति से यान चलाए जा सकते है, उससे सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होने की सम्भावना है :

परन्तु ऐसा इन्कार करने से पूर्व उस आवेदक को इस बात का अवसर दिया जाएगा कि वह समय-सारणी को ऐसे संशोधित कर ले जिससे वह उक्त उपबन्धों के अनुकूल हो जाए।

(3) (क) राज्य सरकार यदि, केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार निर्दिष्ट की जाए तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निदेश देगी कि वह पाँच लाख में अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचलित होने वाली साधारणतया मंजिली-गाड़ी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली गाड़ी की संस्था को जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे।

(ख) जहाँ मंजिली-गाड़ियों की संख्या खण्ड (क) के अधीन नियत की जाती है, वहाँ राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए मंजिली गाड़ी परमिटों का कुछ प्रतिशत राज्य में उसी अनुपात में, जैसा राज्य में लोक सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों के मामले में है, आरक्षित रखेगी।

(ग) जहाँ मंजिली गाड़ियों की संख्या खण्ड (क) के अधीन नियत की जाती है, वहाँ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए परमिटों

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।

की ऐसी संख्या, जो उपखण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए, आरक्षित करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—47 (1-A) और (1-B) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(घ) परमिटों की ऐसी संख्या, जो उपखण्ड (ग) में निर्दिष्ट है, आरक्षित करने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, किसी आवेदन पर विचार करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्—

(i) आवेदक की वित्तीय स्थिति;

(ii) मंजिली-गाड़ी प्रचालक के रूप में समाधान प्रद कार्य जिसके अन्तर्गत कर का संदाय भी है;

(iii) ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएँ;

परन्तु अन्य शर्तों के समान रहने पर परमिट अधिमान के लिए निम्नलिखित से प्राप्त आवेदनों को अधिमान दिया जाएगा—

(i) राज्य परिवहन उपक्रम;

(ii) सहकारी सोसाइटियाँ जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत है [1](या) रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई है;

(iii) भूतपूर्व सैनिक; (या)[2]

[3][(iv) कोई अन्य व्यक्तियों का वर्ग प्रवर्ग जिसे राजय सरकार अपने लिखित कारणें से उचित समझे।

[4][* * *]

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है, और "निदेशक" से फर्म के सम्बन्ध में फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

## टिप्पणी

जहाँ नगर या कस्बों की सेवाओं को नियमावली में संशोधन लाकर परिभाषित कर दिया तो आर०टी०ए० ऐसी सेवाओं को परिभाषित नहीं कर सकता। [*के०पी० अजीथ कुमार* बनाम *क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, कोइनीकोड,* ए०आई०आर० 2002 केरल 178]

धारा 71(3) राज्य को विशेष रूप से प्राधिकृत करती है कि राज्य यातायात व्यवसाय के लिये परमिट को सुरक्षित करे यद्यपि धारा 71(3)(घ) के अन्तर्गत प्राथमिकता उपबन्धित है जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब राज्य यातायात व्यवसाय परमिट के लिये पहल करे तथा उस खण्ड में दी गयी शर्तें समान हों। [*के०पी० अजीथ कुमार* बनाम *क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, कोइनीकोड,* ए०आई०आर० 2002 केरल 178]

"लाटरी प्रक्रिया" के जरिये स्टेज कैरेज परमिट के प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाना अवैध व अधिनियम की योजना के विपरीत है क्योंकि इसका परिणाम अपकारक होता है। [*रजनी बालादास* बनाम *क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, कटक,* ए०आई०आर० 2003 उड़ीसा 28]

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।

राज्य यातायात प्राधिकारी द्वारा ऐसे सन्नियम व प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये जो प्रकाशित नही किये गये थे न किसी भी ढंग से जनता के ज्ञान में लाये गये थे लिया गया निर्वाण समर्थन नहीं पा सकता क्योंकि उचित प्रकाशन होने पर शायद बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति व अनुसूचित जाति सदस्य, भूतपूर्व कर्मचारी सदस्य या अल्पसंख्यक समुदाय सदस्य आ सकते थे। [*रीना मैटी* बनाम *पश्चिमी बंगाल राज्य,* ए०आई०आर० 2003 कल: 124]

**72. मंजिली-गाड़ी परमिटों का दिया जाना**—(1) धारा 71 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 70 के अधीन उसे आवेदन किये जाने पर उस आवेदन के अनुसार या ऐसे परिवर्तनों सहित, जो वह ठीक समझता है, मंजिली-गाड़ी परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इन्कार कर सकेगा;

परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

**तुलनात्मक धारा**—48 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि मंजिली-गाड़ी परमिट दिया जाए तो वह विनिर्दिष्ट वर्णन की मंजिली-गाड़ी के लिए परमिट मंजूर कर सकेगा, तथा ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाये जाए, परमिट पर निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या अधिक लगा सकेगा :—

(i) यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;

(ii) मंजिली-गाड़ी का प्रचलन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा ;

(iii) किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में साधारणतया या किन्हीं विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर उपलब्ध किये जाने वाले दैनिक ट्रिपों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या;

(iv) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मंजिली-गाड़ी की समय सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्गों पर या उस क्षेत्र के विनर्दिष्ट अड्डों और विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएँगी ;

(v) मंजिली-गाड़ी चलाने में अनुमोदित समय-सारणी से अन्तर उतने मार्जिन तक ही होगा जितना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ;

(vi) नगरपालिकाओं की सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अन्दर, जो विहित किए जाएँ, यात्री या माल विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा ;

(vii) यात्रियों की अधिकतम संख्या तथा सामान का अधिकतम वजन जिसे मंजिली गाड़ी में या तो साधारणतया अथवा विनिर्दिष्ट अवसरों पर अथवा विनिर्दिष्ट समयों पर और ऋतुओं में ले जाया जा सकेगा ;

(viii) यात्रियों के सामान का वह वजन और स्वरूप जो निःशुल्क ले जाया जाएगा, सामान का वह कुल वजन जिसे हर यात्री के लिए ले जाया जा सकेगा, तथा यात्रियों को असुविधा किए बिना सामान ले जाने के लिए किए जाने वाले इंतजाम;

(ix) यात्रियों के निःशुल्क ले जाने वाले सामान से अधिक ले जाए जा सकने वाले सामान के प्रभार की दर ;

(x) विनिर्दिष्ट किस्म के यान, जिनमें अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बाडी लगी होगी प्रयुक्त किए जाएँगें :

परन्तु परमिट पर इस शर्त के लगाए जाने से उस तारीख को चल रहे किसी यान का उपयोग अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के लिए बराबर किया जाना नहीं रुकेगा;

(xi) यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जाएँगे।

(xii) वे शर्तें जिन पर मंजिली-गाड़ी से यात्रियों के साथ-साथ या यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकेगा;

(xiii) अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार ही किराए लगाए जाएँगे;

(xiv) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उससे उद्धरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेष यात्री किराओं या यात्री किराया दरों की विशिष्टियाँ मंजिली-गाड़ी पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएँगी ;

(xv) यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टयों वाली टिकटें दी जाएँगी तथा उनमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;

(xvi) यान में ऐसी शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएँ, डाक ले जाई जाएगी (जिनके अन्तर्गत उन समय के बारे में जब डाक ले जाई जानी है तथा उस प्रभार के बारे में, जो उद्गृहीत किए जाने है, शर्तें भी है) ;

(xvii) परमिट के धारक द्वारा यान को चलाया जाना बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के लिए आरक्षण के रूप में रखे जाने वाले यान ;

(xviii) वे शर्त जिन पर ऐसे यान का, ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ;

(xix) यान को आश्रय गृह में रखने, उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएँगे ;

(xx) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट बस अड्डा या आश्रय स्थल का, जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाया रखा जाता है उपयोग किया जाएगा, और ऐसा उपयोग करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट भाटक या फीस दी जाएगी ;

(xxi) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ;

(xxii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्—

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट पर अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा ;

परन्तु खंड (i) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाएगा कि मूल मार्ग में जितनी दूरी आती है उसमें चौबीस किलोमीटर से अधिक का अन्तर पड़ जाए और इन सीमाओं के अन्दर कोई परिवर्तन केवल तभी किया जा सकेगा जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा परिवर्तन जनता को सुविधा के लिए साधक होगा तथा यह समीचीन नहीं है कि उस मूल मार्ग की बाबत जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है या उसके किसी भाग की बाबत पृथक् परमिट दिया जाए ;

(xxiii) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियत कालिक विवरणियाँ, आँकड़े तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करें;

(xxiv) कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—46 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जहाँ सरकार मिनी बस सेवा प्रारम्भ करने का नैनिक निर्णय लिया तथा मिनीबस के स्वामियों व प्रार्थियों को परमिट दिया किन्तु समय अनुसूची निर्धारित करने के लिये सामयिक सम्मेलन को लम्बे समय के लिये आत्यंतिकतः टाल दिया गया, अतः उच्च न्यायालय ने सरकारी नीति के नियत समय में लागू करने का निर्देश दिया क्योकि वह ग्रामीण जनता के लिये हितकारी थी। [*पी० मनोहरन* बनाम *क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, तिरुचिरापल्ली,* ए०आई०आर० 2002 एन०ओ०सी० 114]

जहाँ बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र लम्बित थे तो धृत किया गया कि हर माह बैठक करने में असफल क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी बिना किसी काम के बैठक (मीटिंग) को आगे भी स्थगित करना न्यायोचित नही था तथा लोकहित को पराजित करने वाला होगा। अतः प्राधिकारी को बैठक करना व विचारण के लिये अनुसूचित सभी मामलों को निपटाना चाहिये। [*अजेशवी कुमार* बनाम *क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, कोल्लाम,* ए०आई०आर० 2003 केरल 51]

**73. ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन.**—ठेका गाड़ी के परमिट के लिए (जिसे इस अध्याय में ठेका गाड़ी परमिट कहा गया है) आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी, अर्थात् :

(क) यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह;

(ख) वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट अपेक्षित है;

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—49 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**74. ठेका गाड़ी परमिटों का दिया जाना.**—(1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 73 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर उस आवेदन के अनुसार या ऐसे परिवर्तनों सहित, जो वह ठीक समझता है, ठेका गाड़ी परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

**तुलनात्मक धारा**—51 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) यदि प्रादेशिक पविहन प्राधिकरण यह विनिश्चिय करता है कि ठेका गाड़ी परमिट दिया जाए तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो अधिनियम के अधीन बनाए जाएँ, परमिट पर निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या अधिक शर्त लगा सकेगा, अर्थात्—

(i) यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही दिया जाएगा;

(ii) किसी विद्यमान संविदा के विस्तारण का परिवर्तन से भिन्न भाड़े की कोई भी संविदा विनिर्दिष्ट शर्तो के अनुसार ही की जा सकेगी, न कि अन्यथा;

(iii) यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन, जो यान में या तो साधारणतया या विनिर्दिष्ट अवसरों पर या विनिर्दिष्ट समयों और ऋतुओं में ले जाया जा सकेगा;

(iv) वे शर्तें जिन पर किसी ठेका गाड़ी में यात्रियों के साथ-साथ अथवा यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकेगा।

(v) मोटर कैबों की दशा में विनिर्दिष्ट किराए या विनिर्दिष्ट दरों पर किराए लिए जाएँगें और यात्री किराया सारणी की एक प्रति यान पर प्रदर्शित की जाएगी;

(vi) मोटर कैबों से भिन्न यानों की दशा में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अधिक न होने वाली दरों पर भाड़ा लिया जाएगा;

(vii) मोटर कैबों की दशा में यात्रियों के सामान का विनिर्दिष्ट वजन निःशुल्क ले आया जाएगा और यदि अधिक सामान के लिए कोई प्रभार है तो यह विनिर्दिष्ट दर पर होगा;

(viii) मोटर कैबों की दशा में, यदि एक टैक्सी-मीटर विहित किया गया तो, वह लगाया जाएगा और ठीक चालू हालत में बनाए रखा जाएगा;

(ix) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्-

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट पर अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा;

(x) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा;

(xi) यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जाएँगे;

(xii) असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों के सिवाय यान के चलाए जाने या यात्रियों के ले जाए जाने से इंकार नहीं किया जाएगा;

(xiii) कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा—**51 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

3-(क) राज्य सरकार, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाय तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निदेश देगी कि वह पाँच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचलित होने वाली साधारणतया मंजिली गाड़ी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली-गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे।

(ख) जहाँ खंड (क) के अधीन मंजिली गाड़ियों की संख्या नियत की जाती है वहाँ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, ऐसी मंजिली गाड़ी के परमिट की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने में, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :

(i) आवेदक की वित्तीय स्थिरता;

(ii) मंजिली गाड़ी प्रचालक के रूप में समाधानप्रद कार्य जिसके अन्तर्गत कर संदाय भी है, यदि आवेदक मंजिली गाड़ी सेवा का प्रचालक है या रहा है; और

(iii) ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए;

परन्तु अन्य शर्तें समान रहने पर परमिट के लिए अधिनियम, निम्नलिखित आवेदनों को दिया जाएगा—

(i) भारतीय पर्यटन विकास निगम;

(ii) राज्य पर्यटन विकास निगम;

(iii) राज्य पर्यटन विभाग;

(iv) राज्य परिवहन उपक्रम;

(v) सहकारी सोसाइटियाँ जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई है;

(vi) भूतपूर्व सैनिक।

**75. मोटर कैबों को किराये पर देने की स्कीम.**—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियो के जो अपने उपयोग के लिए कैब चलाने की वांछा रखते हैं, मोटर कैबों (अथवा मोटर साइकिल)[1] को किराये पर देने के कारबार को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए स्कीम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :

(क) स्कीम के अधीन आपरेटरों को अनूज्ञप्ति देना जिसके अन्तर्गत ऐसी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, उनका नवीकरण और प्रतिसंहरण हैं;

(ख) आवेदन का प्रारूप और अनुज्ञप्तियों का प्रारूप तथा उसमें दी जाने वाली विशिष्टियाँ;

(ग) ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;

(घ) वे प्राधिकारी जिनको आवेदन किया जायेगा;

(ङ) वह शर्त जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञप्तियाँ दी जाएँगी, नवीकरण की जाएंगी या प्रतिसंहत की जाएंगी;

(च) ऐसी अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीकरण से इंकार करने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें और ऐसी अनुज्ञप्तियों को प्रतिसंहत करने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन मोटर कैब किराए पर दिए जा सकेंगे;

(ज) अभिलेखों का रखा जाना और ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण;

(झ) कोई अन्य विषय, जो इस धार के प्रयोजनों को कर्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

## टिप्पणी

जहाँ हैदराबाद शहर में विशिष्ट व्यक्ति को तिपहिया का ट्रैक्ट कैरेज परमिट की स्वीकृति को निबन्धित करते हुए कांट्रैक्ट कैरेज परमिट स्वीकृत कर दिया गया तो धृत किया गया कि चूँकि लोकहित, यातायात संकुलन, वायु व आवाज प्रदूषण को देखते हुये निबंधन लागू किया गया था इसलिये वह अयुक्तियुक्त नहीं था। जहाँ निर्णय नीति निर्धारण के रूप में लिये गये हैं तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त के मामले बहुत कम आड़े आता है। [*ए०पी० मोटर वेहिकिल डीलर्स एसोसियेशन* बनाम *भारत सरकार,* ए०आई०आर० आन्ध्र प्रदेश 134]

कांट्रैक्ट कैरेज परमिट स्वीकार करते समय परमिट धारक पर यह शर्त लगाना कि यान (जीप) के विनिर्देश के अनुसार जीप के ऊपर (टाप पर) लगेज कैरियर नहीं रखेगा अवैध नहीं। [*टैक्सी विकास कार्य संस्था* बनाम *राजस्थान राज्य,* ए०आई०आर० 2002 राजस्थान 151]

**76. प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन.**—(1) कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उसको दिए गए आवेदन पर आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरण सहित जो वह ठीक समझे, प्राइवेट सेवा यान परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

परन्तु ऐसा परमिट आवेदन में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी क्षेत्र या मार्ग की बाबत नहीं दिया जाएगा।

(2) प्राइवेट सेवा यान के रूप में किसी मोटरयान का उपयोग करने के लिए परमिट के आवदेन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी, अर्थात् :

(क) यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता;

(ख) वह क्षेत्र या वह मार्ग या वे मार्ग जिनसे आवेदन सम्बन्धित है;

(ग) वह रीति जिसकी बाबत यह दावा किया जाता है कि आवेदन द्वारा भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए अथवा किए जा रहे व्यापार या कारबार से भिन्न व्यक्तियों को ले जाने का प्रयोजन यान द्वारा पूरा किया जाएगा; और

(घ) कोई अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—52 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण देने का विनिश्चय करता है तो वह किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परमिट पर निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक या अधिक को लगा सकेगा अर्थात् :—

(i) यान का किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही उपयोग किया जाए;

(ii) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जो वहन किया जा सकेगा;

(iii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् :—

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट पर अतिरिक्त शर्त लगा सकेगा;

(iv) परमिट की शर्तो का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना विचतलन नहीं किया जाएगा;

(v) सुख-सुविधाओं और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर यान में बनाए रखे जाएँगें;

(vi) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियत कालिक विवरणियाँ, आँकड़े और अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; और

(vii) ऐसी अन्य शर्तें जो विहित की जाएँ।

**77. मालगाड़ी परमिट के लिए आवेदन.**—भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए, मालगाड़ी के लिए या आवेदक द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारबार के लिए या उसके सम्बन्ध में मालगाड़ी के लिए मोटरयान का उपयोग करने के लिए परमिट के आवेदन में (जिसे इस अध्याय में मालगाड़ी परमिट कहा गया है) जहाँ तक हो सके, निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएँगी, अर्थात् :

(क) वह क्षेत्र या मार्ग या वे मार्ग जिनसे आवेदन सम्बन्धित हैं :

(ख) यान का प्रकार और क्षमता;

(ग) उस माल की प्रकृति जिसे ढोया जाना है;

(घ) यानों को आश्रय गृह में रखने, अनुरक्षण और मरम्मत किये जाने वाले और माल भंडारण और निरापद अभिरक्षा के लिए आशयित इन्तजाम ;

(ङ) ऐसी विशिष्टियाँ जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन करने के पूर्व किसी समय भाड़े या पारिश्रमिक पर ले जाए जाने वाले माल के वाहक के रूप में किसी कारबार और आवेदक द्वारा प्रभारित दरों की बाबत अपेक्षा करें;

(च) भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए माल का परिवहन करने के लिए जिन सुविधाओं का प्रदान किया जाना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के प्रदेश के अन्दर है उन पर प्रभाव डालने वाले किसी ऐसे करार या ठहराव को विशिष्टियाँ जो आवेदक ने चाहे उस प्रदेश के अन्दर या उसके बाहर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से किया है जो ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है;

(छ) कोई अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—54 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**78. मालगाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना.**—(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, माल गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

(क) वहन किये जाने वाले माल की प्रकृति, विशेष रूप से उनका मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का होने के सन्दर्भ में;

(ख) वहन किये जाने रसायनों या विस्फोटकों की प्रकृति, विशेष रूप से मानव जीवन को सुरक्षा के सन्दर्भ में;

**तुलनात्मक धारा**—55 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**79. मालगाड़ी परमिट का दिया जाना.**—(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 77 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर सर्वत्र राज्य में विधिमान्य होने वाला या उस आवेदन के अनुसार अथवा ऐसे उपांतरणों सहित जो वह ठीक समझे मालगाड़ी परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई परमिट किसी ऐसे क्षेत्र या मार्ग के लिए नही दिया जाएगा, जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।

**तुलनात्मक धारा**—56 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि मालगाड़ी परमिट दिया जाए तो, वह परमिट दे सकेगा तथा ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बानए जाएँ, परमिट पर निम्नलिखित शर्तों में से एक या अधिक लगा सकेगा, अर्थात् :

(i) यान का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;

(ii) उपयोग में लाए गए किसी यान का सकल यान वजन विनिर्दिष्ट अधिकतम वजन से अधिक न होगा;

(iii) विनिर्दिष्ट स्वरूप के माल का वहन नहीं किया जाएगा;

(iv) माल का वहन विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा;

(v) यानों को आश्रय गृह में रखने, उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा वहन किए गए माल के भण्डारण और निरापद अभिरक्षा के लिए विनिर्दिष्ट इन्तजाम किए जाएँगे;

(vi) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियतकालिक विवरणियाँ, आँकड़े तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे;

(vii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्—

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट पर अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा;

(viii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(ix) कोई अन्य शर्तें, जो विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—56 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों में मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल का पैकेज बनाने और वहन करने से सम्बन्धित शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी।

**80. परमिटों के लिए आयोजन करने और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया.**—(1) किसी भी प्रकार के परमिट के लिए आवेदन किसी भी समय किया जा सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—57 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) [* * *][1] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी या धारा 66 की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अन्य निर्धारित प्राधिकारी साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किये गये आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगा;

परन्तु [2][क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी या धारा 66 की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अन्य निर्धारित प्राधिकारी संक्षिप्ततः आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के मंजूर किये जाने का प्रभाव धारा 71 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा 74 की उपधारा (3) खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करना है:

**तुलनात्मक धारा**—57 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

परन्तु यह और कि जहाँ [3][* * *] प्राधिकारी या धारा 66 की उपधारा (1) में उल्लेखित कोई अन्य निर्धारित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहाँ वह आवेदक को उसके नामंजूर किये जाने के कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय पर उसे सुने जाने का अवसर देगा।

(3) अस्थायी परमिट से भिन्न किसी परमिट की शर्तों में परिवर्तन करने वाले आवेदन को, चाहे वह कोई नया मार्ग या वे मार्ग या कोई नया क्षेत्र सम्मिलित करके हो या उसके अन्तर्गत आने वाले मार्ग या मार्गों या क्षेत्र में परिवर्तन, विस्तार या कटौती करके हो, नया परमिट दिये जाने का आवेदन माना जाएगा :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त/ प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु मंजिली गाड़ी परमिट के ऐसे धारक द्वारा जो किसी मार्ग पर केवल वहन सेवा उपलब्ध कराता है यानों की संख्या में कोई वृद्धि किये बिना इस प्रकार उपलब्ध कराई गई वहन सेवा की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए किये गये आवेदन को ऐसा माना जाना आवश्यक नहीं होगा।

**तुलनात्मक धारा**—57 (8) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**परन्तु यह और कि**—(i) परिवर्तन की दशा मं, टर्मिनल्स में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परिवर्तन के अन्तर्गत आने वाली दूरी चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी;

(ii) विस्तारण की दशा में, विस्तारण के अन्तर्गत आने वाली दूरी टर्मिनल्स से चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

और ऐसी सीमाओं के भीतर कोई ऐसा परिवर्तन या विस्तारण परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसे परिवर्तन से जनता को सुविधाओं की पूर्ति होगी और इस प्राकर परिवर्तित या विस्तारित मूल मार्ग या उसके किसी भाग की बाबत अलग परमिट देना समीचीन नहीं है।

(4) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उस तारीख से पूर्व, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी परमिट के स्थान पर, जो उसके द्वारा उक्त तारीख से पहले दिया गया था, यथास्थिति, धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 से उपबन्धों के अनुरूप एक नया परमिट देगा तथा नया परमिट उस मार्ग या उन मार्गों अथवा उस क्षेत्र के लिए विधिमान्य होगा जिसके या जिनके लिए प्रतिस्थापित परमिट विधिमान्य था :

परन्तु परमिट के धारक की लिखित सहमति के बिना, नये परमिट पर कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जाएगी जो प्रतिस्थापित परमिट पर पहले से लगी हुई शर्त से या उस परमिट के दिये जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन उस पर लगाई जा सकने वाली शर्त से भिन्न है।

**तुलनात्मक धारा**—57 (9) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) धारा 81 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन दिया गया परमिट नवीकरण के बिना ही उस अवधि के शेष भाग के लिए प्रभावी होगा जिसके दौरान प्रतिस्थापित परमिट उस प्रकार प्रभावी रहता।

**तुलनात्मक धारा**—57 (10) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 80 के अन्र्तगत राज्य परमिट प्रदान करने का विरोध करने की शक्ति विद्यमान आपरेटरों के नहीं है। ऐसे आपरेटरों को अपील में भी सुनवाई का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।[1]

परमिट की शर्तों में परिवर्तन द्वारा उसी परमिट पर अधिक यानों के चालन को धारा 80(3) प्रतिपादित नहीं करती है। इसलिये प्रतिहस्ताक्षरित करने वाला प्राधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करने से या परमिट स्वीकृति की शर्तों में संशोधन करने से मना करने में पूर्णतया सक्षम है। [*केरल राज्य* बनाम *पालक्षा,* 2003(1) ए०सी०सी० केरल 105]

1. *प्रभात भूषण एण्ड अजय कुमार* बनाम *स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल एण्ड अदर्स,* 2000 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 2603।

जहाँ यह नहीं दिया गया कि राज्य यातायात व्यवसाय किसी विशेष मार्ग का प्रयोग करेगा तो वहाँ धारा 80(2) न कि धारा 99 लागू होगा। मिनीबस चालक कोपरमिट देना मार्ग पर मिनी बस चालकों के परस्पर विरोधों के चलते अस्वीकृत नहीं कर सकता। [*सूभाष चन्दर* बनाम *राज्य यातायात अपीलीय प्राधिकरण,* ए०आई०आर० 2002 एस०सी० 1562]

**81. परमिटों की अस्तित्वावधि और उनका नवीकरण.**—(1) धारा 87 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन दिये गये विशेष परमिट से भिन्न परमिट (स्वीकृत या नवीनीकरण की तिथि से)[1] पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगा :

**तुलनात्मक धारा**—58 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

परन्तु जहाँ परमिट धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित है, वहाँ ऐसा प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण के बिना ऐसी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जिससे कि प्राथमिक परमिट की विधिमान्यता के सामयिक हो सके।

(2) परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—58 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन को उस धारा में विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख के पश्चात् उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधन हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के अन्दर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया है।

**तुलनात्मक धारा**—58 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर परमिट के नवीकरण के आवेदन को नामंजूर कर सकता है, अर्थात् :

(क) आवेदक की वित्तीय दशा, जो आवेदन पर विचार किये जाने की तारीख से पूर्व दिवाले या तीस दिन की अवधि तक असंतुष्ट रह गई ऋणों के संदाय की डिक्रियों से साक्ष्मित है;

(ख) आवेदन पर विचार किये जाने की तारीख के पूर्व पन्द्रह दिन से गणना करने पर बारह मास के भीतर आवेदक द्वारा चलाई जा रही मंजिली गाड़ी सेवा के परिणामस्वरूप किये गये निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए दो या अधिक बार दंडित किया जाना है, अर्थात् :

(i) (1) ऐसे यान पर देय कर संदाय किये बिना कोई वाहन चलाना;

(2) ऐसे कर के संदाय के लिए अनुज्ञप्ति अनुकंपा अवधि के दौरान कर का संदाय किये बिना कोई वाहन चलाना और तत्पश्चात् ऐसे यान को चलाना बन्द कर देना;

(3) किन्हीं अप्राधिकृत मार्गों पर कोई वाहन चलाना;

(ii) अप्राधिकृत ट्रिप मारना :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए दंडादेशों की संख्या की गणना करने में, ऐसे दंडादेशों को जिन्हें अपील प्राधिकारी के आदेश से रोक दिया गया हो, हिसाब में नहीं लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन तब नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक परमिट के धारक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(5) जहाँ किसी परमिट की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन उसका नवीकरण किया गया है वहाँ ऐसा नवीकरण ऐसी समाप्ति की तारीख से प्राभावी होगा चाहे धारा 87 के खंड (घ) के अधीन अस्थायी परमिट दिया गया हो या न दिया गया हो तथा जहाँ अस्थायी परमिट दिया गया हो वहॉ उसके सम्बन्ध में दी गई फीस वापस कर दी जाएगी।

**तुलनात्मक धारा**—58 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**82. परमिट का अन्तरण**.—(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी परमिट उस परिवहन प्राधिकरण की, जिसमें वह परमिट दिया था, अनुज्ञा के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अंतरणीय न होगा, तथा ऐसी अनुज्ञा के बिना उस व्यक्ति को, जिसे उस परमिट के अन्तर्गत या अन्तरित किया गया है, उस यान का उपयोग उस परमिट द्वारा प्राधिकृत रीति से करने के लिए कोई अधिकार प्रदान न करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—59 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) जहाँ किसी परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, वहाँ परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति परमिट का उपयोग तीन मास की अवधि के लिए करेगा मानों वह उसे दिया गया हो :

परन्तु वह तब जब कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीन दिन के अन्दर उस परिवहन प्राधिकरण के जिससे परमिट दिया था, धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दी हो :

परन्तु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसको वह मृत धारक के पास हो, नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता।

(3) परिवहन प्राधिकरण, उसको किये गये आवेदन पर परमिट के धारकों की मुत्यु के तीन मास के अन्दर परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति को परमिट का अन्तरण कर सकेगा।

परन्तु परिवहन प्राधिकरण तीन मास की अवधि के अवान के पश्चात् किये गये आवेदन को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

**83. यानों का बदला जाना**.—परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अन्तर्गत आने वाले किसी यान को उसी प्रकार के किसी अन्य यान से बदल सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—59 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**84. सभी परमिटों पर साधारण शर्तो का होना**- प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी :

(क) परमिट से सम्बन्धित यान के पास धारा 56 के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने की विधिमान्य प्रमाणमय है और सर्वदा ऐसी हालत में बनाए रखा जाता है

जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों को अपेक्षाओं की पूर्ति होती है;

(ख) परमिट से सम्बन्धित यान को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता;

(ग) धारा 67 के अधीन की गई अधिसूचना द्वारा लगाए गए किसी प्रतिषेध या निर्बंधन का तथा नियत किए गए किसी किराए या माल-भाड़े का ऐसे यान के सम्बन्ध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट सम्बन्धित है;

(घ) परमिट से सम्बन्धित यान को धारा 5 धारा 113 के उपबन्धों का उल्लंघन करके नहीं चलाया जाता;

(ङ) इस अधिनियम के जो उपबन्ध ड्राइवरों के काम को परिसीमित करने के बारे में है, उनका ऐसे यान या यानों के सम्बन्ध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट सम्बन्धित है; और

(च) अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 के उपबंधों, जहाँ तक परमिट के धारक को लागू होते है, का अनुपालन किया जाता हैं

(छ) आपरेटर का नाम और पता परमिट से सम्बन्धित प्रत्येक यान की बाह्य बाडी पर उसके दोनों ओर यान के रंग से विषम चटकीले किसी रंग या किन्हीं रंगों से लिख जाएगा या उस यान पर अन्यथा दृढ़ता से चिपकाया जाएगा जो खिड़की सीमा के नीचे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर बड़े अक्षरों में होगा।

**तुलनात्मक धारा**—59 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**85. परमिटों का साधाराण प्रारूप.**—इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक परमिट, अपने आप में पूर्ण होगा और उसमें परमिट की सब आवश्यक विशिष्टियाँ होंगी और उस पर लगाई गई शर्तें दी हुई होंगी।

**तुलनात्मक धारा**—59 A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**86. परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन.**—(1) जिस परिवहन प्राधिकरण से परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, अर्थात् :

(क) धारा 84 में विनिर्दिष्ट किसी शर्त के या परमिट की किसी शर्त के भंग होने पर; या

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है; या

(ग) यदि परमिट का धारक उस यान का स्वामी नहीं रह जाता है जो परमिट के अन्तर्गत है; या

(घ) यदि परमिट के धारक ने परमिट को कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया है; या

(ङ) यदि माल गाड़ी परमिट का धारक, उचित कारण के बिना उस यान का उपयोग उस प्रयोजनों के लिए करने में असफल रहता है जिनक लिए परमिट दिया गया था;

(च) यदि परमिट का धारक किसी विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है;

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

**तुलनात्मक धारा**—60 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) परिवहन प्राधिकरण किसी ऐसे परमिट के सम्बन्ध में, जो ऐसे किसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसे धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन इस निमित्त शक्ति प्रत्याजित की गई है, उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा मानो उक्त परमिट स्वयं उस परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया परमिट हो।

**तुलनात्मक धारा**—68 (1-B) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) जहाँ परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलंबित करता है वहाँ वह की गई कार्यवाई के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप में देगा।

**तुलनात्मक धारा**—68 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया था वह (परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न) जिन शक्तियों का प्रयोग उपधारा (1) के अधीन कर सकता है उनका प्रयोग ऐसा कोई प्राधिकरण या व्यक्ति कर सकेगा जिसे ऐसी शक्तियाँ धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्योजित की गई हैं।

**तुलनात्मक धारा**—68 (2-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) जहाँ कोई परमिट उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) (ङ) के अधीन रद्द या निलंबित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहाँ उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे सहमति हुई है।

**तुलनात्मक धारा**—60 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(6) जहाँ धारा 89 के अधीन अपील की गई है वहाँ परिवहन प्राधिकरण उपधारा (5) के अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उनका अपील प्राधिकारी भी प्रयोग कर सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—60 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(7) धारा 88 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट परमिट के सम्बन्ध में, परमिट देने वाले परिवहन प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रयोक्तव्य (परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न) शक्तियाँ, किसी भी परिवहन प्राधिकरण और किसी प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा, जिनको इस निमित्त शक्ति धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्योजित की गई है, प्रयोग की जा सकेंगी मानो उक्त परमिट किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा दिया गया परमिट था।

## टिप्पणी

धारा 86(5) यातायात प्राधिकारी को परमिट धारकों के परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय कुछ धनराशि वसूले, यदि यह पाया जाये कि परमिट धारकों ने परमिट को धोखाधड़ी या मिथ्या व्यपदेशन से प्राप्त कर लिया है। [*राजेन्द्र शर्मा* बनाम *बिहार राज्य*, ए०आई०आर० 2001 पटना 92]

जहाँ परमिट का अन्तरण अनधिकृत था क्योकि याची–स्वामी उसी परमिट पर अपने वास्ते बस चलाने हेतु अखण्डनीय मुख्तारनामा जारी किया जो बाद में खण्डित कर दिया गया। उक्त मुख्तारनामा बहुत विस्तृत शब्दों मे था तथा लगभग सभी अधिकार देने वाला थ जो मुख्तार को औपचारिक स्वामित्व जैसा था। मुख्तार द्वारा समय–समय पर परमिट का पुर्ननवीकरण भी माँगा गया था। इस बात का साक्ष्य था कि मुख्तारनामें के खण्डनोपरान्त तथा परस्पर व्यवस्था पर एकमात्र स्वामित्व याची में निहित होगा। इसलिये परमिट के अन्तरण का तथ्य विवाद के घेरे में नही लाया जा सकता और परमिट का रद्द किया जाना उचित था। [*रतीराम* बनाम *दिल्ली की एन०सी०टी० की सरकार,* ए०आई०आर० दिल्ली 101]

**87. अस्थायी परमिट.**—(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राजय परिवहन प्राधिकरण धारा 80 से अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, ऐसे परमिट दे सकेगा जो ऐसी सीमित अवधि के लिए जो किसी भी दशा में चार मास से अधिक नहीं होगी, प्रभावी होंगे और जो अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेंगे, अर्थात् :

(क) यात्रियों को विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों में, ले जाने और वहाँ से लोने के लिए; या

(ख) मौसमी कारबार के प्रयोजनों के लिए; या

(ग) किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए; या

(घ) परमिट के नवीनीकरण के आवेदन पर विश्चिय लम्बित रहने तक के लिए, और ऐसे परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेगा जो वह ठीक समझता है :

परन्तु यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राद्यिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, माल गाड़ी की दशा में, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन और उनके लिए कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, चार मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परमिट दे सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—62 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के अधीन किसी माप या क्षेत्र की बाबत अस्थायी परमिट—

(i) उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र के लिए कोई परमिट किसी न्यायालय का अन्य सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के कारण, जिससे उसका दिया जाना रोक दिया गया है धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के अधीन नहीं दिया जा सकता, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी उससे अधिक न हो जिसके लिए परमिट का दिया जाना ऐसे रोक दिया गया है; या

(ii) उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र की बाबत किसी यान के परमिट को किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किए जाने के परिणामस्वरूप उसी वर्ग के किसी परिवहन यान के पास उसी मार्ग या क्षेत्र की बाबत विधिमान्य परमिट नहीं है, अथवा उस मार्ग या क्षेत्र के लिए ऐसे यानों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी ऐसे निलंबन की अवधि से अधिक न हो :

परन्तु उन परिवहन यानों की संख्या, जिनकी बाबत अस्थायी परमिट इस प्रकार दिए गए है, उन यानो की संख्या से अधिक न होगी जिनकी बाबत, यथास्थिति, परमिटों का दिया जाना रोक दिया गया है या परमिट निलंबित कर दिया गया है।

**तुलनात्मक धारा**—62 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

आर० टी० ए० सचिव के पास सिस्टर अथारिटी की पूर्वसहमति के बिना अन्तर जनपदीय मार्गपर चार माह के अस्थायी परमिट को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, इसलिये पूर्व सहमति के अभाव में अस्थायी परमिट के स्वीकार करने का आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं हेगा तथा बिना प्राधिकार के होगा। [*पी०के० शमसुद्दीन* बनाम *चेयर पर्सन,* आर०टी०ए०, पलखड, 2003(1) ए०सी०सी० 40 केरल]

सम्बन्धित प्राधिकारी से आशा है कि अस्थायी परमिट के लिये प्रार्थना पत्र विचार करते समय विधिक प्राविधानों को ध्यान रखेंगे। अस्थायी परमिट मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 के प्राविधानों से शासित होगा। यह धारा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी को अस्थायी परमिट स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करती है किन्तु यह अस्थायी परमिट स्वीकृत करने का उद्देश्य भी अधिकथित करती है। जो उक्त धारा के खण्ड (क) से (घ) में दिये गये हैं। [*एम०पी०एस० आर०टी०सी०* बनाम *छत्तीसगढ़ राज्य,* (2003)2 एम०पी० एच०डी० 42 (सी०जी)]

**88. जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उनसे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण.**—(1) जैसा कि अन्यथा विहित किया जाए उसके सिवाय, कोई परमिट जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिया है, किसी अन्य प्रदेश में तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह परमिट उस अन्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो और वह परमिट, जो किसी एक राज्य में दिया गया है, किसी अन्य राज्य में तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह उस अन्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो :

परन्तु माल यान परमिट, जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने उसी राज्य में किसी अन्य प्रदेश या प्रदशों में किसी क्षेत्र के लिए दिया है, उस अन्य प्रदेश या सम्बन्धित अन्य प्रदेशों में से हर एक के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के प्रति हस्ताक्षर के बिना उस क्षेत्र में विधिमान्य होगा :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी मार्ग के आरम्भ होने का स्थान और समाप्त होने का स्थान एक ही राज्य में स्थित है, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग किसी अन्य राज्य में पड़ता है और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक नहीं है वहाँ परमिट इस बात के होते हुए भी कि वह उस अन्य राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है मार्ग के उस भाग की बाबत, जो अन्य राज्य में पड़ता है, अन्य राज्य में विधिमान्य होगा :

परन्तु यह भी कि (क) जहाँ तक राज्य में दिए गए परमिट के अन्तर्गत आने वाले किसी मोटरयान का उपयोग किसी अन्य राज्य में रक्षा प्रयोजनों के लिए किया जाना है वहाँ वह यान ऐसे प्रारूप में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, जारी किया गया इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रदर्शित करेगा कि उस मोटरयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए केवल रक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :

(ख) ऐसा कोई परमिट उस अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि वह परमिट उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

**तुलनात्मक धारा**—63 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसा परमिट, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया या प्रतिहस्ताक्षरित है राज्य भर के लिए या राज्य में ऐसे प्रदेशों के लिए, जो परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, विधिमान्य होगा।

**तुलनात्मक धारा**—63 (1-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय परमिट पर कोई भी ऐसी शर्त लगा सकेगा जो वह उस दशा में लगा सकता था जब वह परमिट उसी ने दिया होता तथा इसी प्रकार ऐसी किसी शर्त से परिवर्तन कर सकेगा जो उस प्राधिकरण ने उस परमिट पर लगाई थी जिसने वह परमिट दिया था।

**तुलनात्मक धारा**—63 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) इस अध्याय के वे उपबंध, जो परमिटों के दिए जाने, वापस लिए जाने और निलंबन से सम्बन्धित हैं, परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाने, वापस दिये जाने और निलंबन के सम्बन्ध में लागू होंगे :

परन्तु जहाँ उपधारा (5) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् राज्यों के बीच हुए किस करार के परिणामस्वरूप यह अपेक्षित है कि किसी एक राज्य में दिए गए परमिट अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकरण या सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएँ वहाँ परमिटो को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए धारा 88 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा।

**तुलनात्मक धारा**—63 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) परमिटों की संख्या नियत करने के लिए राज्यों के बीच करार करने की प्रत्येक प्रस्थापना, जिसको प्रत्येक मार्ग या क्षेत्र की बाबत दिये जाने या प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने की प्रस्थापना है, प्रत्येक सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में और करार के अन्तर्गत प्रस्थापित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा में किसी एक या अधिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसके साथ उस तारीख की, जिसके पूर्व उनमें सम्बन्धित अभ्यावेदन किये जा सकेंगे, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से कम न होने वाली उस तारीख की, जिसको और उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा तथा उस समय और स्थान की सूचना भी होगी जहाँ प्रस्थापना और उनके सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—63 (3-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(6) राज्यों के बीच हुआ प्रत्येक करार, जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध परमिटों के प्रति हस्ताक्षरित किये जाने से हैं, सम्बन्धित राज्यों में से प्रत्येक द्वारा राजपत्र में और करार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा में किसी एक या अधिक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उस राज्य परिवहन तथा सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रभावी किया जाएगा :

**तुलनात्मक धारा**—63 (3-B) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(7) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, एक प्रदेश का प्रादेशिक-परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अधीन ऐसा अस्थायी परमिट जो अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान्य होगा, यथास्थित, उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण की साधारणतया दी गई या विशिष्ट अवसर के लिए दी गई सहमति से दे सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—64 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(8) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएँ किसी एक प्रदेश का, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 72 के अधीन और धारा 74 या इस धारा की उपधारा (9) के अधीन दिये गये परमिट के अन्तर्गत आने वाले यान (जिसके अन्तर्गत आरक्षित मंजिली भी है) के सम्बन्ध में विशेष परमिट, यात्रा या यात्रियों का भाड़े या पारिश्रमिक पर वहन ऐसा अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा के अधीन, मार्ग में ऐसे यात्रियों को जो उस संविदा में सम्मिलित नहीं है, चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रुके बिना उस पूरे यान का उपयोग करने के लिए दे सकेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में (सार्वजनिक वाहन सहित किसी अन्य अभिप्राप्त वाहन के लिए विशेष अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाये)[1] प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उस यान पर संप्रदर्शित किये जाने के लिए ऐसे प्रारूप में और रीति से, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, उस एक विशेष भिन्नता सूचक चिन्ह देगा तथा ऐसा विशेष परमिट, यथास्थिति, उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के या उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना उस अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान्य होगा।

**तुलनात्मक धारा**—63 (6) पुराना अधिनियम (i) 1939 :

(9) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा 14 के अधीन बनाए जाएं, कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण पर्यटन की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण भारत या ऐसे लगे राज्यों में जो कम से कम संख्या में तीन हों, जिसके अन्तर्गत वह राज्य भी है जिसमें परमिट दिया गया है पर्यटन यानों की बाबत विधिमान्य परमिट दे सकेगा जो आवेदन में उपदर्शित पसन्द के अनुसार ऐसे परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाएं और धारा 73, धारा 74, धारा 80, धारा 81, धारा 83, धारा 84, धारा 85, धारा 86 और (धारा 87 (1) (d) और धारा 89)[2] के सम्बन्ध ऐसे परमिटों के सम्बन्ध में यथाशक्य लागू होंगे;

**तुलनात्मक धारा**- 63 (7) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(10) [* * *][3]

(11) उपधारा (9) के अधीन दिए गए प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात् :

(i) प्रत्येक मोटरयान, जिसकी बाबत ऐसा परमिट दिया गया है, ऐसे वर्णन के अनुरूप होगा, बैठने के स्थान, आराम, सुख-सुविधाओं और अन्य बातों के स्तर विषयक ऐसी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ii) ऐसे प्रत्येक मोटरयान को वह व्यक्ति चलाएगा जिसके पास ऐसी अर्हताएँ हैं, जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे; और

(iii) ऐसे अन्य शर्तें जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—63 (10) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(12) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (14) के अधीन बनाएं जाएं समुचित प्राधिकारी अधिक दूरी के

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा संशोधित।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा संशोधित एवं परिवर्द्धित किया गया।
3. अधिनियम स० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।

अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए किसी राज्य में माल यानो की बाबत राष्ट्रीय परमिट दे सकेगा और धारा 69, धारा 77, धारा 80, धारा 81, धारा 82, धारा 83, धारा 84, धारा 85, धारा 86, और (धारा 87 उपधारा 1 (d) और धारा 89)[1] उपबन्ध राष्ट्रीय परमिटों के दिए जाने को या उसके सम्बन्ध में यथाशक्त लागू होंगे।

**तुलनात्मक धारा**—63 (11) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(13) [2][* * *]

**तुलनात्मक धारा**—63 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(14) (क) केन्द्रीय सरकार इस धार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(ख) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किसी के लिए उपलब्ध हो सकेगा, अर्थात्-

(i) उपधारा (11) और उपधारा (12) में निर्दिष्ट कोई परमिट दिए जाने के लिए दी जाने वाली प्राधिकरण फीस;

(ii) मोटरयान के लदान सहित वजन का नियत किया जाना;

(iii) मोटरयान में ले जाए जाने वाली या प्रदर्शित की जाने वाली सुभेदक विशिष्टियाँ या चिन्ह;

(iv) वह रंग या वे रंग जिनसे मोटरयान को रंगा जाना है;

(v) ऐसी अन्य बातों को जो समुचित प्राधिकारी राष्ट्रीय परमिट देने में विचार करे।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा में—समुचित प्राधिकारी—(क) किसी राष्ट्रीय परमिट के सम्बन्ध में 'समुचित प्राधिकारी' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन माल यान परमिट देने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) 'प्राधिकरण फीस' से अभिप्रेत है एक हजार रुपये से अनधिक की वार्षिक फीस जो किसी राज्य का समुचित प्राधिकारी उपधारा (9) और उपधारा (12) में विनिर्दिष्ट परमिट के अन्तर्गत आने वाले किसी मोटरयान या अन्य राज्यों में सम्बन्धित राज्यों द्वारा उद्‌गृहीत करों या फीसों; यदि कोई हों के संदाय के अधीन रहते हुए उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए प्रभारित कर सकेगा।

(ग) "राष्ट्रीय परमिट" से समुचित प्राधिकारी द्वारा माल यानों को दिया गया ऐसा परमिट अभिप्रेत है, जो उसे भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में अथवा जिस राज्य में वह परमिट दिया गया है उसको सम्मिलित करके एक दूसरे से लगे हुए कम से कम चार राज्यों में जो आवेदन में उपदर्शित पसन्द के अनुसार ऐसे परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाएं, चलाने के लिए है।

**तुलनात्मक धारा**—63 (15) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

करार के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये प्रश्नगत परमिट पुराने अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। करार के अधिक्रान्त होने के पश्चात नवीन करार के प्रारम्भ की तिथि के पूर्व

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा संशोधित एवं परिवर्द्धित किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित विद्यमान परमिटों को ही बचाया था। राज्य सड़क यातायात निगम जारी अपने किसी परमिट पर नये करार के प्रारम्भ की तिथि तक या इसके पश्चात् भी प्रतिहस्ताक्षर नही करा पाया था। धृत किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सड़क यातायात निगम के पास विद्यमान आपरेटर के रूप में साख वाले की भाँति वैध परमिट था कि जिससे वह नवीन करार के अन्तर्गत संचालन के लिये टिका रहे, इसलिये, नये परमिट का स्वीकार किया जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यमान सभी परमिटों के समायोजन के पश्चात् स्थान रिक्त रहे। [*विष्णुदत्त* बनाम *मनोज कुमार,* ए०आई०आर० 2002 राजस्थान 395]

एक क्षेत्र के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी द्वारा अस्थायी स्टेज कैरेज परमिट की स्वीकृति दूसरे क्षेत्र के आर०टी०ए० की सहमति पर उसी टर्मिनी के साथ या उचित विचलन के साथ भी वैध होगी। [*हरिदयानन्द तिवारी* बनाम *म०प्र० राज्य,* ए०आई०आर० 2001 म०प्र० 17]

अधिनियम धारा 88(1) के अन्तर्गत स्वामी के : योग के लिये किसी मार्ग का विद्यमान होना पूर्ववर्ती शर्त है और अधिनियम की योजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्ग का पारस्परिक होना होता है तथा एक राज्य द्वारा या उस राज्य के किसी प्राधिकारी द्वारा एकल नही हो सकता तथा संबधित राज्य सरकारें अर्न्तराज्यीय मार्गों के विषय में सम्बनिधत सभी बातों को निर्णीत करने वाली व उदार समझी जायेगी। [*राजस्थान राज्य* बनाम *ग्यान सिंह,* ए०आई०आर० 2001 राजस्थान 369]

**89. अपील.**—(1) कोई भी व्यक्ति, जो—

(क) राज्य या प्रादेशिक प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इंकार करने या उसे दिए गए परमिट पर लगाई गई शर्त से व्यथित है, या

(ख) परमिट के वापस लिए जाने या निलंबन से या उसकी शर्तों में किए गए किसी परिवर्तन से व्यथित है, या

(ग) धारा 82 के अधीन परमिट का अंतरण करने से इंकार करने से व्यथित है, या

(घ) राज्य का प्रादेशित परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट की प्रतिहस्ताक्षरित करने से इंकार करने या ऐसे प्रतिहस्ताक्षर पर लगाई गई शर्त से व्यथित है, या

(ङ) परमिट के नवीकरण से इंकार करने से व्यथित है, या

(च) धारा 83 के अधीन अनुमति प्रदान करने से इंकार द्वारा व्यथित है, अथवा

(छ) किस अन्य आदेश से, जो विहित किया जाए व्यथित है, उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को विहित समय के अन्दर और विहित रीति से अपील कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति और मूल प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चय करेगा जो अंतिम होगा।

**तुलनात्मक धारा—64** (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

[1][(2) राज्य सरकार उतनी संख्या में अपीलीय परिवहन अधिकरण (Transport Appeliate Tribunals) स्थापित कर सकेगी और ऐसे न्यायाधिकरण में उतनी संख्या में न्यायाधीश होंगे जिसे राज्य सरकार नियत करे और इन न्यायाधीशों की योग्यता जिला न्यायाधीश की होगी या वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखतें हों।]

**तुलनात्मक धारा—64** (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) उपधारा (1) के उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अपील पर जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित है, इस तरह आगे कार्यवाही किया जाना और निपटाया जाना जारी रखा जाएगा मानों यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

*स्पष्टीकरण*—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि जब राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशित परिवहन प्राधिकरण उस निदेश के अनुसरण में ऐसा कोई आदेश देता है जो अंतर्राज्य परिवहन आयोग ने मोटरयान अधिनियम, 1939, परिवहन (1939 का 40) जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले था, कि धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन दिया है, और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से इस आधार पर व्यक्ति है कि वह आदेश ऐसे निदेश के अनुरूप नहीं है, तब नए राज्य परिवहन अधिकरण को ऐसें आदेश की अपील उपधारा (1) के अधीन कर सकेगा, किन्तु ऐसे दिए गए निदेश की अपील नहीं कर सकेगा।

**तुलनात्मक धारा**—64 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

यदि न्यायालय निष्कर्षों की जाँच करते समय यह राय बनाती है कि निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूपता के बिना या विषय पर विधि के प्राविधानों के अनुरूपता के बिना दिया गया है, तो ऐसा निर्णय विधि के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं होगा।

अपीलीय प्राविधान अनन्यतः केवल तभी लागू होगा जब यह पाया जाय कि वह निर्णय उचित और सही शक्ति व क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया है। [*रीनामैटी* बनाम *पश्चिमी बंगाल राज्य,* ए०आई०आर० 2003 कलकत्ता 124]

जहाँ परमिट का रद्दकरण हुआ और उस आदेश के विरुद्ध राज्य यातायात अपीलीय के समक्ष अपील में राज्य यातायात अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकित के उपचार हेतु याची को प्रेषित करने के लिये रिट याचिका अनुचित थी क्योंकि मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्राविधान स्वयं अपने आदेश का पुनर्विलोकन हेतु सशक्त करने वाला नहीं था। राज्य यातायात अपीलीय प्राधिकारी को सम्बन्धित पक्षों को सुनवायी का अवसर देकर नये सिरे से अपील को निर्णीत करने का निर्देश दिया गया। [*बालू लाल* बनाम *राजस्थान राज्य,* ए०आई०आर० 2001 राजस्थान 316]

**90. पुनरीक्षण**—राज्य परिवहन अपील अधिकरण, उसे आवेदन किए जाने पर, ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें कोई आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है, और यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है, तो राज्य परिवहन अपील अधिकरण उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझता है, और ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा :

परन्तु राज्य परिवहन अपील अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति से जो, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित है, कोई आवेदन तभी ग्रहण करेगा जब वह आवेदन उस आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर कर दिया गया है अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण का समाधान हो जाता है कि उचित और पर्याप्त कारणों से आवेदक समय के भीतर आवेदन करने से रोक दिया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिसमें किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं देगा।

**तुलनात्मक धारा**—64-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**91. ड्राइवरों के कार्य के घंटों के बारे में निर्बंधन.**—[1][(1) परिवहन यान (Transport vehicle) के परिचालक में संलग्न किसी व्यक्ति के कार्य कराने के समय (घंटो) का निर्धारण परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।]

(2) राज्य सरकार, आपात की दशाओं का या ऐसी परिस्थितियों के कारण विलंब की दशाओं का सामना करने के लिए जिनकी पूर्वकल्पना नहीं की जा सकती थी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबंधों से ऐसे छूट दे सकेगी, जो वह ठीक समझती है।

(3) राज्य सरकार अथवा धारा 90 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों को, जिनका काम उपधारा (1) के उपबंधो में से किसी के अधीन आता है, नियोजित करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे पहले से ही ऐसे नियत करे कि वे इन उपबंधों के अनुरूप हो जाएं तथा ऐसे नियत किए गए घंटों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किन्हीं व्यक्तियों के लिए नियम या अभिलिखित किए गए काम के घंटों के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति न तो काम करेगा न किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से काम कराएगा और न काम करने की अनुज्ञा ही देगा।

(5) राज्य सरकार उन परिस्थितियों को विहित कर सकेगी, जिनके अधीन और ऐसी अवधि के बारे में, जिसके दौरान यान का ड्राइवर काम पर नियोजित न होते हुए यान पर या उसके निकट रहने के लिए अपेक्षित है, यह समझा जा सकेगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ में विश्रामकाल है।

**तुलनात्मक धारा**—65 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**92. दायित्व का निर्बंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण.**—मंजिली गाड़ी पर टेका गाड़ी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट दिया गया है, यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहाँ तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निर्बंधित करने के लिए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढ़ने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्तें अधिरोपित करने के लिए तात्पर्यित है।

**तुलनात्मक धारा**—66 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**93. अभिकर्ता या प्रचारक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना.**—(1) कोई भी व्यक्ति (i) सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप में याचिका करने के रूप में; या

(ii) माल यानों द्वारा वहन किए जाने वाले साल को संगृहीत अग्रषित या वितरित कर के कारबार में अभिकर्ता के रूप में,

काम करने में अपने को तभी लगाएगा, जब उसमें ऐसे प्राधिकरण से और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है, अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तों में निम्नलिखित सब बातों या उनमें से कोई हो सकेगी, अर्थात :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी या उसका नवीकरण हो सकेगा;

(ख) अनुज्ञप्ति दी जाने या उनके नवीकरण के लिए देय फीस;

(ग)(i) माल यानों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के संग्रहण, अग्रेषर या वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ता की दशा में अधिक से अधिक पचास हजार रुपए तक की राशि को,

(ii) किसी अन्य अभिकर्ता या प्रचारक की दशा में अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक की राशि की,

प्रतिभूति जमा किया जाना और वे परिस्थितियॉं जिसमें वह प्रतिभूति समपहृत की जा सकेगी;

(घ) अभिकर्ता द्वारा उस माल का बीमा कराने की व्यवस्था जो अभिवहन में है;

(ङ) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वे परिस्थितियाँ जिनमें अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेंगी या वापस ली जा सकेगी।

(च) ऐसी अन्य शर्तें जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त होगी कि कोई भी ऐसा अभिकर्ता या प्रचारक, जिसे अनुज्ञप्ति दी गई है, किसी समाचार-पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में तब तक विज्ञापित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे समयचार पत्र, पुस्तक, सूची वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में आने वाले ऐसे विज्ञापन में अनुज्ञापन संख्यांक, अनुज्ञापन के अवसान की तारीख और अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी की विशिष्टियाँ न दी गई हों।

**तुलनात्मक धारा**—66-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

धारा 93(2)(i) के अध्ययन मात्र से यह पता चलता है कि यह सार्मथ्यकारी उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत आवश्यक नियम राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये जा सकते हैं और 50,000/– रुपये की सीमा सुनिश्चित की गयी है। अन्य शब्दों में, नियम बनाते समय, राज्य सरकार गुड्स कैरेज द्वारा ढोये जाने वाले माल के एकत्रीकरण, अग्रसारण या वितरण के व्यवसाय में लगे अभिकर्त्ता के मामले में 50,000 रूपये में अनधिक तथा अन्य अभिकर्त्ता या संचालक के मामले में 5000 रुपये से अनधिक राशि के प्रतिभूति निक्षेप की अदायगी को विहित कर सकती हैं। फिर भी नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरत्तर ही माँग की जा सकती है अधिक नहीं। [*ओटी ट्रवेल एजेंट एसोसियेशन* बनाम *सचिव, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, ओटी,* ए०आई०आर० 2002 मद्रास 256]

**94. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.**—किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने से संबन्धित किसी प्रश्न का ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

**95. मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत निम्नलिखित बातों का और ऐसे यानों में यात्रियों के आचरण का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) ऐसे यान से ऐसे व्यक्ति का, जो नियमों का अतिलंघन कर रहा है, उस यान के ड्राइवर या कण्डक्टर द्वारा अथवा ड्राइवर या कण्डक्टर या किसी यात्री के अनुरोध पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निकाल दिया जाना प्राधिकृत कर सकेंगें ;

(ख) ऐसे यात्री से जिसकी बाबत ड्राइवर या कण्डक्टर को उचित रूप से यह संदेह है कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह मांग किए जाने पर पुलिस अधिकारी अथवा ड्राइवर या कंडक्टर को अपना नाम और पता बताए ;

(ग) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि उससे ड्राइवर या कंडक्टर मांग करता है तो वह यह बताए कि यान में कितनी यात्रा का उसका विचार है या कितनी यात्रा उसने की है और ऐसी पूरी यात्रा के लिए किराया दे और उसके लिए जारी किया गया कोई टिकट ले;

(घ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक उस टिकट का जो उसे दिया गया है, ड्राइवर या कंडक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे यान के स्वामी ने प्राधिकृत किया है माँग किए जाने पर यात्रा के दौरान दिखाए और यात्रा की समाप्ति पर अभ्यर्पित कर दे।

(ङ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि ड्राइवर या कंडक्टर उससे अनुरोध करे तो वह उस यात्रा की समाप्ति पर यान से उतर जाए जिसके लिए उसने किराया दिया है;

(च) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक टिकट को उस अवधि के अवसान पर अभ्यर्पित कर दे जिसके लिए उसे टिकट दिया गया था;

(छ) किसी यात्राी से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह ऐसी कोई बात न करे जिससे यान के कार्य चालन में बाधा या अड़चन होने की संभावना है या यान के किसी भाग को या उसके किसी उपस्कर को नुकसान होने की संभावना है अथवा किसी अन्य यात्री को क्षति या कष्ट होने की संभावना है;

(ज) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह किसी ऐसे यान में धूम्रपान न करें जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध करने की सूचना लगी हुई है;

(झ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तक रखी जाए और वे शर्तें विहित की जाएं जिन पर यात्री उनमें अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे।

**तुलनात्मक धारा**—69 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**96. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति**- (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों की कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन निम्नलिखित सब बातों या उसमें से किसी-किसी की बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात्-

(i) प्रादेशिक और राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नियुक्ति की अवधि और उनकी नियुक्ति के निबन्धन तथा उनके द्वारा कारबार का संचालन और उनके द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट;

(ii) किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा उसके किसी सदस्य की (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है) अनुपस्थिति में कारोबार का संचालन तथा उस कारबार का स्वरूप वे

परिस्थितियाँ जिनमें वे और वह रीति जिससे कारबार ऐसे संचालित किया जा सकता है;

(iii) उन अपीलों का संचालन और सुनवाई जो इस अध्याय के अधीन की जाएं, ऐसी अपीलों की बाबत दी जाने वाली फीसें तथा ऐसी फीसों की वापसी;

(iv) वे प्रारूप जिनका इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनके अन्तर्गत परमिटों के प्रारूप भी है;

(v) खोए, नष्ट हुए या कटे-फटे परमिटों के बदले में परमिटों की प्रतिलिपियों का दिया जाना;

(vi) वे दस्तावेजों, प्लेटें और चिन्ह जो परिवहन यानों द्वारा अपने साथ ले जाए जाने हैं, वह रीति जिससे वे ले जाए जाने हैं तथा वे भाषाएं जिनमें कोई ऐसी दस्तावेजों अभिव्यक्त की जानी है;

(vii) परमिटों, परमिटों की दूसरी प्रतियों और प्लेटों के लिए आवेदनों के सम्बन्ध में दी जाने वाली फीसें;

(viii) इस अध्याय के अधीन दी जाने वाली पूरी फीसों या उनके किन्हीं भागों को देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गों के व्यक्तियों को छूट;

(ix) परमिटों की अभिरक्षा, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा उनके वापस लिए जाने या उनकी समाप्ति पर उनका रद्द कर दिया जाना, तथा जो परमिट रद्द कर दिए गए हैं, उनका लौटाया जाना;

(x) वे शर्तें जिन पर और वह विस्तार जिस तक अन्य राज्य में दिया गया परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बिना राज्य में विधिमान्य होगा;

(xi) वे शर्तें जिन पर और वह विस्तार जिस तक एक प्रदेश में दिया गया परमिट राज्य के अन्य प्रदेश में प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होगा;

(xii) वे शर्तें, जो धारा 67 की उपधारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट प्राकर के किसी करार को प्रभावी के प्रयोजन से परमिट पर लगाई जानी है;

(xiii) वे प्राधिकारी जिनकों, वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकेंगे;

(xiv) चाहें साधारणतया या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों मं मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की सरंचना और उनके फिटिंग तथा उनके द्वारा ले जाए जाने वाले उपस्कर;

(xv) मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी को जितने यात्रियों का वहन करने के लिए अनुकूल बना लिया गया है उनकी संख्या का अवधारण और उतने यात्रियों की संख्या का अवधारण जिनका वहन किया जा सकेगा;

(xvi) वे शर्तें जिन पर मंजिली गाड़ियों तथा ठेका गाड़ियों द्वारा यात्रियों के बदले में भागतः या पूर्णतः माल कावहन किया जा सकेगा;

(xvii) मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में छोड़ी गई संपत्ति की निरापद अभिरक्षा और उसका व्ययन;

(xviii) परिवहन यानों की रंगाई और चिन्ह व विनियमन तथा किसी विज्ञापन का उन पर संप्रदर्शन और विशिष्टतया परिवहन यानों पर ऐसे रंग में या ऐसी रीति से रंगने या चिंहित करने का प्रतिषेध जिससे कोई व्यक्ति यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित हो जो कि उस यान का डाक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है;

(xix) मंजिली गाड़ियों या ठेका गाड़ियों में शवों का अथवा संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अथवा यात्रियों को असुविधा या क्षति कर सकने वाले माल का प्रवाहन तथा ऐसे वाहनों का उस दशा में निरीक्षण और विसंक्रामण जब उनका उपयोग इन प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(xx) मोटर कैबों पर ऐसे टैक्सी मीटरों का लगाया जाना जिनके लिए अनुमोदन अपेक्षित है, अथवा मानक प्रकार के टैक्सी मीटरों का उपयोग किया जाना और टैक्सी मीटरों की जाँच और परीक्षा और उनको मुद्राबन्द करना;

(xxi) विनिर्दिष्ट स्थानों या क्षेत्रों पर अथवा सम्यक् रूप से अधिसूचित अड्डों या विराम स्थानों से भिन्न स्थानों पर मंजिली गाड़ियों अथवा ठेका द्वारा यात्रियों का चढ़ाए जाने या उतारे जाने का प्रतिषेध तथा मंजिली गाड़ी के ड्राइवर से यह अपेक्षा करना कि वह जब कोई यात्री अधिसूचित विराम स्थान पर यान में चढ़ाने या यान से उतरना चाहता है, तब उसके द्वारा अपेक्षा की जाने पर उचित समय तक वाहन को रोक और खड़ा रखे;

(xxii) वे अपेक्षाएं जिनकी पूर्ति सम्यक रूप से अधिसूचित किसी अड्डे या विराम के स्थान के सन्निर्माण या उपयोग में की जाएगी, जिनके अन्तर्गत उनका उपयोग करने वाले की सुविधा के लिए यथेष्ठ उपस्कर औ सुविधाओं की व्यवस्था करना; वह फीस, यदि कोई हो, जो ऐसे सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारित की जा सकेगी, अभिलेख जो ऐसे कर्मचारीवृन्द के आचरण और कर्त्तव्य तथा साधारणतया ऐसे अड्डों और स्थानों को उपयोग के योग और स्वच्छ दशा में बनाए रखना भी है;

(xxiii) मोटर कैबों, टैंकों का विनियमन;

(xxiv) परिवहन यानों के स्वामियों से यह अपेक्षा करना की वे अपने पतों में किसी तब्दीली की सूचना दें अथवा भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी यान के खराब हो जाने या उसे कोई नुकसान हो जाने की रिपोर्ट दें।

(xxv) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करना कि वे ऐसे सब परिसरों में, जो परमिटों के धारकों द्वारा अपने कराबार के प्रयोजनों के लिए काम में लाये जाते हैं, किसी भी उचित समय पर प्रवेश कर सके और उनका निरीक्षण कर सके;

(xxvi) मंजिली गाड़ी के भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा कि वह वैध या आमतौर पर लिया जाने वाला किराया देने वाले किसी भी व्यक्ति को ले जाय;

(xxvii) वे शर्तें जिन पर और उस किस्म के आधान या यान जिनमें पशु या पक्षी ले जाये जा सकेंगे, और वे मौसम जिनके दौरान पशु या पक्षी ले जाए जा सकेंगे या नहीं ले जाए जा सकेंगे;

(xxviii) उन अभिकर्ताओं या प्रचारकों का अनुज्ञापन तथा उनके आचरण का विनियमन जो सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रों करने के लिए टिकटों के विक्रय में या ऐसे यानों के लिए अन्यथा ग्राहकों की याचना करने के काम में लगे हुए है;

(xxix) माल गाड़ियों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के अग्रेषण और वितरण के लिए संग्रहण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन;

(xxx) परिवहन यानों और उनकी अंतर्वस्तुओं, तथा उनमें सम्बन्धित परमिटों का निरीक्षण;

(xxxi) माल गाड़ियों में ड्राइवरों से भिन्न व्यक्तियों को ले जना;

(xxxii) परिवहन यानों के स्वामियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और दी जाने वाली विवरणियां; और

(xxxiii) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—68 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

यदि यान का प्रयोग एक से अधिक क्षेत्र में किया जाता है तो भले ही मार्ग की लम्बाई अधिक अन्य जनपदों में था, क्षेत्राधिकार आर०टी०ए० का ही होगा जिसके क्षेत्राधिकार में यान का प्रयोग अधिक था। [*पूलियास मैथाई* बनाम *क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी,* 2003(1) ए०सी०सी० केरल 204]

## अध्याय 6

## राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशिष्ट उपबंध

**97. परिभाषा.**—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, "सड़क परिवहन सेना" से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटरयानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है,

**तुलनात्मक धारा**—68-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**98. अध्याय का अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.**—इस अध्याय और इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंध, अध्याय 5 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

**तुलनात्मक धारा.**—68-B पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**99. राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के सम्बन्ध में प्रस्थापना की तैयारी और प्रकाशन.**—(1) जहाँ किसी राज्य सरकार की यह राज्य है कि एक दक्ष यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवायें उपबन्ध कराने के प्रयोजन से लोक हित में आवश्यक है कि साधारणतः सड़क परिवहन सेवायें अथवा उस राज्य के किसी क्षेत्र या मार्ग या भाग में किसी विशिष्ट प्रकर की ऐसी सेवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई जाए अन्य व्यक्तियों को पूर्णतया या आंशिक रूप से अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाई जाए और चालू रखी जाए, वहाँ राज्य सरकार उन सेवाओं के स्वरूप की, जिनकी उपलब्ध कराए जाने की प्रस्थापना है, और उस क्षेत्र या मार्ग की, जिसपर उसे चलाने की प्रस्थापना है और उससे सम्बन्धित अन्य सुसंगत विशिष्टयाँ देते हुए एक स्कीम के संबंध में प्रस्थापना बना सकेगी और ऐसी बनाई गई प्रस्थापना को राज्य के राजपत्र में और उस क्षेत्र में या मार्ग में, जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्थापना को राजपत्र में और उस क्षेत्र या मार्ग में, जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्थापना है परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचारपत्र, तथा ऐसी अन्य रीति से भी, जो ऐसी प्रस्थापना बनाने वाली राज्य सरकार और ठीक समझे, प्रकाशित कराएगी।

[1][(2) उपधारा (1) में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी जब उस धारा के अधीन तो ऐसी प्रस्तावना की लम्बित अवधि में इस प्रस्तावना के प्रकाशन के पश्चात् अस्थाई परमिट के सिवाय किसी व्यक्ति को कोई परमिट नहीं प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार प्रदत्त अस्थाई परमिट,

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

इसे जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष या धारा 100 के अधीन योजना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि तक, जो भी पहले हो वैध होगा।

**तुलनात्मक धारा**—68-C पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

आपत्तियाँ जो कि प्रस्तावित अधिसूचना योजना उठायी जा सकती थी को उन मामलों के विषय में होनी आवश्यक है जिनकी राज्य सरकार ने राय बनायी थी। यह आपत्ति कि परमिट धारक खराब सड़कों के कारण सहे थे में अब सुधार हो रहे थे, इस प्रकार राष्ट्रीकरण को टाला गया अस्वीकृति का दायी था। [*एम० मदन मोहन* राव बनाम *भारत संघ,* ए०आई०आर० 2002 एस०सी० 2647]

**100. प्रस्थापना पर आपत्ति**—(1) राजपत्र में किसी स्कीम के सम्बन्ध में प्रस्थापना के प्रकाशन पर तथा उस क्षेत्र या मार्ग में, जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्थापना है, परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचारपत्र में प्रकाशन पर कोई भी व्यक्ति राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर उसके बारे अपत्तियाँ राज्य सरकार के समक्ष फाइल कर सकेगा।

(2) राज्यपत्र सरकार ऐसी आपत्तियों पर विचार करने तथा आपत्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधियों, और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधियों को यदि वे चाहें, इस विषय में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी प्रस्थापना का अनुमोदन या उसमें परिवर्तन कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित या परिवर्तित रूप में प्रस्थापना से सम्बन्धित स्कीम तब ऐसी स्कीम बनाने वाली राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में और उस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी और वैसा हो जाने पर वह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अन्तिम होगी तथा अनुमोदित स्कीम कही जायेगी और जिस क्षेत्र या मार्ग से वह सम्बन्धित है वह अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग कहलायेगा;

**परन्तु कोई स्कीम**—जो किसी अन्तरराज्यिक मार्ग से सम्बन्धित है, तभी अनुमोदित स्कीम समझी जायेगी जब उस पर केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन हो अन्यथा नहीं।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी, जहाँ कोई स्कीम उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में स्कीम से सम्बन्धित प्रस्थापना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर राजपत्र में उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित स्कीम के रूप में प्रकाशित नहीं की जाती है वहाँ वह प्रस्थापना व्यपगत हो गयी समझी जाएगी।

*स्पष्टीकरण*—इस उपधारा में निर्दिष्ट एक साल की अवधि की संगणना करने में ऐसी कलावधि या कलावधियाँ जिनके दौरान उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी स्थगन या व्यादेश के कारण रुक गया था, अपर्विजत कर दी जाएगी।

**तुलनात्मक धारा**—68-D पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

यदि कोई अतिव्याप्त भाग किसी सँटे क्षेत्र में पड़ता है तो वह प्रतिषिद्ध है किन्तु यदि यह उसी क्षेत्र में पड़ता है तो ऐसा अतिव्याप्त क्षेत्र अधिसूचित योजना के खण्ड तीन के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध नहीं है। इस खण्ड (3) के पीछे पूर्ण विचार यह है कि यदि मार्ग का वह भाग उसी क्षेत्र में पड़ता है तो ऐसे व्यक्तिगत

आपेरेटरों का प्रचालन प्रतिषिद्ध नहीं होना चाहिये किन्तु यदि यह सँटे क्षेत्र में पड़ता है तो उस मामले में ऐसा कारीडोर अनुमति उस मार्ग पर व्यक्तिगत परमिट धारको के प्रचालन के लिये समर्थ नहीं बनायेगा। [*विभाष चन्द्र मन्त्रा* बनाम *राज्य यातायात प्राधिकारी,* ए०आई०आर० 2001 कलकत्ता 132]

जहाँ ऐसी प्रकाशित योजना सहारनपुर दिल्ली मार्ग में शामिल नहीं है किन्तु 38 अन्य मार्ग भी समस्त 39 मार्गों में समाहित है तो 38 मार्गों की अधिसूचना के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गयी। धृत किया गया कि 38 मार्गों पर जो उस निर्णय के विषय वस्तु नहीं थी आपरेटरों को सूने बिना आपत्तियों का निस्तारण अवैध था। [*गजराज सिंह* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य,* ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 2370]

**101. राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चालू करना.**—धारा 87 में किसी बात के होते हुये भी, कोई राज्य पविहन उपक्रम, लोकहित में, विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों की ओर से यात्रियों के प्रवहरण के लिये अतिरिक्त सेवाओं को चालू कर सकेगा;

परन्तु राज्य पविहन उपक्रम सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त सेवाओं के चालू करने के बारे में अविलम्ब सूचिम करेगा।

**102. स्कीम का रद्द या परिवर्तित किया जाना.**—(1) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत :

(i) राज्य परिवहन उपक्रम को, और

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित उपान्तरण से प्रभावित होना संभाव्य है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी अनुमोदित स्कीम को उपान्तरित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित उपान्तरण को राजपत्र में और उस क्षेत्र में, जिसको ऐसे उपान्तरण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, परिचालित होने वाली प्रादेशिक भाषा के एक या अधिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगी और उसमें वह तारीख होगी, जो राजपत्र में ऐसे प्राकशन से तीस दिन से कम नहीं होगी और वह समय और स्थान भी होगा जब इस निमित्त प्राप्त किसी अभ्यावेदन की राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जायेगी।

**तुलनात्मक धारा**—68-D पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

यदि किसी स्कीम के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना की जाती है, तो उस पर कोई आपत्ति मात्र तीस दिन के भीतर ही की जा सकती है। ऐसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् यदि निर्धारित अवधि के भीतर उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो वह स्कीम समाप्त हो जायेगी।[1]

**103. राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना.**—(1) जहाँ किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाड़ी परमिट या माल गाड़ी परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिये ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाये आवेदन करता है वहाँ जब उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है तब राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी अन्य दशा में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अध्याय 5 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट देगा।

---

1. किरण पाल एवं कुँवर पाल बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, यू0 पी0 लखनऊ एण्ड अदर्स, 1999 (1) ए0 डब्लू० सी० 470।

(2) इस प्रयोजन से कि अनुमोदित स्कीम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के बारे में कार्यान्वित की जाय यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आदेश द्वारा,—

(क) कोई अन्य परमिट देने या उसका नवीकरण करने के आवेदन को ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा किसी ऐसे आवेदन को खारिज कर सकेगा, जो लम्बित हो;

(ख) किसी विद्यमान परमिट को रद्द कर सकेगा;

(ग) किसी विद्यमान परमिट के निबन्धों में से परिवर्तन कर सकेगा कि-

(i) वह परमिट किसी विनिर्दिष्ट तारीख से आगे के लिए प्रभावहीन हो जाए;

(ii) वह परमिट के अधीन प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत यानों की संख्या घट जाए;

(iii) इस परमिट के अंतर्गत क्षेत्र या मार्ग वहाँ तक कम हो जाए जहाँ तक कि वह परमिट अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग से सम्बन्धित है।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा की गई किसी कार्यवाई या दिए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील न होगी।

**तुलनात्मक धारा**—68-F पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**104. अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन**.—जहाँ किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत कोई स्कीम धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की गई है वहाँ यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई भी परमिट उस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार ही देगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु जहाँ अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में किसी अधिसूचिम क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट के लिए कोई आवेदन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा नहीं किया गया है वहाँ, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशित परिवहन प्राधिकरण ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत किसी व्यक्ति को अस्थायी परमिट इस शर्त पर दे सकेगा कि ऐसा परमिट उस क्षेत्र या मार्ग की बाबत राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट दिए जाने पर प्रभावी नही रहेगा;

**तुलनात्मक धारा**—68-FF पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

किसी अधिसूचित क्षेत्र अथवा अनुसूचित मार्ग के सम्बन्ध में धारा 104 के अन्तर्गत मात्र राज्य परिवहन उपक्रम को ही परमिट प्रदान किया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को परमिट राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा आवेदन न किये जाने पर ही प्रदान किया जा सकता है। अन्य व्यक्ति को इस धारा के अन्तर्गत प्रदत्त परमिट मात्र अस्थायी प्रकृति का ही हो सकता है, स्थायी प्रकृति का नहीं।[1]

अस्थायी परमिट की स्वीकृति प्रार्थना–पत्र पर विचार करते समय, यातायात प्राधिकारी को धारा 104, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 में निहित प्राविधानों तथा एम०पी० मोटरगाड़ी नियमावली, 1994 के नियम 72(3)(ङ) पर अवश्य विचार करना चाहिये। मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 104, जिसका सम्बन्ध

1. प्रभात भूषण एवं अजय कुमार बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनलएण्ड अदर्स 2000 (3) ए० डब्लू० सी० 2603 ।

अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में परमिट की स्वीकृति के प्रतिबन्ध से है, यह अधिकारित करती है कि जहाँ किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 100(3) के अन्तर्गत कोई योजना प्रकाशित की गयी है तो राज्य यातायात प्राधिकारी का क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी, जैसा मामला हो, योजना के प्राविधानों के अनुसार के अलावा कोई परमिट जारी नहीं करेगा। ऐसा केवल उन मामलों में है जहाँ राज्य यातायात व्यवसाय, अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के सम्बन्ध में प्रार्थना नहीं देता। [*मध्य प्रदेश राज्य सड़क यातायात निगम* बनाम *छत्तीसगढ़ राज्य,* (2003)2 एम०पी० एच०टी० 42(सी०जी०)]

योजना चाहे मौलिक हो या पूरक व्यक्तिगत आपरेटरों को प्रश्नगत मार्ग पर या प्रश्नगत मार्ग के किसी भाग पर प्रचलन की अनुमति नहीं देती। इसलिये आर०टी०ए० द्वारा व्यक्तिगत आपरेटरों को परमिट की स्वीकृति देना क्षेत्राधिकार के बाहर था। [*राहुल टाम* बनाम *के०एस०आर०टी०सी०,* 2002(1) एस०सी०सी० 1 (केरल) (खण्डपीठ)]

जहाँ सरकारी अधिसूचना से जोड़ा गया टिप्पणी (3) स्पष्टीकरण प्रकृति की है तो कस्बा सेवा के लिये परमिट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर कि अतिव्याप्ति के लिये प्रश्नगत मार्ग निगम का मार्ग हो जायेगा उचित नहीं था। [*ए०पी०एस०आर०टी०सी०* बनाम *राज्य यातायात अपीली प्राधिकरण,* ए०आई०आर० 2001 आन्ध्र प्रदेश 335 (यू०पी०)]

**105. प्रतिकर अवधारित करने के सिद्धान्त और रीति तथा उसका संदाय.**—(1) जहाँ धारा 103 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई विद्यमान परमिट रद्द किया जाता है या उसके निबन्धनों में परिवर्तन किया जाता है वहाँ उस परमिट के धारक को राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रतिकर दिया जाएगा जिसकी रकम, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विद्यमान परमिट के रद्द किये जाने अथवा उसके निर्बन्धनों में कोई परिवर्तन किए जाने के कारण कोई प्रतिकर उस दशा में देय न होगा जब उसके बदले में किसी दूसरे मार्ग या क्षेत्र के लिए, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने परमिट देने का प्रस्ताव किया है और परमिट के धारक ने उसे स्वीकार कर लिया है।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि कोई भी प्रतिकर धारा 103 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन परमिट का नवीकरण करने से इन्कार करने के कारण देय न होगा।

(4) जहाँ धारा 103 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा या खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) अथवा उपखण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई विद्यमान परमिट रद्द किया जाता है या उसके निर्बन्धनों में ऐसे परिवर्तन किए जाते है कि परमिट का धारक उसके अधीन उपयोग के लिए प्राधिकृत किसी यान का उपयोग उस पूरी अवधि के लिए, जिसके लिए वह परमिट अन्यथा प्रभावी होता, करने से निवारित हो जाता है वहाँ ऐसे रद्द किए जाने या परिवर्तन से प्रभावित प्रत्येक यान के लिए परमिट के धारक को देय प्रतिकर की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी :–

(क) परमिट की असमाप्त अवधि के पूरे एक मास के लिए या मास के पन्द्रह दिन से अधिक के भाग के लिए दो सौ रुपए;

(ख) परमिट की असमाप्त अवधि के मास के उस भाग के लिए जो पन्द्रह दिन से अधिक नहीं है एक सौ रुपए;

परन्तु प्रतिकर की रकम किसी भी दशा में चार सौ रुपए से कम न होगी।

(5) जहाँ धारा 103 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी विद्यमान परमिट के निर्बन्धनों में ऐसे परिवर्तन किए जाते है कि उसके अधीन उपयोग के लिए प्राधिकृत किसी यान का क्षेत्र या मार्ग कम हो जाता है वहाँ ऐसी कमी के कारण परमिट के धारक को देय प्रतिकर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी, अर्थात् :

$$\frac{य \times र}{म}$$

*स्पष्टीकरण*—इस सूत्र में—

(i) 'य' से वह दूरी या क्षेत्र अभिप्रेत है जितने से परमिट के अन्तर्गत मार्ग या क्षेत्र कम किया जाता है;

(ii) 'र' से वह रकम अभिप्रेत है जो उपधारा (4) के अनुसार संगणि की गई है;

(iii) 'म' से मार्ग की वह कुल लम्बाई अथवा वह कुल क्षेत्र अभिप्रेत है जो परमिट के अन्तर्गत है।

(6) इस धारा के अधीन देय प्रतिकर की रकम, राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा उस तारीख से, जिसको परमिट पर रद्द किया जाना या परिवर्तन प्रभावी होता है, एक मास के अन्दर, उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जाएगी :

परन्तु यदि राज्य परिवहन उपक्रम उक्त एक मास की अवधि के अन्दर उसे देने में असफल रहता है तो वह उस तारीख से, जिसको वह रकम देय होती है, उस पर सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगा।

**तुलनात्मक धारा**—68-G पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**106. यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन.**—जहाँ राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहाँ राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को विहित रीति से बेच सकेगा और उसके विक्रय-आगम, उसके स्वामी द्वारा उनकी मांग किये जाने पर उनमें से विक्रय के अनुषंगिक खर्चे काट कर, उसे दे दिए जाएंगे।

**तुलनात्मक धारा**—68-HH पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**107. राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) वह प्रारूप जिसमें किसी स्कीम की बाबत कोई प्रस्थापना धारा 99 के अधीन प्रकाशित की जा सकेगी;

(ख) वह रीति जिसमें धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन कोई आक्षेप फाइल किए जा सकेंगे;

(ग) वह रीति जिसमें धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन आक्षेपों पर विचार और उनका निपटारा किया जा सकेगा;

(घ) वह प्रारूप जिसमें धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन कोई अनुमोदित स्कीम उनका प्रकाशित की जा सकेगी;

(ङ) वह रीति जिसमें धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा;

(च) वह अवधि जिसके अन्दर किसी परिवहन यान में छूटी पाई गई किसी वस्तु का स्वामी, धारा 106 के अधीन उसके लिए दावा कर सकेगा तथा उस वस्तु के विक्रय की रीति;

(छ) इस अध्याय के अधीन आदेशों की तामील की रीति;

(ज) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—68-I पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

रजिस्ट्रेशन प्लेटों पर 'आशोक चक्र' के होलोग्राम का प्रयोग वर्जित हैं। [*पूनम सिंह* बनाम *भारत संघ,* ए०आई०आर० 2003 दिल्ली 163]

**108. राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा.**—राज्य सरकार को इस आशय के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ, ऐसे निगम या कम्पनी के सम्बन्ध मे, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन है, किसी अन्तरराज्यिक मार्ग या क्षेत्र के बारे में केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—68-J पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## अध्याय 7

## मोटरयानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण

**109. यानों के निर्माण और अनुरक्षण सम्बन्धी साधारण उपबंध.**—(1) प्रत्येक मोटरयान का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर समय उसे चलान वाले व्यक्ति के वास्तविक नियन्त्रण में रहे।

**तुलनात्मक धारा**—69 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) प्रत्येक, मोटरयान, ऐसे निर्मित किया जायेगा कि उसमें स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर हो, किन्तु तब नहीं जब उनमें विहित प्रकार की यांत्रिक या वैघुत संकेतन युक्ति लगी हो।

[(3) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में जनहित में यह किया जाना आवश्यक है तो वह शासकीय अधिपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि विनिर्मता द्वारा निर्मित किसी माल या वस्तु का मानक क्या होगा।][1]

**तुलनात्मक धारा**—69-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 109 (3) एवं 110 (1) के खण्ड (ढ) के अन्तर्गत प्रदत्तशक्ति के प्रयोग में और भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 5-0-138 (E) दिनांक 19 फरवरी 1998 को अभिभावी करते हुए केन्द्र सरकार ने यह उपबन्धित किया है कि जो भी पेट्रोल

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

चालित चौपहिया वाहन। अगस्त 1998 को या उसके बाद निम्नलिखित शहरों में प्रथम बार विक्रय किये जाने पर पंजीकृत किये जायें, उसके निर्माता द्वारा कम से कम एक आक्सीडेटिव प्रकार के योग्य धातु आधारित कैटेलीटिक कनवर्टर से सुसज्जित होंगे और ओ० ई० एम० प्रमाणपत्र धारक होंगे[1] :

| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | शहर |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद और विशाखापट्टनम |
| अरूणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| असम | दिसपुर |
| बिहार | पटना, जमशेदपुर एवं राचो |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| गोवा | पणजी |
| गुजरात | गाँधीनगर, सूरत एवं बड़ौदा |
| हरियाणा | गुड़गांव, हिसार एवं अम्बाला |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू और श्रीनगर |
| कर्नाटक | बंगलौर |
| केरल | त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालिकट |
| मध्यप्रदेश | भोपाल और इंदौर |
| महाराष्ट्र | पुणे एवं नागपुर |
| मणिपुर | इम्फाल |
| मेघालय | शिलांग |
| मिजोरम | आइजोल |
| नागालैंड | कोहिमा |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर |
| पंजाब | अमृतसर, लुधियाना और जालंधर |
| राजस्थान | जयपुर, जोधपुर और उदयपुर |
| सिक्किम | गंगटोक |
| त्रिपुरा | अगरतला |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर |
| अंडमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर |
| दादर एवं नागर हवेली | सिलवासा |
| पांडिचेरी | पांडिचेरी |

1. भूतल एवं परिवहन मन्त्रालय की अधिसूचना सं० एस० ओ० 454 (E) दिनांक 25-05-1998 भारत सरकार के असाधारण गजट भाग 2 दिनांक 25-05-1998 में प्रकाशित।

**110. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—(1) केन्द्रीय सरकार मोटरयानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित बातों की बाबत नियम बना सकेगी, अर्थात् :

(क) यानों की ओर ले जाये जाने वाले भार की चौड़ाई, ऊँचाई, लम्बाई और उसका बाहर को निकला ऊपर वाला भाग;

[1][(ख) टायर परउसका आकार, प्रकृति, मूल्य, निर्माण की तिथि एवं वर्ष तथा अधिकतम भारवाहन क्षमता होगी।];

(ग) ब्रेक और स्टीयरिंग गियर;

(घ) सुरक्षा कांच का प्रयोग, जिसके अन्तर्गत कलईदार सुरक्षा कांच के प्रयोग का प्रतिषेध है;

(ङ) संकेतन-साधित्र, लैम्प और परावर्तक;

(च) गतिनियंत्रक;

(छ) धुएं दिखाई देने वाली भाप, चिन्गारी राख, बाल-कण या तेल का उत्सर्जन;

(ज) यानों से निकलने वाली या की जाने वाली आवाज को घटाना;

(झ) चेसिस संख्यांक तथा इंजन संख्यांक और विनिर्माण की तारीख का उत्कीर्ण होना;

(ञ) सुरक्षा पट्टियों, मोटर साइकिलों का हैंडल शलाका, आंटोडिपर और ड्राइवरों (यांत्रियों और सड़क का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिये आवश्यक अन्य उपस्कर;

(ट) अन्तः निर्मित सुरक्षा युक्तियों के रूप में यान में प्रयुक्त संघटकों के मानक;

(ठ) मानव जीवन के लिये खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के परिवहन के लिए उपबन्ध;

(ड) वायु प्रदूषकों के विसर्जन के लिए मानक;

[2][(ढ) कैटेलीटिक कनवर्टर (Catalytic Convertors) निहित यानों में लगाने के लिए;

(ण) सार्वजनिक वाहनों में श्राव्य दृश्य या रेडियो या टेपरिकार्ड का रखरखाव;

(त) वाहन के बिक्री के पश्चात् की शर्त एवं गारंटी।

परन्तु पर्यावरण के संरक्षण में सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में, कोई नियम, जहाँ तक हो सके, भारत सरकार के पर्यावरण से सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् बनाये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन उसमें वर्णित बातों को शासित करने वाले नियम बनाये जा सकेंगे जिनके अन्तर्गत ऐसी बातो का अनुपालन कराने की रीति और ऐसी बातों की बाबत या तो साधारणतया मोटरयानों टेलरों की बाबत या विशिष्ट परिस्थितियों में मोटरयानों के अनुरक्षण भी है।

(3) इस धारा में किसी बात के होते भी—

(क) केन्द्रीय सरकार, किसी वर्ग के मोटरयानों को इस अध्याय के उपबन्धों से छूट दे सकेगी;

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

(ख) कोई राज्य सरकार, किसी मोटरयान या किसी वर्ग या वर्णन के मोटरयानों को उपधारा (1) के अधीन बनाये गए नियमों से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये।

**तुलनात्मक धारा**—69-B पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

पुलिस प्राधिकारियों द्वारा प्रदूषण की स्वीकार्य सीमा के बाहर यान के पाये जाने पर उचित तरीका यह है कि 7 दिनों की यान के पुनः सुधरवाने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नोटिस दी जानी चाहिये न कि दस्तावेज जब्त कर लिया जाये और धारा 190(2) के अन्तर्गत चालक को कम्पाउन्डिंग स्लिप दी जाये तथा स्थल पर दण्ड वसूला जाये। यह सारे कार्य पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है। [*राज्य बनाम उर्मीघोषाल,* ए०आई०आर० 2002 कलकत्ता 192]

**111. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—(1) कोई राज्य सरकार, मोटरयानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्करण और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए धारा 110 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बातों से भिन्न सभी बातों की बाबत नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन या तो साधारणतया मोटरयानों या ट्रेलरों की बाबत या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों या ट्रेलरों की बाबत या विशिष्ट परिस्थितियों में निम्नलिखित बातों में से किसी के बारे में नियम बनाये जा सकेंगे, अर्थात्—

(क) सार्वजनिक सेवा यानों में बैठने की व्यवस्था और मौसम से यात्रियों का संरक्षण;

(ख) कुछ समय पर या कुछ स्थानों में सुनाई देने वाले संकेतकों के प्रयोग का प्रतिषेध या निर्बन्धन;

(ग) ऐसे साधित्रों का ले जाया जाना प्रतिषिद्ध करना जिनसे क्षोभ का खतरा होने की संभावना है;

(घ) विहित प्राधिकारियों द्वारा [1][ऐसे परीक्षण के लिए प्रभार आरोपित की जायेगी] यानों की नियतकालिक परख और निरीक्षण;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह से भिन्न विशिष्टियाँ जो यानों पर प्रदर्शित की जानी है और वह रीति जिससे वे प्रदर्शित की जाएँगी।

(च) मोटरयानों के साथ ट्रेलरों का उपयोगा; और

(छ) [2][* * *]

**तुलनात्मक धारा**—70 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

### अध्याय 8

## यातायात का नियंत्रण

**112. गति सीमा.**—(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटरयान को न तो उस अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम गति पर चलाएगा, न चलवाएगा और न चलाने देगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन उस यान के लिये नियत की गई है :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।

परन्तु ऐसी अधिकतम गति किसी भी दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटरयान या किसी वर्ग या वर्णन के मोटरयानों के लिए नियत की गई अधिकतम गति से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण या आवश्यक है कि मोटरयानों की गति निर्बंधित की जाए तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिह्न रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट बर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके स्थान ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़को के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेंगी जो वह ठीक समझते हैं;

परन्तु ऐसी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी यदि इस धारा के अधीन कोई निर्बन्धन एक मास से अधीक के लिए प्रवृत रहना है।

(3) इस धारा की कोई बात धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यान को उस समय लागू न होगी जब उसका उपयोग युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का 5), की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में और अवधि के दौरान सैनिक युद्धाभ्यास के लिए किया जा रहा है।

**तुलनात्मक धारा**—71 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**113. वजन की सीमाएँ और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धित.**—(1) राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा [1][परिवहन वाहन] के लिए परमिट दिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार शर्तें विहित कर सकेगी ताकि किसी क्षेत्र में या मार्ग पर ऐसे यानों का उपयोग प्रतिसिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी।

(2) जैसा अन्यथा विहित किया जाए उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसे मोटरयान को, जिसमें हवा वाले टायर न लगे हो, किसी सार्वजनिक स्थान में न तो चलाएगा, न चलवाएगा और न चलाने देगा।

(3) कोई व्यक्ति ऐसे किसी मोटरयान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान में न तो चलाएगा, न चलवाएगा और न चलाने देगा—

(क) जिसका लदानरहित वजन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट लदान रहित वजन से अधिक है, या

(ख) जिसका लदान सहित वजन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट यान सहित सकल वजन से अधिक है।

(4) जहाँ उपधारा (2) या उपधारा (3) के खण्ड (क) का उल्लंघन करके चलाए गए किसी मोटरयान या ट्रेलर का ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति स्वामी नहीं हैं, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करसकेगा कि वह अपराध उस मोटरयन या ट्रेलर के स्वामी की जानकारी में या उसके आदेशों के अधीन किया गया था।

**तुलनात्मक धारा**—72 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

**114. यान तुलवाने की शक्ति.**—(1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त [1][कोई भी मोटर वाहन विभाग का प्राधिकारी] के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग धारा 113 का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो वह ड्राइवर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तुलवाने के वास्ते ऐसे किसी तोलनयंत्र पर, यदि कोई हो, ले जाए जो आगे के मार्ग पर किसी स्थान से दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गन्तव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और यदि ऐसे तुलवाने पर यह पाया जाता है कि उस यान ने वजन से सम्बन्धित ["कोई भी मोटर वाहन विभाग का प्राधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, यदि यह समझता है"] कि किसी माल वाहन या ट्रेलर (Trailer) का उद्देश्य धारा 113 के विपरीत किया गया है] तो यह ड्राइवर को लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह अधिक वजन को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए जब तक लदान सहित वजन कम नही कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई नहीं कर दी जाती जिससे धारा 113 का अनुपालन हो जाए और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ड्राइवर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश लिखित रूप में करता है वहाँ वह मालयान परमिट पर अधिक लदान के सुसंगत ब्यौरे भी पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन का तथ्य उस प्राधिकारी को भी संसूचित करेगा जिसने परमिट जारी किया था।

**तुलनात्मक धारा**—73 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**115. यानों का उपयोग निर्बन्धित करने की शक्ति.**—यदि राज्य सरकार का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण साधारणतया किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट सड़क पर मोटरयानों या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों के चलाए जाने या ट्रेलरों के उपयोग का प्रतिसिद्ध या निबंधित करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अपवादों सहित और ऐसी शर्तों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ऐसा कर सकेगा और जब ऐसा कोई प्रतिषेध या निर्बन्ध अधिरोपित किया जाता है तब वह सरकार या प्राधिकारी धारा 116 के अधीन स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाएगा या लगवाएगा :

परन्तु जहाँ इस धारा के अधीन कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन एक मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहता है, वहाँ राजपत्र में उसकी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी, किन्तु प्रतिषेध या निर्बन्धन का ऐसा स्थानीय प्रचार किया जाएगा जैसा परिस्थियों में संभव हो।

**तुलनात्मक धारा**—74 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

व्यक्तिगत लक्जरी बसों/भारी वाहनों द्वारा नागरिकों को क्षोभ व असुविधा पहुँचाने के कारणों से प्रश्नगत सड़कों पर चलने से निर्बन्धित कर देना न तो असदभावपूर्ण था न तो क्षेत्राधिकार के बाहर क्योंकि ऐसा विस्तृतः लोकहित में किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(घ) का उल्लंघन भी नहीं हुआ था। [*ज़ाकिर हुसैन* बनाम *महाराष्ट्र राज्य,* ए०आई०आर० 2001 बाम्बे 21]

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

**116. यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति.**—(1) (क) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी धारा 112 की उपधारा (2) के अधीन नियत किन्हीं गति सीमाओं को या धारा 115 के अधीन अधिरोपित किन्हीं प्रतिषेधों या निर्बन्धनों को या साधारणतया मोटरयान यातायात के विनियमन के प्रयोजन के लिए यातायात चिन्हों को सार्वजनिक जानकारी के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान में रखवाएगा या लगवाएगा अथवा रखने या लगने देगा।

(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अनुसूची के भाग 'क' में निर्दिष्ट उपयुक्त यातायात चिन्ह को उपयुक्त स्थानों में लगवा कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कुछ सड़कों को मुख्य सड़कों के रूप में अभिहित कर सकेगा।

(2) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके लिए अनुसूची में उपबंध किया गया है, उपधारा (1) के अधीन रखे या लगाए गए यातायात चिन्हों का आकार, रंग और प्रकार वही होगा और उनके वही अर्थ होंगे, जो अनुसूची में दिए गए हैं, किन्तु राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी उक्त अनुसूची में दिए गए किसी चिन्ह में उसके शब्दों, अक्षरों या अंकों का ऐसी लिपि में प्रतिलेखन जोड़ना प्राधिकृत कर सकेगा जो वह राज्य सरकार ठीक समझे, परन्तु ऐसे प्रतिलेखनों का आकार और रंग वैसा ही होगा जैसा अनुसूची में दिए गए शब्दों, अक्षरों या अंकों का है।

(3) उपधारा (1) द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई भी यातायात चिन्ह किसी सड़क पर या उसके निकट न तो रखा जाएगा और न लगाया जाएगा, किन्तु जो यातायात चिन्ह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखवाए या लगवाए गए थे उनकी बाबत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रखें या लगाए गए यातायात चिन्ह हैं।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पुलिस अधीक्षक के अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी ऐसे चिन्ह या विज्ञापन को, जो उसकी राय में इस प्रकार लगाया गया है कि इसके कारण कोई यातायात चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है अथवा किसी ऐसे चिन्ह या विज्ञापन को, जो उसकी राय में यातायात चिन्ह के इतना समरूप है कि भ्रम पैदा हो सकता है, या जो उसकी राय में ड्राइवर के ध्यान या एकाग्रता को विकर्षित कर सकता है, हटा दे या हटवा दे।

(5) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन रखें गए या लगाए गए किन्हीं यातायात चिन्हों को जान बूझकर न तो हटाएगा, न तो परिवर्तित करेगा, न विरूपित करेगा और न किसी प्रकार से बिगाड़ेगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी यातायात चिन्ह को घटनावश ऐसा नुकसान पहुँचाता है कि वह उस प्रयोजन के लिए बेकार हो जाता है जिसके लिये इस धारा के अधीन रखा या लगाया गया है तो वह उन परिस्थितियों की जिनमें यह घटना हुई है, रिपोर्ट यथाशक्यशीघ्र और किसी भी दशा में घटना के चौबीस घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी को देगा या पुलिस थाने में करेगा।

(7) [1][प्रथम अनुसूची] में दिए गए चिन्हों को मोटर यातायात से सम्बन्धित ऐसे अन्तराष्ट्रीय कन्वेशन के अनुरूप कर देने के प्रयोजन के लिए, जिसकी केन्द्रीय सरकार तत्समय एक पक्षकार

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

है, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे चिन्ह में कुछ परिवर्द्धन या परिवर्तन कर सकेगी ओर ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने पर अनुसूची को तद्नुसर संशोधित समझा जाएगा।

तुलनात्मक धारा—75 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**117. पड़ाव और विराम स्थान.**—राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहाँ मोटरयान या तो अनिश्चित या विनिर्दिष्ट समय तक ठहर सकेंगे, तथा वे स्थान अवधारित कर सकेंगे जिसमें सार्वजनिक सेवा यान उतने समय से अधिक समय तक ठहर सकेंगे जितना यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक है।

**तुलनात्मक धारा**—76 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**118. चालन विनियम.**—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मोटरयानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी।

**119. यातयात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य.**—(1) मोटरयान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी अनिवार्य पालन यातायात चिन्ह द्वारा दिये गये संकेत और उन चालन-विनियमों के अनुरूप चलाएगा जो यान चलाने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये गये है और उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जाएँ जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात का विनियमन करने में लगा हुआ है।

(2) इस धारा में "अनिवार्य पालन यातायात चिह्न से अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया कोई यातायात चिन्ह या उसी प्रकार का ऐसा कोई यातायात चिन्ह, (अर्थात् कोई युक्ति, शब्द या अंक प्रदर्शित करने वाली और लाल जमीन या किनारे वाली गोल यातायात चिन्ह) अभिप्रेत है जो धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन मोटर यातायात विनियमित करने के प्रयोजन के लिए रखा या लगाया गया है।

**तुलनात्मक धारा.**—78 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**120. बाई ओर के नियंत्रण वाले यान.**—कोई व्यक्ति बाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले **ऐसे किसी मोटरयान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा**, या चलवायेगा या चलाने देगा, जब उसमें विहित प्रकार का यांत्रिक या विघुत संकेतन यंत्र लगा हुआ हो और वह चालू हालत में हो, अन्यथा नहीं।

**तुलनात्मक धारा**—80 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**121. संकेत और संकेतन युक्तियाँ.**—किसी मोटरयान का ड्राइवर ऐसे संकेत अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे :

परन्तु दाई या बाई ओर मुड़ने के या रोकने के आशय का संकेत—

(क) दाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विघुत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगा; और

(ख) बाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विघुत युक्ति द्वारा दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी क्षेत्र या मार्ग की चौड़ाई और हालत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी मोटरयान ऐसे किसी वर्ग या वर्ण न के

मोटरयानों को उस क्षेत्र या मार्ग पर चलने के प्रयोजन के लिये इस धारा के प्रवर्तन से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—79 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**122. यान को खतरनाक हालत में छोड़ना.**—किसी मोटरयान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर, न तो ऐसी जगह पर ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोड़ेगा या रहने देगा या छोड़ने या रहने देने की अनुज्ञा देगा, जिससे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों या यात्रियों को खतरा, बाधा या असम्यक असुविधा हो या होने की संभावना हो।

**तुलनात्मक धारा**—81 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**123. चलते यान के फुट बोर्ड आदि पर सवारी.**—(1) मोटरयान का ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को न तो चलते यान को फुटबोर्ड पर ले जायेगा और न यान के अंदर ले जाने से अन्यथा ले जायेगा और न ऐसे ले जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) कोई भी व्यक्ति मोटरयान के रनिंग बोर्ड पर या छत पर या बोनेट पर यात्रा नहीं करेगा।

तुलनात्मक धारा—82 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**124. पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध.**—कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिये तभी प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा, जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं।

परन्तु जहाँ मंजिली गाड़ी में ऐसे टिकट को दिये जाने का प्रबन्ध है, जिसे लेकर किसी व्यक्ति को यात्रा करनी होती है, वहाँ कोई व्यक्ति ऐसी मंजिली गाड़ी में प्रवेश कर सकेगा, किन्तु उसमें प्रवेश करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह अपना किराया कंडक्टर या ड्राइवर को जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन करता हो, देगा और, यथास्थिति, ऐसे कंडक्टर या ड्राइवर से अपनी यात्रा के लिये टिकट लेगा।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा में, —(क) "पास" से अभिप्रेत है कर्त्तव्य, विशेषाधिकार या सीजन्स पास जिससे वह व्यक्ति, जिसे यह पास दिया जाता है, मंजिली गाड़ी में निःशुल्क यात्रा करने का हकदार होता है और इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मंजिली गाड़ी में यात्रा के लिए संदाय किये जाने पर जारी किया गया पास भी है।

(ख) "टिकट" के अंतर्गत एकल टिकट, वापसी टिकट या सीजन टिकट भी है।

**तुलनात्मक धारा**—82-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**125. ड्राइवर को बाधा.**—मोटरयान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से या ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को खड़ा करने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा न देगा जिससे यान पर नियंत्रण रखने में ड्राइवर को रुकावट हो।

**तुलनात्मक धारा**—83 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**126. बड़े यान.**—कोई भी व्यक्ति, जो मोटरयान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की जगह पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त है अथवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बन्द कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है या

ऐसे अन्य उपाय कर लिये गये हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता।

तुलनात्मक धारा—84 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**127. सार्वजनिक स्थान पर अननुसेवित छोड़ गए या रहने दिए गए मोटरयानों का हटाया जाना.**—[1][(1) जहाँ पर कोई मोटर वाहन किसी लोकस्थान पर 10 घन्टे या उससे अधिक समय के लिये छोड़ देता या उस स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर वाहन का खड़ा किया जाना विधितः निषिद्ध किया गया है वहाँ पर ऐसे वाहन को उस स्थान से किसी भी रीति से क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस द्वारा हटाया जा सकेगा।]

(2) जहाँ कोई छोड़ा गया, अननुसेवित टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से खुला यान, [2][लोक स्थान] के सम्बन्ध में, उसकी हालत के कारण, यातायात संकट उत्पन्न कर रहा है अथवा उसकी विद्यमानता यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही है तो वहाँ ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता है। यान को ढोकर ले जाने की सेवा द्वारा [3][लोक स्थान] से तुरन्त हटाने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है।

(3) जहाँ कोई यान उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाये जाने के लिये प्राधिकृत किया जाता है, वहाँ यान का स्वामी ढोकर ले जाने के सब व्यय के लिये तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिये भी उत्तरदायी होगा।

**128. ड्राइवरों और पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय.**—(1) दो पहिये वाले मोटर साइकिल का ड्राइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति न ले जायेगा और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की जगह के पीछे सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठा कर ले जाया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, दो पहिया मोटर साइकिलों और उसकी पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय विहित कर सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—85 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**129. सुरक्षात्मक टोप का पहनना.**—किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को साइड पर से अन्यथा चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किस सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे वर्णन का सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो [4][भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standard Bureau) द्वारा निर्धारित सुरक्षात्मक हेडगेयर] किये जा सकेंगे।

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिख है, किसी सार्वजनिक स्थान पर, मोटर साइकिल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा के उपबन्ध उसे लागू नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, ऐसे अपवादों के लिये, जो वह ठीक समझे, ऐसे नियमों द्वारा, उपबन्ध कर सकेंगी।

*स्पष्टीकरण*.—"सुरक्षात्मक टोप" से हेलमेट अभिप्रेत है जिसकी—(क) आकृति, सामग्री और बनावट के आधार पर उचित रूप से यह आशा की जा सकती है कि वह किसी मोटर साइकिल

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

के चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति की किसी दुर्घटना की दशा में, क्षति से किसी सीमा तक सुरक्षा करेगा; और

(ख) जो पहनने वाले के सिर में लगे हुये फीतों या अन्य बन्धनों से सुरक्षित रूप से बंधा होगा।

**तुलनात्मक धारा**—85-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

जहाँ मोटर साइकिल सवारों को हेल्मेट पहनना आवश्यक कर दिया गया था वहाँ पगड़ी वाले सिख समुदाय के लोग अलग कर दिये गये थे। धृत किया गया कि ऐसा प्राविधान वैध तथा कानून के अनुसार है और विधायी आदेश का लोकहित में अनुसरण किया जाना चाहिये। [*प्रमांशु कमल* बनाम *अवधेश सिंह भण्डारिया,* (2003)1 ए०आई०सी० 378(म०प्र०)]

हेल्मेट पहनने को एच्छिक बनाने वाला सरकार का आदेश मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 129 के प्राविधानों की शक्ति के बाहर है। इस धारा के प्राविधान आज्ञापक प्रकृति के हैं। इसमें लोकनीति स्पष्टतः निहित है कि दुपहिया वाहन चालक को घातक दुर्घटना का विकार न बनना पड़े। अतः प्राधिकारी अधिनियम के प्राविधानों को लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते। [*सी०एस० सुब्बाराव* बनाम *सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, यातायात विभाग,* ए०आई०आर० 2003 आन्ध्र प्रदेश 59]

**130. अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करने का कर्तव्य.**—(1) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का ड्राइवर वर्दी पहने हुये किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा माँग की जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति जाँच के लिये पेश करेगा :

परन्तु ड्राइवर जहाँ उसकी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है या उसके द्वारा अभिगृहीत की गयी है, अनुज्ञप्ति के स्थान पर उसके बारे में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी की गई रसीद या अन्य अभिस्वीकृति पेश करेगा और तत्पश्चात् ऐसी अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति, ऐसी रीति से जो केन्द्र सरकार विहित करे, माँग करने वाले पुलिस अधिकारी को पेश करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—86 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

[1][(2)किसी भी मोटर वाहन का चालक (Conductor) यदि लोक स्थान पर है तो इस निमित्त मोटर वाहन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की माँग पर परीक्षण के लिये अनुज्ञप्ति (Licence) दिखायेगा।

[2][(3) मोटर वाहन का स्वामी (धारा 60 के अधीन पंजीकृत वाहन के अन्यथा या उसकी अनुपस्थिति में चालक या वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति मोटर वाहन विभाग प्राधिकृत प्राधिकारी या पंजीकृत प्राधिकारी की माँग पर वाहन की बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और जहाँ परवाहन यातायात वाहन (Transport vehicle) है तो वहाँ पर धारा 56 के अधीन वैधता प्रमाणपत्र और अनुमति पत्र (Permit) प्रस्तुत करेगा। यदि और ऐसे व्यक्ति के पास इस प्रकार का कोई कागजात नहीं है तो वहाँ माँग किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर माँग करने वाले प्राधिकारी को उन प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के उद्देश्य से "बीमा प्रमाणपत्र" का तात्पर्य ऐसे प्रमाणपत्र से है जो धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया जाता है।]

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

**तुलनात्मक धारा**—86 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) यदि यथास्थिति उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र परमिट उस समय उस व्यक्ति के पास नहीं है जिससे उसकी माँग की गई है तो उस दशा में, जब ऐसा व्यक्ति अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या परमिट को ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति से पुलिस आफिसर या माँग करने वाले प्राधिकारी को पेश करता है जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, तब इस धारा का पर्याप्त अनुपालन हो जायेगा;

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे यह अपेक्षा की गई है कि वह परिवहन यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसके ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र पेश करे, उस विस्तार तक और ऐसे उपांतरणों के सहित ही लागू होंगे जो विहित किये जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—86 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**131. रक्षक रहित रेल फाटकों पर कतिपय पूर्वविधानियाँ बरतने का ड्राइवर का कर्त्तव्य.** —मोटरयान का प्रत्येक ड्राइवर किसी रक्षक रहित रेल फाटक पर पहुँचने पर यान को रोक देगा और वाहन के कंडक्टर या क्लीनर या परिचर या किसी अन्य व्यक्ति को फाटक तक चलवाएगा और यह सुनिश्चित कराएगा कि किसी भी दिशा में कोई गाड़ी या ट्राली आ तो नहीं रही है और तब मोटरयान को ऐसे फाटक से पार कराएगा, तथा जहाँ यान में कोई कंडक्टर या क्लीनर या परिचर या अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो वहाँ यान का ड्राइवर स्वयं रेल लाइन को पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए यान से उतरेगा कि किसी भी दिशा से कोई गाड़ी या ट्राली आ तो नही रही है।

**132. कुछ दशाओं में ड्राइवर का रूकने का कर्त्तव्य.**—(1) किसी मोटरयान का ड्राइवर उस यान को निम्नलिखित दशाओं में रोकेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जब तक उचित रूप में आवश्यक हो, अर्थात्—

[1][(क) जब ऐसा किया जाना वर्दी में उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्ति, पशु या यान या सम्पत्ति को क्षति की दुर्घटना की घटना में सम्मिलित होने की दशा में, अपेक्षा की जाये, या]

(ख) किसी ऐसे पशु के भारसाधक व्यक्ति द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर जबकि ऐसे व्यक्ति को आशंका है कि वह पशु नियंत्रण के बाहर हो गया है या यान से डर कर अनियंत्रित हो जाएगा, या

(ग) [2][* * *]

और वह अपना नाम और पता यान के स्वामी का नाम और पता ऐसी दुर्घटना या नुकसान से प्रभावित किसी व्यक्ति को बताएगा जो उसकी माँग करे परन्तु यह तब जबकि ऐसा व्यक्ति भी अपना नाम और पता दे।

(2) मोटरयान का ड्राइवर ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग की जाने पर जिसने अपना नाम और पता दिया है और यह अभिकथन किया है कि ड्राइवर ने धारा 184 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, उस व्यक्ति को अपना नाम और पता देगा।

(3) इस धारा में "पशु" शब्द से कोई घोड़ा, ढोर, होथी, ऊँट, गधा, खच्चर, भेड़ या बकरी अभिप्रेत है।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निकाला गया।

**तुलनात्मक धारा**—87 पुराना अधिनियम (iv) 1939:

**133. मोटरयान के स्वामी का जानकारी देने का कर्त्तव्य.**—ऐसे मोटरयान का स्वामी जिसके ड्राइवर या कंडक्टर पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोग है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस आफिसर द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर या कंडक्टर के नाम और पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित ऐसी सब जानकारी देगा जो उसके पास है या जिसे वह समुचित तत्परता से अभिनिश्चित कर सकता है।

**तुलनात्मक धारा**—88 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**134. दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्त्तव्य.**—जब किसी मोटरयान के कारण हुई किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति होती है या पर व्यक्ति को किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तब यान का ड्राइवर या यान का भारसाधक अन्य व्यक्ति—

(क) जब तक कि भीड़ के क्रोध के कारण या नियंत्रण के परे किसी अन्य कारण में ऐसा करना व्यवहार्य न हो, आहत व्यक्ति के लिए चिकित्सकीय परिध्यान प्राप्त करने के लिए सब समुचित कदम उठाएगा और [1]["उसे निकटस्थ चिकित्सकीय परीक्षक के पास या अस्पताल ले जाकर और इस प्रकार प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सकीय परीक्षक तथा अस्पताल में उपस्थित चिकित्सक का यह कर्त्तव्य होगा कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को बिना किसी औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किये चिकित्सकीय सुविध प्रदान करे"

(ख) किसी पुलिस आफिसर द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी उसके लिए माँग किए जाने पर देगा अथवा दशा में, जब कोई पुलिस आफिसर उपस्थित नहीं है, घटना की परिस्थितियों की जिसके अंतर्गत वे परिस्थितियाँ, यदि कोई है, भी है जिनके कारण खण्ड (क) में यथाअपेक्षित चिकित्सकीय परिध्यान कराने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए है, रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने को यथासंभव शीघ्र तथा हर दशा में घटना के चौबीस घंटों के अन्दर देगा।

[2][(ग) लिखित रूप में निम्न सूचना बीमाकर्ता को दुर्घटना के विषय में दिया जाये जिसमें कि बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है—

(i) बीमा पालिसी नम्बर एवं इसकी वैधता अवधि

(ii) दुर्घटना की तिथि एवं समय

(iii) दुर्घटना में क्षतिग्रस्त या मृत व्यक्ति से सम्बन्धित अन्य विवरण

(iv) चालक का नाम एवं उसके चालक अनुज्ञप्ति (Driving Licence) का विवरण

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के उद्देश्यों के लिए "चालक" शब्द में वाहन का स्वामी भी सम्मिलित होगा।

**तुलनात्मक धारा**—89 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**135. दुर्घटना के मामलों और मार्गस्थल सुख-सुविधाओं आदि का अन्वेषण करने के लिए स्कीमें बनाना**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेंगी, अर्थात—

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

(क) मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों की बाबत गहन अध्ययन और विश्लेषण,

(ख) राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएँ;

(ग) राजमार्गों पर यातायात सहायता चौकियाँ; और

(घ) राजमार्गों पर ट्रकों को पार्क करने के लिए काम्पलेक्स।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधन-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

**136. दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण.**—जब कोई मोटरयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसमें वह यान हो और उस यान को परीक्षा के लिए वहाँ से ले जा सकेगा।

परन्तु वह स्थान जहाँ यह यान इस प्रकार ले जाया जाता है, स्वामी को बता दिया जाएगा और यान को [1][''स्वामी, चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति के विषय में औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् 24 घण्टे की अवधि के भीतर''] लौटा दिया जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—90 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**137. केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात—

(क) ऐसे अवसर जिन पर मोटरयानों के ड्राइवरों द्वारा संकेत किए जाएंगे और धारा 121 के अधीन ऐसे संकेत;

(ख) वह रीति जिससे धारा 130 के अधीन पुलिस आफिसर को अनुज्ञप्तियाँ और प्रमाणपत्र पेश किए जाएँगे।

**138. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार धारा 37 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :

(क) जो यान सड़कों पर हैं या खड़े छोड़ दिए गए हैं या परित्यक्त कर दिये गये हैं, उनको भार सहित हटाना और उनकी निरापद अभिरक्षा;

(ख) तोलने के यन्त्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग;

(ग) मार्गस्थ सुख-सुविधा काम्प्लेक्सों का रख-रखाव और प्रबन्ध,

(घ) दमकल यानों, रोगी यानों और अन्य विशेष वर्गों या वर्णन के यानों को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छूट जो विहित हो जाएं;

(ङ) पड़ाव और अड्डों का अनुरक्षण और उनका प्रबन्ध तथा उनके प्रयोग के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें, यदि कोई हों;

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) मोटरयान को पहाड़ी को ढलान पर गियर लगाए बिना या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट स्थान में चलाने का प्रतिषेध;

(छ) चलते मोटरयान को पकड़ने या उस पर चढ़ने का प्रतिषेध;

(ज) मोटरयानों द्वारा पैदल मार्ग या पटरी मार्ग के उपयोग का प्रतिषेध;

(झ) साधारणतया जनता या किसी व्यक्ति खतरे, क्षति या क्षोभ का अथवा सम्पत्ति को खतरे या क्षति का अथवा यातायात में बाधा का निवारण, और

(ञ) कोई अन्य बात तो विहित की जानी है या की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—91 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## अध्याय 9

## अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत में आने वाले मोटरयान

**139. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—(1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सब प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी, अर्थात् :

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत से अस्थायी रूप से भारत के बाहर किसी स्थान को जा रहे है जिनकी इच्छा भारत से अपनी अनुपस्थिति के दौरान मोटरयान चलाने की है, यात्रा पासों, प्रमाणपत्रों या प्राधिकारपत्रों का दिया जाना और उनका अधिप्रमाणीकरण;

(ख) वे शर्तें विहित करना, जिनके अधीन भारत के बाहर से भारत में ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका भारत में अस्थायी रूप से ठहरने का इरादा है, अस्थायी रूप से लाए गए मोटरयान भारत में कब्जे में रखे जा सकेंगे और उनका उपयोग किया जा सकेगा; और

(ग) वे शर्तें विहित करना जिनके अधीन भारत में अस्थायी रूप से ठहरने के लिए भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति भारत में मोटरयान चला सकेंगे।

**तुलनात्मक धारा**—91(1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उन मोटरयानों की सेवाओं को सुगम और विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, जो भारत और किसी अन्य देश के बीच किसी पारस्परिक ठहराव के अधीन चल रहे हैं, और जो यात्री या माल या दोनों का भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क द्वारा वहन करते हैं, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी एक के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी, अर्थात्—

(क) वे शर्तें जिनके अधीन वे मोटरयान जो ऐसी सेवाएं कर रहे हैं, भारत के बाहर से भारत में लाए जा सकेंगे और भारत मे कब्जे में रखे जा सकेंगे और उनका उपयोग किया जा सकेगा,

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन मोटरयान, भारत के किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाए जा सकेंगे,

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे मोटरयानों के ड्राइवरों तथा कंडक्टरों के रूप में नियोजित व्यक्ति भारत में आ सकेंगे या भारत से जा सकेंगे,

(घ) ऐसे मोटरयानों के ड्राइवरों तथा कंडक्टरों के रूप में नियोजित व्यक्तियों को यात्रा पासों, प्रमाणपत्रों या प्राधिकारपत्रों का दिया जाना और उनका अधिप्रमाणीकरण;

(ङ) ऐसे मोटरयानों पर प्रदर्शित की जाने वाली (रजिस्ट्रीकरण चिन्हों से भिन्न) विशिष्टियाँ और वह रीति जिससे ऐसी विशिष्टियाँ प्रदर्शित की जानी हैं।

(च) ऐसे मोटरयानों के साथ ट्रेलरों का उपयोग,

(छ) ऐसे मोटरयानों तथा उनके ड्राइवरों और कंडक्टरों को [उपधारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न] इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सब या किन्हीं उपबन्धों से छूट;

(ज) ऐसे मोटरयानों के ड्राइवरों या कंडक्टरों की पहचान,

(झ) खोए या विरूपति यात्रा पासों, प्रमाणपत्रों या प्राधिकारपत्रों, परमिटों, अनुज्ञप्तियों या किन्हीं अन्य विहित दस्तावेजों का प्रतिस्थापित उतनी फीस देने पर किया जाना जितनी विहित की जाए;

(ञ) ऐसी सड़क परिवहन सेवाओं को सुगम करने की दृष्टि से ऐसी विधियों के उपबन्धों से छूट जो सीमाशुल्क, पुलिस या स्वास्थ्य से सम्बन्धित है,

(ट) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाएं

**तुलनात्मक धारा**—92 (1-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम ऐसे प्रवर्तित न होगा कि उससे किसी व्यक्ति को किसी राज्य में कोई ऐसा कर देने से उन्मुक्ति मिल जाए जो राज्य में मोटरयानों या उनके उपयोक्ताओं पर उदगृहीत किया जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—92 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) इस अधिनियम की या इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम की कोई बात जो :

(क) मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण और उनकी पहचान से सम्बन्धित है, या

(ख) मोटरयानों के निर्माण, अनुरक्षण और उपस्कर की आवश्यकताओं से सम्बन्धित है, या

(ग) मोटरयानों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के अनुज्ञापन तथा अर्हताओं से सम्बन्धित है, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अथार्त—

(i) ऐसा कोई मोटरयान जिसे या किसी मोटरयान का ऐसा ड्राइवर जिसे उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम लागू है; या

(ii) किसी मोटरयान का ऐसा कंडक्टर जिसे उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम लागू है,

**तुलनात्मक धारा**—92 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## अध्याय 10

## कतिपय मामलों में त्रुटि के बिना दायित्व

**140. त्रुटि न होने के सिद्धान्त पर कतिपय मामलों में प्रतिकर कर संदाय करने का दायित्व.**—(1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता मोटरयान या माटरयानों के

उपयोग में कोई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है वहाँ, यथास्थिति, यान का स्वामी या यानों के स्वामी संयुक्ततः और पृथकतः ऐसी मृत्यु या निःशक्तता के बारे में प्रतिकर का संदाय इस धारा के उपबंधों के अनुसार करने के लिए दायी होगें।

(2) ऐसे प्रतिकर की रकम, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (1) के अधीन संदेय होगी [1][पचास हजार] रूपयों की नियत राशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के बारे में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम [2][25,000 (पच्चीस हजार)] रूपये की नियत राशि होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में दावेदार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवाक् या सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निशक्तता जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है सम्बन्धित यान या यानों के स्वामी या स्वामियों या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोषकृत्य, उपेक्षा या व्यक्तिक्रम के कारण हुई थी।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, यथास्थिति, व्यक्ति के जिसकी मृत्यु का स्थायी निःशक्तता के बारे में दावा किया गया है, किसी सदोष, कृत्य, उपेक्षा या व्यक्तिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या निःशक्तता के लिए उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं होगी।

[3][(5) किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति या मृतक के सम्बन्ध मे, उपधारा (2) में बात के अन्यथा होते हुये थी, जिसके सम्बन्ध में वाहन का स्वामी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन है वह तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन भी उस व्यक्ति के प्रतिकर के लिये दायित्वाधीन है।

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर प्रदान किया जाता है तो उसे इस धारा या धारा 163-A के अधीन प्रदान की जाने वाली प्रतिकर में से काट कर दिया जायेगा।]

**तुलनात्मक धारा**—92-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

धारा 140 त्रुटि न होने के सिद्धान्त पर आधारित है। इस धारा के अनुसार यदि दुर्घटना कारित होना, सम्बन्धित वाहन का उसमें संलग्न होना और वाहन का स्वामी साबित हो जाये, तो ड्राइवर की त्रुटि न होने पर भी यान स्वामी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।[4]

बीमा कम्पनी अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत अन्तरिम क्षतिपूर्ति के अदायगी के दायित्व से बच नहीं सकती बशर्ते कि अन्य शर्ते पूर्ण हों। [*कन्हई राय* बनाम *धरम पाल,* ए०आई०आर० 2001 पटना 205]

बिना दोष दायित्व के अन्तर्गत अन्तरिम क्षतिपूर्ति के दावे को स्वतंत्रतः निस्तारित किया जायेगा इस तथ्य पर जोर दिये बिना कि क्या दावा अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत पस्तुत न किया गया है या नहीं। [*मेसर्स ओरिएंटल बीमा कम्पनी लि०* बनाम *सरजूराम,* ए०आई०आर० 2001 पटना 47]

बिना दोष दायित्व एक विधिक दायित्व है तथा अधिनियम की धारा 149(2) के अन्तर्गत बीमा कम्पनी को यह प्रतिरक्षा अन्तरिम क्षतिपूर्ति के स्तर पर उपलब्ध नहीं होगी बशर्ते कि गाड़ी बीमा कम्पनी से बीमाकृत हो। [*दिनेश कुमार* बनाम *बाबू लाल,* (2003)2 एस०पी०एच०टी० 205 (म०प्र०)]

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।
4. *लखन सिंह निरंजन* बनाम *रामकेश,* 2000 (1) ए०डब्लयू०सी० 26।

निस्सन्देह जहाँ अधिनियम धारा 140 के अन्तर्गत दावा अन्तरिम दावे की प्रकृति का है, न्यायालय अधिक उदार धारणा अपना सकती है, किन्तु इसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि दावेदार अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत मुख्य मामले में पहलकर लिया है और बीमा कम्पनी स्वामी या दावेदार से जैसा मामला हो, राशि को वसूलने का अवसर पा जायेगी, यदि अन्ततः यह पाया जाता है कि बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिये दायी नहीं है। *[खण्ड प्रबन्धक, युनाइटेड इण्डिया बीमा कम्पनी लि०* बनाम *भावा टिरकी,* (2002)3 टी०ए०सी० 108]

**141. मृत्यु का स्थायी निःशक्तता के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए अन्य अधिकार के विषय में उपबंध.**—(1) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का दावा करने के लिये अधिकार इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्य विधि के अन्य उपबन्ध के अधीन उसके बारे में प्रतिकर का दावा करने के लिए किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा [1][(इसके पश्चात् वर्णित) धारा 163-A में वर्णित अधिकार के अधीन दावा के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार]

(2) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा यथाशक्य शीघ्रता से निपटाया जाएगा और जहाँ ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में किसी प्रतिकर का दावा धारा 140 के अधीन और त्रुटि के सिद्धान्त पर किसी अधिकार के अनुसरण में भी किया गया है वहाँ धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए दावा उपरोक्त रीति से पहले निपटाया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति त्रुटि के सिद्धान्त पर अधिकार के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी दायी हैं वहाँ इस प्रकार दायी व्यक्ति प्रथम वर्णित प्रतिकर का संदाय केरगा और,—

(क) जहाँ प्रथम वर्णित प्रतिकर की रकम द्वितीय वर्णित प्रतिकर की रकम से कम है वहाँ वह (प्रथम वर्णित प्रतिकर के अतिरिक्त) द्वितीय वर्णित प्रतिकर का केवल उतना संदाय करने के लिए दायी होगा जो उस रकम के बराबर है जो प्रथम वर्णित प्रतिकर से अधिक हो,

(ख) जहाँ प्रथम वर्णित प्रतिकर की रकम द्वितीय वर्णित प्रतिकर की रकम के बराबर या उससे अधिक है वहाँ वह द्वितीय वर्णित प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

**तुलनात्मक धारा**—92-B पुराना अधिनियम (iv) 1939;

**142. स्थायी निःशक्तता.**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी जब ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियाँ हुई हैं जिससे—

(क) किसी नेत्र की दृष्टि का या किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेद हुआ है; या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी आई है; या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूषण हुआ है।

**तुलनात्मक धारा**—92-C पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

**143. 1923 के अधिनियम 8 के अधीन कतिपय दावों को इस अध्याय का लागू होना.**—इस अध्याय के उपबन्ध धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए किसी दावे के सम्बन्ध में भी लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उक्त उपबन्ध आवश्यक उपांतरणों के साथ उस अधिनियम के भाग समझे जाएंगे।

**तुलनात्मक धारा**—92-D पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**144. अध्यारोही-प्रभाव.**—इस अध्याय के उपबन्ध इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी लागू होंगे।

**तुलनात्मक धारा**—92-E पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## अध्याय 11

## मोटरयानों का पर-व्यक्ति जोखिम बीमा

**145. परिभाषा.**—इस अध्याय में—

(क) "प्राधिकृत बीमाकर्ता" से अभिप्रेत हैं वह बीमाकर्ता जो तत्समय साधारण बीमा कारबार के लिए प्राधिकृत है;

(ख) "बीमा प्रमाणपत्र" से वह प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (4) के अनुसरण में दिया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कवर नोट भी है जो ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, जो विहित की जाएं, और जब किसी पालिसी के सम्बन्ध में एक से अधिक प्रमाणपत्र दिए गए हैं या प्रमाणपत्र की कोई प्रतिलिपि दी गई है, तब, यथास्थिति वे, सब प्रमाणपत्र या वह प्रतिलिपि भी इसके अन्तर्गत है;

[1][(ग) "दायित्व" किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी "दायित्व" का प्रयोग किया जाता है, उसके अन्तर्गत धारा 140 के अधीन उसके बारे में दायित्व भी है;

(घ) "बीमा पालिसी" के अन्तर्गत "बीमा प्रमाणपत्र" भी है;

(ङ) "सम्पत्ति" के अन्तर्गत मोटरयान में ले जाया जा रहा माल सड़कें, पुल, पुलिया, काजवे, वृक्ष, स्तंभ तथा मील के पत्थर; भी

(च) "व्यतिकारी देश से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार पारस्परिकता के आधार पर इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में व्यतिकारी देश के रूप में अधिसूचित करे;

(छ) "पर-व्यक्ति" के अन्तर्गत सरकार भी है।

**तुलनात्मक धारा**—93 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**146. पर-व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता.**—(1) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटरयान का उपयोग यात्रा से भिन्न रूप में तभी करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से तभी करायेगा या उसे करने देगा जब, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस यान के

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़या गया।

उपयोग के सम्बन्ध में ऐसी बीमा पालिसी प्रवृत्त है जो इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, अन्यथा नहीं।

[1][परन्तु यह कि खतरनाक एवं संकटकारी वस्तुओं को ले जाने वाला वाहन भी पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 की नीतियों के अधीन होगा।]

*स्पष्टीकरण*—केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में मोटरयान चलाने वाले व्यक्ति को उस समय जब उस यान के उपयोग के सम्बन्ध में ऐसी पालिसी प्रवृत्त नहीं है जैसी इस उपधारा द्वारा अपेक्षित है, इस उपधारा का उल्लंघन करने वाला तभी समझा जायेगा जब वह जानता हो या उसके पास या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं, अन्यथा नहीं है।

(2) उपधारा (1) ऐसे किसी यान को लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से सम्बन्धित नहीं है।

(3) समुचित सरकार आदेश द्वारा ऐसे किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो निम्नलिखित प्राधिकारी में से किसी स्वामित्वाधीन है, अर्थात् :

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस दशा में जब उस यान का उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो किसी वाणिज्यिक उद्यम में सम्बन्धित हो;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) कोई राज्य परिवहन उपक्रम :

परन्तु किसी ऐसे प्राधिकरण के सम्बन्ध में कोई ऐसा आदेश तभी किया जायेगा जब उस प्राधिकरण के किसी यान के उपयोग से पर-व्यक्तियों के प्रति उस प्राधिकरण या उसके नियोजनाधीन किसी व्यक्ति द्वारा उपगत किसी दायित्व की पूर्ति के लिए उस प्राधिकरण द्वारा कोई निधि इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार स्थापति की गई है और बनाई रखी जाती है, अन्यथा नहीं

*स्पष्टीकरण*—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "समुचित सरकार" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है, और—

(i) ऐसे किसी निगम या कम्पनी के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है, केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अभिप्रेत हैं;

(ii) ऐसे किसी निगम या कम्पनी के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के सम्बन्धों में सरकार अभिप्रेत है जिसका उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण है।

**तुलनात्मक धारा**—69 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**147. पालिसियों की अपेक्षाएँ तथा दायित्वों की सीमाएँ.**—(1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बीमा पालिसी होनी चाहिए जो—

---

1. **अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़या गया।**

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है; और

(ख) पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती हैं, अर्थात् :

(i) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होने [1][वाहन द्वारा ले जाने वाले सम्पत्ति के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सहित किसी अन्य व्यक्ति को क्षति"] अथवा किसी पर व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्व;

(ii) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान किसी अन्य स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवायान के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति;

परन्तु किसी पालिसा से यह अपेक्षित न होगा कि वह—(i) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के सम्बन्ध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के सम्बन्ध में ऐसे दायित्व को पूरा करे, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो,—(1923 का 8)

(क) यान चलाने में नियोजित है;या

(ख) सार्वजनिक सेवायान की दशा में, उस यान के कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित है;या

(ग) माल यान की दशा में उस यान में वहन किया जा रहा है, या

(ii) किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करे।

*स्पष्टीकरण*—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा पर—व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान को इस बात के होते हुए भी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु या क्षति हुई है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुँचा है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था या थी, उस दशा में सार्वजनिक स्थान में यान के उपयोग से कारित समझा जायेगा जब कि वह कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था।

**तुलनात्मक धारा**—93 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पालिसी के अन्तर्गत निम्नलिखित सीमाओं तक, किसी दुर्घटना की बाबत उपगत दायित्व होगा, अर्थात—

(क) खण्ड (ख) में यथाउपबन्धित के सिवाय उपगत दायित्व की रकम,

(ख) पंर व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की क्षति की बाबत 6000 रूपये की सीमा :

पर्न्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त सीमित दायित्व वाली बीमा पालिसी ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् चार मास की अवधि के लिए अथवा ऐसी पालिसी के पर्यवसान की तारीख तक, इनमें से जो पुर्वोत्तर हो, प्रभावी बनी रहेगी।

**तुलनात्मक धारा**—95(2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जहाँ तक उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी करायी है, बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रमाणपत्र विहित रूप में और किन्हीं शर्तों को, जिन पर वह पालिसी दी गई है, तथा किन्हीं अन्य विहित बातों का, विहित विशिष्टियों सहित नहीं दे दिया जाता तब तक पालिसी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये प्रभावी न होगी; तथा विभिन्न मामलों के लिए विभिन्न प्रकार प्रारूप, विशिष्टियाँ और बातें विहित की जा सकेंगी।

**तुलनात्मक धारा**—95(4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) जहाँ कवर नोट के पश्चात् जो इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन बीमाकर्ता द्वारा दिया गया है, बीमा पालिसी विहित समय के अन्दर नहीं भेज दी जाती वहाँ बीमा कर्ता कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के सात दिन के अन्दर यह बात उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसके अभिलेख में वह यान रजिस्ट्रीकृत है जिससे कवर नोट संबंधित है अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी की , जो राज्य सरकार विहित करे, अधिसूचना करेगा।

**तुलनात्मक धारा**—95 (4-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता जो इस धारा के अधीन बीमा पालिसी देता है, उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पालिसी में विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति के लिये वह पालिसी तात्पर्यित है।

**तुलनात्मक धारा**— 95 (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 द्वारा पुराने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 95 के उपबन्धों को तात्विक रूप से परिवर्तित कर दिया गया है।[1]

मोटरयान दुघर्टना अधिनियम, 1939 की धारा 95 (1) के अन्तर्गत अनुतोष यात्रियों को मोटरयान दुर्घटना के लिये प्रतिकर प्रदान करने हेतु बीमा कम्पनियाँ उत्तरदायी नहीं थीं, किन्तु नवीन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के अन्तर्गत वे उत्तरदायी है, क्योंकि इस धारा में पूर्ववर्ती धारा के परन्तुक को निकाल दिया गया है। इसके अलावा इस धारा के अन्तर्गत प्रतिकर की अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं की गयी है।[2]

मोटर दुर्घटना के लिए प्रतिकर हेतु तृतीय पक्षकार के प्रति बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व असीमित होने के लिए यह आवश्यक है कि इस बात का उल्लेख पालिसी में हो। मात्र असीमित दायित्व वाले स्तम्भ के समक्ष रिक्त होने के आधार पर बीमा कम्पनी के असीमित उत्तरदायित्व के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।[3]

धारा 147(1) के अन्तर्गत बीमाकर्ता का दायित्व असीमित नहीं होगा तथा उसके साथ जुड़े परन्तुक के क्षेत्र में आने वाले मामले के अपवाद के अधीन होगा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक क्षति परन्तुक के अन्तर्गत आता है तो उसे मुख्य प्राविधान के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना आवश्यक है। [*युनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि०* बनाम *द्रौपदी देवी,* (2001)1 टी०ए०सी० 467]

---

1. *श्रीमती मालवा* बनाम *ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कं० लि० एण्ड अदर्स,* 1990 (1) ए०डब्ल्यू०सी० 478 (एस०सी०) ए०आई०आर० 1999 एस०सी० 589।
2. *न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं०* बनाम *सत्पाल सिंह एण्ड अदर्स,* 2000 (1) ए०डब्ल्यु०सी० 454 (एस०सी०)
3. *नेशनल इंश्योरेन्स कं० लि०* बनाम *नाथी लाल एण्ड अदर्स,* ए०आई०आर० 1999 एस०सी० 623।

बीमा कम्पनी का दायित्व 15,000/– रुपये तक धृत की गयी है तथा बाकी रकम गाड़ी मालिक द्वारा देय होती है। [*न्यू इंडिया एंसोरेंस कम्पनी लि०* बनाम *सुधांशु शेखर आचार्य,* (2002)3 टी०ए०सी० 397 (झार०)]

वर्तमान मामले में प्राविधान ने तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिये बीमाकर्त्ता को निर्देश देने में कोई त्रुटि कारित नहीं किया किन्तु यह स्पष्ट न करने की त्रुटि कारित किया कि ऐसी अदायगी गाड़ी मालिक से अदा की गयी राशि की वसूली के बीमा कर्त्ता के अधिकार के अधीन होगी यदि पालिसी के शर्तो का उल्लंघन सिद्ध हो जाता है तो। [*न्यू इंडिया एंसोरेंस कम्पनी लि०* बनाम *विद्यादेवी अग्रवाल,* (2002)3 टी०ए०सी० 205 (उड़ीसा)] इस मामले में ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 1419 का अनुसरण किया गया।

**148. व्यक्तिकारी देशों में दी गई बीमा पालिसियों की विधिमान्यता.**—जहाँ भारत और किसी व्यक्तिकारी देश के बीच हुए ठहराव के अनुसरण में ऐसा कोई यान, जो व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी किसी मार्ग या किसी क्षेत्र में चलता है, जो दोनों देशों में पड़ता है, और यान का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यक्तिकारी देश में ऐसी पालिसी प्रवृत्त है जो उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है वहाँ भाग 147 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 164 के अधीन बनाये जाएँ, ऐसी बीमा पालिसी उसे पूरे मार्ग या क्षेत्र में, जिसकी बाबत वह ठहराव किया गया है, ऐसे प्रभावी होगी मानों वह बीमा पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो।

तुलनात्मक धारा—95-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**149. पर-व्यक्ति जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरूद्ध हुए निर्णयों और अधिनिर्णयों की तुष्टि करने का बीमाकताओं का कर्त्तव्य.**—(1) यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा-प्रमाणपत्र दे दिये जाने के पश्चात् धारा 147 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन पालिसी द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित दायित्व के सम्बन्ध में [1][या धारा 163-A के प्राविधानों के अधीन] ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय या अधिनिर्णय अभिप्रेरित कर लिया जाता है जिसका पालिसी द्वारा बीमा किया हुआ है तो इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पालिसी को शून्य करने या रद्द करने का हकदार है अथवा उसने पालिसी शून्य या रद्द कर दी है बीमाकर्ता इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, डिक्री का फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति को, उस दायित्व के सम्बन्ध में उसके अधीन देय राशि, जो बीकाकृत राशि से अधिक न होगी, खर्चों की बाबत देय किसी रकम तथा निर्णयों पर ब्याज सम्बन्धी किसी अधिनियम के आधार से उन राशि पर ब्याज की बाबत देय किसी धनराशि सहित इस प्रकार देगा मानो वह निर्णीतऋणी हो।

तुलनात्मक धारा—96(1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि किसी निर्णय या अधिनिर्णय के सम्बन्ध में तभी देय होगी जब उन कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पूर्व जिनमें निर्णय या अधिनिर्णय दिया गया है, बीमाकर्ता को उन कार्यवाहियों के लाये जाने की सूचना न्यायालय या दावा अधिकरण के माध्यम से मिल चुकी थी अथवा किसी निर्णय या अधिनिर्णय के सम्बन्ध में, जब तक उसका निष्पादन अपील के लम्बित रहने पर रोक दिया गया है, अन्यथा नहीं, और कोई बीमाकर्ता जिसे ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के लाये जाने की सूचना इस प्रकार दी जा चुकी है,

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उनका पक्षकार बनाये जाने और निम्नलिखित आधारों में किसी आधार पर प्रतिषद करने का हकदार होगा, अर्थात् :

(क) पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त को भंग किया गया है जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात् :

(i) ऐसी शर्त, जो यान का निम्नलिखित दशाओं में उपयोग किये जाने को अपवर्जित करती है, अर्थात् :

(क) भाड़े या पारिश्रमिक के लिए जब वह यान बीमा संविदा की तारीख को ऐसा यान है जो भाड़े पर पारिश्रमिक पर चलाने के परमिट के अन्तर्गत नहीं है, या

(ख) आयोजित दौड़ और गति परीक्षा के लिये, या

(ग) जिस परमिट के अधीन यान का उपयोग किया जाता है उसके द्वारा अनुज्ञात न किये गये प्रयोजन के लिए, जब वह यान परिवहन यान है, या

(घ) साइड कार संलग्न किये बिना, जब यान मोटर साइकिल है, या

(ii) ऐसी शर्त जो नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो सम्यकरूप से अनुज्ञाप्त नहीं है या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे चालन अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने से नरर्हित की दिया गया है, निरहर्ता की अवधि के दौरान यान का चलाया जाना अपवर्जित करती है; यथा

(iii) ऐसी शर्त जो युद्ध गृहयुद्ध, बल्वे या सिविल अशान्ति के कारण या उससे हुई कोई क्षति के लिये दायित्व अपवर्जित करती है; या

(ख) वह पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह किसी तात्विक तथ्य के प्रकट न किये जाने के तथ्य के व्यपदेशन से, जिसकी कोई तात्विक विशिष्ट मिथ्या है, अभिप्राप्त की गई थी।

**तुलनात्मक धारा**—96 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) जहाँ ऐसा कोई निर्णय, जैसा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, किसी व्यतिकारी देश के न्यायालय से अभिप्राप्त किया गया है तथा विदेशी निर्णय होते हुए भी उस विषय की बाबत, जिसका न्यायनिर्णयन उसके द्वारा किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का 5 की धारा 13 के उपबन्धों के आधार पर निश्चायक है वहाँ बीमाकर्ता (जो बीमा अधिनियम, 1938 का 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, भले ही वह व्यतिकारी देश की तत्समान विधि के अधीन रीति से और उस विस्तार तक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, ऐसे दायी होगा मानों यह निर्णय भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया हो :

परन्तु बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि किसी ऐसे निर्णय के सम्बन्ध में तभी संदेय होगी जब उन कार्यवाहियों के, जिनमें निर्णय दिया गया है, प्रारम्भ के पूर्व बीमाकर्ता को उन कार्यवाहियों के लाये जाने की सूचना सम्बन्धित न्यायालय के माध्यम से मिल चुकी थी, अन्यथा नहीं तथा कोई बीमाकर्ता, जिस सूचना ऐसे दी गई है, व्यतिकारी देश की तत्समान विधि के अधीन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाये जाने और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों के समान आधारों पर प्रतिवाद करने का हकदार है।

**तुलनात्मक धारा**—96 (2-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) जहाँ उस व्यक्ति को, जिनसे पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र दे दिया गया है वहाँ पालिसी का उतना भाग जितना उस पालिसी द्वारा बीमाकृत

व्यक्तियों का बीमा उपधारा (2) के खण्ड (ख) में दी गई शर्तों से भिन्न किन्हीं शर्तों से निर्बन्धित करने के लिए तात्पर्यित है, धारा 147 की उपधारा (1) के खण्ड 9 (ख) के अधीन पालिसी के द्वारा पूरा करने के लिए अपेक्षित दायित्व के सम्बन्ध में प्रभावहीन होगा :

परन्तु बीमाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व के उन्मोचन में निर्वहन भत्ते दी गई कोई धनराशि, जो केवल इस उपधारा के आधार पर पालिसी के अन्तर्गत है, बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति से वसूल की जा सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—96 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) यदि वह रकम, जिसे बीमाकर्ता पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत दायित्व की बाबत देने के लिए इस धारा के अधीन जिम्मेदार हो जाता है, उस रकम से अधिक है जिसे देने के लिये बीमाकर्ता इस धारा के उपबन्धों से अन्यथा उस दायित्व को बाबत पालिसी के अधीन जिम्मेदार हो जाता, तो बीमाकर्ता उस अधिक की बाबत पालिसी के अधीन जिम्मेदार हो जाता, तो बीमाकर्ता उस अधिक रकम को उस व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा।

**तुलनात्मक धारा**—96 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(6) इस धारा में "तात्विक तथ्य" और "तात्विक विशिष्ट" पदों से क्रमशः इस प्रकार की विशिष्ट अभिप्रेत है और जिससे किसी भी व्यवहारकुशल बीमाकर्ता के विवेक पर यह अवधारित करने में प्रभाव पड़े कि क्या वह जोखिम उठाए और यदि वह ऐसा करे तो कितने प्रीमियम पर तथा किन शर्तों पर करे और "जो दायित्व पालिसी के निर्बधनों के अन्तर्गत है" पदावली से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है जो पालिसी के अंतर्गत है या जो इस तथ्य के सिवाय पालिसी के अन्तर्गत होता है कि बीमाकर्ता पालिसी को शून्य या रद्द करने का हकदार है या उसे शून्य या रद्द कर चुका है।

**तुलनात्मक धारा**—96 (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(7) कोई भी बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दे दी गई है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्णय को फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व को उस रीति से शून्य करने का हकदार होगा, जो यथास्थिति, उपधारा (2) में या व्यतिकारी देश की तत्समान विधि में उपबन्धित है, अन्यथा नहीं।

***स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बाबा अधिकरण" के धारा 165 के अधीन** गठित दावा अधिकरण और "अधिनिर्णय" से धारा 168 के अधीन ऐसे अधिकरण दावा दिया गया अधिनिर्णय अभिप्रेत है।

**तुलनात्मक धारा**—96 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## सार-संक्षेप

1. *बीमा कम्पनी का अधिकार एवं उत्तरदायित्व*
2. *अनिवार्य बीमा*
3. *अन्य पक्षकार जोखिम*
4. *स्वामी के अन्तरण की दशा में बीमाकर्ता का दायित्व*
5. *स्वामी तथा चालक दोनों का दायित्व*
6. *ऐसा गाड़ी के सम्बन्ध में जो किसी अलाइसेन्सधारी चालक द्वारा चलाई जाये बीमाकर्ता का दायित्व*
7. *योगदायी उपेक्षा (Contributory negligence)*
8. *स्वामी के सेवक के कार्यों के लिये दायित्व*
9. *बीमाकर्ता के विरुद्ध वाद में मर्यादा (Limiatation)*

**1. बीमा कम्पनी का अधिकार एवं उत्तरदायित्व.**—मोटरयान से दुर्घटना के लिए प्रतिकर के मामले में बीमा कम्पनी को प्रतिवाद करने का अधिकार काफी सीमित है। वह मात्र मोटरयान दुर्घटना अधिनियम, 1988 की धारा 149 (2) के अन्तर्गत उल्लिखित आधारों पर ही आपत्ति का सकती है।[1]

यदि किसी वाहन के सम्बन्ध में बीमा पालिसी जारी की गयी है, तो तृतीय पक्षकार (दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति) बीमा कम्पनी के विरुद्ध अपना दावा पोषण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है कि उस बीमा पालिसी की सभी प्रीमियम का भुगतान किया गया था या नहीं । इसका कारण यह है कि बीमा पालिसी की प्रीमियम के भुगतान के सम्बन्ध में तृतीय पक्षकार का कोई दायित्व नहीं होता।[2]

यदि मोटरयान दुर्घटना के कारण क्षति के लिए मोटरयान न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति का विरोध यान स्वामी द्वारा नहीं कियो जाता है, तो उसका विरोध करने की शक्ति उस यान का बीमा करने वाली बीमा कम्पनी को नहीं है।[3]

इस वाद में वाहन से दुर्घटना दोपहर को 1 बजे हुई, जबकि वाहन का बीमा शाम को 2.30 बजे किया गया । उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि बीमा कम्पनी उस दुर्घटना हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।[4]

मोटरयान दुर्घटना में याची के बाएं हाथ की 4 अंगुलियाँ टूट गयी। न्यायाधिकरण द्वारा 30,000 रु० प्रतिकर प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 60,000 रु० कर दिया, किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा इस राशि को घटाकर 40,000 रु० कर दिया गया।[5]

**2. अनिवार्य बीमा.**—गाड़ी चलाने में दुर्घटनाओं की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विधान मण्डल ने अन्य पक्षकार जोखिम के विरुद्ध बीमा को अनिवार्य कर दिया है जिससे बीमाकृत व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा (Protection) हो सके।

**3. अन्य पक्षकार जोखिम**—यह पद वह व्यक्त करते है कि बीमाकर्ता संविदा का एक पक्षकार है तथा पालिसी द्वारा दूसरा पक्षकार है, और गाड़ी की दुर्घटना से प्रभावित अन्य व्यक्तियों के दावे को अन्य पक्षकार (Third Party) द्वारा किया गया दावा कहा जा सकता है।

अन्य पक्षकार से अधिकर अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित तक ही सीमित रहते हैं। वह बीमाकर्ता तथा बीमाकृत व्यक्ति के बीच हुई संविदा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।[6]

**4. स्वामी के अन्तरण की दशा में बीमाकर्ता का दायित्व.**—किसी विपरीत व्यक्त अनुबन्ध के अभाव में पालिसी के संधारण (Subsistence) के लिए बीमाकृत गाड़ी का सतत् स्वामित्व (Continued Ownership) आधार होता है।[7] गाड़ी के स्वामित्व के अन्तरण की दशा में जब तक कि बीमाकर्ता तथा नव आगन्तुक व्यक्ति के बीच कोई यह करार न हो जाय कि पालिसी प्रवर्तन में रहेगी, बीमा पालिसी का प्रभावी रहना समाप्त हो जायेगा।[8]

इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का पुस्तक में गाड़ी मूल स्वामी का नाम अभिलिखित रहती है। उस पर भी गाड़ी अन्तरित हो जायेगी और उसके कारण बीमाकर्ता का

---

1. *चिन्नम्मा जार्ज एण्ड अदर्स* बनाम *एन०के० राजू एण्ड अदर्स,* 2000 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1596 (एस०सी०)।
2. *न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *रुल्स एण्ड अदर्स* 2000(2) ए०डब्ल्यू०सी० 1358 (एस०सी०)।
3. *ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कं०लि०* बनाम *नन्हूमल शर्मा एण्ड अदर्स,* 2000 (4) ए०डब्ल्यू०सी० 2655।
4. *न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *राकेश तलवार,* 2000 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 2482 (एस०सी०)।
5. *श्रीमती बी० मंगलेश्वरी* बनाम *बी० बालकृष्णा रेड्डी एण्ड अदर्स,* 2000 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 248 एस०सी०।
6. ए०आई०आर० 1958 आन्ध्र प्रदेश 309।
7. ए०आई०आर० 1968 जम्मू एण्ड कश्मीर 2।
8. ए०आई०आर० 1951 पंजाब 114 : ए०आई०आर० 1965 म० प्र० 164।

दायित्व समाप्त हो जायेगा।[1] पालिसी में किसी विपरीत व्यक्त अनुबन्ध के अभाव में, उसी समय जबकि बीमाकृत व्यक्ति कार को बेच देता है, उससे सम्बन्धित पालिसी व्यपगत हो जाती है। क्योंकि कार या कोई अन्य गाड़ी ही बीमा की संविदा की विषय-वस्तु या मात्र आधार होती है।

**5. स्वामी तथा चालक दोनों का दायित्व.**—किसी दुर्घटना से उद्‌भूत घायल व्यक्ति या मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के भुगतान के दायित्व की दशा में, गाड़ी के स्वामी तथा चालक भी दायित्वाधीन होते हैं केवल शर्त यह है कि चालक ने गाड़ी चलाने में गफलत किया हो, और वह दावा जो उनके विरुद्ध किया जाए, उसमें (बीमाकृत) गाड़ी का स्वामी तथा चालक पक्षकार बनाए जाएंगें।[2]

**6. ऐसा गाड़ी के सम्बन्ध में जो किसी अलाइसेन्सधारी चालक द्वारा चलाई जाये बीमाकर्ता का दायित्व.**—किसी बीमा पालिसी में, इन्श्योरेन्स कम्पनी किसी प्रतिकर के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं हो सकती थी यदि गाड़ी जो किए भारी गाड़ी थी, चालक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही हो। इन्श्योरेन्स कम्पनी का कोई दायित्व न होगा यदि दुर्घटना तब हो जबकि गाड़ी कार्यशाला (Workshop) के किसी मिस्त्री द्वारा चलाई जा रही हो जिसने चालक का लाइसेन्स प्राप्त किया हो, किन्तु ऐसा लाइसेन्स केवल हल्की गाड़ी चलाने का हो।[3]

**7. योगदायी उपेक्षा (Contributory negligence).**—जबकि दो बसें आमने-सामने की दिशाओं में अति तीव्र गति से चल रही थीं और ऐसा करने में वह एक दूसरे से रगड़ खा गयी और एक यात्री जो अपना हाथ खिड़की के बाहर रखे था घायल हो गया और उसका हाथ काटना पड़ा, यह धारण किया गया है कि वह योगदायी उपेक्षा का दोषी नही था; और दोनों बसों का बीमा करने वाली बीमा अपनी स्वामियों के साथ संयुक्त रूपेण प्रतिकर के भुगतान के लिए दायित्वधीन थी।[4]

**8. स्वामी के सेवक के कार्यों के लिये दायित्व.**—यदि कोई गाड़ी कारबार लाइसेन्स के प्रयोजन के लिये चलाई जा रही हो या गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाना न जानता हो अथवा मदिरा पान किए हुये हो, तो स्वामी सेवक की उपेक्षा के फलस्वरूप किसी पक्षकार को जो उससे पीड़ित हुआ हो नुकसानी का भुगतान के लिए दायित्वाधीन होगा। बीमाकर्ता उपधारा (2) के अधीन नुकसानी के भुगतान के लिए दायित्वाधीन धारित नहीं किया जा सकता था।[5]

**9. बीमाकर्ता के विरुद्ध वाद में मर्यादा (Limitation).**—भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम 13 सन् 1985 के अधीन मृत व्यक्ति के वारिस मारे गये व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक से एक वर्ष के भीतर बीमाकर्ता के विरुद्ध वाद चला सकते हैं।

लेकिन ए०आई०आर० 1957 मद्रास 236 में यह धारण किया गया कि चोट खाने वाला तथा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय प्राप्त करने वाला अन्य पक्षकार, (मो० गा० अधिनियम सन् 1935 की धारा 96 के अधीन बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये बिना ही) बीमाकर्ता व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है। ऐसी दशा में बीमाकृत व्यक्ति को बीमाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा, और उसके लिए मर्यादा की अवधि तीन वर्ष होगी।

**क्या अधिकरण के समक्ष दावों के सम्बन्ध में बीमाकर्ता को प्रतिरक्षा के लिए धारा 96 (2) के अधीन प्राप्त आधार पूर्ण (Exhaustive) है?** इस विषय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गये हैं।

सामान्य नियम तो यह है कि बीमाकर्ता को सिवाय उन अभिवचनों को जो कि धारा 96 (2) में उल्लिखित है, अन्य अभिवचनों को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर भी, यदि बीमाकर्ता ने

---

1. ए०आई०आर० 1971 मद्रास 224 : ए०आई०आर० 1961 मद्रास 238।
2 ए०आई०आर० 1968 जम्मू तथा कश्मीर 2।
3. (1965) 2 एम०एल०जे 100।
4. (1962) आर०एल०डब्ल्यू 225।
5. ए०आई०आर० 1955 असम 157 (खंडपीठ)।

बीमाकृत व्यक्ति के नाम में किसी वाद की प्रतिरक्षा करने के लिए पालिसी में कोई अधिकार आरक्षित (Reserved) कर लिया है, तो वह ऐसे समस्त अभिवचन कर सकता हे जिनके करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति को छूट हो। धारा 96 स्वयं बीमा के एक अस्तित्वशील संविदा (Subsitsting Contract) की वांछा एवं उपधारणा करती है; और इस लिये इस प्रतिरक्षा को कि बीमाकर्ता व्यक्ति के बीच कोई विधिमान्य पालिसी अस्तित्व में नहीं थी, लिया जा सकता है।

ऐसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जिनमें जोखिम न तो बीमा की संविदा के अंतर्गत आता हो और न ही उसका मोटर गाड़ी अधिनियम सन् 1939 के कारण अनिवार्य रूप से अंतर्गत आना अपेक्षित हो। इन परिस्थितियों में बीमाकर्ता दावे की तुष्टि करने से इंकार कर सकता है, और प्रतिकर के आवेदन का प्रतिरोध कर सकता है।

धारा 96 केवल यह स्पष्ट करती है कि यदि पंच-निर्णय (Award) दिया जाए तो इन्स्योरेन्स कम्पनी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह दावे का भुगतान कर दे। वह कहीं भी यह निर्धारिति नहीं करती कि यदि इन्स्योरेन्स कम्पनी की बीमाकर्ता की अनुपस्थिति में दायित्व का प्रतिविरोध करने की अनुमति दी जाए तो उसकी कभी भी दायित्वाधीन धारित नहीं किया जायेगा। अतः यह प्रतिविरोध नहीं किया जा सकता कि जब तक बीमाकर्ता को किसी कार्यवाही का पक्षकार नहीं बनाया जाता था यदि पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् उसके नाम को प्रत्यर्थितों की पंक्ति से इस आधार पर काट दिये जाने का आदेश कर दिया जाये कि उसको किसी न्यायालय में वाद चलाये जाने के लिए राजनयिक छूट (Diplomatic immunity) प्राप्त है, तब तक इन्स्योरेन्स कम्पनी को कभी भी दायित्वाधीन धारित नहीं किया जा सकता।[1] जम्मू तथा कश्मीर 58 में विभेद किया गया (Distinguished) बीमाकर्ता के पक्षकार न बनाए जाने के आधार पर इन्स्योरेन्स कम्पनी के विरुद्ध दिया गया पंच-निर्णय दोषपूर्ण नहीं होता।

## टिप्पणी

1988 के अधिनियम की धारा 149(2) दावेदारों के दावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा रखने में बीमार्कत्ताओं को समर्थ बनाती है। धारा 149(2)(ग) के शब्दों में प्रतिरक्षाओं में एक जो बीमाकर्त्ता को प्राप्त है यह है कि प्रश्नगतयान परमिट द्वारा स्वीकृत उद्देश्य के लिये नहीं प्रयोग किया जिसके अन्तर्गत यान का प्रयोग किया गया था। [*न्यू इंडिया एंसोरेंस कम्पनी लि०* बनाम *आशारानी,* 2003 एम०पी०एच०टी० 474 (एस०सी०)]

एक बार बीमाकर्त्ता कि ट्रक के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में चलाने के लाइसेन्स को वैध मानकर क्षतिपूर्ति की अदायगी कर देने पर उनको कोई अधिकार नही है कि उसी चालक द्वारा घृत चलन लाइसेन्स को तीसरे पक्षों के क्षतिपूर्ति के दावा करने पर चुनौती दें। [*राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि०* बनाम *नेमराज,* (2002)3 टी०ए०सी० 234]

बीमा कम्पनी अपने अभिकर्त्ता के द्वारा जारी किये गये कवरनोट के आधार पर क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिये दायी है। [*ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लि०* बनाम *ह्वाइट रोज,* ए०आई०आर० 2002 इला० 117]

बीमा कम्पनी अपनी दी गयी राशि के लिये बीमा धारक से दावाकर सकता यदि यह स्थापित करने में सफल हो जाता है कि चालक के पास चालन लाइसेन्स वैध नहीं था। [*राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लि०* बनाम *अतर खातून,* (2003)1 टी०ए०सी० 19 (झार०)]

**150. बीमाकृत व्यक्ति के दिवालिए होने पर बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पर व्यक्ति के अधिकार.** —(1) जहाँ इस आशय के उपबन्धों के अनुसार की गई बीमा संविदा के अधीन किसी व्यक्ति का बीमा उन दायित्वों के लिये किया गया है जो वह पर-व्यक्तियों के प्रति उपगत करे वहाँ—

(क) उस व्यक्ति के दिवालिया हो जाने अथवा अपने लेनदारों के प्रशासन या ठहराव कर लेने पर, या

---

1. ए०आई०आर० 1978 पंजाब तथा हरियाणा 113 : ए०आई०आर० 1962 पंजाब 522 तथा ए०आई०आर० 1959।

(ख) यदि बीमाकृत व्यक्ति कम्पनी है तो उस कम्पनी के परिसमापन के लिये आदेश दे दिये जाने अथवा स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प पारित कर दिए जाने पर अथवा उस कम्पनी के कारबार या उपक्रम का रिसीवर या प्रबन्धक सम्यक रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर अथवा किसी संपत्ति के चलभार डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस सम्पत्ति का, जो भार में समाविष्ट या उसके अधीन है, कब्जा ले लिए जाने पर,

उस दशा में जब, ऐसा होने से पूर्व या पश्चात् कोई ऐसा दायित्व बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत कर लिया जाता है, संविदा के अधीन उदस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार, विधि के किसी उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को अंतरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे जिसके प्रति वह दायित्व उपगत किया गया था।

**तुलनात्मक धारा**—97 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) जहाँ दिवाल विधि के अनुसार मृत ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दिया गया है वहाँ यदि दिवाला कार्यवाही में साबित किये जाने योग्य कोई ऋण मृतक द्वारा किसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति को देय है जिसके लिए उसका बीमा इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार बीमा संविदा के अधीन किया गया था तो उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध मृत ऋणी के अधिकार विधि के किसी उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को अंतरित और उससे निहित हो जाएंगे जिसको वह ऋण देय हो।

**तुलनात्मक धारा**—97 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए दी गई पालिसी में ऐसी कोई शर्त प्रभावहीन होगी जिससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षः यह तात्पर्यित है कि उन घटनाओं में से, जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में विनिर्दिष्ट है, कोई भी घटना बीमाकृत व्यक्ति के बारे में हो जाने पर अथवा दिवाला विधि के अनुसार मृत ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दिये जाने पर पालिसी शून्य हो जाएगी अथवा उसके अधीन पक्षकारों के अधिकार परिवर्तित हो जाएंगें।

**तुलनात्मक धारा**—97 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर, बीमाकर्ता का पर-व्यक्ति के प्रति होता किन्तु—

(क) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व पर-व्यक्ति के प्रति बीमाकृत व्यक्ति के दायित्व से अधिक है तो इस अध्याय की कोई बात ऐसे आधिक्य के बारे में बीमाकर्ता के विरुद्ध बीमाकृत व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी, तथा

(ख) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व पर-व्यक्ति के प्रति बीमाकृत व्यक्ति के दायित्व से कम है तो इस अध्याय की कोई बात अतिशेष के बारे में बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध पर-व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी।

**तुलनात्मक धारा**—97 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**151. बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्त्तव्य.**—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके खिलाफ धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी दायित्व की बाबत कोई दावा किया जाता है, दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से माँग की जाने पर यह बताने से इंकार न करेगा कि क्या उस दायित्व की बाबत किसी ऐसे पालिसी द्वारा, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन दी गई है, उसका बीमा किया हुआ है या नहीं अथवा यदि बीमाकर्ता ने

पालिसी शून्य या रद्द न कर दी होती तो वह ऐसे बीमाकृत रहता या नहीं और वह उस दशा में, जिसमें वह ऐसे बीमाकृत है या होता उस पालिसी से सम्बन्धित ऐसी विशिष्टियाँ देने से इंकार न करेगा जो उसकी बाबत दिये गये बीमा-प्रमाणपत्र से विनिर्दिष्ट थी।

(2) किसी व्यक्ति के दिवालिया हो जाने अथवा अपने लेनदारों से प्रशमन या ठहराव कर लेने पर अथवा दिवाला विधि के अनुसार मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दे दिये जाने पर अथवा किसी कम्पनी के परिसमापन के लिये आदेश दे दिये जाने पर अथवा उस कम्पनी के स्वेच्छया परिसमापन के लिये संकल्प पारित कर दिए जाने पर अथवा किसी कम्पनी के कारबार या उपक्रम का रिसीवर या प्रबन्धक सम्यक् रूप से नियुक्त कर दिये जाने पर अथवा किसी सम्पत्ति के चल-भार द्वारा प्रतिभूत किन्हीं डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उसकी ओर से उस संपत्ति का जो भार में समाविष्ट या उसके अधीन है, कब्जा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, जो यह दावा करता हे कि दिवालिया ऋणी या कम्पनी उसके प्रति ऐसे दायित्व के अधीन है, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अंतर्गत है ऐसी जानकारी दे जिसकी उसके द्वारा यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या कोई अधिकार धारा 150 के अधीन उसे अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं तथा ऐसे अधिकारों को, यदि कोई हो, प्रवृर्तित कराने के प्रयोजन से उचित रूप से अपेक्षा की जायें, तथा ऐसी कोई बीमा संविदा प्रभावहीन होगी जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त दशाओं में ऐसी जानकारी दी जाने पर संविदा का शून्य हो जाना उसके अथवा उसके अधीन पक्षकारों के अधिकारों का परिवर्तित हो जाना अथवा उक्त दिशाओं में उसका दिया जाना अन्यथा प्रतिषिद्ध या निवारित हो जाना अन्यथा प्रतिषिद्ध या निवारित हो जाना तात्पर्यित हो।

(3) यदि उपधारा (2) के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति को दी गई। जानकारी उसके पास यह अनुमान लगा लेने का उचित आधार है कि इस अध्याय के अधीन उसे किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार अंतरित हो गये है या हो गए हों तो उस बीमाकर्ता का यही कर्त्तव्य होगा जो उक्त उपधारा के अनुसार उन व्यक्तियों का है, जो उसमें वर्णित है।

(4) जानकारी देने के कर्त्तव्य के अंतर्गत, जो इस धारा द्वारा अधिरोपित है, यह कर्त्तव्य भी होगा कि जो बीमा संविदाएं, प्रामियम रसीदें और अन्य सुसंगत दस्तावेज़ें उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, जिन पर ऐसा कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है उनका निरीक्षण किया जाने दिया जाये और उनकी प्रतियाँ ली जाने दी जाएँ।

**तुलनात्मक धारा**—98 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**152. बीमाकर्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता.**—(1) किसी ऐसे दावे के बारे में जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, बीमाकर्ता द्वारा किया गया कोई समझौता तभी विधिमान्य होगा जब ऐसा पर-व्यक्ति उस समझौते का पक्षकार है, अन्यथा नहीं।

(2) जहाँ वह व्यक्ति, जिसका बीमा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये दी गई पालिसी के अधीन किया हुआ है, दिवालिया हो गया है, अथवा जहाँ उस दशा में, जिसमें ऐसा व्यक्ति कम्पनी है, उस कम्पनी के परिसमापन के लिए आदेश दे दिया गया है अथवा उसके स्वच्छता परिसमापन के लिये संकल्प पारित कर दिया गया है वहीं, यथास्थिति, पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व उपगत हो जाने के पश्चात् अथवा दिवाले या परिसमापन के प्रारम्भ के पश्चात् न तो बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच किया गया कोई करार और न पूर्वोवत प्रारम्भ के पश्चात् बीमाकृत

व्यक्ति को दी गई कोई अदायगी, उन अधिकारों को विफल करने के लिए प्रभावी होगी जो पर-व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन अंतरित है बल्कि वे अधिकार वैसे ही रहेंगे मानो ऐसा कोई करार, अधित्यजन, समनुदेशन या व्ययन या अदायगी न की गई हो।

**तुलनात्मक धारा**—99 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**153. धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के बारे में व्यावृत्ति.**—(1) धारा 150 धारा 151 और धारा 152 के प्रयोजनों के लिए किसी बीमा पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में पर व्यक्ति के प्रति दायित्व के प्रति निदेश के अंतर्गत उस व्यक्ति के किसी अन्य बीमा पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में दायित्व के प्रति निदेश न होगा।

(2) धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के उपबन्ध वहाँ लागू न होंगे जहाँ कम्पनी का स्वेच्छया परिमापन उसके पुनर्गठन के अथवा दूसरी कम्पनी से उसके समामेलन के प्रयोजन के लिये ही किया जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—100 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**154. बीमाकृत व्यक्तियों के दिवाले से बीमाकृत के दायित्व या पर-व्यक्तियों के दावे पर प्रभाव न पड़ना.**—जहाँ उस व्यक्ति को, जिसने पालिसी कराई है, बीमा-प्रमाणपत्र दे दिया गया है वहाँ जिस व्यक्ति का पालिसी द्वारा बीमा किया गया है उसके सम्बन्ध में धारा 150 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित प्रकार किसी घटना के होने से उस व्यक्ति के इस प्रकार के किसी दायित्व पर, जो धारा 147 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी कोई प्रभाव न पड़ेगा; किन्तु इस धारा की कोई बात बीमाकर्ता के विरुद्ध ऐसे किन्हीं अधिकरों पर प्रभाव न डालेगी जो उस व्यक्ति को, जिसके प्रति वह दायित्व उपगत किया गया था, धारा 150 धारा 151 और धारा 152 के उपबन्धों के अधीन प्रदान किये गये हैं।

**तुलनात्मक धारा**—101 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**155. कुछ वाद-हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव.**—भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 306 में किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति की मृत्यु जिसके पक्ष में बीमा-प्रमाणपत्र दिया गया है, उस दशा में जिसमें वह ऐसी घटना होने के पश्चात् होती है जिससे इस अध्याय के उपबन्धों हेतु दावा पैदा हो गया है, ऐसे किसी वाद-हेतुक के जारी रहने को वर्जित न करेगी जो उसकी संपदा या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना से पैदा होता हैं

**तुलनात्मक धारा**—102 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**156. बीमा-प्रमाणपत्र का प्रभाव.**—जब बीमाकर्ता में ऐसी बीमा संविदा के बारे में, जो बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच है, बीमा-प्रमाणपत्र दे दिया है, तब—

(क) यदि और जब तक प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी, बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को नहीं दी गई है और तब तक बीमाकर्ता की बाबत, जहाँ तक बीमाकर्ता और बीमाकृत से भिन्न किसी व्यक्ति के बीच की बात है, यह समझा जाएगा कि उसने बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पालिसी दे दी है जो सभी प्रकार से ऐसे प्रमाणपत्र में दिये हुए वर्णन और विशिष्टियों के अनुरूप है; और

(ख) यदि बीमाकर्ता ने प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकृत को दे दी है, किन्तु पालिसी के वास्तविक निर्बधन पालिसी को उन विशिष्टयों से, जो प्रमाणपत्र में उल्लिखित है, उन व्यक्तियों के लिए कम अनुकूल है जो पालिसी के अधीन या

आधार पर बीमाकर्ता के विरुद्ध दावा या तो प्रत्यक्ष रूप से या बीमाकृत माध्यम से करते हैं, तो जहाँ तक बीमाकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के बीच की बात है, पालिसी की बाबत यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रकार से उन विशिष्टियों के अनुरूप हैं जो उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित है।

**तुलनात्मक धारा**—103 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**157. बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण.**—(1) जहाँ कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार बीमा प्रमाण-पत्र दिया गया है, उस मोटरयान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा लिया गया था उससे सम्बन्धित बीमा पालिसी सहित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो बीमा प्रमाण-पत्र और प्रमाण-पत्र में वर्णित पालिसी उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे मोटरयान अंतरित किया गया है, उसके अंतरण की तारीख से प्रभावशील रूप से अंतरित समझी जाएगी।

[1][*स्पष्टीकरण*—शंकाओं के निवारण हेतु यह अभिकथित किया जाता है कि स्थानान्तरण के अधीन कथित बीमा पालिसी एवं बीमा प्रमाण-पत्र के अधीन धारित अधिकारों एवं दायित्वों का स्थानान्तरण भी सम्मिलित है।]

**तुलनात्मक धारा**—103-A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) अंतरिती बीमाकर्ता को, विहित प्रारूप में, अंतरण की तारीख से चौदह दिन के भीतर, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में, उसके पक्ष में अन्तरण के लक्ष्य की बाबत आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन करेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र में तथा बीमा की पालिसी में बीमा के अंतरण की बाबत आवश्यक परिवर्तन करेगा।

## टिप्पणी

जब किसी मोटरयान का अन्तरण किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में की गयी बीमा पालिसी भी अन्तरित की जा सकती है और वह अन्तरण की तिथि से प्रवृत्ति होगी।[2]

तृतीय पक्षकार के अन्तर्गत, वह अन्तरिती शामिल नहीं होगा, जिसके अन्तरणकर्ता ने बीमा पालिसी के अन्तरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया हो।[3]

धारा 157(1) का अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि जब कोई यान इन्स्योरेन्स पालिसी के साथ बिक्री कर दी जाती है तो उसे यह माना जाता है कि उसका क्रेता के पास अन्तरित कर दिया गया है। यह धारणा उपबन्ध किसी अन्य सीमा के अधीन नहीं होता है। [*मेसर्स युनाइटेड इंडिया इन्स्योरेन्स कम्पनी लि०* बनाम *मनजीत कौर,* (2001)1 टी०ए०सी० 95 (पं० व हरि०)]

**158. कतिपय दशाओं में कुछ प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट का पेश किया जाना.**—(1) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति वर्दी पहने हुए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त प्राधिकृत किया है, अपेक्षा किये जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा जो उस यान के उपयोग के सम्बन्धित है, अर्थात् :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।
2. *न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *श्रीमती शीला रानी एवं अन्य,* 1999 (1) ए०डब्ल्यू०सी० 100 (एस०सी०) ए०आई०आर० 199 एस०सी० 56।
3. *जी० गोविन्दन* बनाम *न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि० एण्ड अदर्स,* 1999 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1939 (एस०सी०) ए०आई०आर० 1999 एस०सी० 1398।

(क) बीमा प्रमाणपत्र;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) चालन अनुज्ञप्ति; और

(घ) परिवहन यान की दशा में धारा 56 में निर्दिष्ट ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र और परमिट।

**तुलनात्मक धारा**—106 (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) जहाँ मोटरयान के किसी सार्वजनिक स्थान में होने के कारण ऐसी दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक क्षति होती है वहाँ यदि यान का ड्राइवर उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, चालन अनुज्ञप्ति और परमिट को उस समय पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता है तो उक्त प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और परमिट को उस पुलिस थाने में पेश करेगा जहाँ वह धारा 14 द्वारा अपेक्षित रिर्पोट करता है।

**तुलनात्मक धारा**—196 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) किसी व्यक्ति को बीमा-प्रमाणपत्र पेश करने में असफलता के ही कारण उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकेगा जब यथास्थिति, उस तारीख से जिसको उसका पेश किया जाना उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किया गया था अथवा दुर्घटना होने की तारीख से, सात दिन के अन्दर वह ऐसे प्रमाणपत्र को उस पुलिस थाने में पेश कर देता है जिसे उसने पुलिस अधिकारी को जिसमें उसके पेश किये जाने की मांग की थी, या यथास्थिति, दुर्घटना स्थल के पुलिस अधिकारी को अथवा उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसमें उसने दुघर्टना की रिपोर्ट लिखाई है, विनिर्दिष्ट किया हो :

परन्तु उस उपधारा के उपबन्ध किसी परिवहन यान के ड्राइवर को उसी विस्तार तक और ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो विहित किए जाएं, न कि अन्यथा।

**तुलनात्मक धारा**—106 (2-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) मोटरयान का स्वामी ऐसा जानकारी देगा जिसे देने की अपेक्षा उससे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से यह अवधारित करने के प्रयोजन से की जाए कि क्या वह यान धारा 146 का उल्लंघन करके और ऐसे किसी अवसर पर चलाया जा रहा था या नहीं जब ड्राइवर से इस धारा के अधीन यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपना बीमा प्रमाणपत्र पेश करे।

**तुलनात्मक धारा**—106 (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(5) इस धारा में, "अपना बीमा-प्रमाणपत्र पेश करें" पद से सुसंगत बीमा-प्रमाणपत्र पेश करना या इस बाबत कि वह धन धारा 146 का उल्लंघन करके नहीं चलाया जा रहा था ऐसा अन्य साक्ष्य पेश करना अभिप्रेत है जैसा विहित किया जाए।

**तुलनात्मक धारा**—106 (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

[1][(6) जहाँ पर दुर्घटना द्वारा किसी व्यक्ति के क्षत होने या मृत होने की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है या इस धारा के अधीन अभिलिखित की जाती है वहाँ पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यथाशीघ्र सूचना दिये जाने या ऐसा मामला हो सूचना

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा बदला गया।

अभिलिखित किये जाने की तिथि से बीस दिन के भीतर क्षेत्राधिकार रखने वाले दावा न्यायाधिकरण (Claim Tribunal) और सम्बन्धित बीमाकर्ता के पास सूचना की प्रति प्रेषित करेगा और वहाँ पर स्वामी को सूचना की प्रति दी जाती है वहाँ पर वह उसे तीस दिन के भीतर दावा न्यायाधिकरण या बीमाकर्ता के पास प्रेषित करेगा।]

## टिप्पणी

निर्णय दावा याचिका में उल्लिखित राशि तक सीमित होने की आवश्यकता नही। एक मात्र रुकावट है कि इसे 'ठीक' क्षतिपूर्ति होना चाहिये। कोई अन्य सीमा या निर्बन्धन ठीक क्षतिपूर्ति के निर्णय देने की शक्ति में नहीं है। [*नागप्पा* बनाम *गुरुदयाल सिंह*, ए०आई०आर० 2003 एससी 674]

**159. यान का उपयोग करके प्राधिकार के लिए आवेदन पर बीमा-प्रमाणपत्र पेश किया जाना.**—राज्य सरकार मोटरयान के स्वामी से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि जब वह सार्वजनिक स्थान में यान का उपयोग करने के प्राधिकार के लिए कर देकर या अन्यथा आवेदन करे तब वह इस आशय को ऐसा साक्ष्य, जो उन नियमों द्वारा विहित किया जाए, पेश करे कि या तो—

(क) उस तारीख को जब यान का उपयोग करने का प्राधिकार प्रवृत्त होता है, आवेदक द्वारा या उसके आदेशों पर या उसकी अनुज्ञा से अन्य व्यक्तियों द्वारा उस यान का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक बीमा पालिसी प्रवृत्त होगी, या

(ख) वह यान ऐसा यान है जिसे धारा 146 लागू नहीं है।

**तुलनात्मक धारा**—107 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**160. दुर्घटनाग्रस्त यानों की विशिष्टियाँ देने का कर्त्तव्य.**—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाने पर जो यह अभिकथन करता है कि वह मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है या ऐसे बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षा की जाने पर जिसके खिलाफ किसी मोटरयान की बाबत दावा किया गया है यथास्थिति, उस व्यक्ति को या उस बीमाकर्ता को उसके द्वारा विहित फीस दी जाने पर, ऐसे प्रारूप में और उतने समय के भीतर केन्द्रीय सरकार विहित करे, ऐसी कोई जानकारी देगा जो उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी के पास यान के पहचान चिन्हों में हो जो दुर्घटना के समय यान का उपयोग कर रहा था या जिसे उस यान से क्षति हुई थी और संपत्ति का, यदि कोई है, नुकसान हुआ था।

**तुलनात्मक धारा**—109 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**161. टक्कर मारकर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबन्ध.**—(1) इस धारा, धारा 162 और धारा 163 के प्रयोजनों के लिए—

(क) "घोर उपहति" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता में है;

(ख) "टक्कर मारकर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटना" से ऐसे मोटरयान या मोटरयानों के उपयोग से उद्‌भूत दुर्घटना अभिप्रेत है, जिनकी पहचान इस प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त प्रयत्न करने के वाद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है;

(ग) "स्कीम" से धारा 163 के अधीन बनाई गई स्कीम अभिप्रेत है।

**तुलनात्मक धारा**—109-A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) साधारण बीमा कारबार, (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए

भी, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन बनाया गया भारतीय साधारण बीमा निगम और तत्समय भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाले व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के बारे में प्रतिकर का इस अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अनुसार संदाय करने के लिए उपबन्ध करेगी।

**तुलनात्मक धारा**—109-A (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) इस अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) टक्कर मारकर भागने वाले सम्बन्धी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में (25,000/ रुपये पच्चीस हजार रुपए) की नियत राशि का;

(ख) टक्कर मारकर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की ओर उपहति के बारे में 12500/ रुपये बारह हजार पांच सौ रुपये) की नियत राशि का, प्रतिकर के रूप में संदाय किया जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—109-A (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) धारा 166 की उपधारा (1) के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन करने के प्रयोजन के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिकर के लिए आवेदन करने के प्रयोजन के लागू होते हैं।

**तुलनात्मक धारा**—109-A (6) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**162. धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर को कतिपय मामलों में प्रतिदाय.**—(1) धारा 161 के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर संदाय इस शर्त के अधीन होगा कि यदि प्रतिकर के किसी दावे के बदले या उसकी पुष्टि के रूप में कोई प्रतिकर (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् अन्य प्रतिकर कहा गया है) या अन्य रकम ऐसी मृत्यु या घोर उपहति के बारे में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या किसी अन्य विधि के अधीन या अन्यथा अधिनिर्णीत की जाती है तो पूर्वोक्त अन्य प्रतिकर या अन्य रकम का उतना, जितना धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के बराबर हो, बीमाकर्ता को प्रतिदत्त किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम (धारा 161 से भिन्न) या किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के अधीन मोटरयान या मोटरयानों के उपयोग से उद्‌भूत किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति को अंतर्वलित करने वाली किसी दुर्घटना के बारे में प्रतिकर का संदाय करने के पूर्व ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्रतिकर धारा 161 के अधीन पहले ही संदत्त कर दिया गया है, या उस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय के लिए कोई आवेदन लंबित है और ऐसा अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी—

(क) यदि धारा 161 अधीन प्रतिकर का पहले ही संदाय किया गया है तो उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह उसके उतने भाग का जितना उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय करने के लिए अपेक्षित है बीमाकर्ता की प्रतिदाय करे;

(ख) यदि धारा 161 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लिए कोई आवेदन लंबित है, तो उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर से सम्बन्धित विशिष्टियाँ बीमाकर्ता को भेजेगा।

*स्पष्टीकरण*—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 161 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई आवदेन—(i) यदि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, तो आवेदन के नामंजूर कर दिए जाने

की तारीख तक और (ii) किसी अन्य मामले में, आवेदन के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय किए जाने की तारीख तक, लंबित समझा जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—109-B पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**163. टक्कर मारकर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में प्रतिकर के संदाय के लिए स्कीम.**—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाएगी, जिसमें वह रीति जिसमें स्कीम का साधारण बीमा निगम द्वारा प्रशासन किया जाएगा, वह प्रारूप, रीति और समय जिसके भीतर प्रतिकर के लिए आवेदन किए जाएँगें, वे अधिकारी या प्राधिकारी जिन्हें ऐसे आवेदन किए जाएँगे, वह प्रक्रिया जो ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए उन पर आदेश पारित करने के लिए ऐसे प्राधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित की जाएगी और स्कीम के प्रशासन तथा प्रतिकर के संदाय से संशक्त या आनुषंगिक सभी अन्य विषय विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि—

(क) उसके किसी उपबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि तक के कारावास से जो विनिर्दिष्ट की जाय, किन्तु जो किसी भी दशा में तीन मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, जो उतनी रकम तक का हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु जो किसी भी दशा में पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा, या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ, या उस पर अधिरोपित कृत्य का कर्त्तव्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन से किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे;

(ग) ऐसी स्कीम का कोई उपबन्ध ऐसी तारीख से जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अधीन तोषण निधि के स्थापित किए जाने की तारीख से पूर्वोत्तर न हो, भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित हो सकेगा :

परन्तु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसे उपबन्ध द्वारा शासित हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

[1][**163-क. प्रतिकर प्रदान करने के लिए प्रावधान.**—(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि या विधि के प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी प्राधिकृत बीमाकृत मोटर वाहन का स्वामी दुर्घटना द्वारा कारितपूर्ण अक्षमता या मृत्यु के लिए द्वितीय अनुसूची वर्णित प्रतिकर की राशि जैसा मामला हो मृतक के उत्तराधिकारी या क्षतिग्रस्त व्यक्ति को देने के लिए दायित्वाधीन होगा।]

*स्पष्टीकरण*—इस धारा उद्देश्यों के लिए "पूर्ण अध्यक्षता" का अर्थ एवं विस्तार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में वर्णित पूर्ण अक्षमता की भाँति है।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रतिकर के किसी मामलों में दावाकर्ता को यह साबित करना नहीं होगा कि वह मृत्यु या पूर्ण अक्षमता जिसके लिए प्रतिकर का दावा किया गया है वाहन के स्वामी की उपेक्षा, भूल या दोष पूर्ण कार्य से कारित हुई है।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा 163-(क) और 163 (ख) जोड़ा गया।

(3) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकेगी।

## टिप्पणी

मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 163-क की द्वितीय अनुसूची 15 वर्ष के व्यक्तियों की घातक दुर्घटना के सम्बन्ध में 15 के गुणक को विहित करती है तथा राष्ट्रीय आय का खण्ड 6 रुपया 15,000/- प्रतिवर्ष है और इस प्रकार 2,25000/- रुपये की गणना आती है। [*न्यू इंडिया एंसोरेंस कम्पनी लि०, इलाहाबाद* बनाम *राजबहादुर,* (2002)3 टी०ए०सी० 409 (इलाहाबाद)]

जहाँ मुख्य दावा याचिका मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत लम्बित थी तो धृत किया गया कि प्राधिकरण को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि अधिनियम की धारा 163-क के अन्तर्गत दावा स्वीकार करे या निर्णीत करे। [*न्यू इंडिया एंस्योरेंस कम्पनी लि०* बनाम *कानुकू बेन लाखा भाई भील,* (2003)1 ए०सी०सी० 103 (गुजरात) (खण्डपीठ)]

**163-ख. कुछ मामलों में दावा करने का विकल्प.**—जहाँ पर कोई व्यक्ति धारा 140 और धारा 163-A के अधीन प्रतिकर के लिये दावा करने का हकदार है वह या तो इन दोनों धाराओं के अधीन दावा कर सकता है या नहीं।

**तुलनात्मक धारा**—109-C पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**164. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के धारा 165 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पर्वूगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाने वाले प्रारूप;

(ख) बीमा-प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना और उनका दिया जाना;

(ग) खोए, नष्ट हुए या कटे-फटे बीमा प्रमाणपत्रों के बदले में उनकी दूसरी प्रतियों का दिया जाना;

(घ) बीमा प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, उन्हें पेश करना, रद्द करना और अभ्यर्पित करना;

(ङ) इस अध्याय के अधीन दी गई बीमा पालिसियों के बीमाकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख;

(च) इस अध्याय के उपबन्धों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों द्वारा या अन्यथा पहचान;

(छ) बीमाकर्ता द्वारा बीमा पालिसियों विषयक जानकारी को दिया जाना;

(ज) इस अध्याय के उपबन्धों के उन यानों के लिये, जो भारत में अस्थायी वास के लिए आने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए गए हैं, या उन यानों के लिये, जो किसी देश में रजिस्ट्रीकृत है तथा भारत में किसी मार्ग या क्षेत्र में चल रहे हैं, विहित उपांतरणों सहित लागू करके अनुकूल बनाना,

(झ) वह प्रारूप जिसमें और वह समय-परिवर्तन जिसके भीतर धारा 160 में निर्दिष्ट विशिष्टियाँ दी जा सकेंगी; और

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाये।

**तुलनात्मक धारा**—111 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

# अध्याय 12

# दावा अधिकरण

**165. दावा अधिकरण.**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) एसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटरयानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं।

*स्पष्टीकरण*—शंकाओं के निवारण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "मोटरयान के उपयोग से उद्भूत किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति को अंतर्वलित करने वाली दुर्घटनाओं के बारे में प्रतिकर के लिये दावे" पद के अंतर्गत धारा 140 [और धारा 163 (क)] [1]के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं।

(2) दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा राज्य नियुक्त करना उचित समझे और जहाँ वह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है वहाँ उनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण के सदस्य के रूप मे नियुक्त के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक वह—

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या
(ख) जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो या
(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में [2](या एक जनपद न्यायाधीश की भाँति) नियुक्त के लिए अर्हत्व हो।

(4) जब किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं वहाँ राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनमें कामकाज के वितरण का विनियमन कर सकेंगी।

**तुलनात्मक धारा**—110 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## सार—संक्षेप

1. *दावा अधिकरण*　　2. *अधिकरण न्यायालय नहीं होता*

**1. दावा अधिकरण.**—अधिकरण न्यायिक अधिकारियों जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा जिला जज (सेवारत अथवा अधिवर्षता प्राप्त) से या ऐसे व्यक्तियों से गठित किया जायेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों। (कम से कम 10 वर्ष की अवस्थिति वाले अधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन अर्ह होंगे)

**2. अधिकरण न्यायालय नहीं होता.**—इस धारा के अधीन गठित अधिकरण सिविल न्यायालय नहीं होता, यद्यपि इस प्रभाव के विनिश्चय वर्तमान हैं कि सिविल न्यायालय जैसी ही उसकी सम्पूर्ण विशेषतायें हैं। [3]फिर भी अधिकरण सिविल न्यायालय के बहुत कुछ समान ही होता है, और इसके समक्ष कार्यवाही किसी सिविल दायित्व को प्रवृत्त करने के लिए एक विशेष रीति है।[4] धारा 110 के अधीन उपचार की

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।
2. ए०आई०आर० 1968 गोआ 78 (81) : ए०आई०आर० 1971 गुजरात 51 : ए०आई०आर० 1971 कलकत्ता 229।
3. 1971 ए०एल०जे० 467 (देहली)।
4. ए०आई०आर० 1962 पंजाब 540।

वांछा करने से अधिकरण का दायित्व अप्रभावित रहता है और न्यायालयों की विधि के अधीन दावा सिविल न्यायालय में दायर किया जा सकता है।[1]

ए०आई०आर० 1978 म०प्र० में यह धारण किया गया कि दुर्घटना का मोटर गाड़ी के इस्तेमाल से उद्भूत होना जरूरी है। दावे के अधिनिर्णय के लिए आवेदन का यही आधार होता है जहाँ दो ट्रेलर एक दूसरे के ऊपर रखे गये और किसी सार्वजनिक स्थान के दूर की ओर खड़े किए गये थे, खड़े किये गये ट्रेलर द्वारा कारित की गई दुर्घटना धारा 110 (1) के अन्तर्गत नहीं आयी; और यह भी कि यह नहीं अभिकथित किया गया कि वह दोनों ट्रेलर जिनमें से एक द्वारा चोट पहुँची, मोटर गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे थे।[2] जोधपुर का आश्रय लिया गया।

मोटरयान के प्रयोग में असावधानी से उत्पन्न दावों को निर्णीत करने तक प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार निबन्धित नहीं है। मोटर गाड़ी के प्रयोग से उत्पन्न दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिये दावा करने के कारणों में से प्रकारों में एक मात्र एक है। [*कोसुमा बेगम* बनाम *न्यू इंडिया एंस्योरेन्स कं० लि०,* (2001)1 टी०ए०सी० 649]

जहाँ कुछ कुकर्मी बस में यात्रा कर रहे थे तथा यात्रियों को लूटने के लिये सड़क पर बस को रोका, पेट्रोल उड़ेला और आग के हवाले कर दिया तो घृत किया गया कि मोटर गाड़ी के प्रयोग से घटना हुई तथा क्योंकि बस चालक को धमकी दिये जाने के कारण घटना के समय एक सामग्री (स्टेशनरी) थी तो इसका अर्थ यह नहीं था कि बस मोटरयान नहीं रह गयी थी या उस समय जब घटना घटी तो बस प्रयोग में नहीं थी। [*आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क यातायात निगम* बनाम *पी वेंकट राव,* 2002 ए०सी०जे० 1506 (आं० प्र०)]

**166. प्रतिकर के लिए आवेदन.**—(1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उदभूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् :

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा; या

(ग) जब दुघर्टना की परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या

(घ) जिस व्यक्ति की क्षति हुई है उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा :

परन्तु जहाँ प्रतिकर के लिए ऐसे किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुये हैं वहाँ वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से उनके फायदे के लिये किया जायेगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए है उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—110-A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

[3][(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पत्र दावाकर्ता के विकल्प पर दुर्घटनास्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले दावा न्यायाधिकरण में या उस दावा न्यायाधिकरण में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अधीन दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है या उस दावा न्यायधिकरण में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अधीन प्रतिवादी निवास करता है किया जा

1. 1967 ए०सी०जे०जे० 104 (एम०ए०सी०टी०)।
2. 1967 ए०सी०जे०जे० 104 (एम०ए०सी०टी०)।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

सकेगा और ऐसा दावा ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी प्रविष्टियों के साथ किया जायेगा जैसा कि निर्धारित हो।

परन्तु यह कि जहाँ पर कोई दावा धारा 140 में उल्लिखित आवेदन के रूप में नहीं किया गया है वह आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर के ऊपर एक पृथक अभिकथन ऐसे आवेदन को तुरन्त प्रभावी बनाने हेतु किया जायेगा।

(3) [* * *][1]

**तुलनात्मक धारा**—110-A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

[2][(4) दावा न्यायाधिकारण (Claim Tribunal) अपने समक्ष द्वारा 158 की उपधारा (6) के अधीन की गई दुर्घटना की रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर हेतु आवेदन मान सकता है।

## सार-संक्षेप

1. *मर्यादा (Limitation)*
2. *दावे में जरूरी पक्षकार*
3. *न्यायालय शुल्क*
4. *प्रतिकर के लिये आवेदन पत्र में ब्यौरे*
5. *अवयस्कों की दशा में दावे*

**1. मर्यादा (Limitation).**—प्रतिकर के लिये आवेदन-पत्र हितबद्ध व्यक्ति या उनके वारिसों द्वारा दुर्घटना होने के छः मास के भीतर दिया जाना जरूरी है।

**2. दावे में जरूरी पक्षकार.**—अतः प्रतिकर के दावे में बीमाकर्ता, गाड़ी का स्वामी तथा बीमाकृत व्यक्ति पक्कार होंगे। [3]कार्यवाही में चालक एक समुचित पक्षकार होता है, यद्यति वह कार्यवाही का जरूरी पक्षकार नहीं होता।[4]

**3. न्यायालय शुल्क.**—इस धारा के अधीन किसी दावे को अकिंचन दावे (Pauperclaim) के रूप में दायर किये जाने की अनुमति दी जा सकती थी।[5] अतः निर्धन व्यक्तियों द्वारा दावा किया जा सकता है।

**4. प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र में ब्यौरे.**—प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र वाद–पत्र के समान ही होता है; अतः उससे ऐसे समस्त ब्यौरे का दिया जाना जरूरी है जो दावे को सिद्ध करने के लिये जरूरी हों।[6]

**5. अवयस्कों की दशा में दावें.**—अवयस्क बालक-बालिकाओं की ओर से आवेदन-पत्र उनके अभिभवकों द्वारा दिया जा सकता है।[7]

*भगवती* बनाम *यू०पी०एस०आर०टी०सी०*,[8] में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि मशीन में नुक्स होने के कारण होने वाली दुर्घटना के लिये धारा 110-क के अधीन कौन जिम्मेदार होता है। ऐसे लोगों को जो **कि सार्वजनिक सड़क पर मोटर गाड़ी चलाते हैं, और विशेष रूप से जो ऐसा कार्य किराये पर दिन**

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा निरस्त किया गया।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
3. ए०आई०आर० 1969 आन्ध्र प्रदेश 390।
4. ए०आई०आर० 1967 मैसूर।
5. ए०आई०आर० 1971 कांज (Conj) 151।
6. ए०आई०आर० 1967 मैसूर।
7. ए०आई०आर० 1947 कलकत्ता 159।
8. ए०आई०आर० 1978 इला० 356।

प्रतिदिन करते हैं या कर्त्तव्य करते हैं, कि वह यह देखें के ऐसे भाग जो समय बीतने पर घिस पिट जाते हैं उनकी गैरेज में जाँच होती रहे और उन्हें बदला जाता रहे। जब धीरे-धीरे ब्रेक-पाइप की मोटाई समय बीतने पर कम होती जाए तो चालक का यह कर्त्तव्य होता है कि वह समय-समय पर जबकि वह यह अनुभव करे कि ब्रेक-पाइप सामान्य रूप से ऐसा नहीं रह गया है कि उस पर निर्भर किया जा सके, यह देखें कि उसे बदला गया या नहीं। यह बात कि ब्रेक-पाइप की मोटाई 2 यूनिट से घटकर 1/20 यूनिट रह गई, इस बात का द्योतक है कि उसको दीर्घ काल से बदला नहीं गया । और गाड़ी का इस्तेमाल गहन रूप से किया गया। इस बात का अभिविधित किया गया कि स्वामियों ने तथा गाड़ी को ठीक हालत में रखने के लिए तथा उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों ने गफलत बरती। इसके सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसको उन्मोचन (Discharge) करने में वह असफल रहे। अतः यह धारण किया जाना चाहिए कि ऐसी गफलत के कारण सीधे हुई दुर्घटना के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार है।

**मोटर गाड़ी के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना.**—ए०आई०आर० 1978 एम०बी० (29) में यह धारण किया गया कि "दुर्घटना का मोटर गाड़ी के इस्तेमाल से उदभूत होना जरूरी है। खड़े किये गये किन्तु गली में रुके हुए ट्रेलरों से हुई दुर्घटना धारा 110-क के अन्तर्गत नहीं आती। चूँकि चोट मोटर गाड़ी के इस्तेमाल से कारित नहीं की गई। इसलिए प्रतिकर का दावा पोषणीय (Maintainable) नहीं था"।[1]

## टिप्पणियाँ

धारा 166 के अन्तर्गत मर्यादा अवधि विहित करने वाली उपधारा (3) 1994 में निरसित कर दी गयी। अतः वर्तमान में इस धारा के अन्तर्गत दाखिल किसी मामले में मर्यादा अवधि बाधक नहीं होगी।[2]

बीमाकर्ता और बीमा किये गये व्यक्ति के बीच बीमा पालिसी उनके बीच एक संविदा होती है और इसी के आधार पर बीमा बीमाकर्ता का दायित्व निर्धारित होता है। अतः आवेदनकर्ता उस सीमा से अधिक का दावा बीमाकर्ता से नहीं कर सकता।[3]

जब तक किसी मोटर यान को माल ढोने का परमिट जारी न किया गया हो, वह मालवाहक यान नहीं माना जायेगा और बीमाकर्ता अपने दायित्व से इस आधार पर नहीं बन सकता कि दुर्घटना के समय वाहन माल ढो रहा था और बीमा पालिसी के अन्तर्गत ऐसे वाहन से दुर्घटना की क्षतिपूर्ति शामिल नहीं थी।[4]

**धारा 166 मोटरयान द्वारा दुर्घटना कारित.**—बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी द्वारा आपत्ति की दुर्घटना के समय तक ड्राइवर को कोई लाइसेन्स जारी नहीं था—इसके समर्थन में आर०टी०ओ० द्वारा **लिखित दो पत्र प्रस्तुत-अन्य कोई साक्ष्य नहीं—अभिधारित—आर०टी०ओ० के पत्र साक्ष्य में ग्राह्म** नही—बीमा कम्पनी की आपत्ति अस्वीकृत।[5]

धारा 166 (1) (सी) के अन्तर्गत विधिक प्रतिनिधि प्रतिकर हेतु आवेदनपत्र दाखिल करने हेतु हकदार है। सामान्यतः विधिक प्रतिनिधि के अन्तर्गत मृतक की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है या वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मृतक की सम्पत्ति का न्यागमन होता हो। इसलिए विधिक प्रतिनिधि के अन्तर्गत मृतक का भाई भी शामिल है।[6]

---

1. 1967 एस०सी०जे० 104।
2. *रविन्द्र कुमार कपूर* बनाम *VIIवाँ अपर जिला एवं सेशनजज/मोटर दुर्घटना दावा न्यायीधिकरण, कानपुर नगर एवं अन्य,* 1999(2) ए०डब्ल्यू०सी० 1659।
3. *ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *सोनी चेरियान,* 1999 (4) ए०डब्ल्यू०सी० 3337 (एस०सी०)।
4. *अशोक गंगाधर मराठा* बनाम *ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कं०लि०,* 1999 (4) ए०डब्ल्यू०सी० 2791 (एस०सी०)।
5. *नेशनल इन्श्योरेन्स कं०लि०* बनाम *श्रीमती शशिबाला गुप्ता एवं अन्य,* 2000 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1430 (लख०बें०)।
6. *ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *नरेश चन्द्र अग्रवाल एण्ड अदर्स,* 2000 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1335।

धारा 166 के अध्ययन मात्र से पता चलता है कि दुर्घटना के मामले में कोई व्यक्ति जिसे चोट लगी है दावा प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है यदि कोई मृत्यु दुर्घटना से होती है तो कोई या सभी वैध प्रतिनिधि अभिलेख पर लाये जा सकते हैं एवं धारा 166(ग) में पैरवी कर सकते हैं। [*उत्तम कुमार* बनाम *माघव,* (2002)3 टी०ए०सी० 16 (कर्नाटक)]

**167. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के सम्बन्ध में विकल्प.**—जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उदभूत होता है वहाँ प्रतिकर यान का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए, अध्याय 10 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, न कि दोनों के।

**तुलनात्मक धारा**—110-AA पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

**धारा 167 आटो रिक्शा ड्राइवर की मृत्यु क्षतिपूर्ति का दावा वैधता.**—यदि ड्राइवर की मृत्यु मोटरयान दुर्घटना के फलस्वरूप कारित होती है, तो धारा 167 के अन्तर्गत उसने उक्त अधिकारी प्रतिकर के हकदार होंगे।[1]

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत प्रतिकर की प्राप्ति मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर के लिए दावा करने एवं प्रतिकर प्राप्त करने हेतु बाधक नहीं।[2]

जहाँ मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 45 वर्ष थी तथा मासिक आय 1800/– रुपये थी तो प्राधिकरण ने 2,16,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति का निर्णय दिया। घृत किया गया कि ऐसी राशि बहुत अधिक नहीं थी तथा यदि यान का चालक वैध लाइसेन्स धारक नहीं था तो बीमा कम्पनी यान के मालिक पर कानूनन अपील कर्त्ता पर आये दायित्व के लिये दावा कर सकता था। [*राष्ट्रीय इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०* बनाम *विद्या जोशी,* (2003)1 ए०सी०सी० 92 (उत्तरांचल) (खण्ड पीठ)]

**168. दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय.**—(1) धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्रति पर, दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् दावे दोनों में से, यथास्थिति, प्रत्येक की जाँच करेगा तथा, धारा 162 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसम्मत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जायेगा, और अधिनिर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के स्वामी या ड्राइवर द्वारा, जो दुर्घटनाग्रस्त है, अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी :

परन्तु जहाँ ऐसे आवेदन में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा किया गया है वहाँ ऐसा दावा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के बारे में प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा (चाहे वह ऐसे आवेदन में या अन्यथा किया गया है) अध्याय 10 के उपबन्धों के अनुसार निपटाया जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—110-B पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

---

1. *श्रीमती रीता देवी एवं अन्य* बनाम *न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स क० लि० एवं अन्य,* 2000 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 1860 (एस०सी०)।
2. *उ०प्र० ब्रिज कार्पोरेशन लि०* बनाम *रतीराम एवं अन्य,* 2000 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1194।

(2) दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रतियाँ सम्बन्धित पक्षकारों को शीघ्र ही, और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, परिदत्त करने की व्यवस्था करेगा।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है कि वहाँ वह व्यक्ति जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निर्बन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत समस्त रकम, ऐसी रीति से जैसी दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे जमा करेगा।

## सार-संक्षेप


1. *गफलत का अभिवचन*
2. *प्रमाण का भार*
3. *चालक तथा परिचालक की जिम्मेदारी*
4. *मेरीवेदर बनाम निक्सन का नियम*
5. *दण्ड न्यायालय का निष्कर्ष*
6. *प्रतिनिधि के रूप में दायित्व (Vicarious Liability)*


**1. गफलत का अभिवचन.**—दुर्घटना कि किसी ऐसे मामले में जहाँ प्रतिकर का दावा किया जाए, दावेदार ही गफलत का अभिवचन करेगा तथा उसको सिद्ध करेगा।[1] गफलत का अभिवचन पहली बार अपील में नही किया जा सकता।[2]

**2. प्रमाण का भार.**—गफलत के किसी वाद के प्रमाण का प्रारम्भिक भार दावेदार पर ही रहता है।[3] लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दावेदार को दुर्घटना के कारण का ज्ञान नहीं होता, और विशेष रूप से चालक या स्वामी को उसका ज्ञान रहता है। इस कठिनाई को 'घटना स्वयं अपने विषय में बोलती है, का सिद्धान्त लागू कर के दूर किया जा सकता है।[4]

**3. चालक तथा परिचालक की जिम्मेदारी.**—किसी गाड़ी के चालक तथा परिचालक को जन साधारण की सुरक्षा की उपेक्षा नही करना चाहिए। यह उनका परम कर्त्तव्य है कि वह जन समुदाय की सुरक्षा को ध्यान में रखें।[5]

लापरवाही से गाड़ी का छोड़ देने वाला व्यक्ति प्रत्येक प्रथम दृष्ट्या गफलत के लिए दोषी नहीं होता घायल या मृत व्यक्ति की योयदायी गफलत के कारण गाड़ी का स्वामी तथा चालक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नही हो जाते, भले ही उससे उसकी जिम्मेदारी कम जरूर हो जाए। *मेरीवेदर* बनाम *निक्सन* का नियम जैसा कि अपकृत्य विधि (Law of Torts) में स्पष्ट किया गया है, भारत में अब लागू नहीं है, क्योंकि अब सुधार अधिनियम विधि (Law of Reforms Act), 1935 भारत में लागू कर दी गई है। ऐसे मामलों में नुकसानी के प्रभाजन का उपबन्ध लागू किया गया है।[6]

**4. *मेरीवेदर* बनाम *निक्सन* का नियम.**—कामन ला (Common Law) में एक दोषकर्ता (Worg Doer) द्वारा दूसरे दोषकर्ता के विरुद्ध योगदान के लिए कोई वाद पोषणीय (Maintainable) नहीं था, यद्यपि वह, जिसने योगदान की वांछा की थी, पूरी नुकसानी का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया हो। इसी को *मेरीवेदर* बनाम *निक्सन* का नियम कहा जाता है।

ए०आई०आर० 1978 उड़ीसा 138 में यह धारण किया गया कि जहाँ एक स्टेशन वैगन और एक ट्रक के बीच आमने-सामने से टक्कर हुई और दुर्घटना दोनों चालकों की गफलत के कारण हुई वहाँ यह

---

1. 1971 ए०सी०जे० 49 उड़ीसा।
2. 1971 ए०सी०जे० 424 देहली।
3. ए०आई०आर० 1971 एम०पी० (5)।
4. ए०आई०आर० 1970 एम०पी० 86 (88)।
5. ए०आई०आर० 1969 देहली 183 (188)।
6. ए०आई०आर० 1963 पंजाब 125 : ए०आई०आर० 1967 पटना 342।

एक सामासिक गफलत (Composite negligence) का मामला होने के कारण, दायित्व संयुक्त तथा पृथक (Joint and Several) होना चाहिए। अधिकरण प्रतिकर का प्रभाजन नहीं कर सकता।

**5. दण्ड न्यायालय का निष्कर्ष.**—किसी दुर्घटना में किसी अभियुक्त के विरुद्ध दण्ड न्यायालय का निष्कर्ष अधिकरण के समक्ष सिविल दायित्व को सिद्ध करने के लिए सुसंगत नहीं होगा। दण्ड न्यायालय के निर्णय को अधिक से अधिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 43 के प्रयोजनों के लिए और वह भी उसमें देशित विस्तार मात्र तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है।[1]

**6. प्रतिनिधि के रूप में दायित्व (Vicarious Liability).**—अपने सेवायोजना क अनुक्रम में कार्य करते हुए अपने सेवक के कार्य के लिए मालिक प्रतिनिधि के रूप में दायित्वाधीन होगा।[2] यदि चोट अपने सेवायोजना के अनुक्रम में पहुँचे तो स्वामी अपने सेवक के प्रतिनिधि के रूप में दायित्वाधीन होता है।[3]

प्रतिकर दिलाते समय अधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस रकम को नियत करे जिसके भुगतान की अपेक्षा बीमाकर्ता से की जाये। वह वादकालीन तथा भावी ब्याज भी दिला सकता है किन्तु किसी ऐसी अवधि के लिए नहीं जो कि दावा करने से पूर्व हो।[4]

## टिप्पणी

दावा न्यायधिकरण द्वारा प्रतिकर प्रदान करते समय याची के इलाज और इलाज के लिए यात्रा पर हुए खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपना इलाज अच्छे से अच्छे डाक्टर द्वारा करा सकता है और उसका खर्च बीमा कम्पनी द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर में जोड़ा जा सकता है।[5]

मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि में से मृतक को प्रदान किये गये जीवन बीमा की धनराशि को घटाया नहीं जा सकता है।[6]

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान प्रतिकर में उच्चतम न्यायालय द्वारा वृद्धि की जा सकती है।[7]

दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर हेतु निर्धारित धनराशि की मात्रा को चुनौती देने का अधिकार बीमा कम्पनी को नहीं है। इस मामले में ड्राइवर एवं मोटरयान मालिक की तरफ से कोई अपील नहीं की गयी थी।[8]

मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए प्रतिकर की धनराशि दावा अधिकरण द्वारा 5 लाख 60 हजार रुपये निर्धारित—उच्च न्यायालय द्वारा अपील में यह धनराशि आधी की गयी—उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित कि कम से कम चार लाख रुपये प्रतिकर प्रदान किया जाना चाहिए —तद्नुसार आदेश कारित।[9]

जहाँ प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित किया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार के द्वारा उपाप्रसाक्ष अविश्वसनीय पाकर परिवर्तित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने घृत किया कि यह तथ्य

---

1. ए०आई०आर० 1970 पंजाब तथा हरियाण 137।
2. ए०आई०आर० 1966 उच्च० न्यायालय 1977।
3. ए०आई०आर० 1969 पंजाब तथा हरियाणा 172।
4. ए०आई०आर० 1970 एम०पी० 172।
5. *मुथैय्या शेखर* बनाम *नीसामोनी ट्रांसपोर्ट कार्पो० लि० एवं अन्य,* 1991(1) ए०डब्ल्यू०सी० 11 (एस०सी०)।
6. *मिसेज हेलेन सी० रिबेली एण्ड अर्दस* बनाम *महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एण्ड अर्दस,* 1999 (1) ) ए०डब्ल्यू०सी० 164 (एस०सी०)।
7. *अश्वनी कुमार मिश्रा* बनाम *बी० मुनियम बाबू एवं अन्य,* 1999 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1526 (एस०सी०)।
8. *न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि०, लखनऊ* बनाम *सरताज बहादुर श्रीवास्तव एवं अन्य,* 1999 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 2141 (लख०बें०)।
9. *श्रीमती स्नेहा दत्ता एण्ड अदर* बनाम *हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पो० एण्ड एनदर,* 2000 (1) ए०डब्ल्यू०सी० 415 एस०सी०।

का निष्कर्ष था अतः उसमें किसी त्रुटि के लिये हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। [*एच०एस० अहमद हुसैन* बनाम *इरफान अहमद*, ए०आई०आर० 2002 एस०सी० 2483; 2002 सु० क्रि० रू० 754]

**169. दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ.**—(1) धारा 168 के अधीन कोई जाँच करते समय दावा अधिकरण ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएँ, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) दावा अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण और पेशी कराने तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएँ, सिविल न्यायालय की सब शक्तियाँ प्राप्त होगी, तथा दावा अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सब प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(3) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएँ, दावा अधिकरण, किसी दावे का अधिनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए जाँच करने में उसे सहायता देने के लिए जाँच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा।

तुलनात्मक धारा—110-C पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना.**—जहाँ जाँच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का समाधान हो जाता है कि—

(क) दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दुरभिसंधि है, या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, उस दावे का विरोध करने में असफल रहा है।

वहाँ वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि वह बीमाकर्ता, जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है, उस कार्यवाही का पक्षकार बनाया जाये और ऐसे पक्षकार बनाए गए बीमाकर्ता को तब धारा 149 की उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार होगा कि वह उस दावे का विरोध उन सब या किन्हीं आधारों पर करे जो उस व्यक्ति को प्राप्त है, जिसके विरुद्ध दावा किया गया है।

## टिप्पणी

बीमाकर्ता के मोटरयान दुर्घटना के मामले में अधिकरण द्वारा पक्षकार बनाया जा सकता है और वह उस मामले में प्रतिकर की धनराशि आदि के बारे में प्रतिवाद कर सकता है।[1]

जहाँ यान के स्वामी के लिये प्रस्तुत होने वाला अधिवक्ता न तो बयान तहरीरी देता है न दावेदार द्वारा प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा ही करता है तो दावा करने वाले व्यक्ति व जिसके विरुद्ध दावा किया गया था दोनो षड्यंत्र की सम्भावना थी। स्वामी ने प्रभावी ढंग से दावेदार के दावे को नहीं लड़ा। घृत किया गया कि प्राधिकरण को बीमाकर्त्ता दावा–याचिका में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना चाहिये था। [*खण्ड प्रबन्धक, ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०* बनाम *सदस्य*, एम०ए०सी०टी० (2002)1 टी०ए०सी० 71 (गौ०)]

**171. जहाँ दावा मंजूर किया गया है वहाँ ब्याज दिलाना.**—जहाँ कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रतिकर के दावे को मंजूर करना है वहाँ ऐसा अधिकरण यह

1. *यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० लि०* बनाम *मनीष पोरवार अदर्स*, 1999 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1136।

निदेश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा दावा करने की तारीख से पहले की न होने वाली उस तारीख से, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण ब्याज भी दिया जाए।

**तुलनात्मक धारा**—110-CC पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण ब्याज दर गिर जाने से क्षतिपूर्ति पर ब्याज 12 प्रतिशत से घटाकर 9: कर दिया गया। [*युनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लि०* बनाम *पी० जे० महाजन,* ए०आई०आर० 2002 एस०सी० 2607]

ब्याज का दर प्रत्येक मामले के तथ्य परिस्थिति पर निर्भर करता है। ब्याज का निर्णय समान्यत: सुसंगत समय पर अधिभावी बैंक के दर पर आश्रित है। [*आबाती बेज़बरुआ* बनाम *डी०डी०जी०, ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया,* 2003 ए०आई०आर० एस०पी०डब्लू 1266]

**172. कतिपय मामलों में प्रतिकरात्मक खर्चे दिलाना.**—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के किसी दावे का न्याय-नियमन करने वाले दावा अधिकरण का किसी मामले में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, समाधान हो जाता है कि—

(क) बीमा पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह ऐसे तथ्य के व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई थी जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टियाँ मिथ्या थीं, या

(ख) किसी पक्षकार या बीमाकर्ता ने कोई मिथ्या या तंग करने वाले दावा या प्रतिवाद पेश किया है,

वह अधिकरण आदेश दे सकेगा कि जो पक्षकार दुर्व्यपदेशन का दोषी रहा है या जिसने ऐसा दावा या प्रतिवाद पेश किया है वह यथास्थिति, बीमाकर्ता अथवा उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध ऐसा दावा या प्रतिवाद पेश किया गया है, प्रतिकर के रूप में विशेष खर्चे दे।

(2) कोई भी दावा अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन विशेष खर्चों के बारे में रुपये 1000 (एक हजार रुपये) से अधिक की किसी रकम का आदेश न देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति या बीमाकर्ता, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, उस कारण ऐसे दुर्व्यपदेशन, दावे या प्रतिवाद के सम्बन्ध में, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी आपराधिक दायित्व से छूट नहीं पायेगा।

(4) किसी दुर्व्यपदेशन, दावे या प्रतिवाद की बाबत इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत कोई रकम ऐसे, दुर्व्यपदेशन, दावे या प्रतिवाद की बाबत प्रतिकर के सम्बन्ध में नुकसानी के लिए किसी पश्चातवर्ती वाद में गणना में ली जायेगी।

**तुलनात्मक धारा**—110-CCC पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

अपील न्यायालय दावा अधिकरण के द्वारा किये गये प्रतिकर की रकम में मोटरयान अधिनियम, 1998 की धारा 172 के अन्तर्गत वृद्धि कर सकता हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय ने प्रतिकर की रकम में रुपये 50,000 की वृद्धि की।[1]

---

1. *न्यू इण्डिया इन्श्यारेन्स कं० लि० लखनऊ* बनाम *सरताज बहादुर श्रीवास्तव एवं अन्य,* 1999 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 2141 (लेख०बें०)।

अपील न्यायालय प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। ऐसे करते समय न्यायालय को कारित क्षति की मात्रा और उसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए।[1]

**173. अपीलें.**—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है उस अधिनिर्णय की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति की अपील उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है यदि वह ऐसे उच्च न्यायालय में रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) या उस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट रीति से जमा नहीं कर देता।

परन्तु यह और कि यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समय पर अपील करने से अपराधी पर्याप्त कारण से निवारित रहा था तो वह उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दशा न में होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम 10,000/- (दस हजार) रुपये से कम है।

**तुलनात्मक धारा**—110-D पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## टिप्पणी

दावा न्यायाधिकरण के एकपक्षीय पंचाट को अभिखण्डित करने हेतु आवेदनपत्र निरस्त-अपील-पोषणीयता-अभिधारित-अपील, पुनर्विचार या पुनरीक्षण संविधि के अन्तर्गत ही संस्थित किये जा सकते हैं-अन्यथा नहीं। उक्त अपील पोषणीय नहीं-अपील खारिज।[2]

धारा 173—बीमा कम्पनी द्वारा दावा न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील-पोषणीयता-बिना न्यायाधिकरण की पूर्वानुमति के अपील पोषणीय नहीं।[3]

यदि मोटर दुर्घटना अधिनियम की धारा 149 (2) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान न हो, तो बीमा कम्पनी को दावा न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बीमा कम्पनी ड्राइवर या यान स्वामी को एक साथ मिलाकर कोई अपील नहीं कर सकती, जब ड्राइवर या यान स्वामी को कोई आपत्ति न हो।[4]

मोटर दावा अधिकरण के आदेश से क्षुब्ध होकर दावाकर्ता द्वारा अपील उच्च न्यायालय के समक्ष संस्थित की गयी, किन्तु 416 दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। फलस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गयी। उच्च न्यायालय का आदेश माना गया।[5]

मोटरयान दुर्घटना में न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति आदेश के विरुद्ध अपील करने में विलम्ब को क्षमा करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है।[6]

---

1. *ए० राबर्ट* बनाम *यूनाइटेड इंश्योरेन्स कं० लि०,* 1999 (4) ए०डब्ल्यू०सी० 3357 (एस०सी०) ए०आई०आर० 1999 एस०सी० 2977।
2. *दिनेश सिंह* बनाम *जिला न्यायाधीश,* गाजीपुर एवं अन्य, 2000 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 1921।
3. *श्रीमती रीता देवी एवं अन्य* बनाम *न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं० लि० एवं अन्य,* 2000 (3) ए०डब्ल्यू०सी० 1860 (एस०सी०)।
4. *चिनम्मा जार्ज एण्ड अदर्स* बनाम *एन०के० राजू एण्ड अदर्स,* 2000 (2) ए०डब्ल्यू०सी० 1596 (एस०सी०)।
5. *प्रकाश एण्ड अदर्स* बनाम *मैनेजिंग डाइरेक्टर, के०एस०आर०टी०सी० एण्ड अदर्स,* 2000 (1) ए०डब्ल्यू०सी० 808 (एस०सी०)।
6. *नेशनल इंश्योरेन्स कं०लि० जोधपुर* बनाम *भागू देवी एण्ड अदर्स,* 2000 (3) ) ए०डब्ल्यू०सी० 250 (एस०सी०)।

**174. बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना.**—जहाँ किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है वहाँ दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाणपत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे रीति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

**तुलनात्मक धारा**—110-E पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**175. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वजन.**—जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित कर लिया गया है वहाँ किसी भी सिविल न्यायालय के यह अधिकारिता न होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से सम्बन्धित किसी प्रश्न को ग्रहण करे जिसका न्याय-निर्णयन उस क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है, तथा प्रतिकर के दावे की बाबत दावा अधिकरण द्वारा या उसके समक्ष की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत सिविल न्यायालय कोई भी व्यादेश नहीं देगा।

**तुलनात्मक धारा**—110-F पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**176. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—राज्य सरकार धारा 165 से धारा 174 तक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी और विशिष्टतया ऐसे नियम निम्नलिखित सभी बातो या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :

(क) प्रतिकर के दावों के लिए आवेदन का प्रारूप तथा वे विशिष्टियाँ जो उनमें हो सकेंगी और वे फीसें, यदि कोई हो, जो ऐसे आवेदनों की बाबत दी जानी है;

(ख) इस अध्याय के अधीन जाँच करने में दावा अधिकरण द्वारा अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) सिविल न्यायालय में निहित शक्तियाँ जिनका प्रयोग दावा अधिकरण कर सकेगा;

(घ) वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिससे तथा वह फीस (यदि कोई हो) जिसे देने पर दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी; और

(ङ) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।

**तुलनात्मक धारा**—111-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## अध्याय 13

## अपराध, शास्तियाँ और प्रक्रिया

**177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबन्ध.**—जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबन्धित नहीं है, प्रथम अपराध के जुर्माने से, जो रुपये 100/- (एक सौ रुपये) तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो रुपये 300/- (तीन सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—112 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## सार-संक्षेप

1. *दण्ड के लिये सामान्य उपबन्ध*
2. *दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर साधारण मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का समाप्त हो जाना*
3. *पूर्ण दोषसिद्धि*
4. *मोटर गाड़ी के मामलों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 का लागू होना-एक वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के किए गए तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा*
5. *द्वितीय परीक्षण का वर्जन*
6. *पश्चातवर्ती अपराधों के लिए अधिक जुर्माना*

**1. दण्ड के लिये सामान्य उपबन्ध.**—यह दण्ड सम्बन्धी धारा उन मामलों पर लागू होगी। जिनमे किसी अन्य शास्तीं (Penalty) का विधान नही किया गया है। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कहीं किसी अन्य विनिर्दिष्ट धारा द्वारा किसी अन्य उपबन्ध शास्ति का उपबन्ध किया गया है वहाँ मामला उस धारा के अन्तर्गत आयेगा और यह धारा लागू नहीं होगी।[1]

**2. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पर साधारण मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का समाप्त हो जाना.**—अब नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन विशिष्ट वर्ग के मामलों का परीक्षण करने के लिए किसी भी जिले में विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा सकते हैं (जैसे कि मोटर गाड़ी आदि के मामले)। लेकिन 1-5-1976 से संशोधन अधिनियम 16 सन 1976 द्वारा 'जिला' शब्द उक्त धारा से हटा दिया गया है और जिला शब्द के स्थान पर शब्द "स्थानीय क्षेत्र" रख दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, संशोधन अधिनियम 16 सन 1976 का वैधीकरण खण्ड 11 से अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना का भी उपबन्ध करता है।

ऐसा संशोधन विशेष प्रकार के मामलों, के लिए प्रादेशिक परिवहन मजिट्रेट के न्यायालय का प्रत्यावर्तन करने मात्र के लिये किया गया था। 1973 की नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन से पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक परिवहन मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते थे जिनकी अधिकारिता एक से अधिक जिलों पर होती थी और जो मोटर गाड़ी के मामलों का परीक्षण करते थे।

**3. पूर्ण दोषसिद्धि.**—पूर्ण दोषसिद्धि का वर्तमान अधिनियम के अधीन होना जरूरी है, न कि निरसित अधिनियम के अधीन 142 क्रि०एल०जे० (406)। इसके अतिरिक्त, चालान के दिनांक पूर्व दोषसिद्धि का वर्तमान रहना भी जरूरी है, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने विभिन्न दिनांकों पर चालन किये गये किसी व्यक्ति के दो या तीन मामलों का विनिश्चय करता है, लेकिन सभी मामलों का विनिश्चय एक ही बैठक में किया जाता है, तो क्या पहले मामले में किया गया विनिश्चय उसी दिन विनिश्चत किये गये दूसरे या पश्चातवर्ती मामले में पूर्व दोषसिद्धि माना जायेगा?, नही, उसको पूर्व दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता क्योंकि चालान के दिनांक पर कोई दोषसिद्धि वर्तमान नहीं थी, न ही दोषसिद्धि के पश्चात् अभियुक्त को दूसरे या पश्चातवर्ती अपराधों के करने का अवसर प्राप्त था। परिवर्तित दण्ड देना तब तक असाम्यिक (Inequitable) होता है जब तक कि उसने पहली दोषसिद्धि भुगतान लिया हो और तत्पश्चात् दूसरा अपराध न किया हो।[2]

प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा यह अभिकथन मात्र कि अभियुक्त पूर्वतन दोषसिद्धि व्यक्ति है, पर्याप्त नहीं होता। उसका विधि के अनुसार निर्णय अथवा उसकी सत्य प्रतिलिपि पेश करना सिद्ध किया जाना जरूरी है।

---

1. ए०आई०आर० 1968 उड़ीसा 42।
2. 5 क्रि०एल०जे० 676।

यदि परिवाद पत्र में पूर्व दोषसिद्धि का उल्लेख नहीं है, यदि पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता और यदि अभियुक्त की पृच्छा में मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व दोषसिद्धि के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया जाता, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन को "पर्वतन दोषसिद्धि व्यक्ति" नहीं माना जा सकता।[1]

**4. मोटर गाड़ी के मामलों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 का लागू होना.—एक वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के किए तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा**—जब कोई व्यक्ति पहले अपराध से अंतिम तक 12 महीनों के बीच एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराध करने के लिए आरोपित किया जाए चाहे वह अपराध एक ही व्यक्ति के सम्बन्ध में किये गये हों या नहीं, तो वह एक ही परीक्षण में तीन से अनधिक कितनी भी संख्या के अपराधों के लिए आरोपित तथा परीक्षित किया जा सकेगा। अतः एक निर्णय द्वारा तीन मामलों का निस्तारण सुगमता से किया जा सकता है।

**5. द्वितीय परीक्षण का वर्जन.**—नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (पुरानी 403) मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण तब तक के लिए वर्जित करती है, तब तक कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के अधीन उसकी दोषमुक्ति (गंभीर चोट कारित करना या उतावलेपन के कार्य द्वारा जीवन संकटापन्न करना) प्रवर्तन में रहे।[2]

लेकिन निम्नलिखित मामलों में मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन एक ही तथ्यों के आधार पर धारा 403 (2) का वर्जन नहीं माना गया;

जहाँ अभियुक्त को तथ्यों के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 तथा 304-क के अधीन दोषी धारण किया गया, वहाँ मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 121 के अधीन उसको दोषसिद्धि की दण्ड प्रक्रिया संहिता (पुरानी) धारा 403(2) के अधीन दोषसिद्धि के लिए वर्जित नहीं माना गया।[3]

जहाँ अभियुक्त का परीक्षण बम्बई मोटर नियमावली के नियम 27-क के अधीन किया गया और अपने दोषों के होने के अभिवचन के आधार पर सिद्धदोष किया गया, वहाँ उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसको मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 116 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए परीक्षित तथा सिद्धदोष किया जा सकेगा।[4]

**6. पश्चातवर्ती अपराधों के लिए अधिक जुर्माना.**—यदि किसी व्यक्ति पर कई मामलों में परिवहन प्राधिकारियों से लाइसेन्स प्राप्त करने में विफल रहने का आरोप एक साथ लगाया जाए, तो उसको अधिक जुर्माने से दण्डित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने फिर वही अपराध पहली दोषसिद्धि का ज्ञान रखते हुए नहीं किया है । अधिक जुर्माने का दण्ड देना तब तक असाम्यिक (Inequitable) होगा जब तक कि उसने पहली दोषसिद्धि का भोग कर लिया हो और तत्पश्चात् वही अपराध दोबारा किया हो।[5]

**178. पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इंकार करने के लिए शास्ति आदि.**—(1) जो कोई मंजिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा या मंजिली गाड़ी में रहेगा या उससे उतरने पर जाँच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा, या देने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा में "पास" और "टिकट" के वही अर्थ है जो धारा 124 में है।

(2) यदि मंजिली गाड़ी का कंडक्टर या मंजिली गाड़ी का ड्राइवर, ऐसी मंजिली गाड़ी के ऐसे कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है जिसका यह कर्त्तव्य है कि—

---

1. ए०आई०आर० एन०यू०सी० 476 पंजाब।
2. ए०आई०आर० 1921 पटना 108 : 22 क्रि०एल०जे० 63।
3. ए०आई०आर० 1953 पटना 56 (खण्डपीठ)।
4. ए०आई०आर० 1928 बम्बई 231।
5. ए०आई०आर० 1942 लाहौर 125; 43 क्रि०एल०जे० 673।

(क) वह मंजिली गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा किए जाने पर उसे टिकट दे, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक—

(i) भाड़ा दिये जाने पर उसे स्वीकार करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा; या

(ii) टिकट लेने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा; या

(iii) अवैध टिकट देगा; या

(iv) कम मूल्य का टिकट देगा; या

(ख) वह किसी पास या टिकट की जाँच करे, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक ऐसा करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा,

तो वह जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक/आपरेटर या ड्राइवर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों के ले जाने से इन्कार करेगा जो वह—

(क) दो पहिये या तीन पहिये वाले यानों की दशा में जुर्माने से, जो रुपये 50/- (पचास रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, जो रुपये 200/- (दो सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—112-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**179. आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना.**—(1) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निदेश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुँचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है वह उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दोनों से, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—113 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**180. अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना.**—जो कोई किसी मोटरयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 और 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता, यान चलवाएगा या चलाने देगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने, जो रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—113-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**181. धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना.**—जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटरयान को चलाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने, से जो 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

**तुलनात्मक धारा**—113-B पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**182. अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अपराध.**—(1) जो कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरसित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटरयान चलाएगा या चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रजित चालन-अनुज्ञप्ति दिये जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन अनुज्ञप्ति लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।

(2) जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निर्हित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिये जाने का हकदार होते हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के लिए आवेदन तक की हो सकेगी, वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास अथवा दोनों तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।

[1][**182-क. वाहन क रख रखाव के लिए दण्ड.**—कोई व्यक्ति जो धारा 109 की उपधारा (3) के विपरीत कोई कार्य करता है वह प्रथम अपराध की दशा में एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा । और अन्य पश्चातवर्ती अपराध की दशा में पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—114 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**183. अत्यधिक गति से चलाना.**—जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करके मोटरयान को चलाएगा वह जुर्माने से; जो रुपये 400/- (चार सौ रुपये) तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो, सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई ऐसे व्यक्ति से, जो मोटरयान चलाने के लिए उसके द्वारा नियोजित या उसके नियंत्रणाधीन है, धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे चलवाएगा, वह जुर्माने है, जो रुपये 300/- (तीन सौ रुपये) तक का हो सकेगा या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनी होगा।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही कि उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधि विरुद्ध है तब तक दोषसिद्ध न किया जाएगा जब तक उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि वह किसी यांत्रिक युक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है।

(4) ऐसी समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन ऐसे किसी निदेश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्ष्टि समय के अन्दर पूरा कर लिया जाना है उस दशा में; जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामले के परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन किए बिना विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाए, इस बात का प्रथम दृष्टियाँ साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय सारणी प्रकाशित की है या वह निदेश दिया है उसमें उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

**तुलनात्मक धारा**—115 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**184. खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना.**—जो कोई मोटरयान की ऐसी गति से या ऐसी तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है जहाँ वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की उचित रूप से प्रत्याशी की जा सकती है, ध्यान से रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के लिए जाने के तीन वर्ष के अन्दर किया गया है, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—116 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**185. किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाया जाना.**—(क) [1][श्वास विश्लेषक (Breath Analysor) द्वारा किये गये परीक्षण में 100 एम०एल० में 30 एम०एल० में एल्कोहल पाया गया था;"

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस हद तक है कि वह मोटरयान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है,

वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के लिए जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से; दण्डनीय होगा।

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा प्रतिस्थापति किया गया।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्ति विनिर्दिष्ट किया गया मादक द्रव्य ऐसा समझा जाएगा जिससे व्यक्ति मोटरयान पर उचित नियंत्रण रखने योग्य नहीं रहता।

**तुलनात्मक धारा**—117 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**186. मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए चलाना.**—जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटरयान चलाएगा जब उसे इस बात का ध्यान है कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 200/- (दो सौ रुपये) तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो (दो सौ रुपये) तक का हो सकेगा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—118 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**187. दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड.**—जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन खण्ड (ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबन्धों का अनुपालन करने से असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगा, या जुर्माने से, जो 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—118-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**188. कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड.**—जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—119 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**189. दौड़ और गति का मुकाबला.**—जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयानों कि किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—120 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**190. असुरक्षित दशा में बाले यान का उपयोग किया जाना.**—(1) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटरयान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवायेगा या चलाने देगा जब उस यान का ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और वह खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह जुर्माने से, जो 250/- (दो सौ पचास रुपये) तक का हो सकेगा अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिसे

शारीरिक क्षति या नुकसान पहुँचता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटरयान ऐसे चलायेगा या चलवायेगा या चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक जुर्माने से, तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) तक जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटरयान ऐसे चलायेगा या चलवायेगा या चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से सम्बन्धित जो मान जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का है, उस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा दोनों से, और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से जो रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये) तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—121 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**191. यान का ऐसी हालत में विक्रय या यान का ऐसी हालत में परिवर्तन जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो.**—जो कोई मोटरयानों का आयातकर्ता या व्यौहारी होते हुए मोटरयान या ट्रेलर का ऐसी हालत में विक्रय या परिदान करेगा अथवा विक्रय या परिदान की प्रस्थापना करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होगा अथवा मोटरयान ट्रेलर को ऐसे परिवर्तित करेगा कि उसकी ऐसी हालत हो जाये जिससे सार्वजनिक स्थनान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होगा, वह जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा; दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जायेगा जिसमें यह साबित कर देता है कि उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि वह यान सार्वजनिक स्थान में तब तक उपयोग में न लाया जायेगा जब तक कि वह ऐसी हालत में नहीं कर दिया जाता जिसमें उसका ऐसा उपयोग विधिपूर्णतया किसी जा सकता है।

**तुलनात्मक धारा**—122 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**192. बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग.**—[1][(1) जो किसी मोटर वाहन की धारा 39 के प्रावधानों के विपरीत चलाता है या उसका प्रयोग किये जाने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करता है वह, इस प्रकार किये गये प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा, किन्तु जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और पश्चातवर्ती द्वितीय अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा किन्तु पाँच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

1. अधिनियम सं० 54, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 173

परन्तु यह कि न्यायालय अभिलिखित कारणों से कम दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(2) इस धारा की कोई बात बीमार एवं क्षतिग्रस्त व्यक्ति को आपात सेवा या अशान्ति को समाप्त करने के लिए राशन एवं अन्य सामग्री या चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने वाले वाहन को लागू नहीं होगी।

परन्तु यह कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वाहन को प्रयुक्त करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रयोग किये जाने की तिथि से सात दिन के भीतर इसकी सूचना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्धि के विरोध जिस न्यायालय में अपील की गई है वह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को निरस्त कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। उस स्थिति के सिवाय जिसमें कि किसी दोषसिद्ध के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।

**192-क. बिना अनुमति के (permit) वाहन का उपयोग.**—(1) जो कोई किसी मोटर वाहन को धारा 66 के उपधारा (1) के विपरीत चलाता है या चलाये जाने की अनुमति किसी को प्रदान करता है या उन शर्तों का उल्लंघन करता है जो परमिट में वाहन चलाये जाने वाले वाहन के क्षेत्र, मार्ग या उद्देश्य को नियत करता है, वह इस प्रकार किये गये प्रथम अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का होगा। किन्तु जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा तथा किसी अन्य पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक होगा, किन्तु तीन मास के कम का नहीं होगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का होगा किन्तु पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा से दण्डनीय होगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

परन्तु यह कि न्यायालय लेखबद्ध कारणों से दण्ड में कमी कर सकेगा।

(2) परन्तु इस धारा की कोइ़ बात ऐसे वाहन को नहीं लागू होगी जो आपात स्थिति में क्षतिग्रस्त या बीमार व्यक्ति को ले जाने या खाद्य पहुँचाने या अशांति क्षेत्र में चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त की गई है।

परन्तु यह कि इस प्रकार वाहन को प्रयुक्त करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रयोग किये जाने की तिथि से सात दिन के भीतर इसकी सूचना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को देगा।

(3) जहाँ पर उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्धि किये जाने पर अपील की जाती है वहाँ पर अपीलीय न्यायालय उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है निरस्त कर सकता हे या परिवर्तन कर सकता है सिवाय उस दशा में जहाँ पर ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है।

**तुलनात्मक धारा**—123 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**193. समुचित प्राधिकारी के बिना अभिकर्त्ताओं और प्रचारकों के रूप में कार्य करने वालों को दण्ड.**—जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्त्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लिये जुर्माने से, जो रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिये कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो 2000/- (दो हजार रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—123-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**194. अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन वाले यान को चलाना.**—[1][(1) जो कोई किसी मोटर वाहन को धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के प्रावधानों से विपरीत चलाता है या चलाये जाने की अनुमति किसी व्यक्ति को देता है वह कम से कम दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और अतिरिक्त रूप से प्रति टन अधिक भार लादने के अन्य प्रकार देने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यान का कोई चालक जो रुकने से और धारा 114 के अधीन इस निमित्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने से निदेश दिये जाने के पश्चात् यान का वजन कराने से इंकार करता है अथवा वजन कराने से पूर्व माल को हटाता है या हटवाता है, जुर्माने से जो रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा

**तुलनात्मक धारा**—124 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**195. कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माने का अधिरोपण.**—(1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने पर वैसा ही अपराध पूर्ववर्ती अपराध के किये जाने के तीन वर्ष के भीतर दूसरी बार या उसके पश्चातवर्ती बाद करेगा तो कोई न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अधिरोपणीय जुर्माने की अधिकतम रकम के एक चौथाई से कम जुर्माना केवल उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अधिरोपित करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह न्यायालय की ऐसी कारावास अधिनिर्णीत करने की शक्ति को निर्बन्धित करती है जो वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझता है और जो उस अपराध की बाबत इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

**तुलनात्मक धारा**—124 A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**196. बीमा न किये गये यान को चलाना.**—जो कोई धारा 146 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोइ मोटरयान चलायेगा या चलवायेगा या चलाने देगा, वह कारावस से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा

**तुलनात्मक धारा**—125 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**197. प्राधिकार के बिना यान ले जाना.**—(1) जो कोई किसी मोटरयान को या तो उसके स्वामी की सहमति के बिना या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ले जायेगा और चलायेगा, वह कारावास से, तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जायेगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि उसे विधिपूर्ण प्राधिकार प्राप्त है अथवा ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि यदि उसने स्वामी की सहमति माँगी होती तो मामले की परिस्थितियों में स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती।

---

1. अधिनियम सं० 54, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) जो कोई विधिविरुद्ध रूप से, बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार के अभित्रास के द्वारा किसी मोटरयान को छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा

(3) जो कोई किसी मोटरयान के सम्बन्ध में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने का प्रयास करेगा या किसी ऐसे कार्य को करने का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने भी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपराध किया है।

**तुलनात्मक धारा**—126 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**198. यान में अनधिकृत हस्तक्षेप.**—जो कोई विधिपूर्व प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना किसी खड़े हुये मोटरयान में प्रवेश करेगा या चढ़ायेगा या मोटरयान के ब्रेक या यन्त्र जाल के किसी भाग की बिगाड़ेगा वह जुर्माने से, जो (एक सौ रुपये) तक का ही हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**तुलनात्मक धारा**—127 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**199. कम्पनियों द्वारा अपराध.**—(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कम्पनी के कार-बार के संचालन के लिए उस कम्पनी भी उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उस अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए उसने सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—(क) "कम्पनी" से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**तुलनात्मक धारा**—127-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**200. कतिपय अपराधों का शमन.**—(1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183, की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, [1][धारा 190 की उपधारा (2)] धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, या धारा 198 के अधीन

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

दण्डनीय किसी अपराध का चाहे वह उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व, या पश्चात् किया जा सकेगा ।

(2) जहाँ किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहाँ अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरुद्ध आगे कार्रवाई नहीं की जायेगी।

**201. यातायात के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए शस्ति.**—(1) जो कोई किसी अयोग्य यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है तो वह जब तक यान उस स्थिति में रहता है, प्रति घंटा (पचास रुपये) तक की शास्ति के लिए दायी होगा :

परन्तु दुर्घटनाग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय विधि के अधीन निरीक्षण की औपचारिकताएँ पूरी हो जाती है। [1][परन्तु फिर भी यह कि यदि किसी वाहन या संचालन सरकारी अभिकरण द्वारा किया जाता है तो (Towing Charges) वाहन के स्थायी या वाहन के प्रभावी व्यक्ति से वसूल किया जायेगा

[2][(2) इस धारा में उल्लिखित शास्तियाँ एव—(Towing Charge) उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

**202. वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.**—(1) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा :

परन्तु जो कोई व्यक्ति धारा 185 के अधीन दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में ऐसे गिरफ्तार किया गया है उसकी धारा 203 और धारा 204 में निर्दिष्ट चिकित्सकीय परीक्षा उसकी गिरफ्तारी के दो घन्टों के अन्दर किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से कराई जायेगी और ऐसा न करने की दशा में उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जायेगा।

[3][(2) कोई वर्दीधारी पुलिस इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है।

(3) मोटरयान के ड्राइवर को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी परिस्थितियों से अपेक्षित होने पर यान के बारे में अस्थायी व्यवस्था करने के लिए ऐसे कदम उठायेगा या उठवायेगा जो वह उचित समझे।

**तुलनात्मक धारा**—128 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**203. श्वास-परीक्षण.**—[4][(1) कोई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी मोटर वाहन का कोई अधिकारी यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि

1. अधिनियम सं० 54, 1994 प्रतिस्थापित किया गया ।
2. अधिनियम सं० 54, 1994 प्रतिस्थापित किया गया ।
3. अधिनियम सं० 54, 1994 प्रतिस्थापित किया गया ।
4. अधिनियम सं० 54, 1994 प्रतिस्थापित किया गया ।

किसी व्यक्ति ने धारा 185 के अधीन कोई अपराध किया है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति का श्वास परीक्षण (Breah Test) करवाने की अपेक्षा कर सकता है जो कि किसी लोक स्थान पर वाहन चला रहा है या वाहन चलाने का प्रयत्न कर रहा है।

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति का श्वास परीक्षण (Breath Test) यथासम्भव अपराध किये जाने के शीघ्र पश्चात् किया जाना चाहिए—

(2) यदि कोई मोटरयान किसी सार्वजनिक स्थान में दुघर्टना है और वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी के पास यह संदेह करने का उचित कारण है कि उस व्यक्ति के, जो दुघर्टना के समय मोटरयान चला रहा था, रक्त में एल्कोहल थी या वह धारा 185 में निर्दिष्ट किसी मादक द्रव्य के असर में चला रहा था, तो वह इस प्रकार मोटरयान चलाने वाले किसी व्यक्ति से,

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, उस अस्पताल में;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में या तो उस स्थान पर या उसके समीप जहाँ अपेक्षा की गई है या यदि पुलिस अधिकारी उचित समझे तो पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने पर।

श्वास-परीक्षण के लिए श्वास-नमूना देने की अपेक्षा कर सकेगा।

परन्तु उस व्यक्ति से, जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, ऐसा नमूना देने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जायेगी जब उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहृत देख-रेख में उक्त व्यक्ति हैं नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई है अथवा वह इस आधार पर नमूना दिये जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अपेक्षा रोगी की समुचित देख-रेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

(3) यदि वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किये गये श्वास-परीक्षण के परिणामस्वरूप वह युक्ति जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है, उपदर्शित करती है कि उस व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा, किन्तु तब नहीं जब वह व्यक्ति अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो।

(4) यदि श्वास परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने से इन्कार करता है या ऐसा करने में असफल रहता है और पुलिस अधिकारी के पास उसके रक्त में एल्कोहल होने का संदेह करने का उचित कारण है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा, किन्तु तब नहीं जब वह अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो।

(5) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को, जब वह पुलिस थाने में हो, वहाँ श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने का अवसर दिया जायेगा।

(6) इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में किए गये श्वास-परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "श्वास-परीक्षण" से किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये श्वास के नमूने पर, उस युक्त के द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे परीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाये, किया गया परीक्षण अभिप्रेत है :

**तुलनात्मक धारा**—128-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**204. प्रयोगशाला परीक्षण.**—(1) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे धारा 203 के अधीन गिरफ्तार किय गया है, जब वह पुलिस थाने में हो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जो पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया जाये, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का कोई नमूना देने की पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकगी यदि, —

(क) पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में श्वास-परीक्षण किया गया है ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति ने, जब उसे श्वास-परीक्षण कराने के लिए अवसर दिया गया था, ऐसा करने का इन्कार किया है, या ऐसा नहीं किया है या करने में असफल रहा है :

परन्तु जहाँ ऐसा नमूना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति कोई स्त्री है और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गया रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा कोई पुरुष चिकित्सा व्यवसायी है तो नमूना किसी स्त्री की उपस्थिति में ही, चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी हो या नहीं, लिया जायेगा।

(2) किसी व्यक्ति से, जब अन्तरंग रोगी के रूप में किसी अस्पताल में हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की उपेक्षा की जा सकेगी—

(क) यदि पुलिस अधिकारी को प्रतीत हो कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के श्वास के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या

(ख) यदि उस व्यक्ति ने, चाहे अस्पताल में या अन्यत्र, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने की अपेक्षा किये जाने पर ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या ऐसा करने में असफल रहा है और पुलिस अधिकारी के पास उसके रक्त में एल्कोहल होने का सन्देह करने का उचित कारण है;

परन्तु किसी व्यक्ति से, इस अपराध के अधीन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी यदि उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहित देख-रेख में उक्त व्यक्ति है, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई है, अथवा वह इस आधार पर नमूना दिये जाने पर आपत्ति करता है कि नमूना का दिया जाना या दिये जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देख-रेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

(3) इस धारा के अनुसरण में किये गये प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रयोगशाला परीक्षा" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला में रक्त के नमूने का किया गया विश्लेषण अभिप्रेत है।

**तुलनात्मक धारा**—128-B पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**205. मोटरयान चलाने की अयोग्यता की उपधारण.**—धारा 185 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी कार्यवाही में यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी समय ऐसा करने के लिए अनुरोध किया गया था श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना अथवा प्रयोगशाला परीक्षण के लिए रक्त नमूना लिए जाने

या देने से इन्कार किया था, ऐसा नहीं किया था या उसमें असफल रहा था, जो उसका इन्कार, न करना या असफलता जब तक कि उसके लिए उचित कारण न दण्डित किा गया हो, उस समय उसकी दशा के बारे में, अभियोजन की ओर दिए गये किसी साक्ष्य का समर्थन करने वाला या प्रतिरक्षा की ओर से दिये गये किसी साक्ष्य का समर्थन करने वाला या प्रतिरक्षा की ओर से दिये गये किसी साक्ष्य का खण्डन करने वाला माना जाएगा।

**तुलनात्मक धारा**—128-C पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**206. पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति.**—(1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटरयान पर ले जाया जाने वाला कोई भी पहचान चिन्ह अथवा कोई अनुप्ज्ञप्ति परमिट, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र बीमा प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज, जिसे मोटर यान के ड्राइवर या अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष पेश किया गया है भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) की धारा 464 के अर्थ में मिथ्या दस्तावेज है, तो वह उस चिन्ह या दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा तथा यान के ड्राइवर या स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे चिन्ह या दस्तावेज के अपने कब्जे में होने अथवा यान में विद्यमान का कारण बतायें।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटरयान का ड्राइवर जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, फरार हो सकता है या समन की तामील से अन्यथा बच सकता है तो वह ऐसे ड्राइवर द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और उस अपराध या संज्ञान करने वाले न्यायालय के पास भेज सकेगा तथा उक्त न्यायालय अपने समक्ष ऐसे ड्राइवर के प्रथम बार उपस्थित होने पर उस अनुज्ञप्ति को ऐसी अस्थायी अभिस्वीकृति के बदले, जो उपधारा (3) के अधीन दी गई है, उसे लौटा देगा।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत किया है, उस व्यक्ति को जिसने अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित की है, उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति देगा तथा ऐसा अभिस्वीकृत धारक को जब तक वह अनुज्ञप्ति उसे लौटा नहीं दी जाती अथवा ऐसी तारीख तक जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट की गई है, इनमें से जो पहले हो, यान चलाने के लिए प्राधिकृत करेगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति का, उसमें आवेदन किये जाने पर समाधान हो जाता है वह अनुज्ञप्ति उनके धारक को अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसे किसी कारण से, जिसके लिए वह धारक उत्तरदायी नहीं है, नहीं लौटाई जा सकती अथवा नहीं लौटाई गई है तो, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति मोटर चलाने के प्राधिकार की अवधि को उस तारीख तक के लिए बढ़ा सकेगा जो अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट की जाये।

**तुलनात्मक धारा**—129 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**207. रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण-पत्र, परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये यानों को निरुद्ध रखने की शक्ति.**—(1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है किसी मोटरयान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबन्धों का उल्लंघन करके या धारा 66 के उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना अथवा उस मार्ग सम्बन्धी, जिस पर या उस क्षेत्र सम्बन्धी, जिस पर या उस

सम्बन्धी जिसमें अथवा उस प्रयोजन सम्बन्धी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करके किया गया है या किया जा रहा है तो वह उस यान की अभिगृहीत और विहित रीति से निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा जो उस यान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व उचित समझे :

परन्तु जहाँ ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है किसी मोटरयान का उपयोग धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन करके धारा 66 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा हे वहाँ यान को अभिगृहीत करने के बजाय यान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसके लिए अभिस्वीकृति देगा :

(2) जहाँ कोई मोटरयान उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत और निरुद्ध किया गया है वहाँ उस मोटरयान का स्वामी या उसका भारसाधक व्यक्ति, परिवहन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसे यान के छोड़ने के लिए सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् आदेश; द्वारा यान को ऐसी शर्तों के अधीन छोड़ सकेगा जो वह प्राधिकारी या अधिकारी अधिरोपित करना ठीक समझे।

**तुलनात्मक धारा**—129-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**208. मामले का संक्षिप्त निपटारा.**—(1) इस अधिनियम के अधीन बिना किसी अपराध (उस अपराध से भिन्न जिसे केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे) का संज्ञान करने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति पर तामील किए जाने वाले समनों में—

(i) उस दशा में जिसमें अपराध इस अधिनियम के अधीन कारावास से दण्डनीय है, यह कह सकेगा कि वह, और

(ii) किसी अन्य मामले में, यह कहेगा कि वह—

(क) स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो सकेगा; या

(ख) आरोप की सुनवाई के पूर्व किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक यह अभिवचन कर सकेगा कि वह आरोप का दोषी है और न्यायालय को, धनादेश द्वारा, उतनी धनराशि (जो उस अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सके) जितनी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, भेज सकता है और धनादेश के कूपन में ही आरोप का दोषी होने का अभिवचन कर सका है; परन्तु न्यायालय उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध की दशा में,समन में यह कथन करेगा कि यदि खण्ड अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है तो वह ऐसा अभिवचन खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से करेगा और अभिवाक से युक्त अपने पत्र के साथ अपनी चालन अनुज्ञप्ति न्यायालय को भेजेगा।

(2) जहाँ उप अपराध, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अनुसार कार्यवाई की गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए नियमों द्वारा, विनिर्दिष्ट अपराध है, वहाँ न्यायालय यदि अभियुक्त व्यक्ति यह अभिवचन करता है कि वह आरोप को दोषी है और उसने अपने अभिवाक से युक्त पत्र के साथ अपनी चालन अनुज्ञप्ति भेजी है तो, न्यायालय उसकी चालन अनुज्ञप्ति पर ऐसी दोषसिद्धि को पृष्ठांकित करेगा।

(3) जहाँ अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और विनिर्दिष्ट राशि भेजता है तथा उसने, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया है, वहाँ उस अपराध के बाबत उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी और न उसे, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी दोषी होने का अभिवचन करने के कारण अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निर्हित किया जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—130 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**209. दोषसिद्धि पर निर्बधन.**—धारा 183 या धारा 184 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित कोई भी व्यक्ति तभी दोषसिद्ध किया जायेगा जब—

(क) अपराध किये जाने के समय उसे यह चेतावनी दे दी गई थी कि उसका अभियोजन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, या

(ख) अपराध किये जाने के चौदह दिन के अन्दर अपराध का स्वरूप तथा वह समय और स्थान जहाँ उसका किया जाना अभिकथित है, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना उसे अपराध किये जाने के समय यान के स्वामी के रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तामील कर दी गई थी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी गई थी, या

(ग) अपराध किये जाने के अट्ठाइस दिन के अन्दर उस अपराध के लिए समन की तामील कर दी गई थी:

परन्तु इस धारा की कोई बात वहाँ लागू न होगी जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि—

(क) उपधारा में निर्दिष्ट सूचना या समन की तामील असफलता इस बात के कारण हुई थी कि न तो अभियुक्त व्यक्ति का नाम और पता यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम पता ही समुचित तत्परता के समय के अन्दर अभिनिश्चित किया जा सकता था, या

(ख) ऐसी असफलता अभियुक्त के आवरण के कारण हुई थी।

**तुलनात्मक धारा**—131 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**210. दोषसिद्धि सम्बन्धी सुचनाओं का न्यायालय द्वारा भेजा जाना.**—प्रत्येक न्यायालय, जिसके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति, जो चालन-अनुज्ञप्ति धारण किये हुए हैं, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किये जाने में मोटरयान का उपयोग किया गया था, दोषसिद्धि किया गया उसकी सूचना—

(क) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने वह चालन—अनुज्ञप्ति दी थी, और

(ख) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा उस अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण अंतिम बार किया था

और ऐसी प्रत्येक सूचना में अनुज्ञप्ति धारक का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या, उसके दिये जाने की तारीख और उसके नवीनीकरण की तारीख, अपराध का स्वरूप उसके लिये दिया गया दण्ड और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ होंगी जो विहित की जायँ।

**तुलनात्मक धारा**—131-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

## अध्याय 14

## प्रकीर्ण

**211. फीस उदगृहीत करने की शक्ति.**—ऐसे किसी नियम में, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिये सशक्त है, आवेदन, दस्तावेज के संशोधन, प्रमाण-पत्र, अनुज्ञप्ति, परमिट दिये जाने, परीक्षणों, पृष्ठांकनों, बैंजों, प्लेटों, प्रतिहस्ताक्षरों, प्राधिकरण आँकड़ों अथवा दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियाँ दिये जाने के सम्बन्ध में तथा ऐसे किसी अन्य प्रयोजन या बात के लिये, जिसके वास्ते अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन कोई सेवाएँ की जानी हैं, ऐसी फीसों के, जो आवश्यक समझी जायें, उदग्रहण के लिए उपबन्ध, उस आशय के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के न होते हुए भी, हो सकेगा;

परन्तु यदि सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह व्यक्तियों के किसी वर्ग को कोई ऐसी फीस देने से या तो भागतः या पूर्णतः छूट दे सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—132-A पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**212. नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारम्भ और रखा जाना.**—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाने हैं कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायेगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कि कोई पश्चातवर्ती तारीख नियत न की गई हो ऐसे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे।

(3) किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा;

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 75 की उपधारा (1) और धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 41 की उपधारा (4) की उपधारा 58 की उपधारा (1), धारा 59 की उपधारा (1) धारा 112 की उपधारा (1) [1][धारा 163 (क) उपधारा (4)] के परन्तुक और धारा 213 की उपधारा (4) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाये जाने या निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जायेगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक वाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, स्कीम या अधिसूचना में कोइ परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नही बनाया जाना चाहिए या वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा हो जायेगी। किन्तु नियम, स्कीम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**तुलनात्मक धारा**—133 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

---

1. अधिनियम सं० 54, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

**213. मोटरयान अधिकारियों की नियुक्त**—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए मोटरयान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसके अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे।

**तुलनात्मक धारा**—133-A (1) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) ऐसा प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

**तुलनात्मक धारा**—133-A (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) राज्य सरकार, मोटरयान विभाग के अधिकारियों के कृत्यों का उनके द्वारा निर्वहन विनियमित करने के लिए तथा विशिष्टियता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन वर्दियों को जो उन्हें पहननी है, उन प्राधिकारियों को, जिनके अधीनस्थ वे रहेंगे, उन कर्त्तव्यों को, जिनका उन्हें पालन करना है (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोज्य शक्तियाँ भी हैं) उन शक्तियों को जिनका उन्हें प्रयोग करना है तथा उन शर्तों को, जो ऐसी शक्ति को, जो ऐसी शक्तियों के प्रयोग पर लागू होनी हैं, विहित करने के लिए नियम बना सकेगी।

**तुलनात्मक धारा**—133-A (3) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(4) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वे न्यूनतम अर्हताएँ विहित कर सकती हैं जो इस रूप में नियुक्त किये जाने के लिए उक्त अधिकारियों या उनमें से किसी वर्ग के अधिकारियों के पास होनी चाहिये।

(5) उन शक्तियों के अतिरिक्त जो मोटरयान विभाग के किसी अधिकारी को उपधारा (3) के अधीन प्रदान की जाये, ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये वह शक्ति होगी कि वह—

(क) यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कि इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, ऐसा परीक्षा और जाँच करे जो वह ठीक समझता है;

(ख) ऐसी सहायता सहित, यदि कोई हो, जिसे वह ठीक समझता है, ऐसे किस परिसर में प्रवेश करें, उसका निरीक्षण करे और उसकी तलाशी ले जो ऐसे व्यक्ति के अधिभोगाधीन है जिसकी बाबत उसके पास वह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है अथवा जिसमें ऐसा कोई मोटरयान जिसकी बाबत ऐसा अपराध किया गया है, रखा हुआ है :

परन्तु—(i) वारण्ट के बिना ऐसी कोई तलाशी राजपत्रित अधिकारी को पंक्ति के अधिकारी द्वारा ही की जायेगी।

(ii) जहाँ वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है वहाँ तलाशी सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व नहीं की जायेगी;

(iii) जहाँ तलाशी बिना वारण्ट के की गई है वहाँ सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी वारण्ट अभिप्राप्त न करने के आधार को लेखबद्ध करेगा और अपने ठीक ऊपर के वरिष्ट अधिकारी को रिपोर्ट करेगा कि ऐसी तलाशी ली गई है :

(ग) किसी व्यक्ति की परीक्षा करे और ऐसा कोइ रजिस्टर या अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अनुसरण में रखा जाता था रखी जाती है; पेश करने की अपेक्षा करे,

और मौके पर या अन्यथा, किसी व्यक्ति के कथन ले जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) ऐसे किन्हीं रजिस्टरों या दस्तावेजों या उनके भागों को अभिगृहीत करें या उनकी प्रतिलिपियाँ ले जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन उस अपराध की बाबत सुसंगत समझे जिसके किये जाने का विश्वास करने का उसके पास कारण है;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत अभियोजन प्रारम्भ करे और अपराधी की किसी न्यायालय के समक्ष हाजिरी सुनिश्चत करने के लिए बंधपत्र लें;

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करे जो विहित की जाएँ :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई कथन करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा जिसकी प्रवृत्ति उसको ही अपराध में फंसाने की हो।

**तुलनात्मक धारा**—133-A (4) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, के उपबंध इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के सम्बन्ध में यथाशक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस संहिता को धारा 94 के अधीन निकाले गए किसी वारण्ट के प्राधिकार से की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

**तुलनात्मक धारा**—133-A (5) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**214. आरम्भिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव.**—(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन आरम्भिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की गई है या उसके सम्बन्ध में पुनरीक्षण का आवेदन किया गया है, वहाँ ऐसी अपील या पुनरीक्षण के आवेदन का निपटारा लम्बित रहने तक प्रवृत्त बना रहेगा, जब तक कि विहित अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

**तुलनात्मक धारा**—134 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(2) यदि परमिट के नवीकरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया आवेदन आरम्भिक प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति ने ऐसी नामंजूरी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील की है या पुनरीक्षण का आवेदन किया है तो, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह परमिट उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर भी तब तक के लिए विधिमान्य बना रहेगा जब तक अपील या पुनरीक्षण के आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता है।

**तुलनात्मक धारा**—134 (1-A) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई भी आदेश कार्यवाहियों में किसी गलती, लोप या अनियमित्ता के कारण तभी उल्टा जाएगा या परिवर्तित किया जायेगा जब, यथास्थिति, विहित अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकार को यह प्रतीत हो कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं।

**तुलनात्मक धारा**—134 (2) पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

**215. सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियाँ.**—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देश के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो सरकार अवधारित करें

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निर्बन्धों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो सरकार अवधारित करे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किये जाएंगे जो सरकार अवधारित करे।

(4) इस धारा में निर्दिष्ट परिषदें और समितियाँ सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

**216. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**217. निरसन और व्यावृति.**—(1) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) और किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, उस मोटरयान अधिनियम की तत्स्थानी कोई विधि (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में निरसित अधिनियमितियाँ कहा गया है) इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) उपधारा (1) द्वारा निरसित अधिनियमितियों का निरसन कर दिये जाने पर भी—

(क) निरसित और ऐसे प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गई कोई नियुक्ति या घोषणा अथवा दी गई कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरापित की गई कोई शास्ति या जुर्माना अथवा की गई कोई अन्य बात या कोई अन्य कार्रवाइ, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन जारी की गई, दी गई या की गई समझी जायेगी;

(ख) निरसित अधिनियमिताओं के अधीन जारी किये गये या दिये गये ठीक हालत में होने के या रजिस्ट्रीरण के प्रमाणपत्र का या अनुज्ञप्ति या परमिट का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ है;.

(ग) किसी निरसित अधिनियमिति के प्रति या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश करने वाले किसी दस्तावेज का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इस अधिनियम के प्रति या इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के प्रति निर्देश है।

(घ) निरसित अधिनियमितियों के उपबन्ध के अनुसार रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा सुभिन्न चिन्ह का समनुदेशन और मोटरयानों पर प्रदर्शन की रीति, इस अधिनियम

के प्रारम्भ के पश्चात् तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती है;

(ङ) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 68-ग या किसी राज्य में प्रवृत्त तत्समय विधि, यदि कोई है, के अधीन बनाई गई और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व लम्बित कोई स्कीम इस अधिनियम की धारा 100 के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जायेगी;

(च) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 68-च की उपधारा (1-क) के अधीन या किसी राज्य में इस अधिनियम के पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी उपबन्ध यदि कोई है, के अधीन दिये गये परमिट तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन अनुमोदित स्कीम प्रकाशित नहीं की जाती है।

(3) किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन संदेय कोई शास्ति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी, किन्तु निरसित अधिनियमितियों के अधीन ऐसी शास्ति की वसूली के लिए पहले ही की गई किसी कार्रवाई पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(4) इस धारा में विशिष्ट बातों के उल्लेख से यह समझा जायेगा कि वह निरसनों के प्रभाव के सम्बन्ध में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण तौर पर लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

[1][**217-क. मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन प्रदत्त परमिटों, चालन अनुज्ञप्तियों और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण**.—धारा 217 की उपधारा (1) द्वारा इस उपधारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किये गये या प्रदान किये गये उपयुक्ता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति परमिट का नवीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा।]

**तुलनात्मक धारा**—132 पुराना अधिनियम (iv) 1939 :

1. अधिनियम सं० 27 की धारा 5 सन् 2000 द्वारा अन्तःस्थापित (11-8-2000 से प्रभावी)।

# [1][ प्रथम अनुसूची ]

## MANDATORY SIGNS OF SCHEDULE OF THE MOTORT VEHICLES ACT, 1988

### NO. M1—STOP

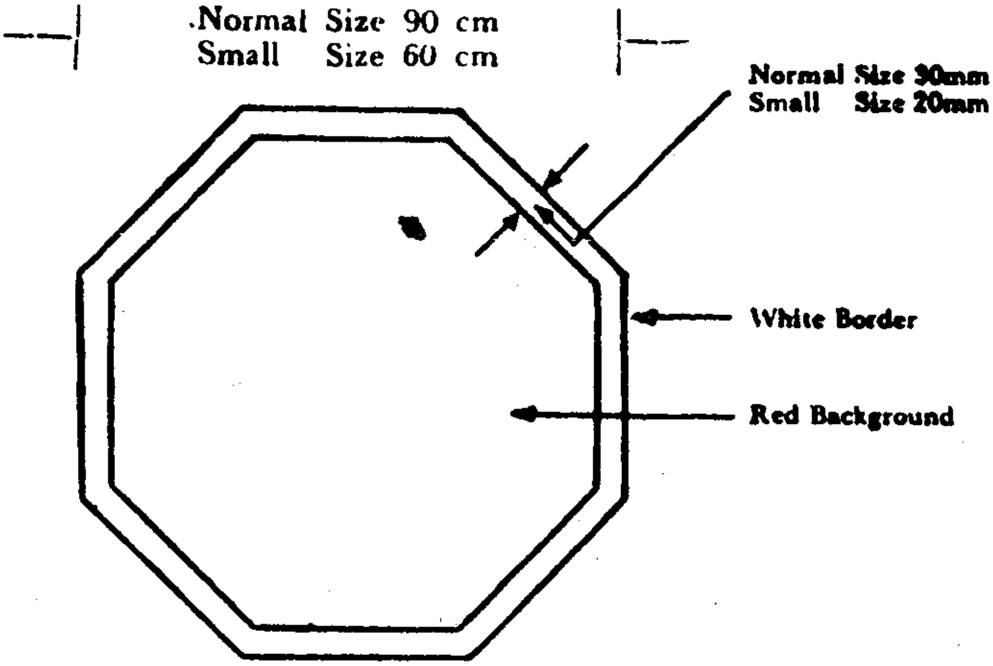


*Note.* — Till the Road users are familiar with this sign a definition plate may be attached with the sign carrying the word 'Stop' in English and other languages as necessary.

### No. M2—GIVE WAY

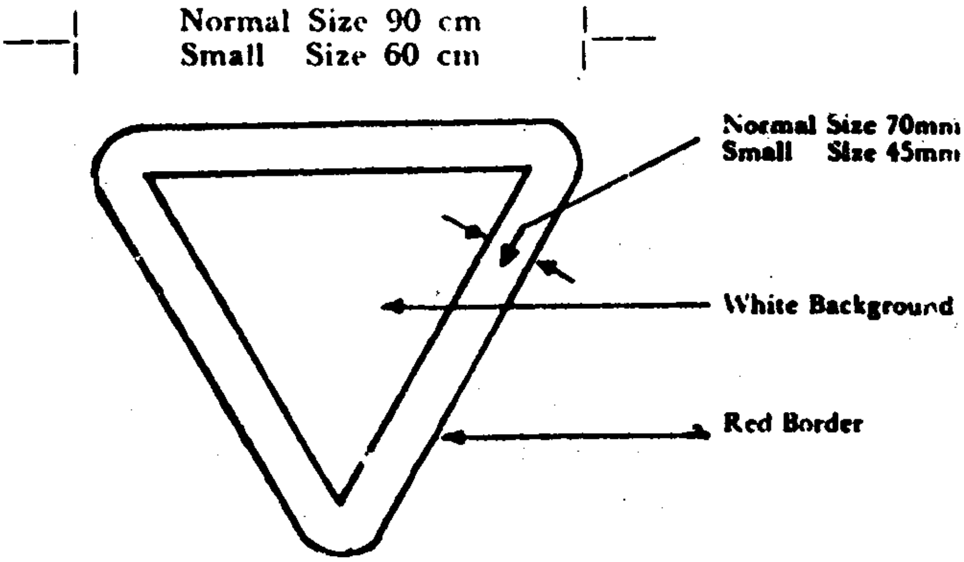


*Note.* — Till the Road users are familiar with this sign a definition plate may be used with the Sign carrying the message 'Give Way' in English and other languages as necessary.

---

1. Schedule *subs.* by Noti. No. S.O. 475(E) dated June 2?, 1989, w.e.f. July 1, 1989 issued under S. 116(7)
2. Subs. by Act No. 54 of 1994 (w.e.f. 14.11.94)

**No. M3—STRAIGHT PROHIBITED OR NO ENTRY**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

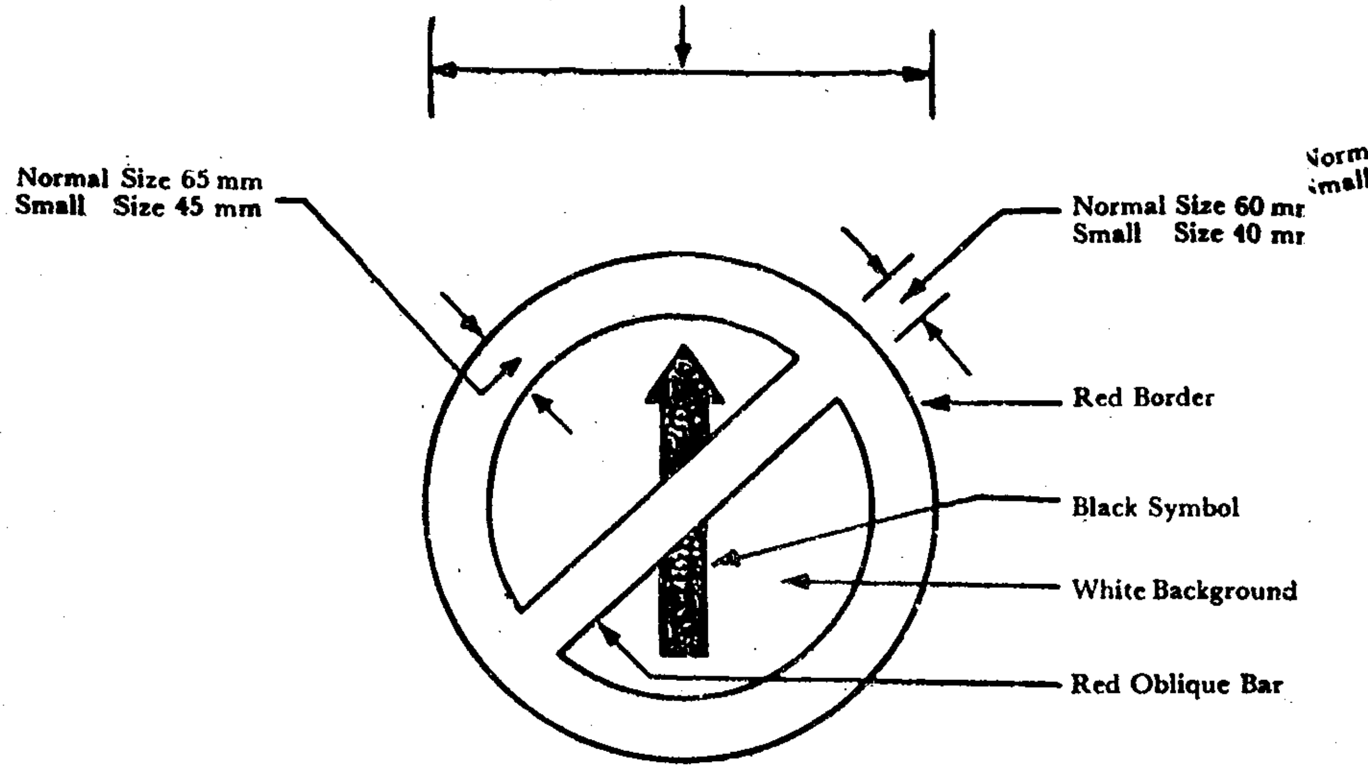


**No. M4A—ONE WAY SIGN—VEHICLES PROHIBITED IN ONE DIRECTION**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

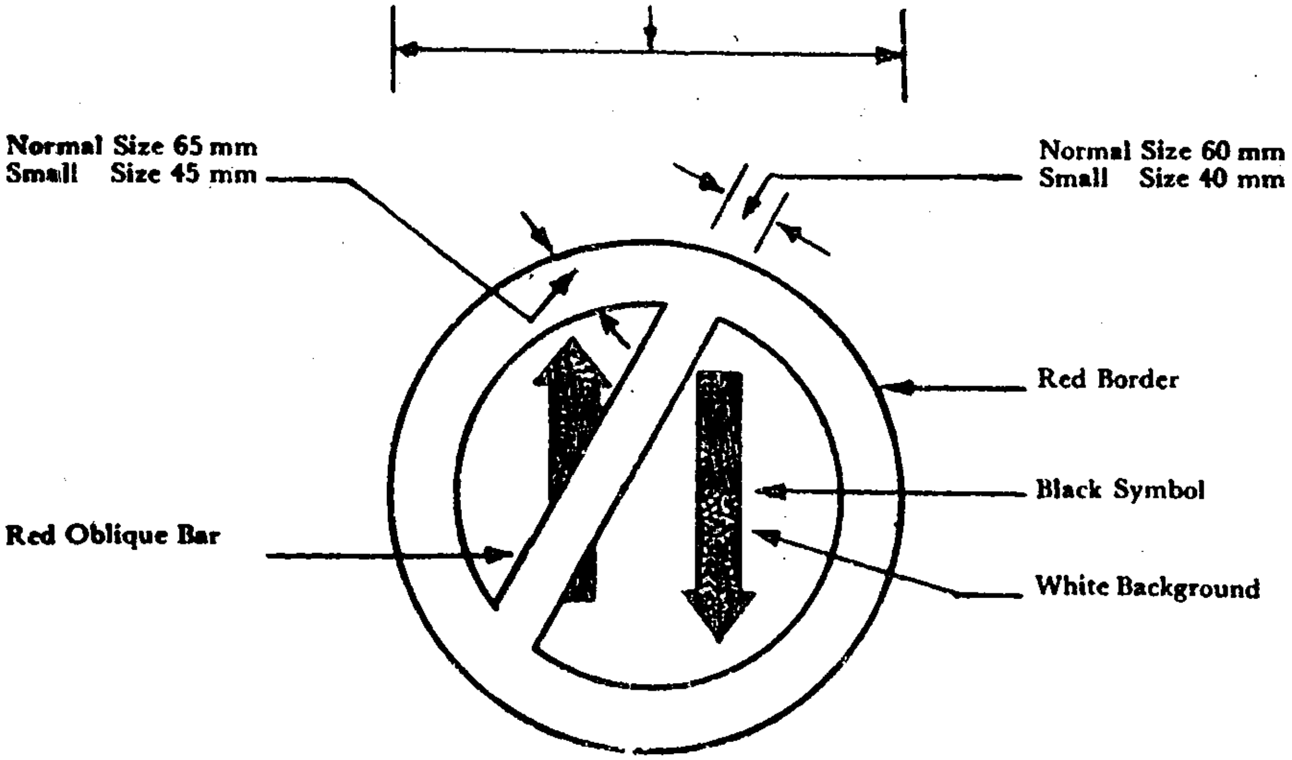

## No. M4B—ONE WAY SIGN—VEHICLES PROHIBITED IN ONE DIRECTION

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

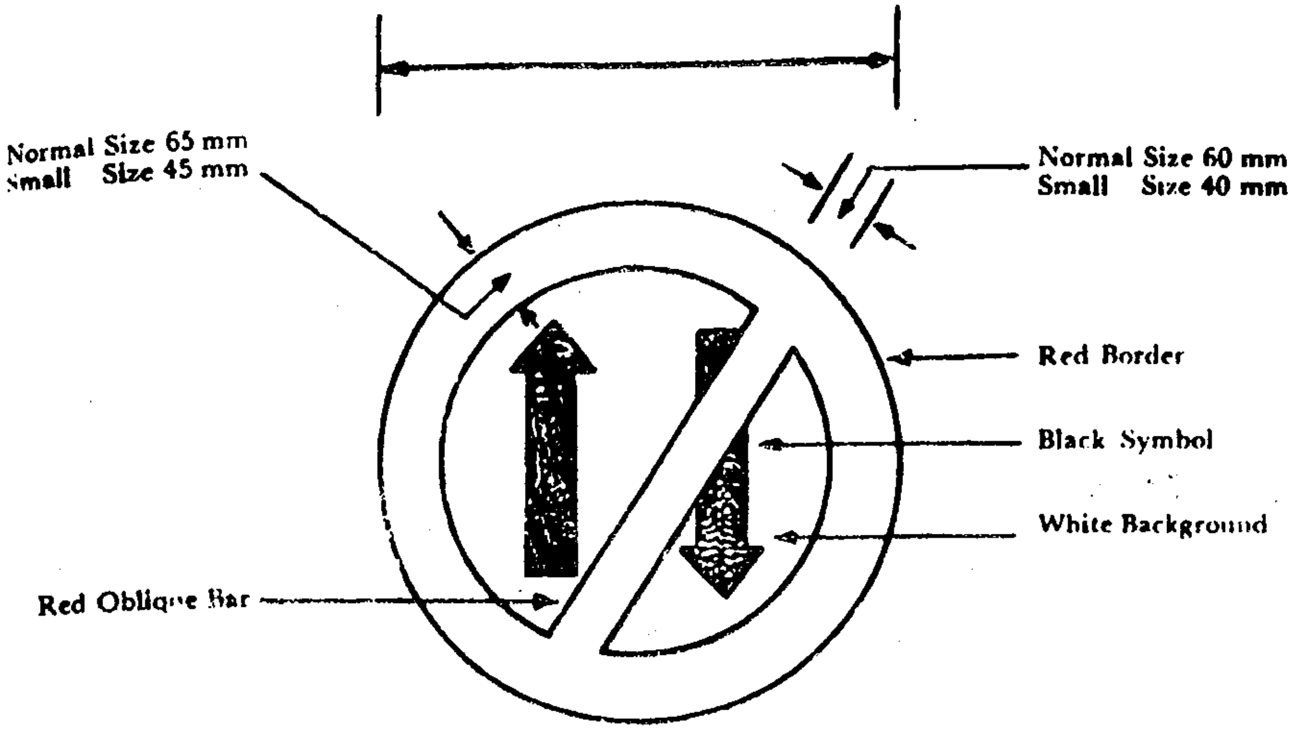


## No. M5—VEHICLES PROHIBITED IN BOTH DIRECTIONS

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

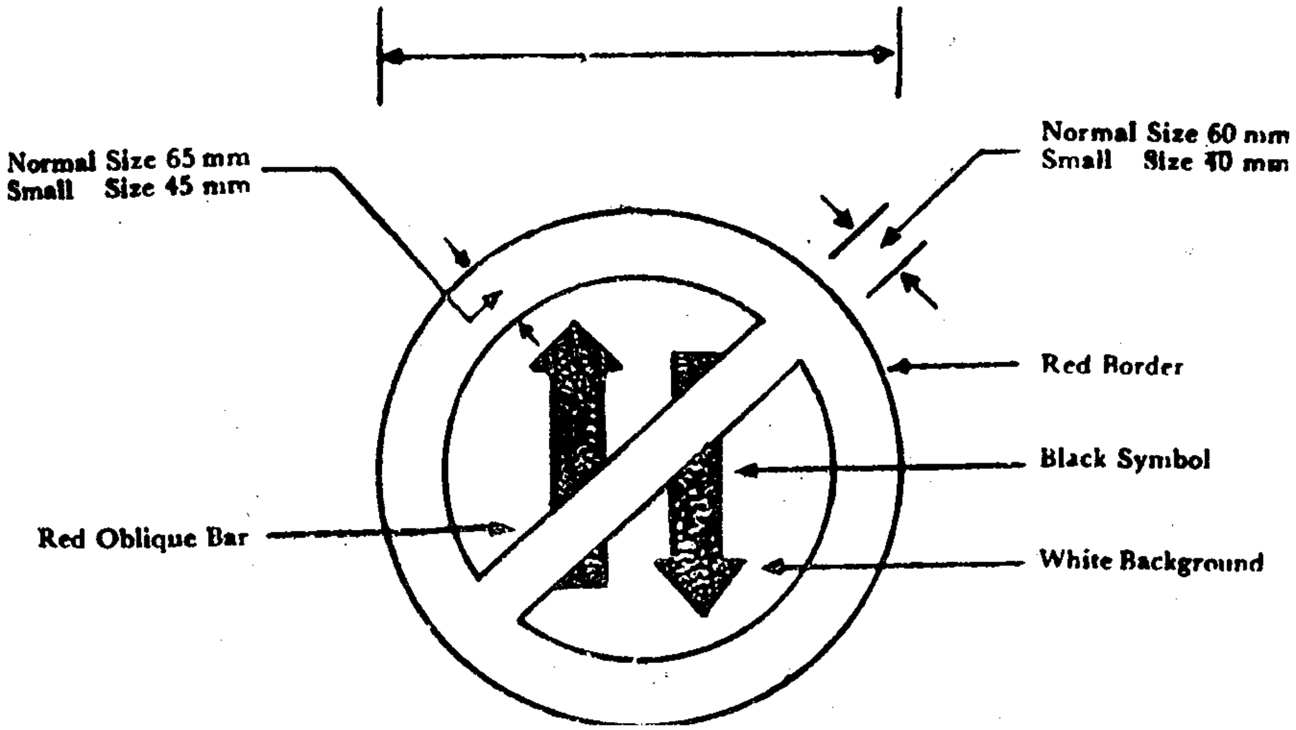

## No. M6—ALL MOTOR VEHICLES PROHIBITED

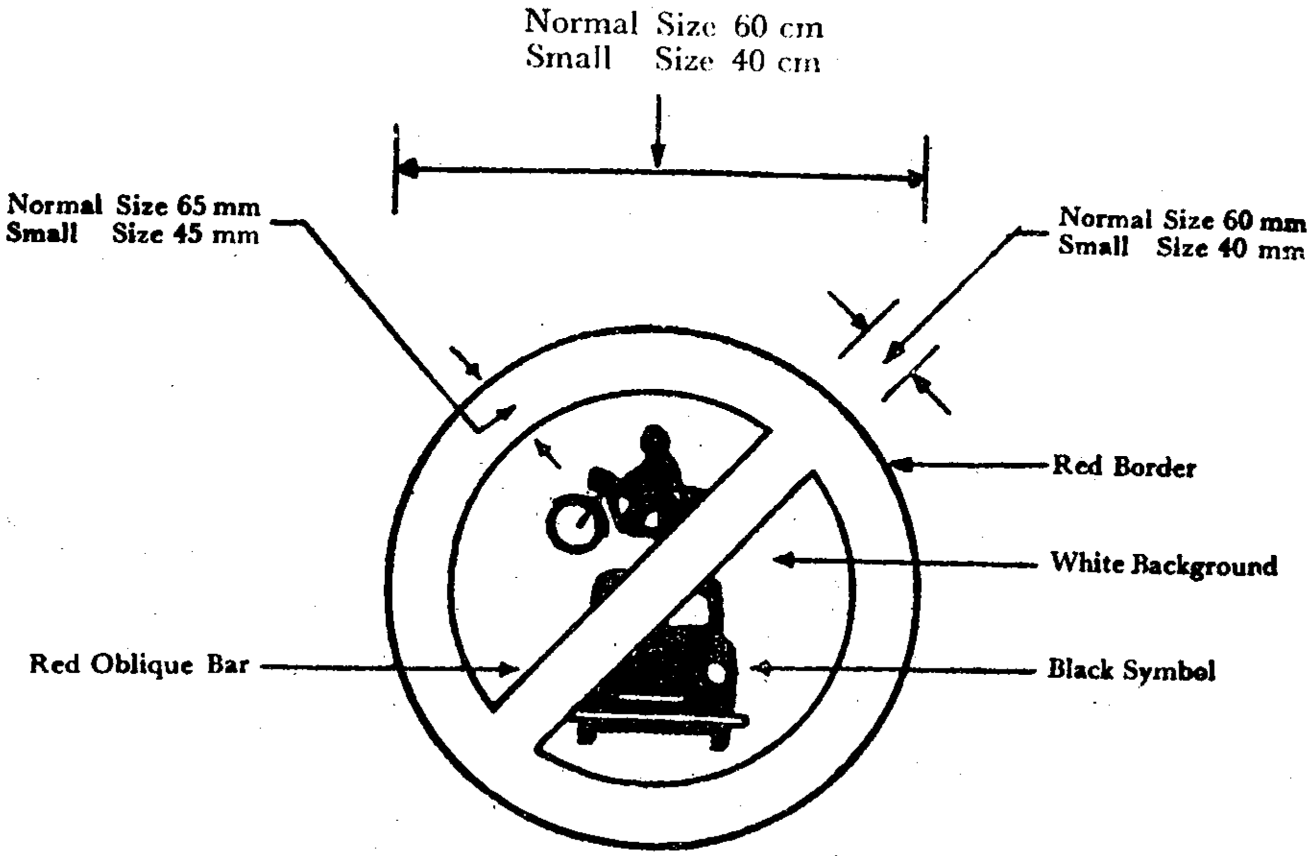


## No. M7—TRUCKS PROHIBITED

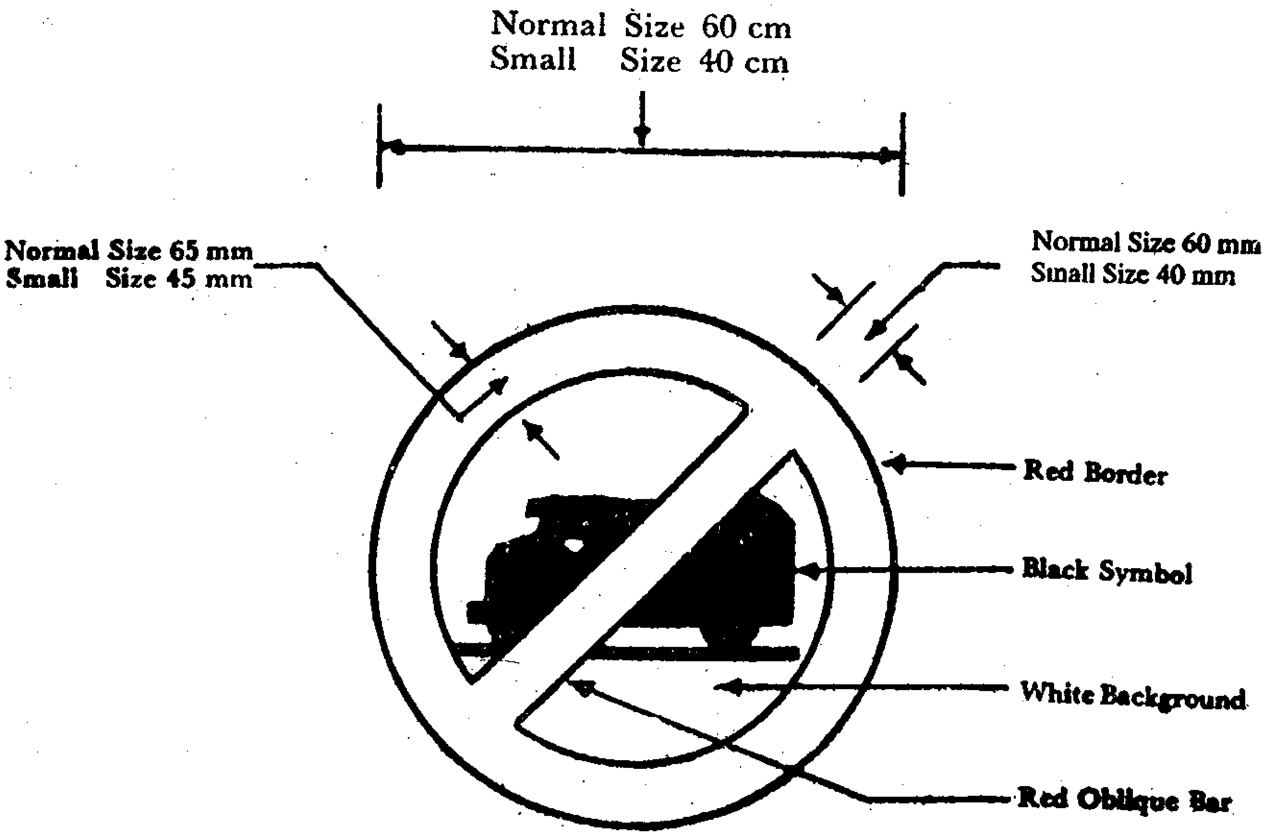

## No. M8—BULLOCK CARTS AND HAND CARTS PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

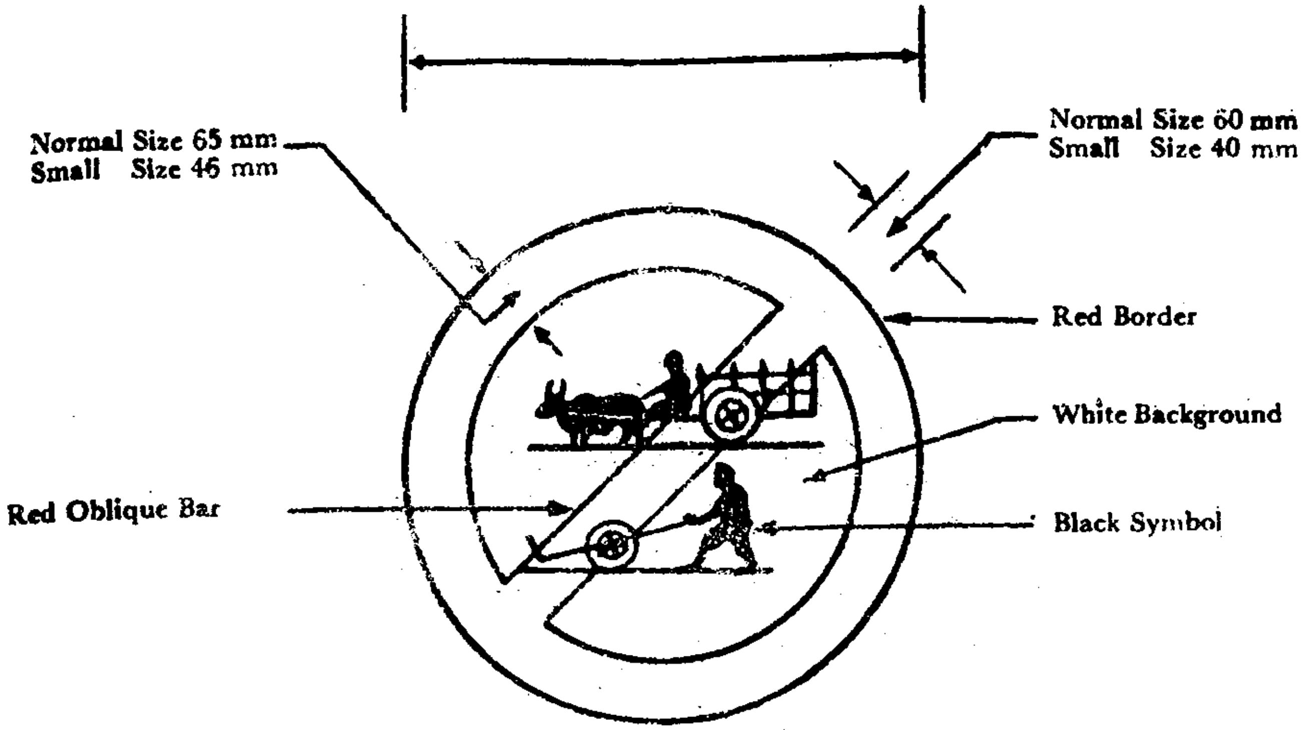


## No. M9—BULLOCK CARTS PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

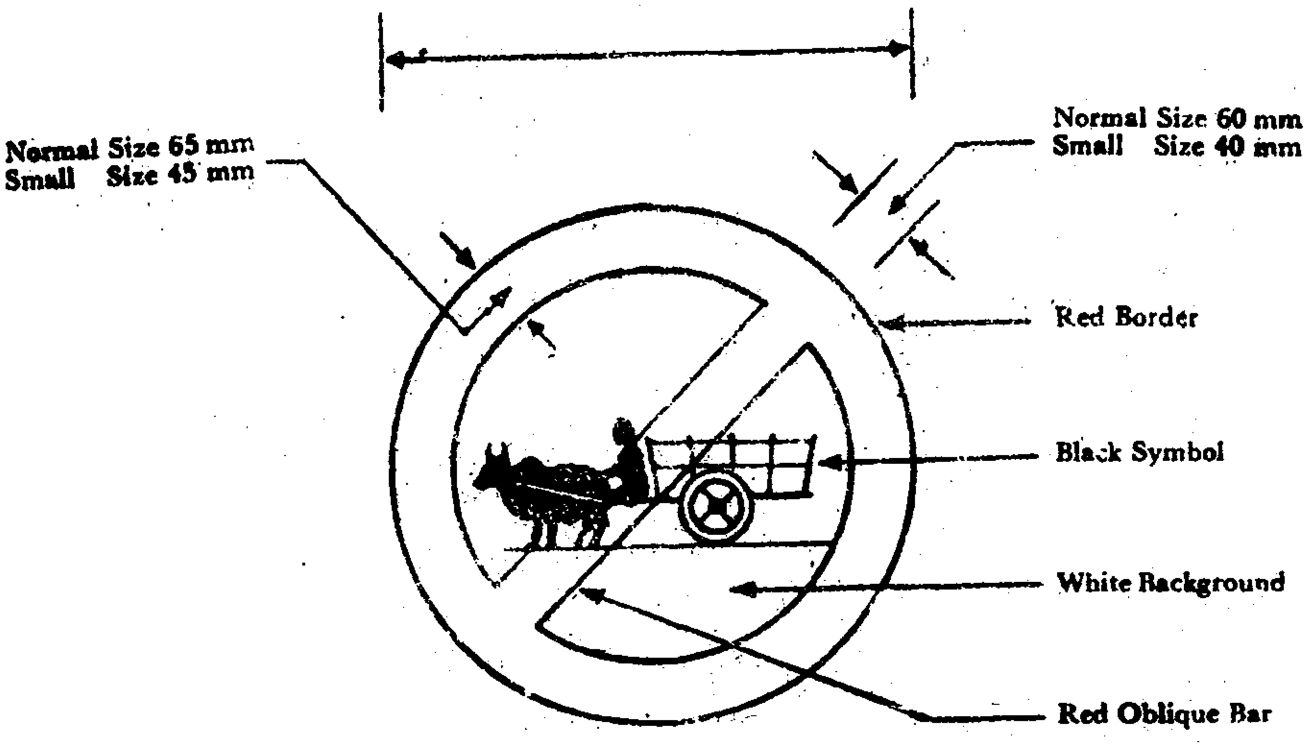

## No. M10—TONGAS PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

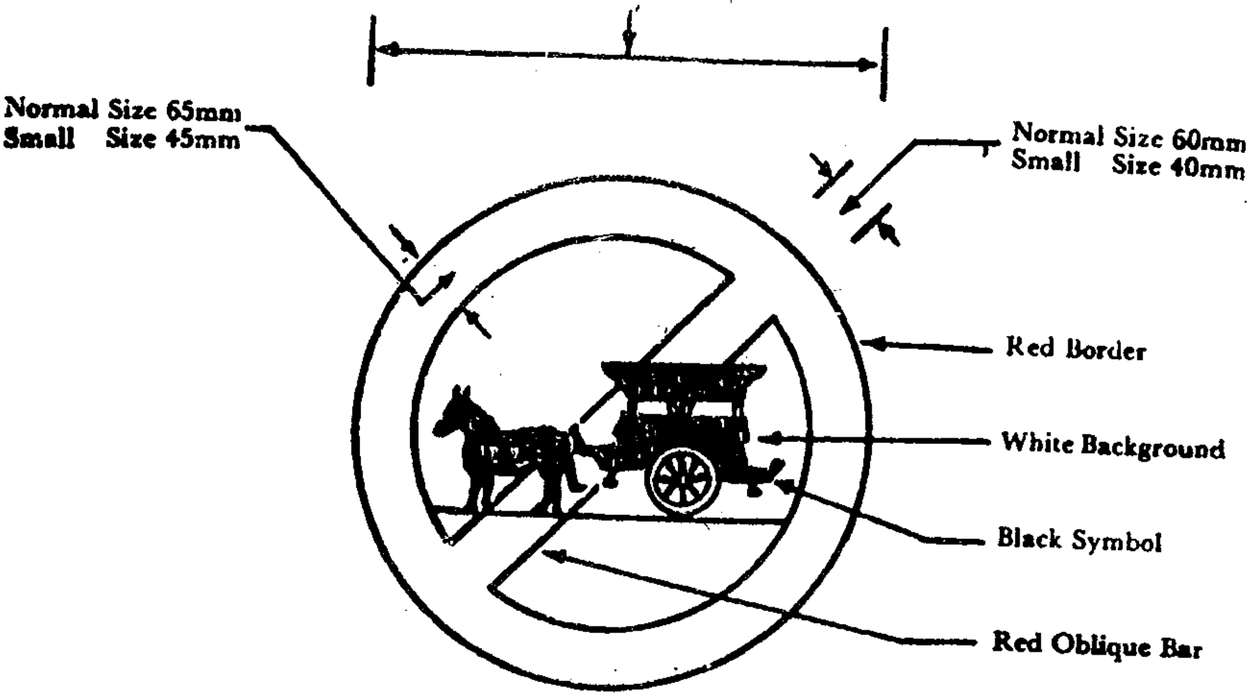


## No. M11—HAND CARTS PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

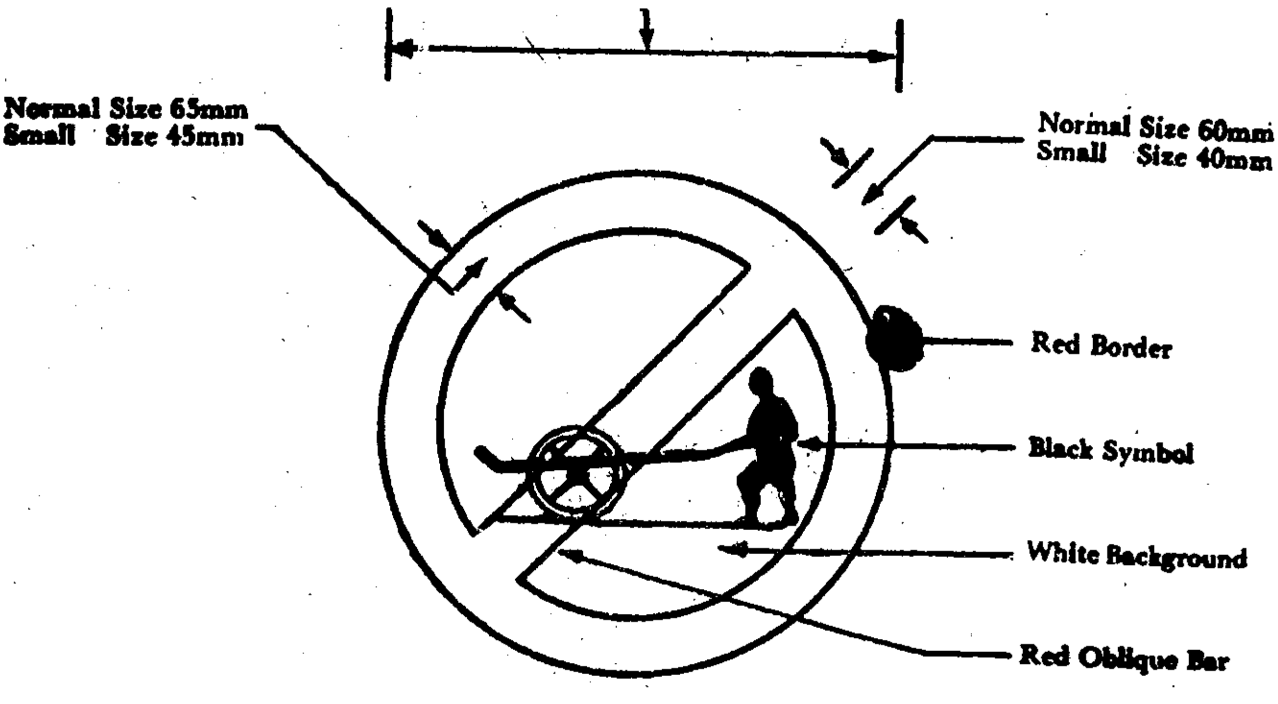

## No. M12—CYCLE PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

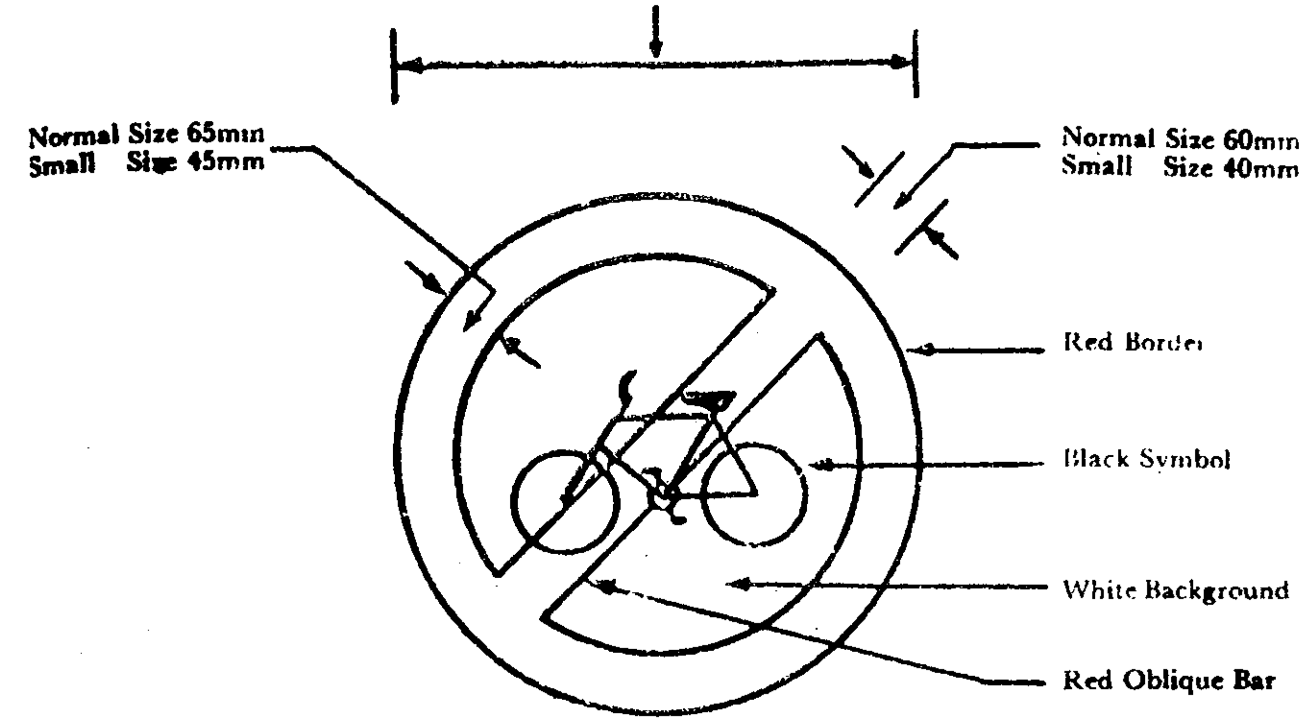


## No. M13—PEDESTRIANS PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

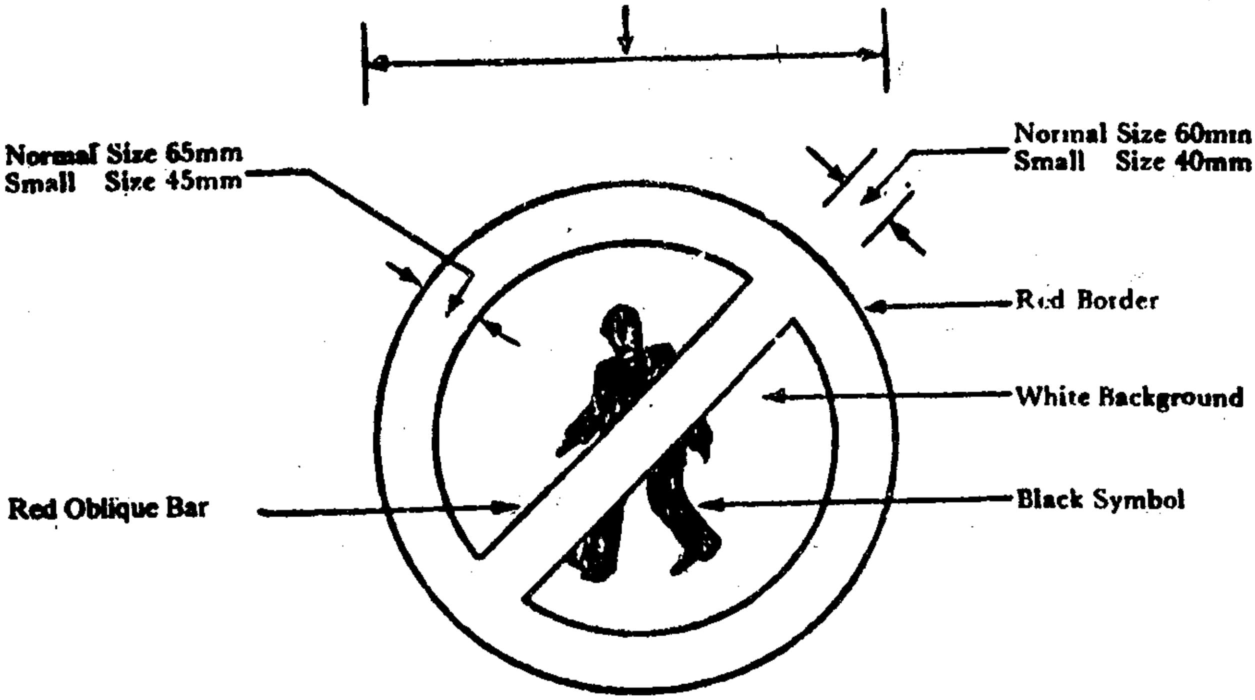

## No. M14—RIGHT TURN PROHIBITED.

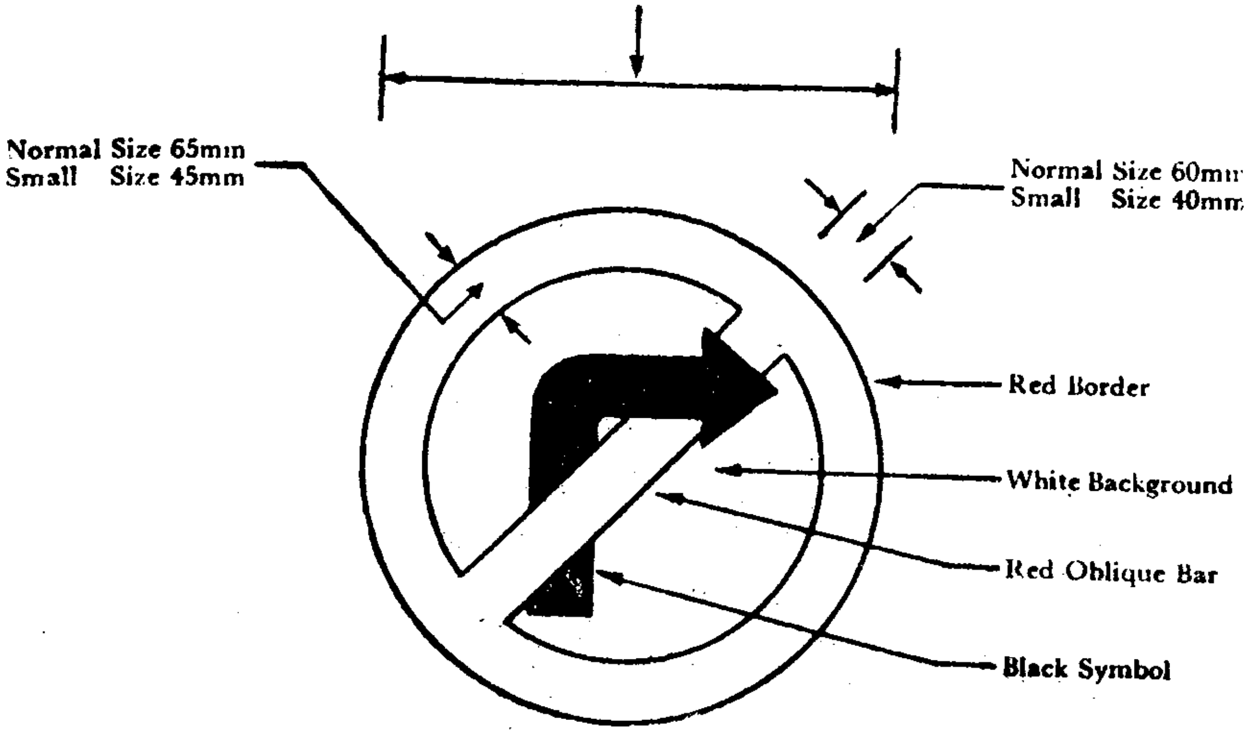


## No. M15—LEFT TURN PROHIBITED

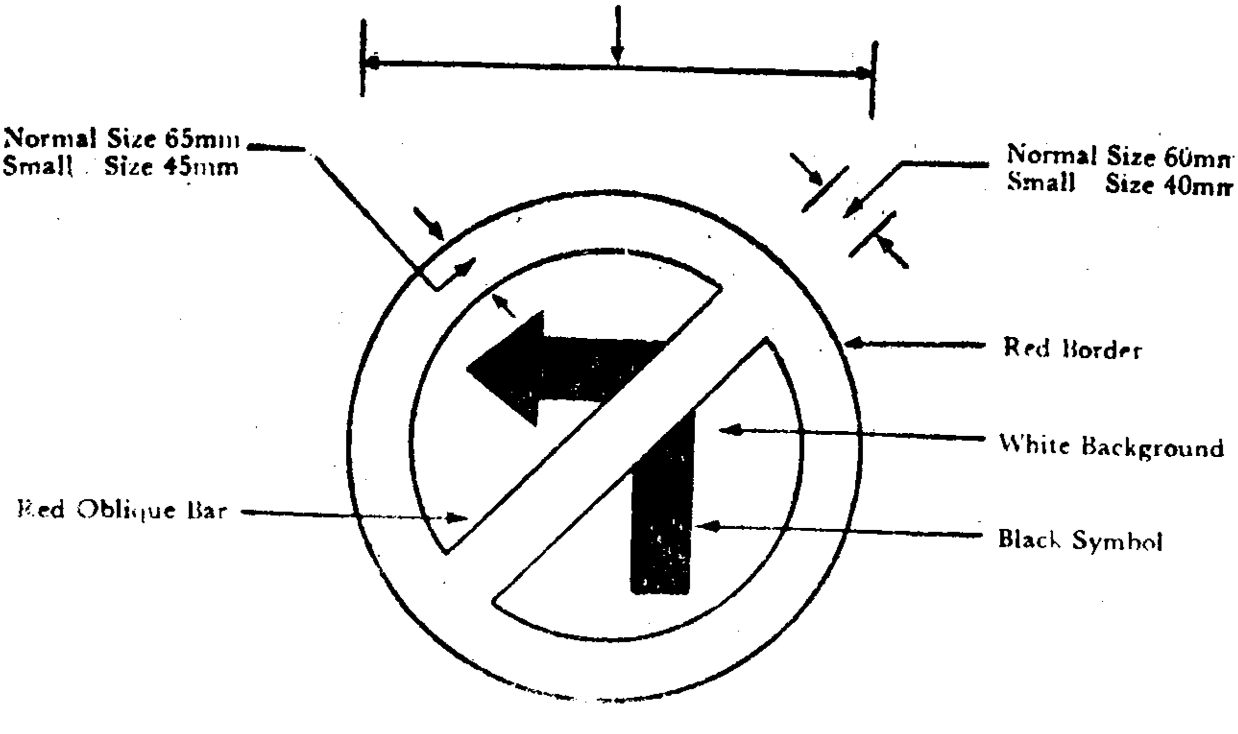

## No. M16—U-TURN PROHIBITED

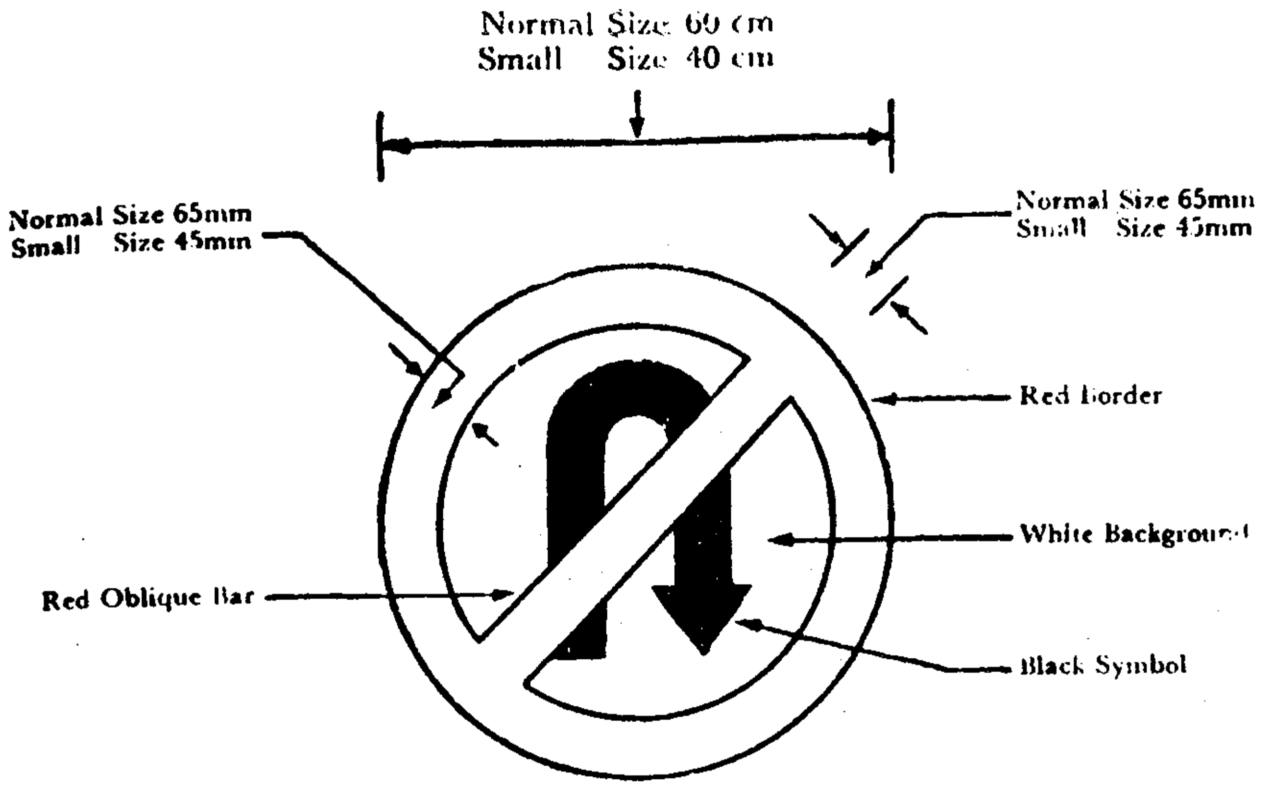


## No. M17—OVERTAKING PROHIBITED

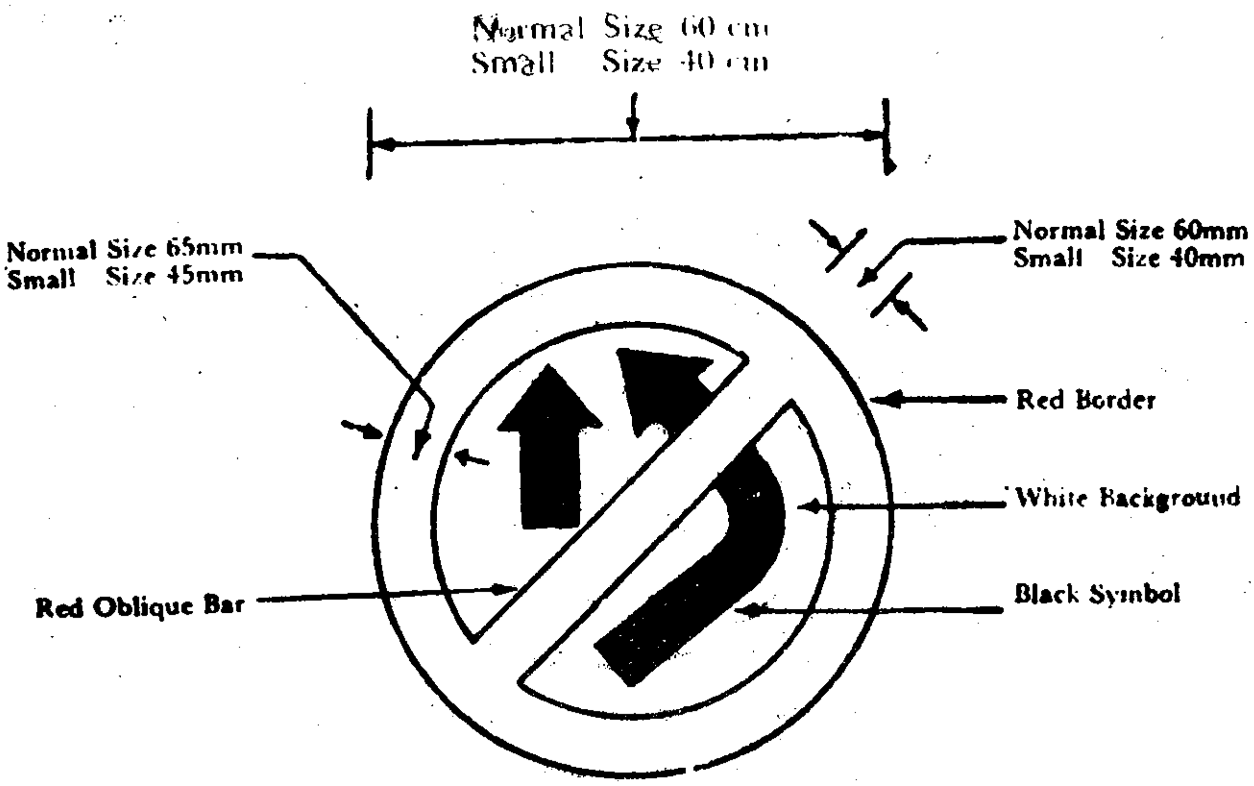

## No. M18—HORNS PROHIBITED

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

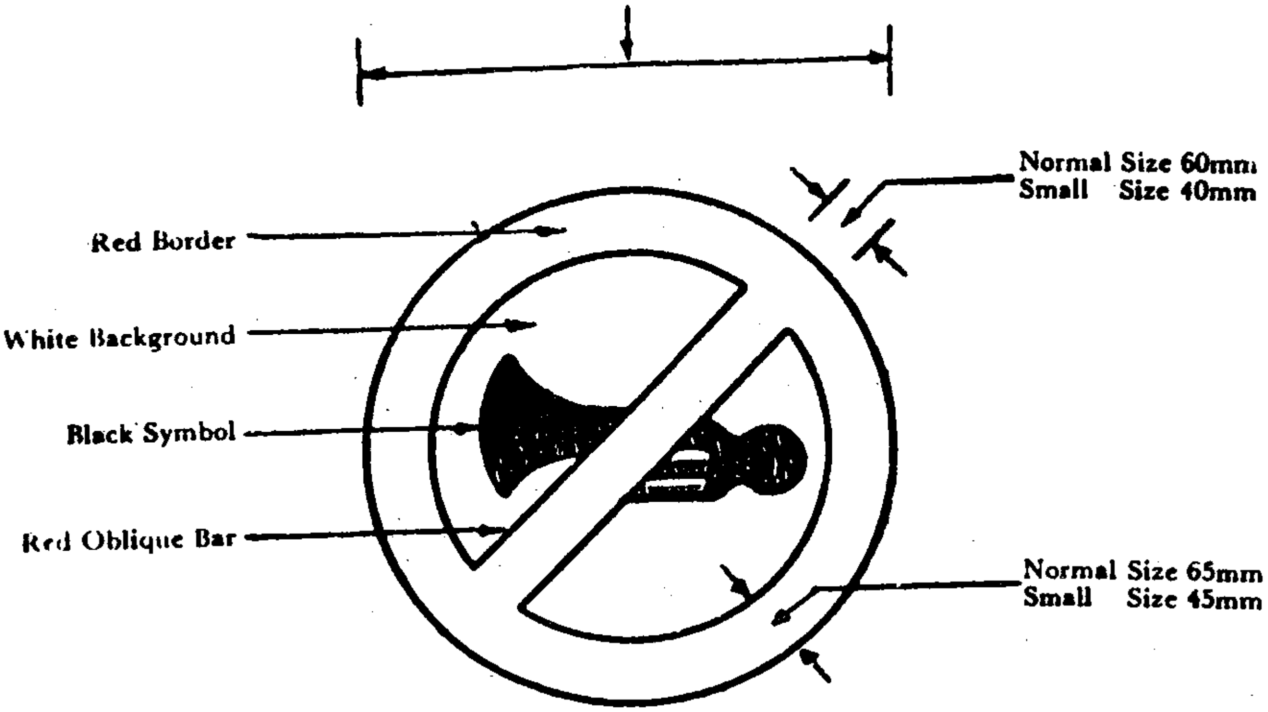


## No. M19—NO PARKING

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

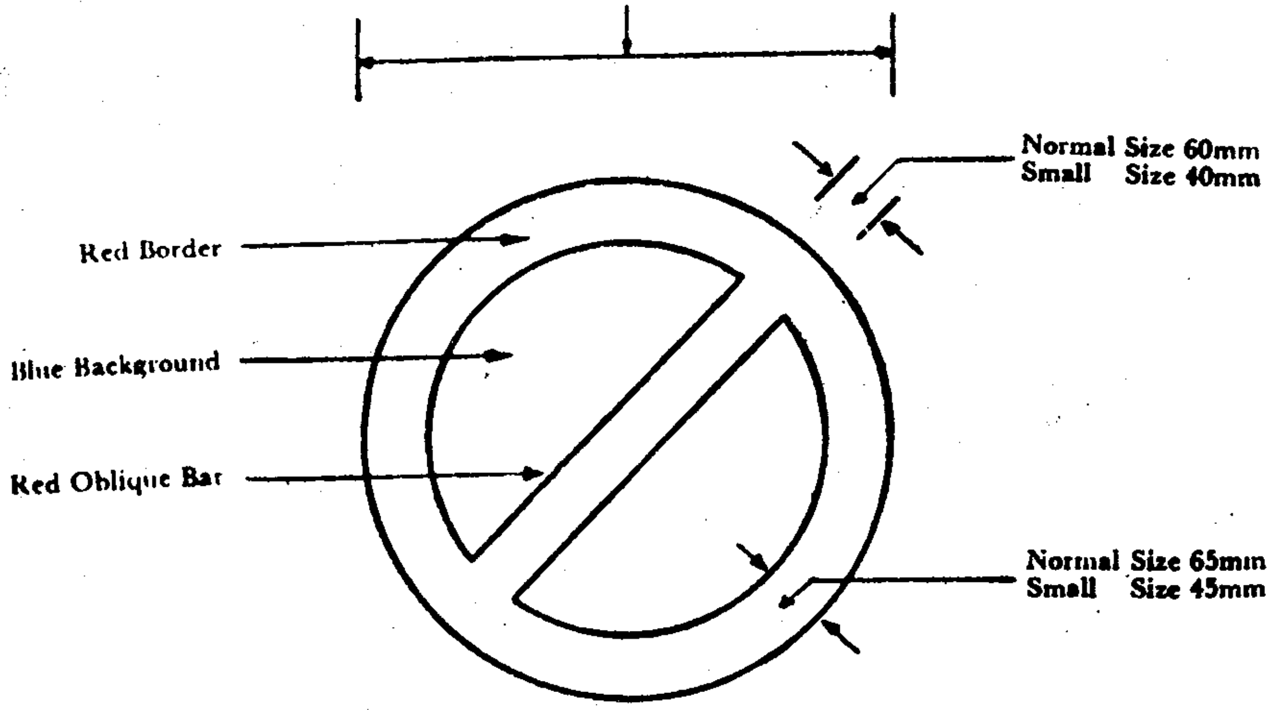


*Note.*—A Definition Plate may be attached with the sigh carrying the message in English and other languages as necessary, as also any additional information such as the period during which the restrictions will be in force or the particular vehicles to which it applies.

## No. M20—NO STOPPING OR STANDING

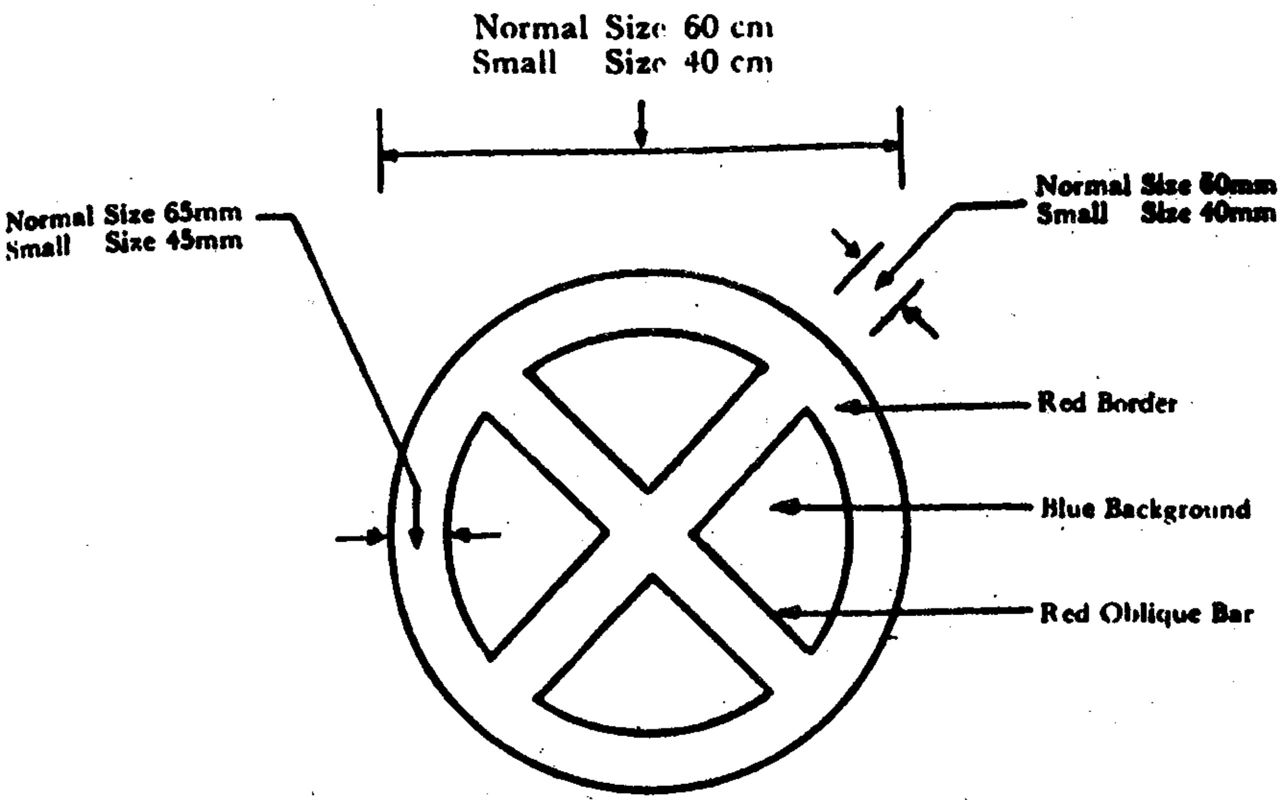


*Note.* — A definition plate may be attached with the sign carrying the message in English and other languages as necessary, as also any additional information such as the period during which the restrictions will be in force or the particular vehicles to which it applies.

## No. M21 — SPEED LIMIT

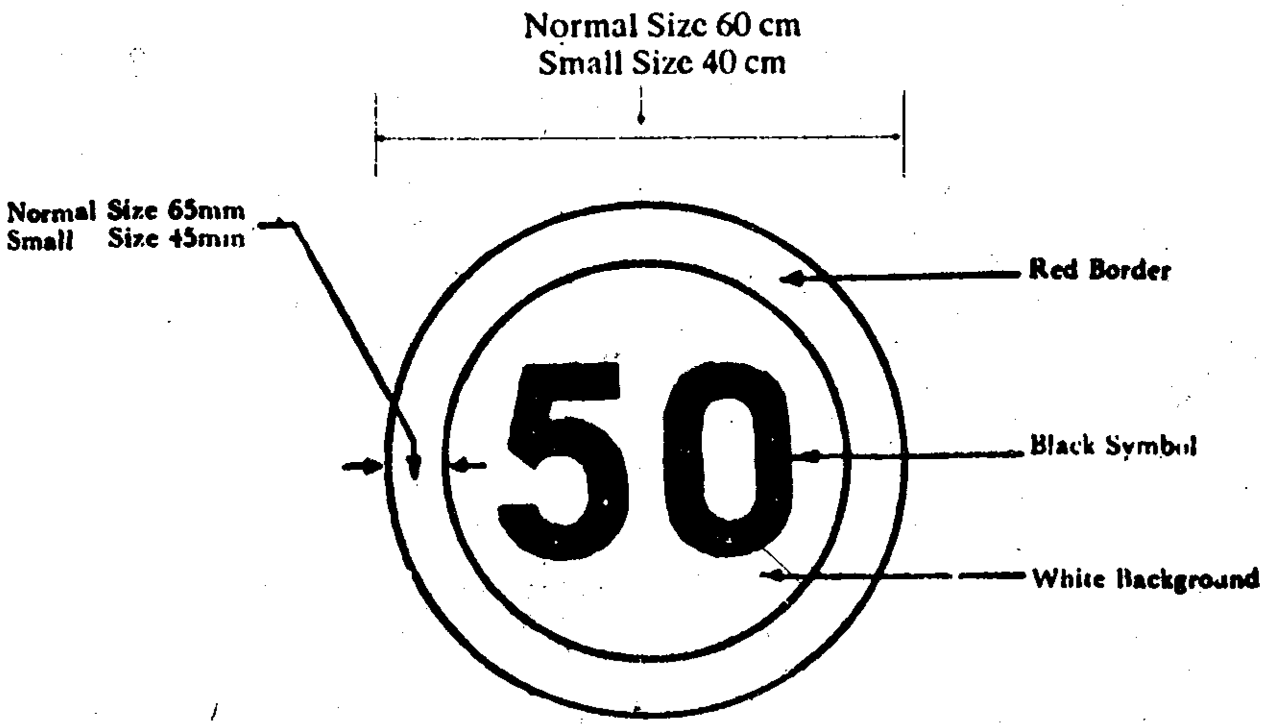


*Note.* — Where Speed Limit is imposed only on certain class or classes of Motor Vehicles, this may be specified on a definition plate. Where in addition to general speed limit, a special speed limit is imposed on Motor Vehicle of certain class or classes, the latter together with the class or classes of vehicles may be specified on a defition plate.

## No. M22—WIDTH LIMIT

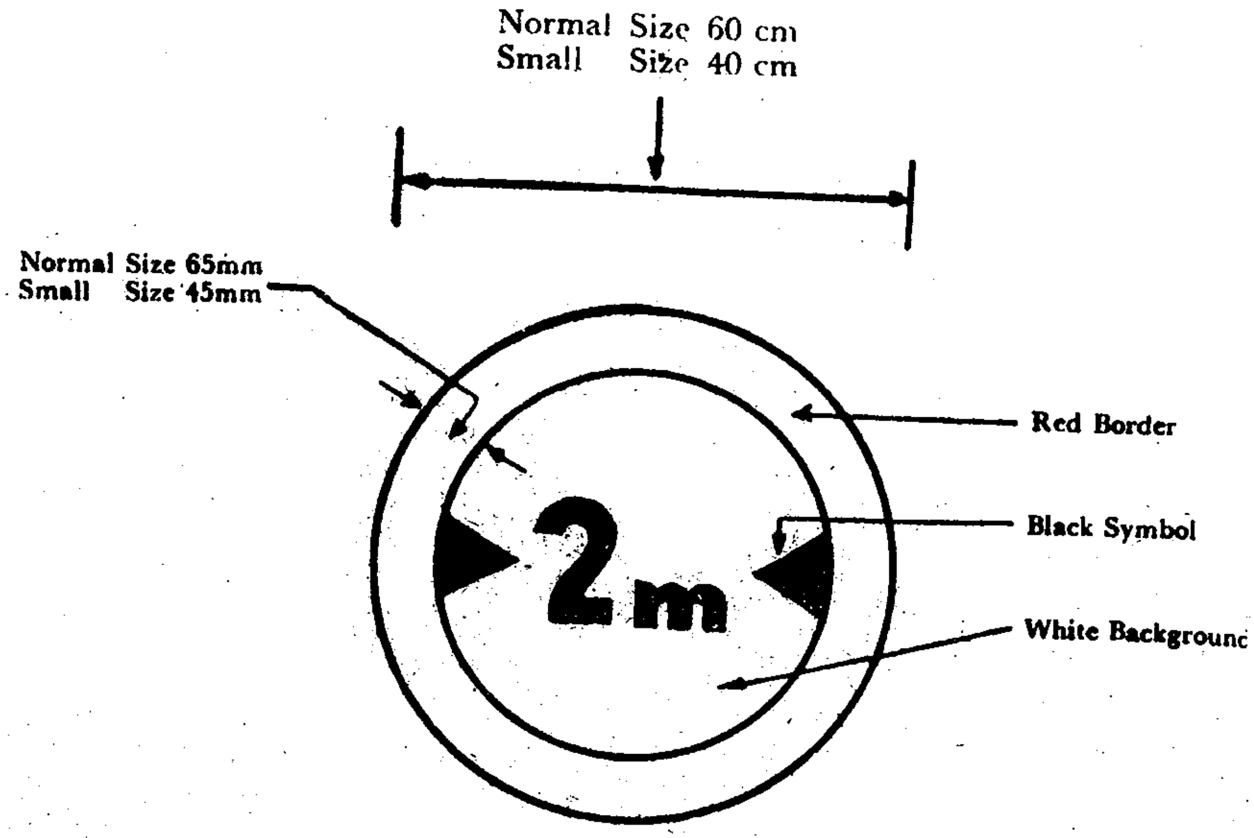


## No. M23—HEIGHT LIMIT

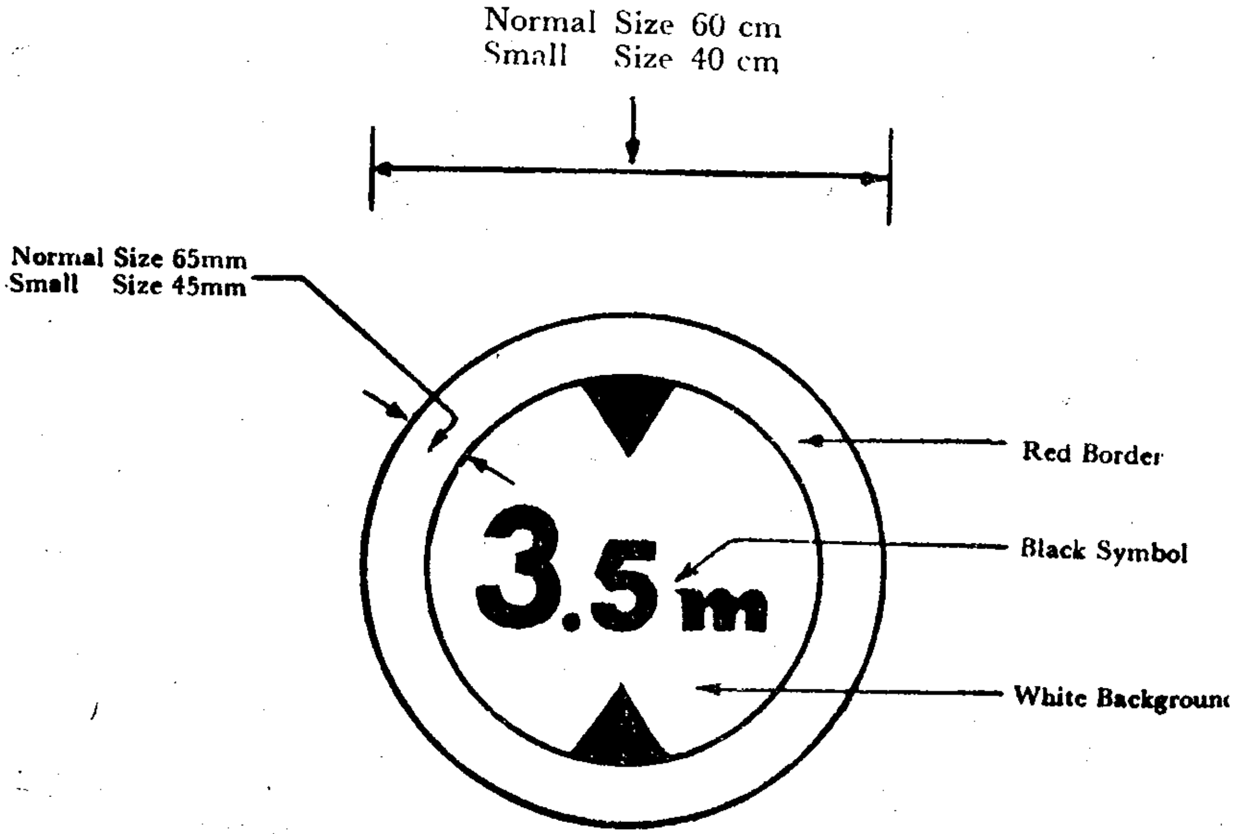

## No. M24—LENGTH LIMIT

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

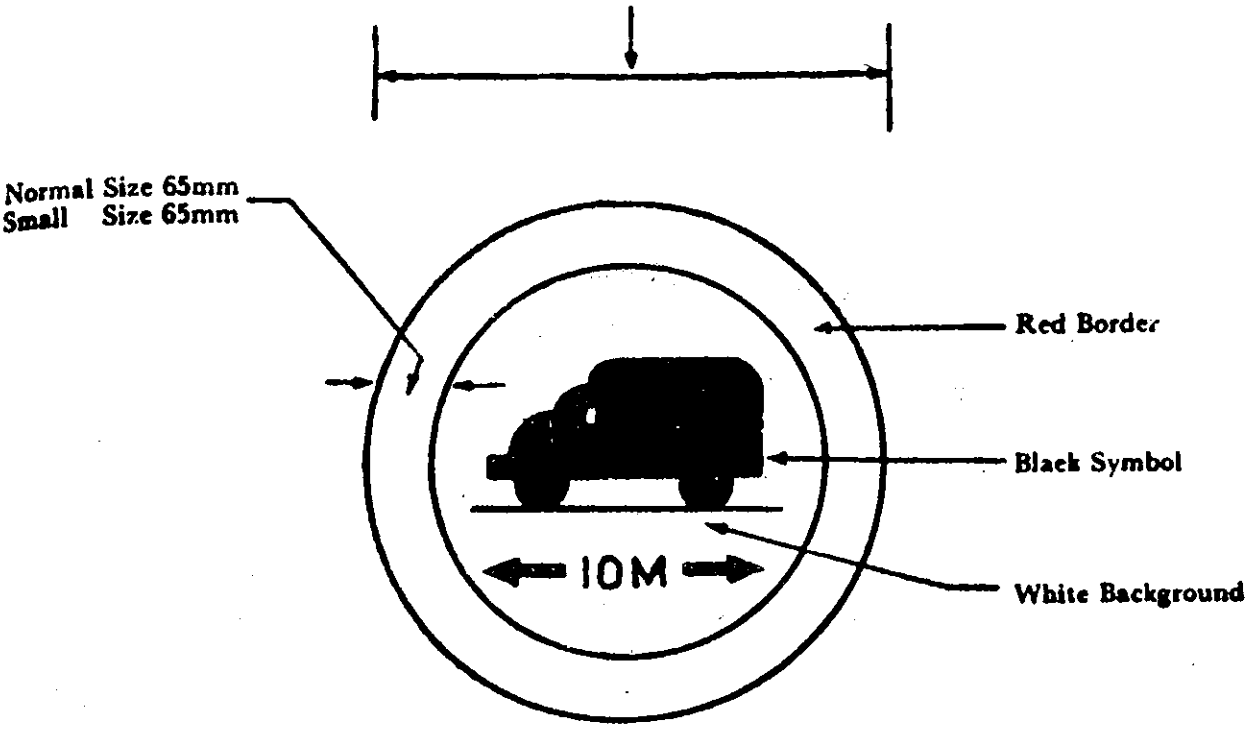


## No. M25—LOAD LIMIT

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

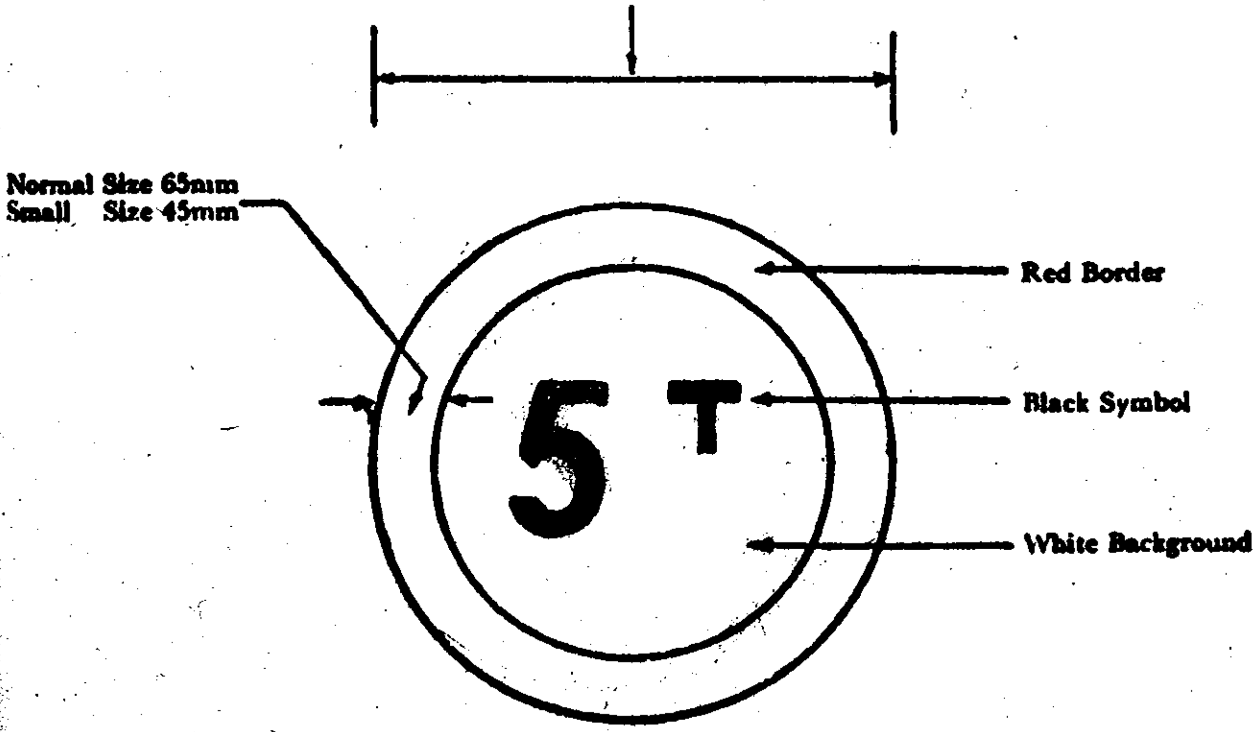

## No. M26—AXLE LOAD LIMIT

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

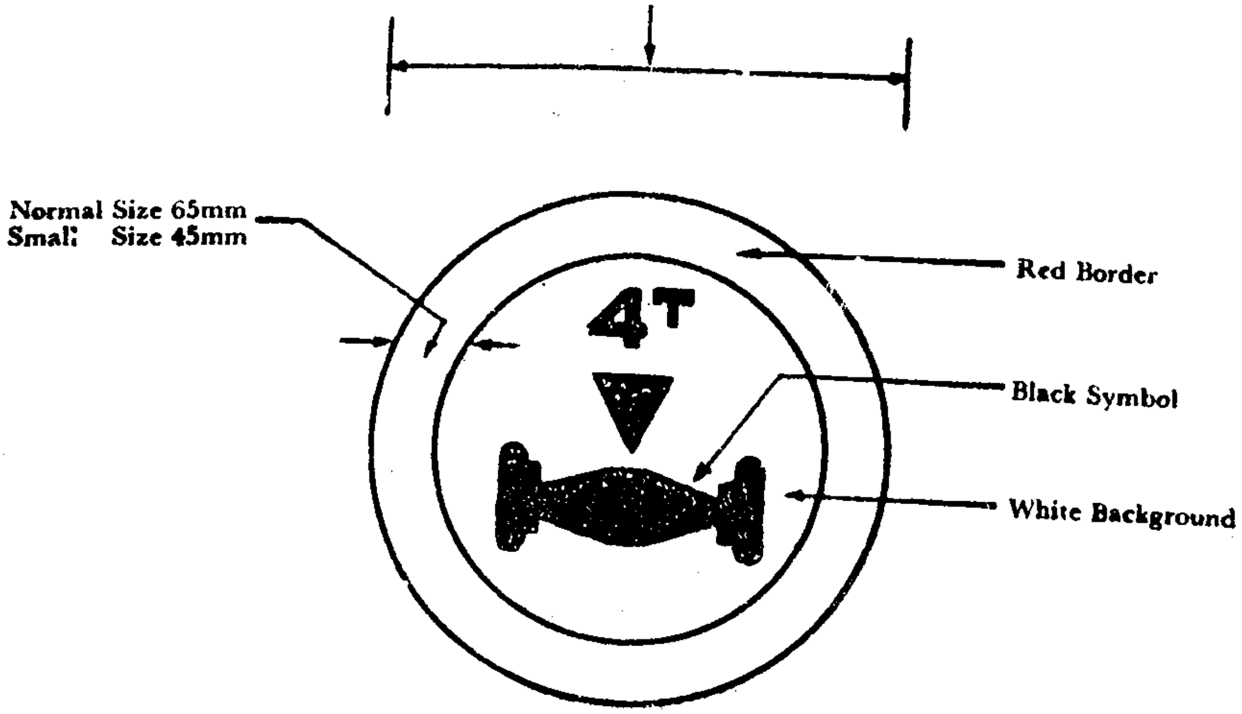


## No. M27—RESTRICTION ENDS SIGN

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

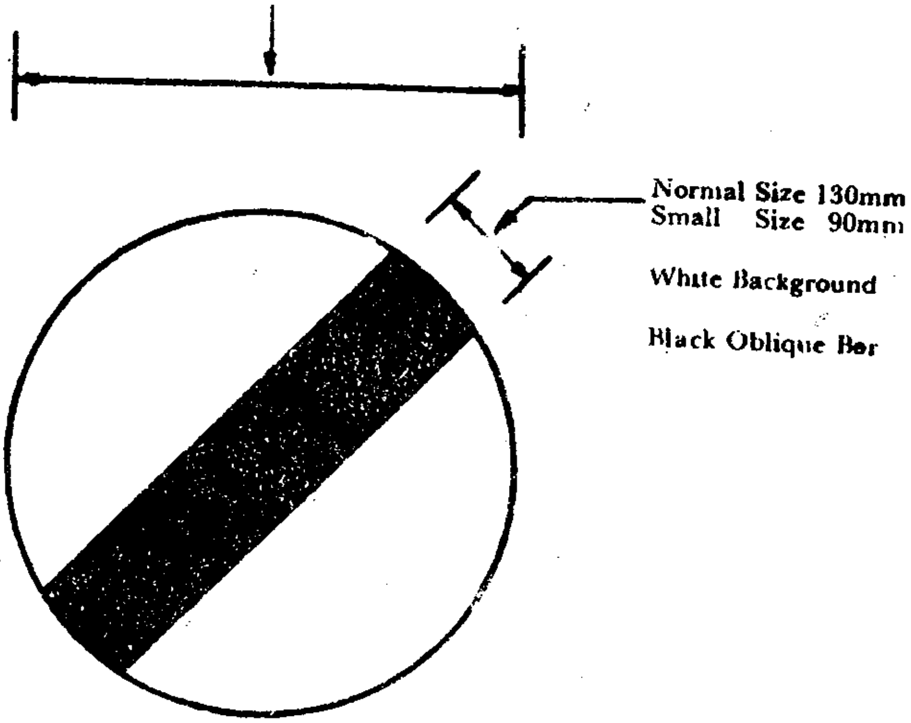

**No. M28—COMPULSORY TURN LEFT (RIGHT IF SYMBOL IS REVERSED)**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

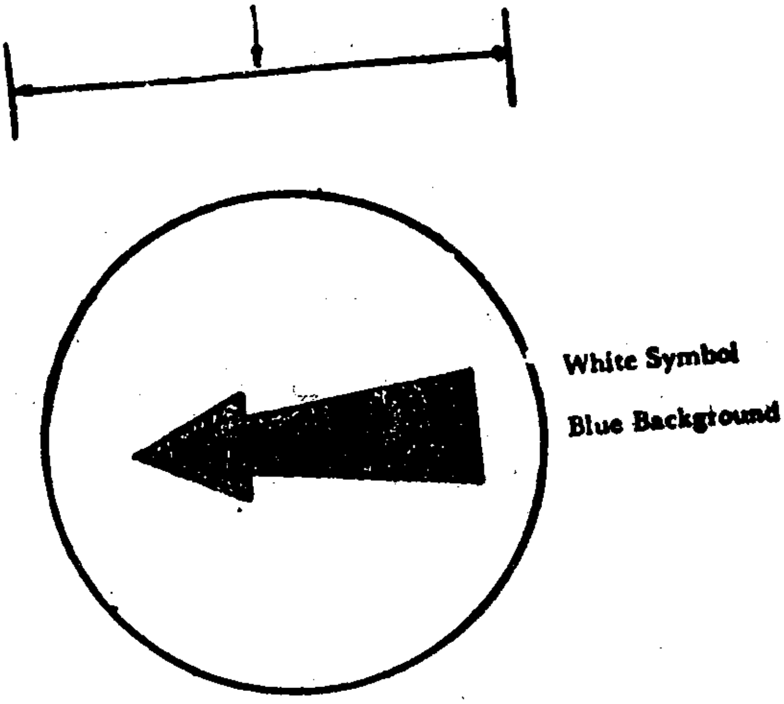


**No. M29—COMPULSORY AHEAD**

**AHEAD ONLY**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

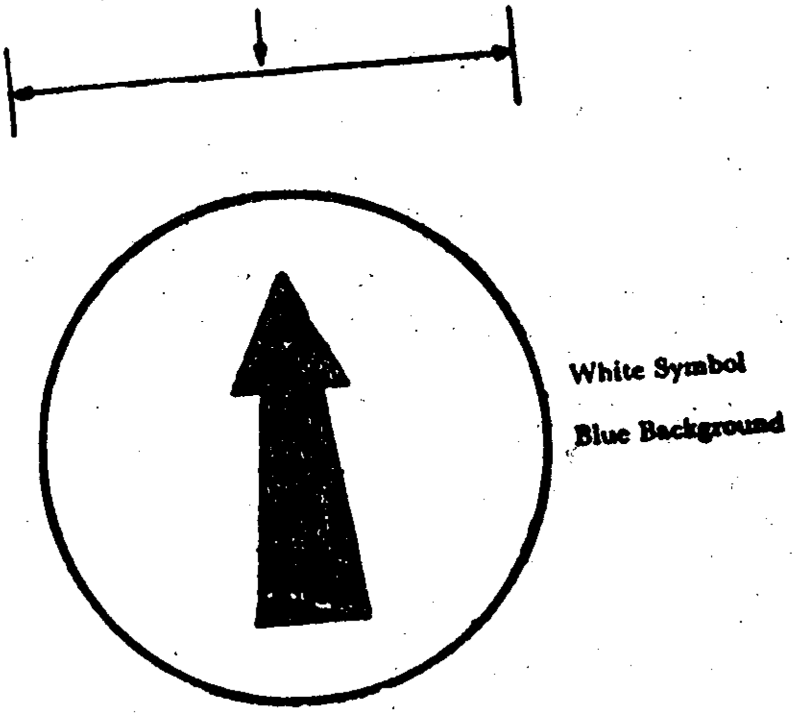

## No. M30—COMPULSORY TURN RIGHT AHEAD (LEFT IF SYMBOL IS REVERSED)

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

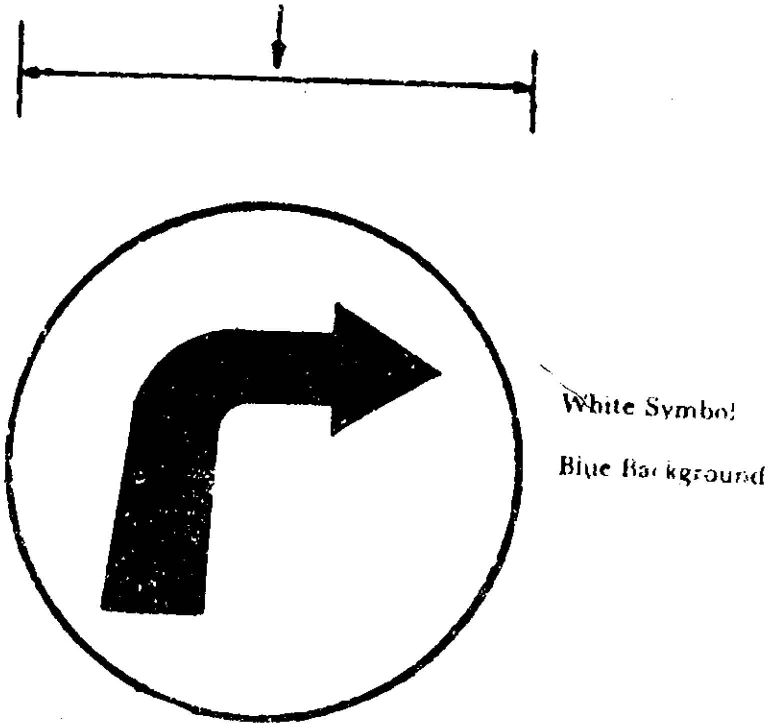


## No. M31—COMPULSORY AHEAD OR TURN RIGHT

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

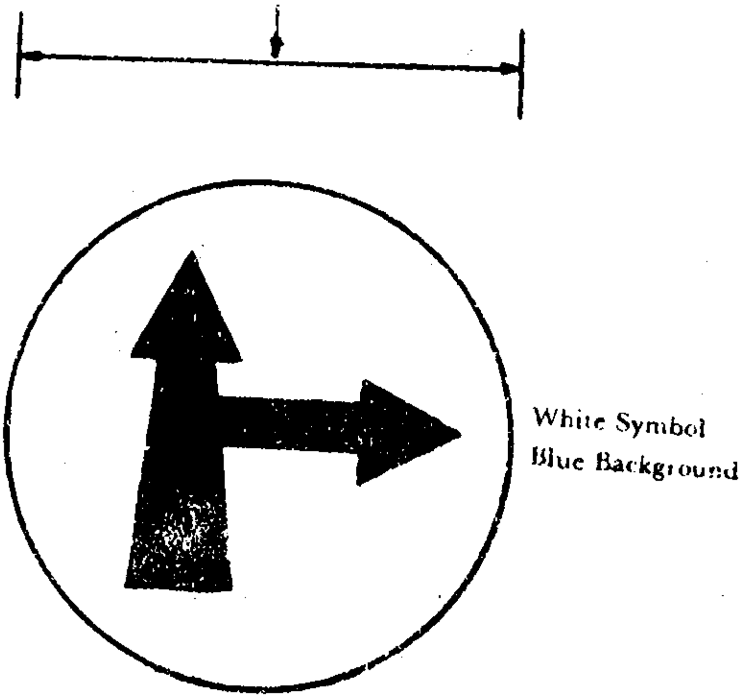

**No. M32—COMPULSORY AHEAD OR TURN LEFT**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

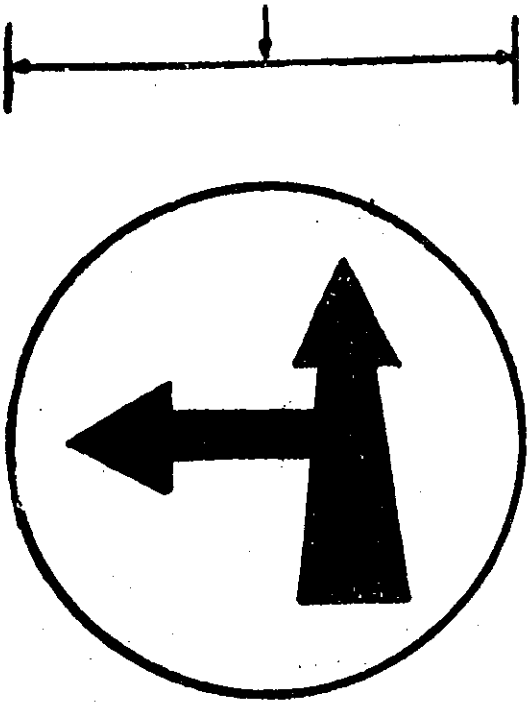

White Symbol
Blue Background

**No. M33—COMSULSORY KEEP LEFT**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

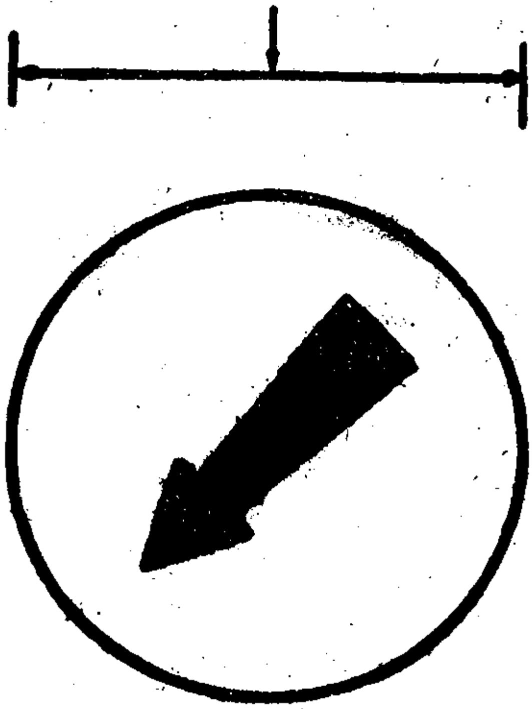

White Symbol
Blue Background

**No. M34—COMPULSORY CYCLE TRACK**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

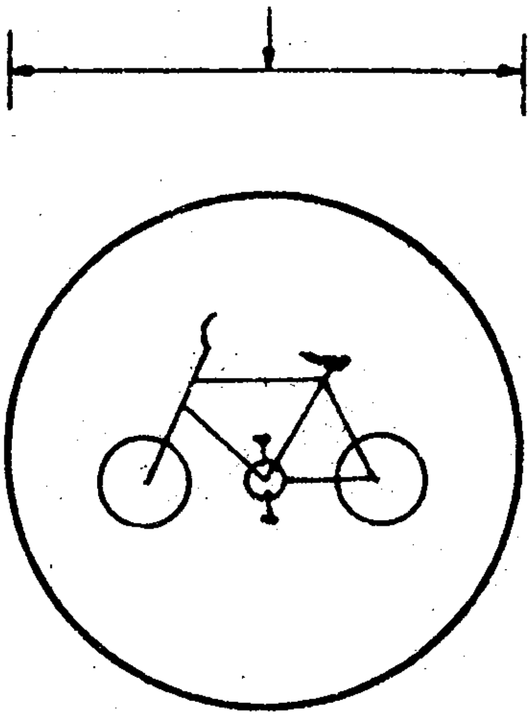

**White Symbol**

**Blue Background**

**No. M35—COMPULSORY SOUND HORN**

Normal Size 60 cm
Small Size 40 cm

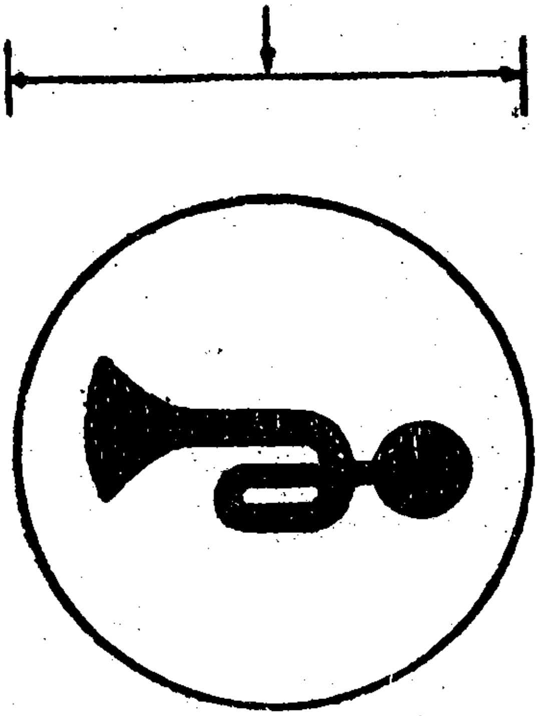

**White Symbol**

**Blue Background**

**No. M-36 — COMPULSORY BUS STOP**

Red Band

Centre White

Device Black

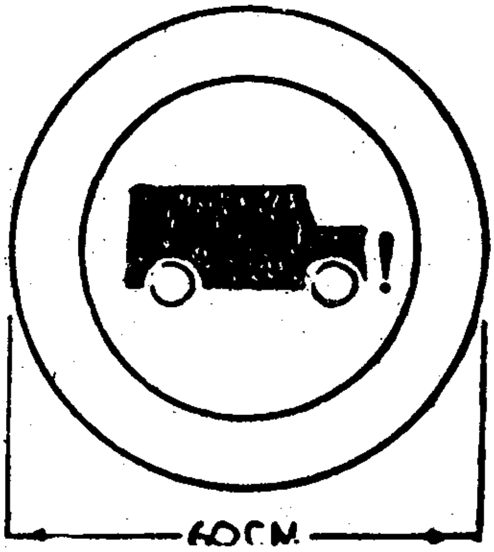

# CAUTIONARY SIGNS OF THE SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT, 1988

## No. CI—GENERAL DESIGN

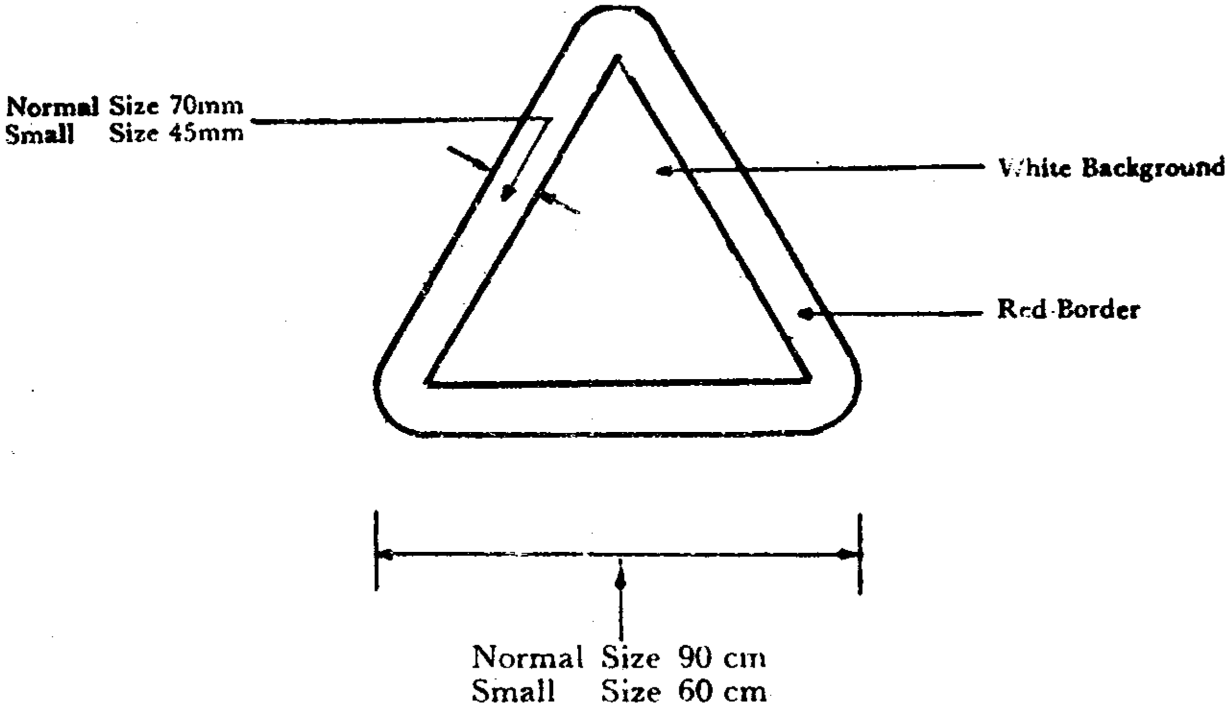


## No. C2—RIGHT HAND CURVE

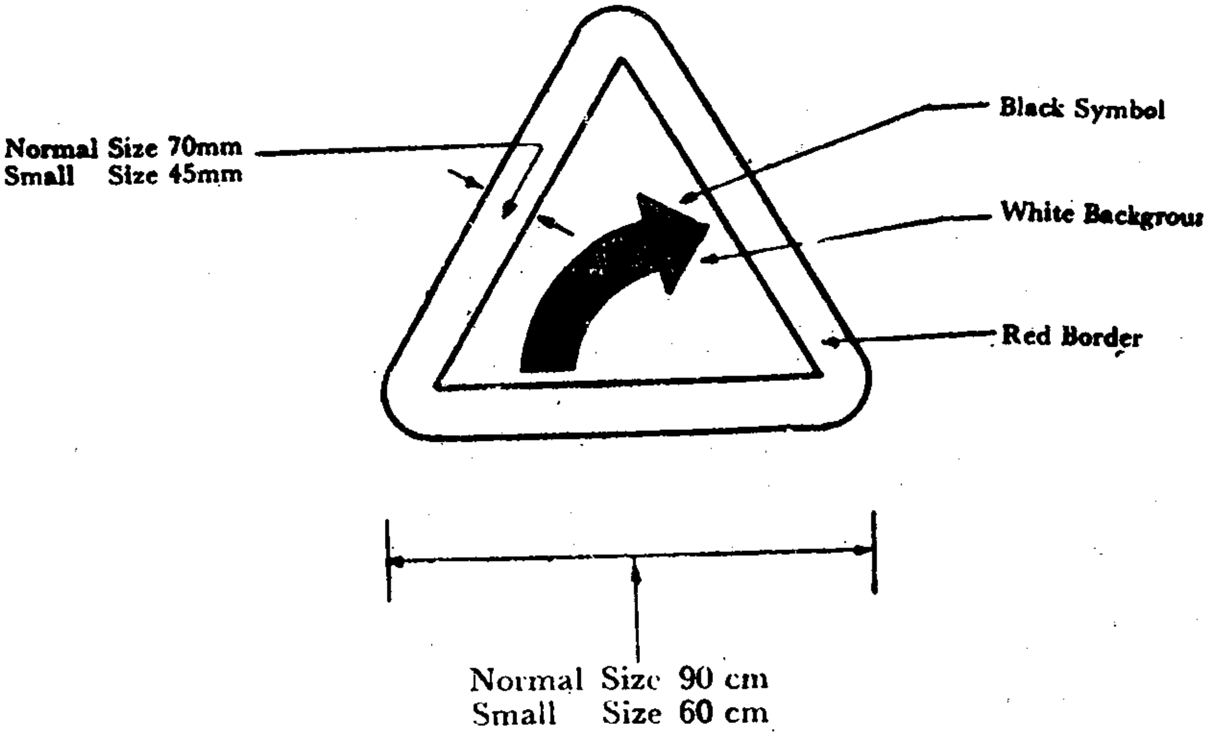

## No. C3—LEFT HAND CURVE

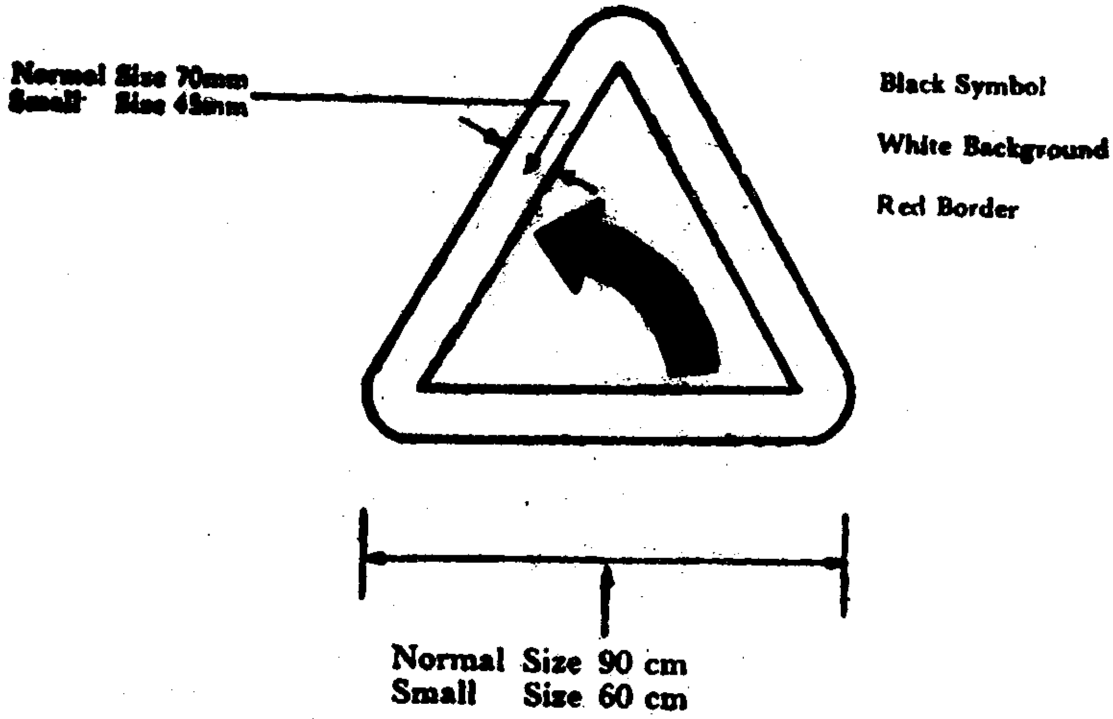


## No. C4—RIGHT HAIR PIN BEND

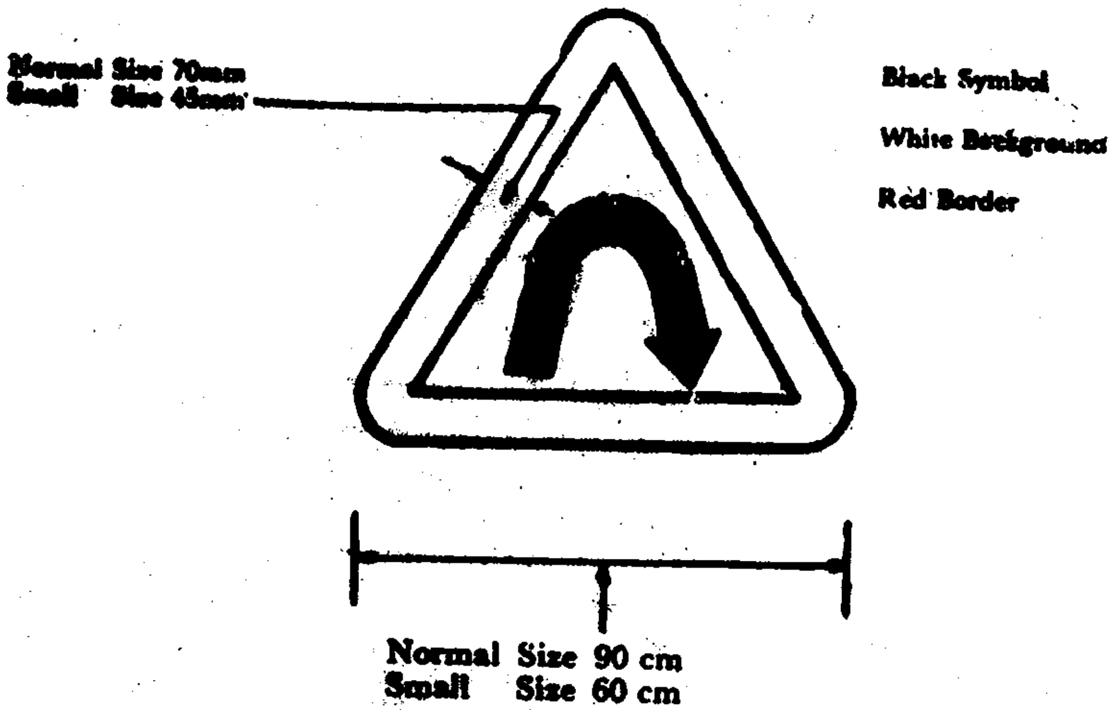

## No. C5—LEFT HAIR PIN BEND

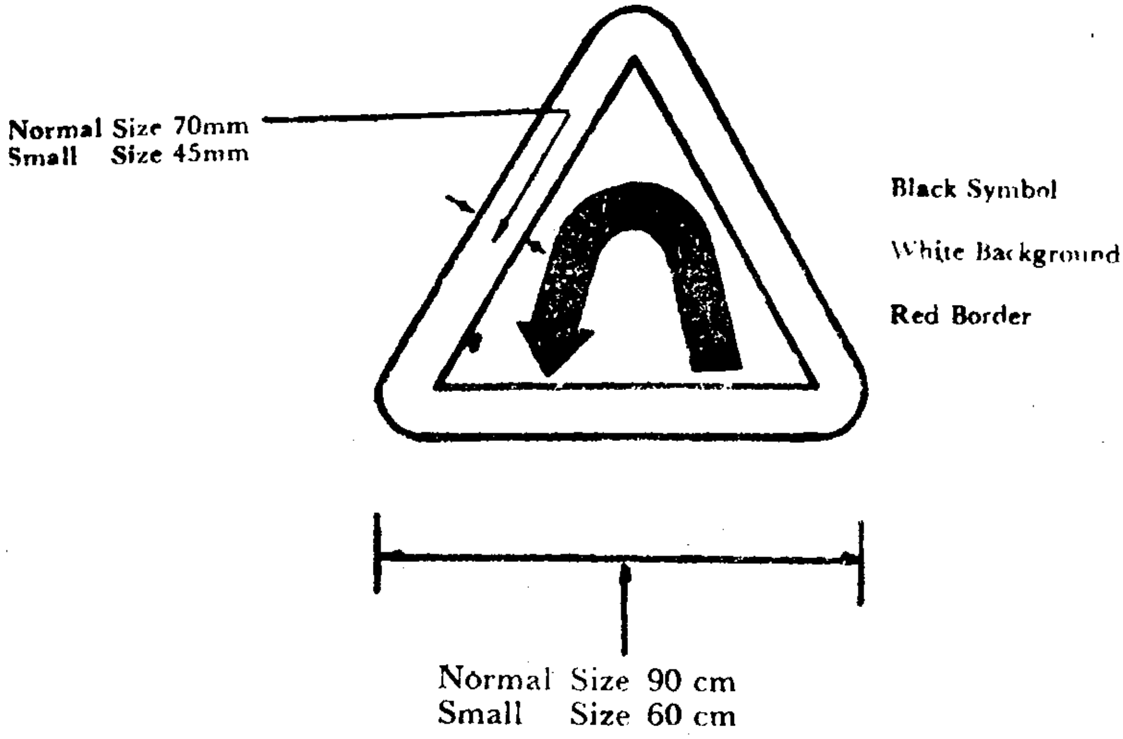


## No. C6—RIGHT REVERSE BEND

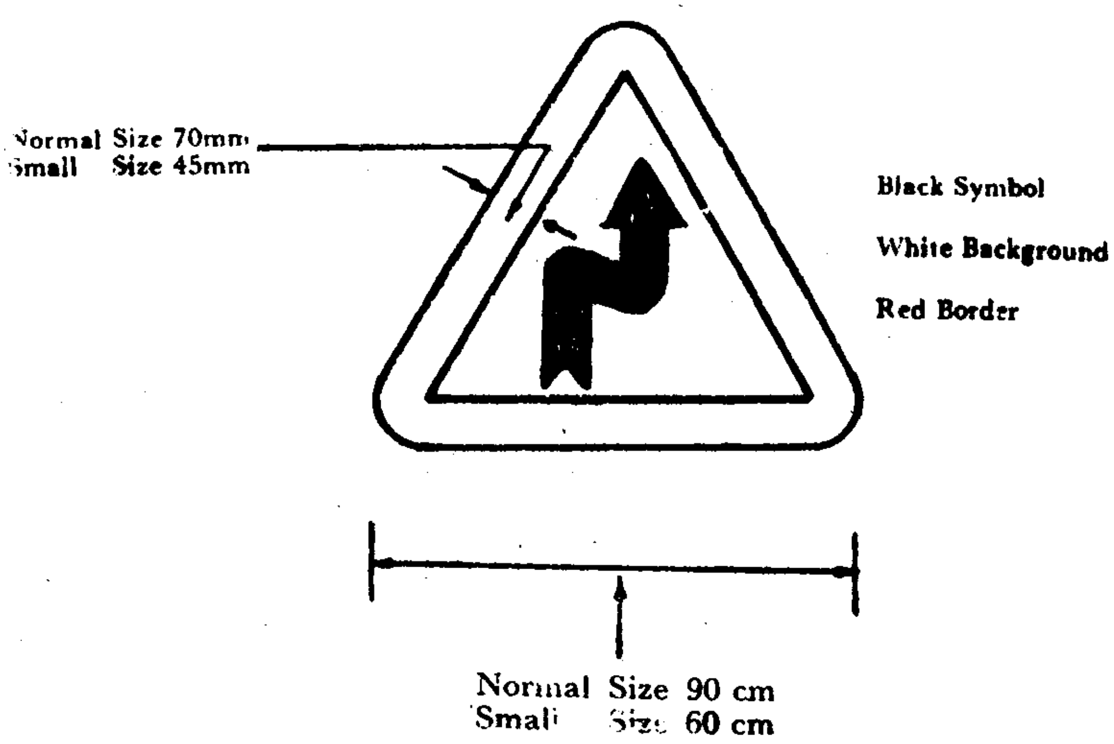

## No. C7—LEFT REVERSE BEND

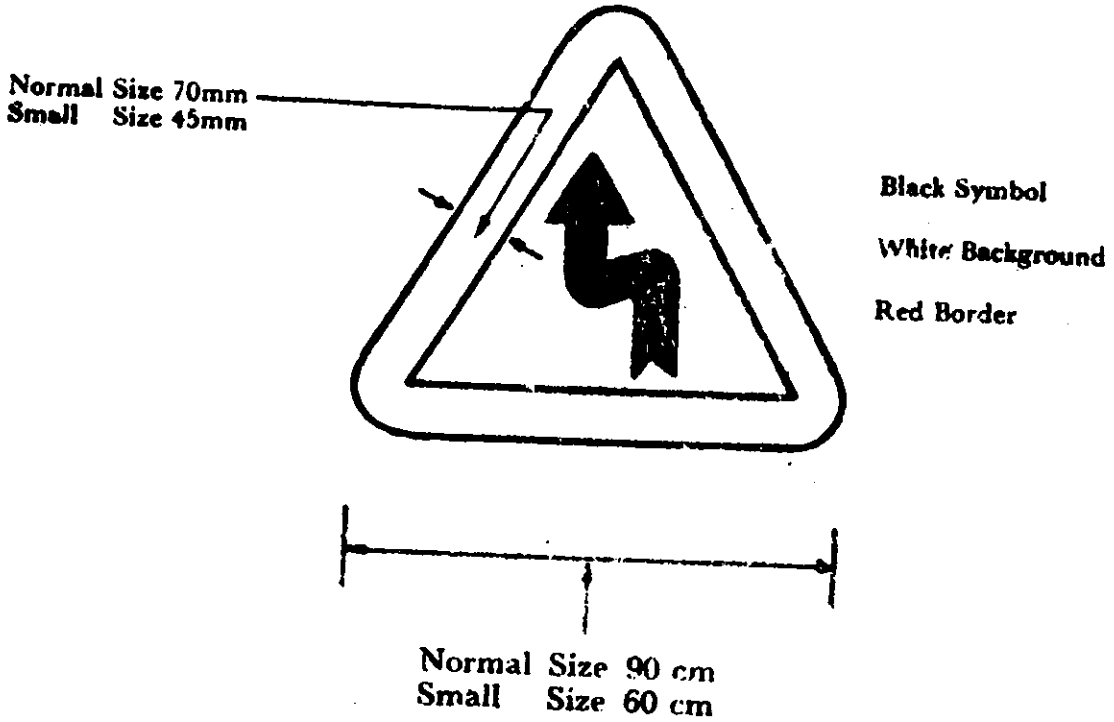


## No. C8—STEEP ASCENT

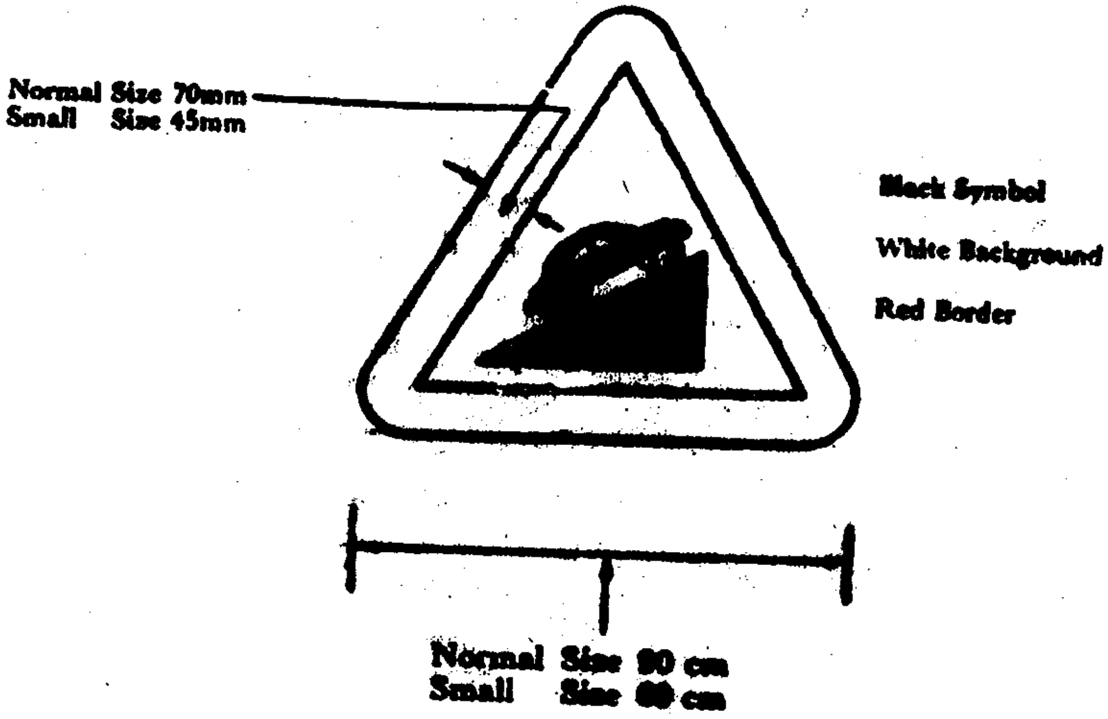

## No. C9—STEEP DESCENT

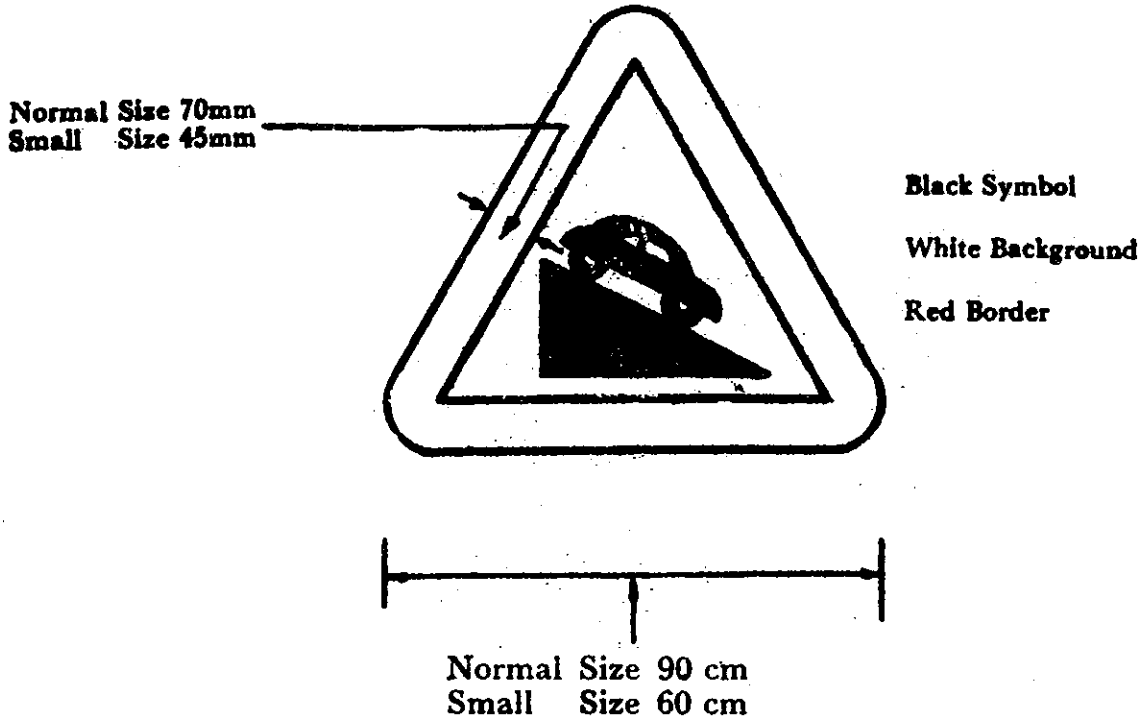


## No. C10—NARROW ROAD AHEAD

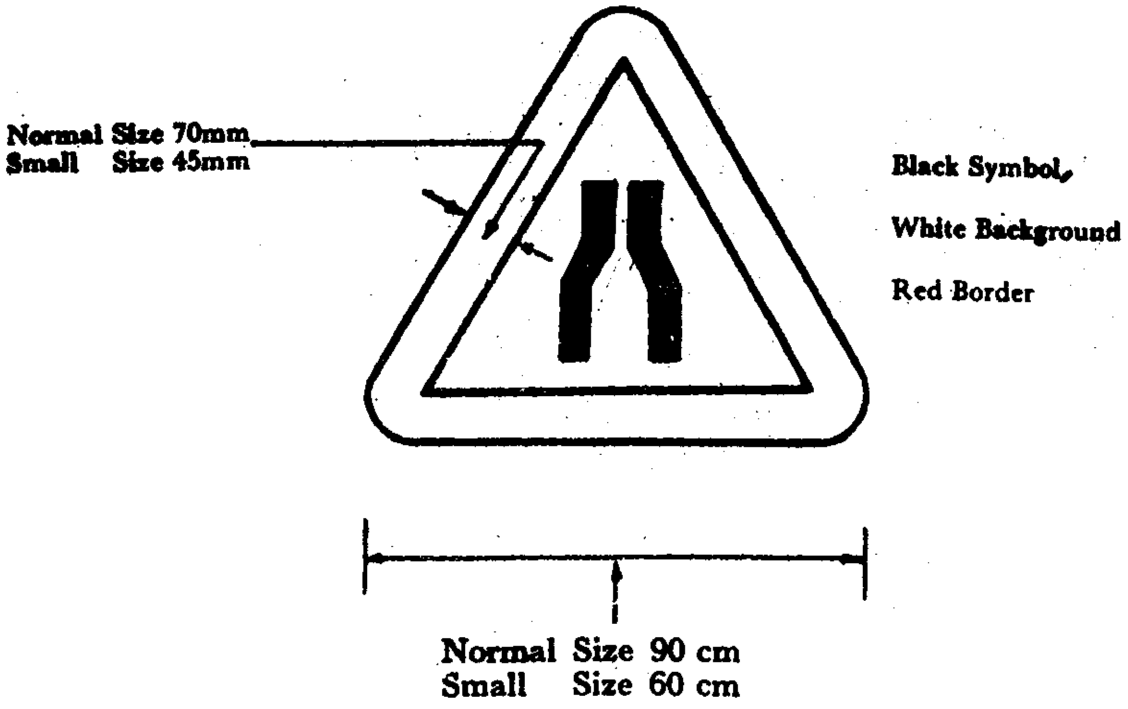

## No. C11—ROAD WIDENS AHEAD

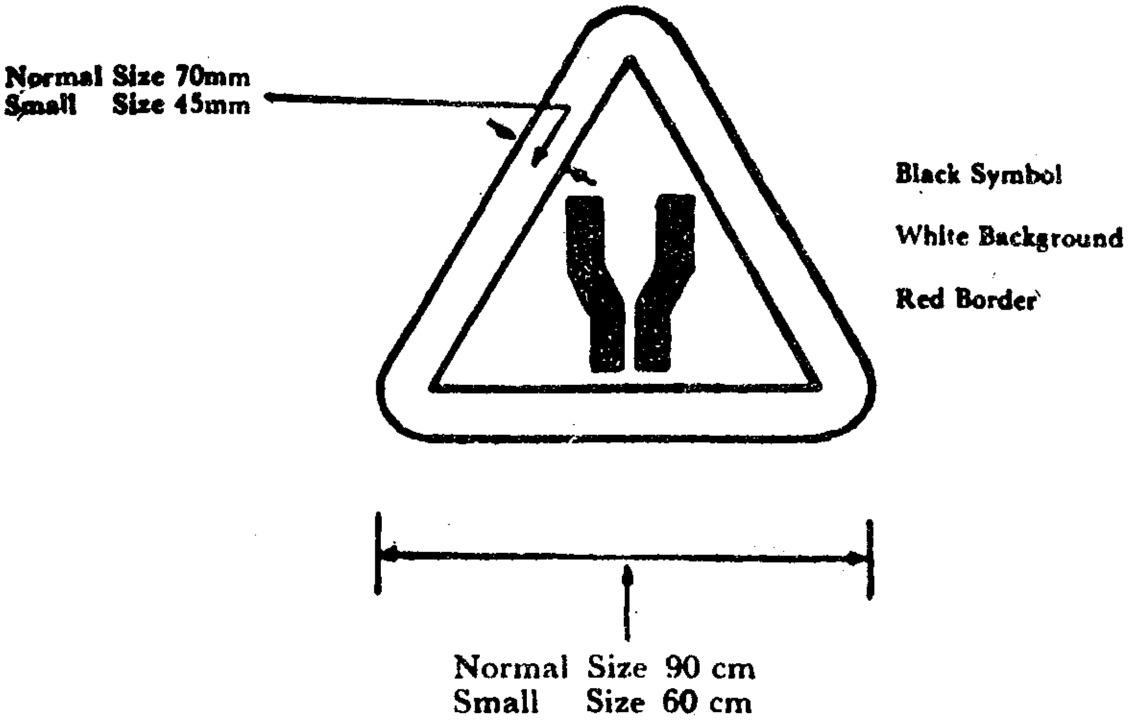


## No. C12—NARROW BRIDGE

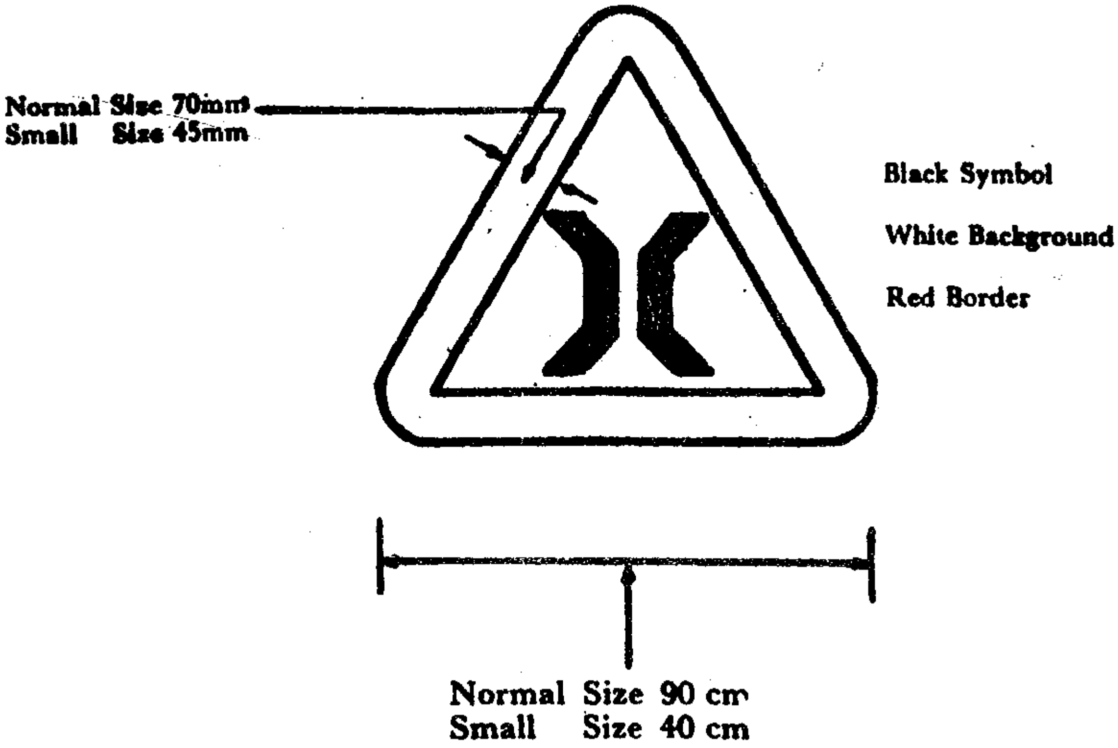

## No. C13—SLIPPERY ROAD

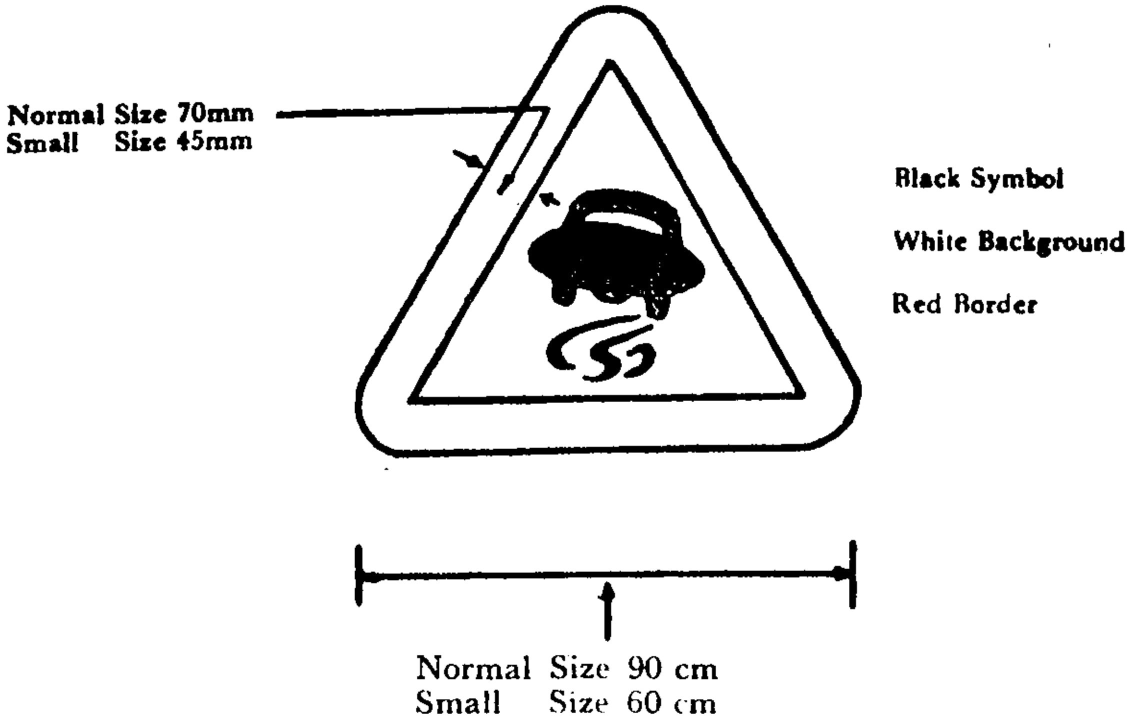


## No. C14—LOOSE GRAVEL

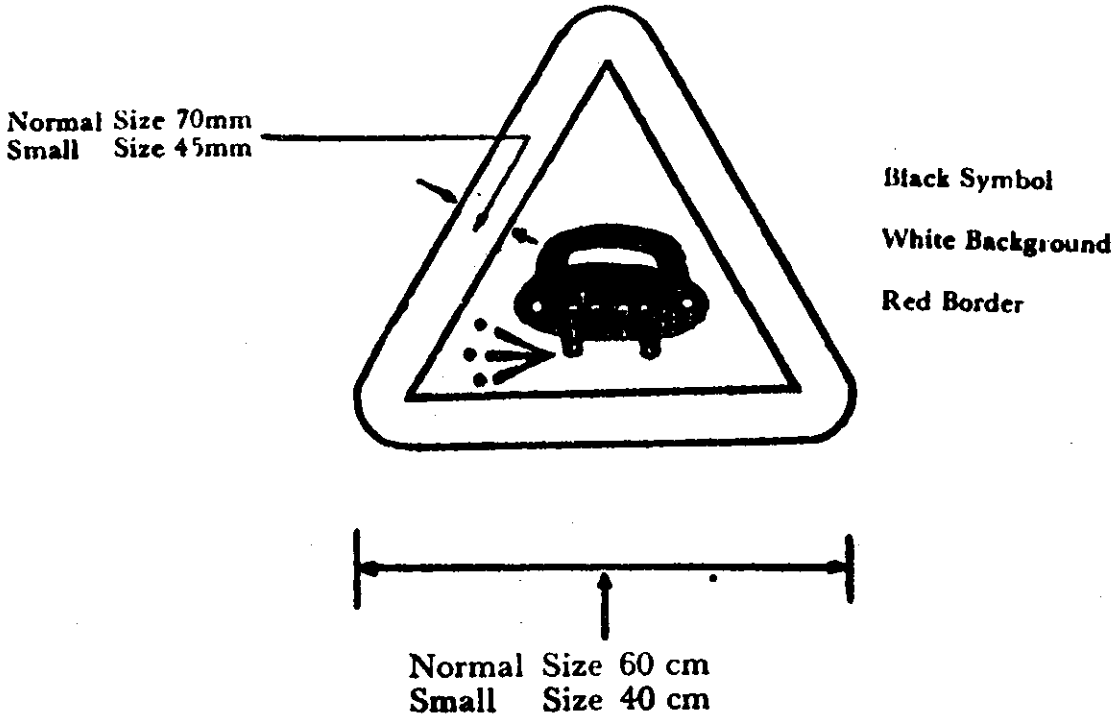

## No. C15—CYCLE CROSSING

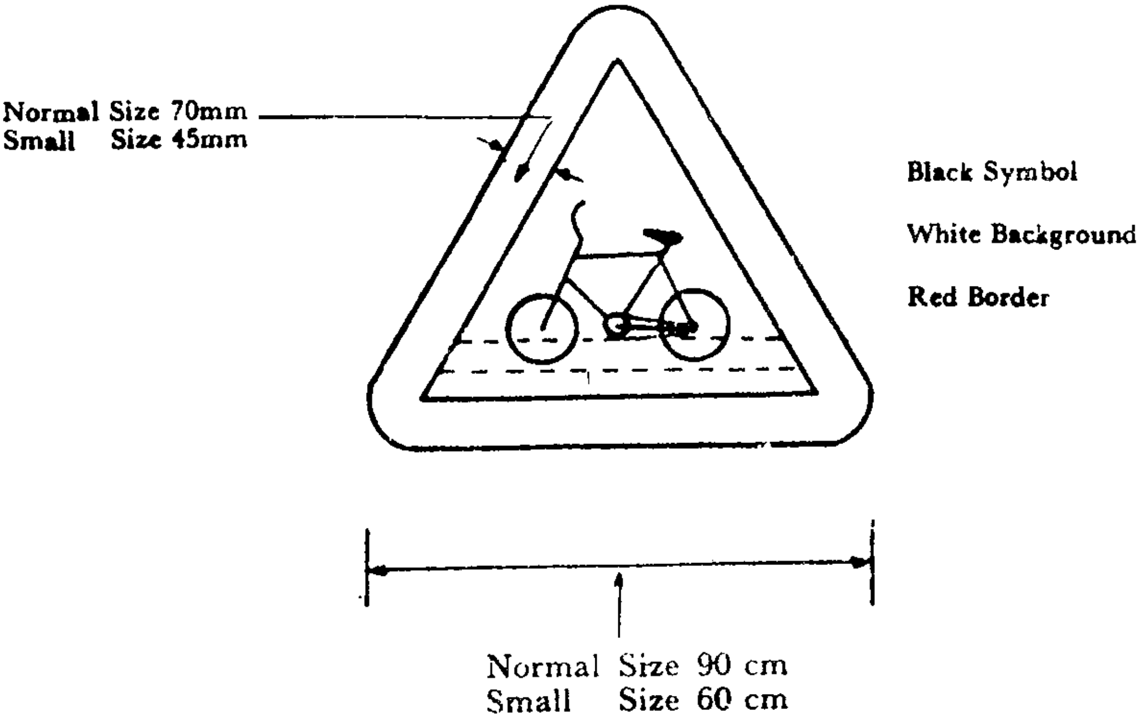


## No. C16—PEDESTRIAN CROSSING

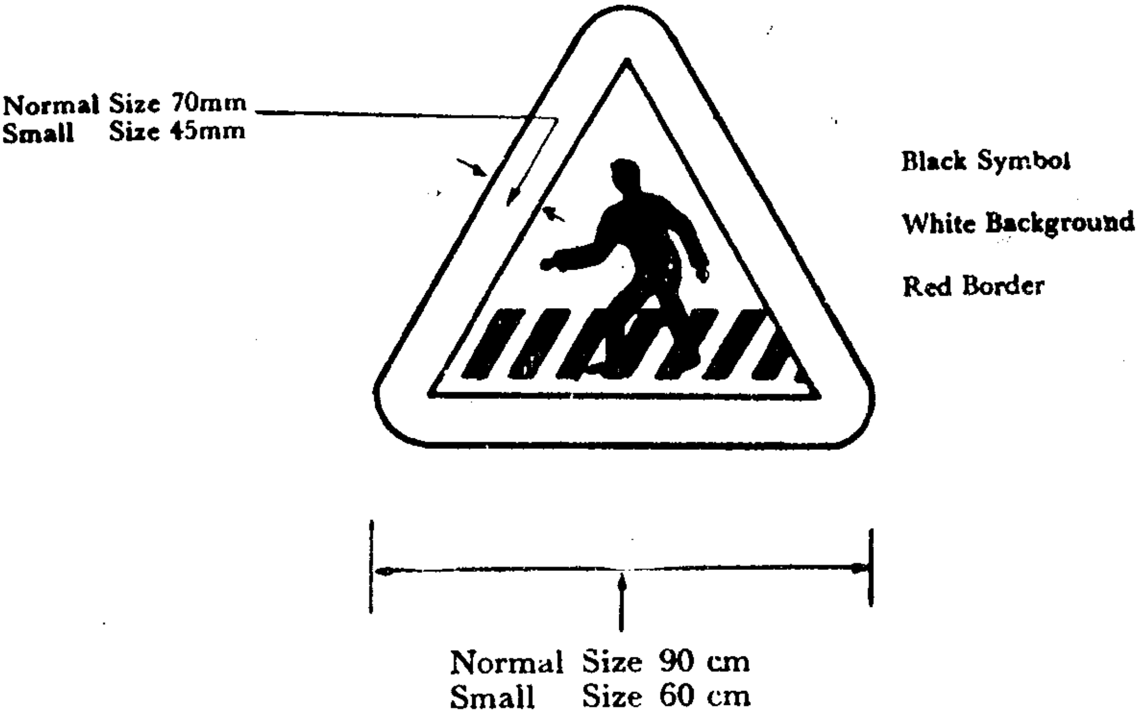

## No. C17—SCHOOL AHEAD

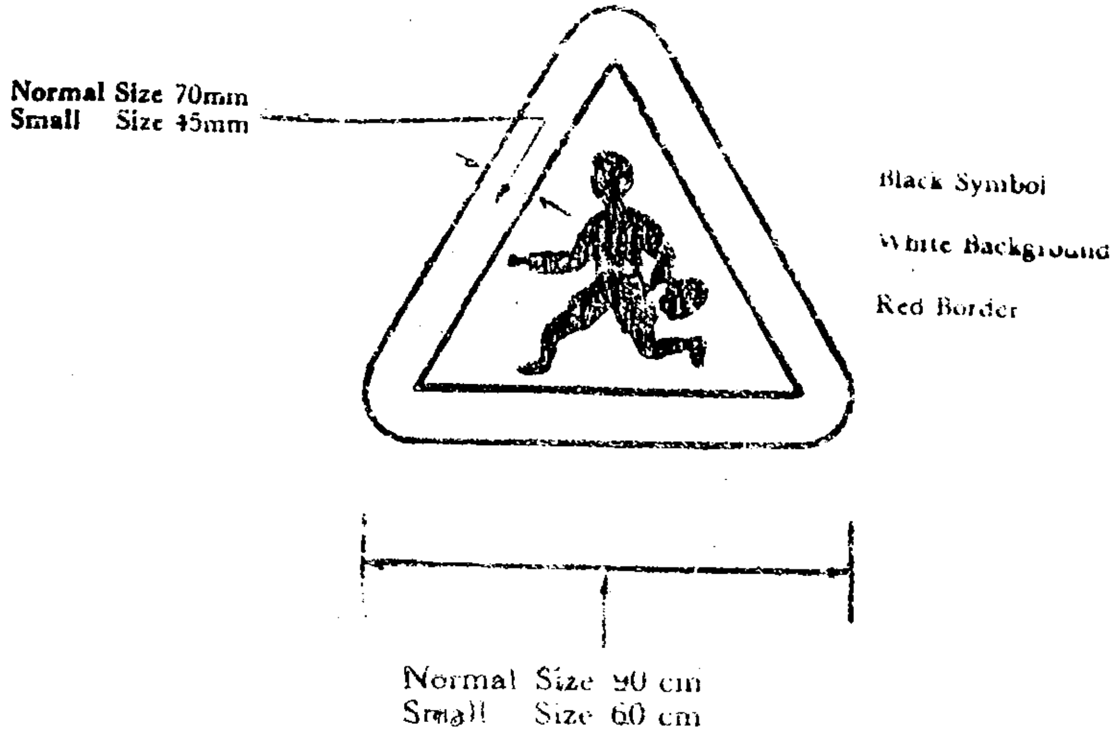


## No. C18—MEN AT WORK

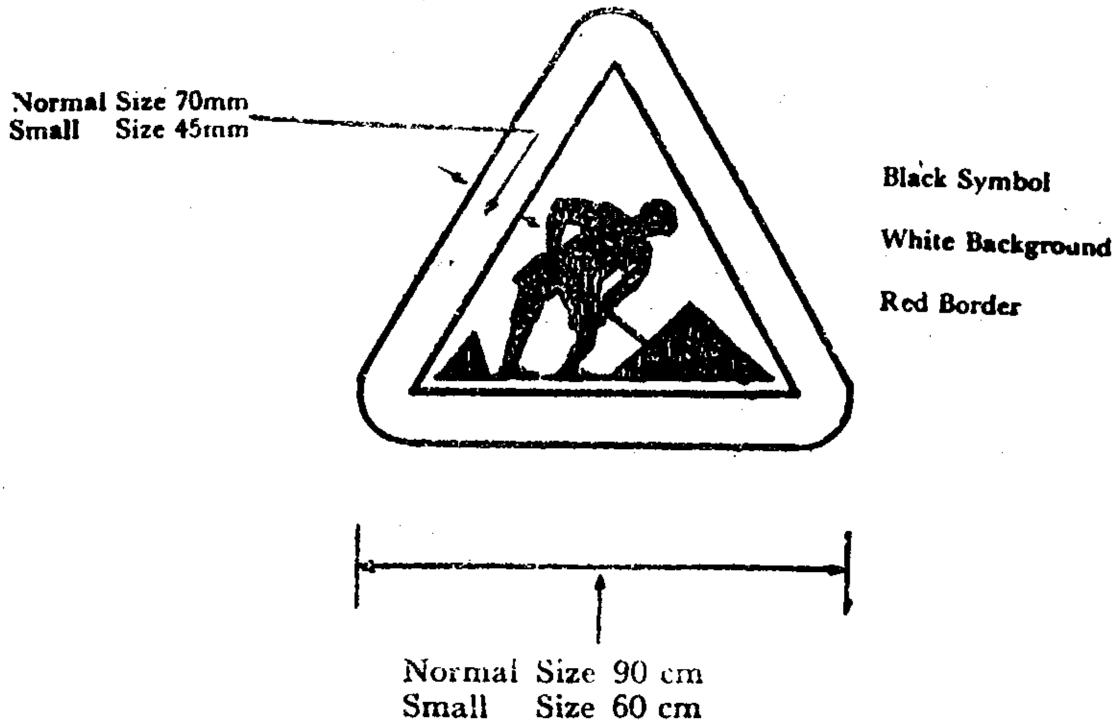

## No. C19—CATTLE

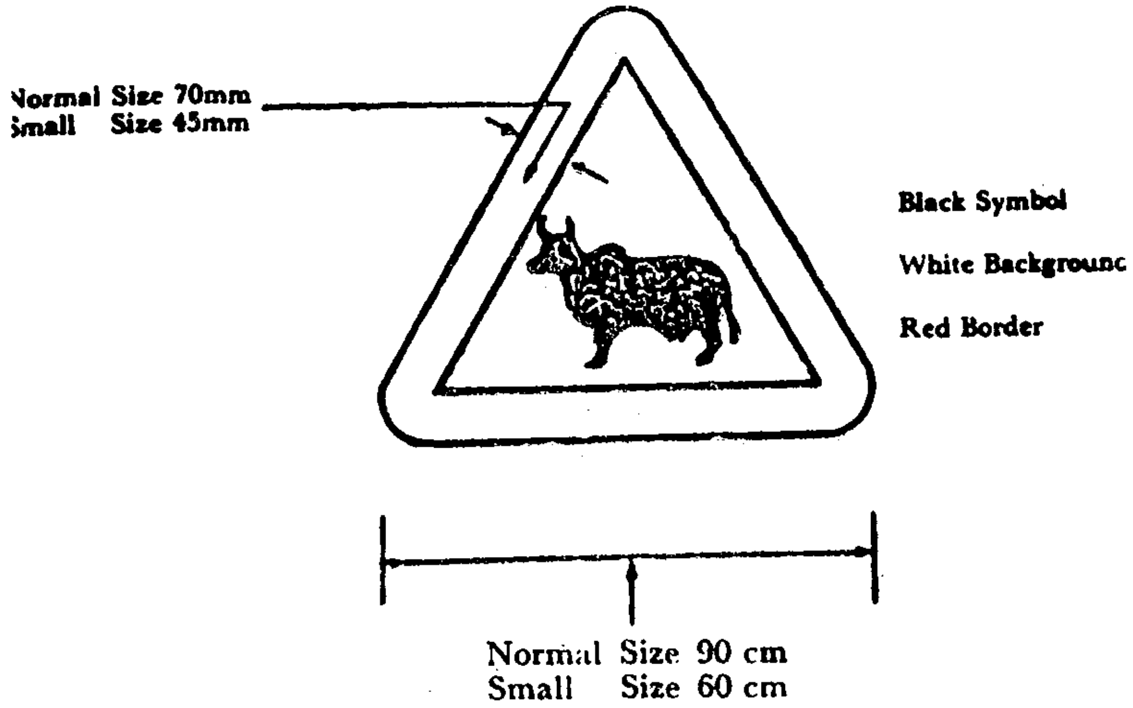


## No. C20—FALLING ROCKS

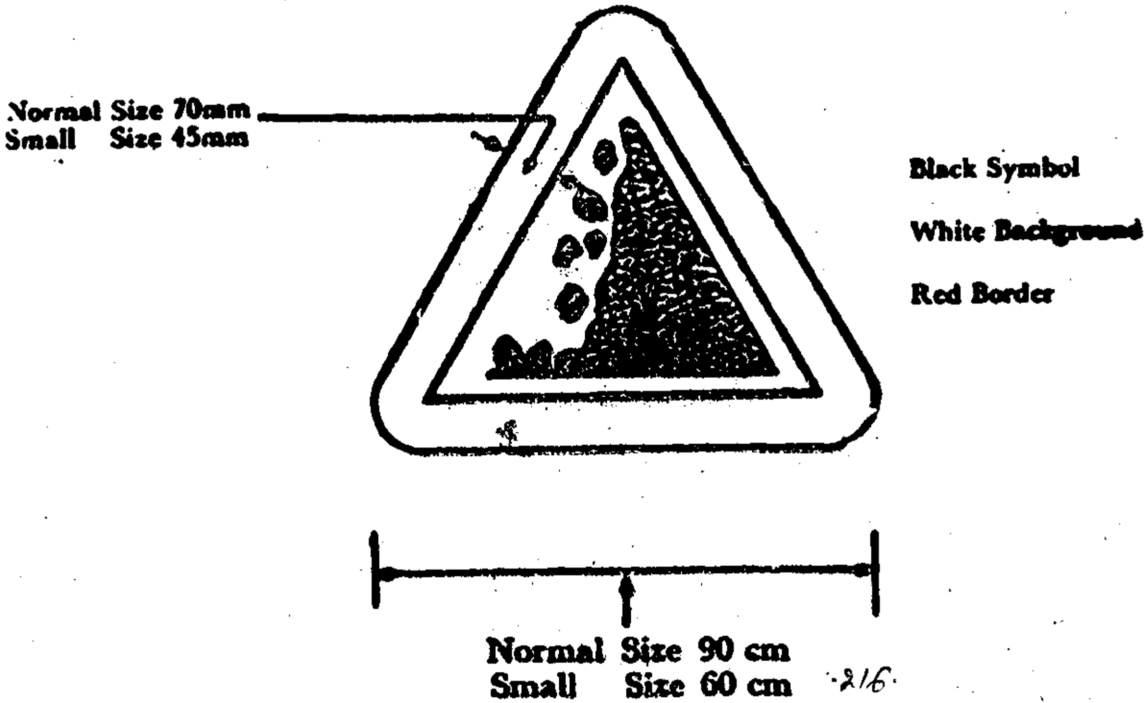

## No. C21—FERRY

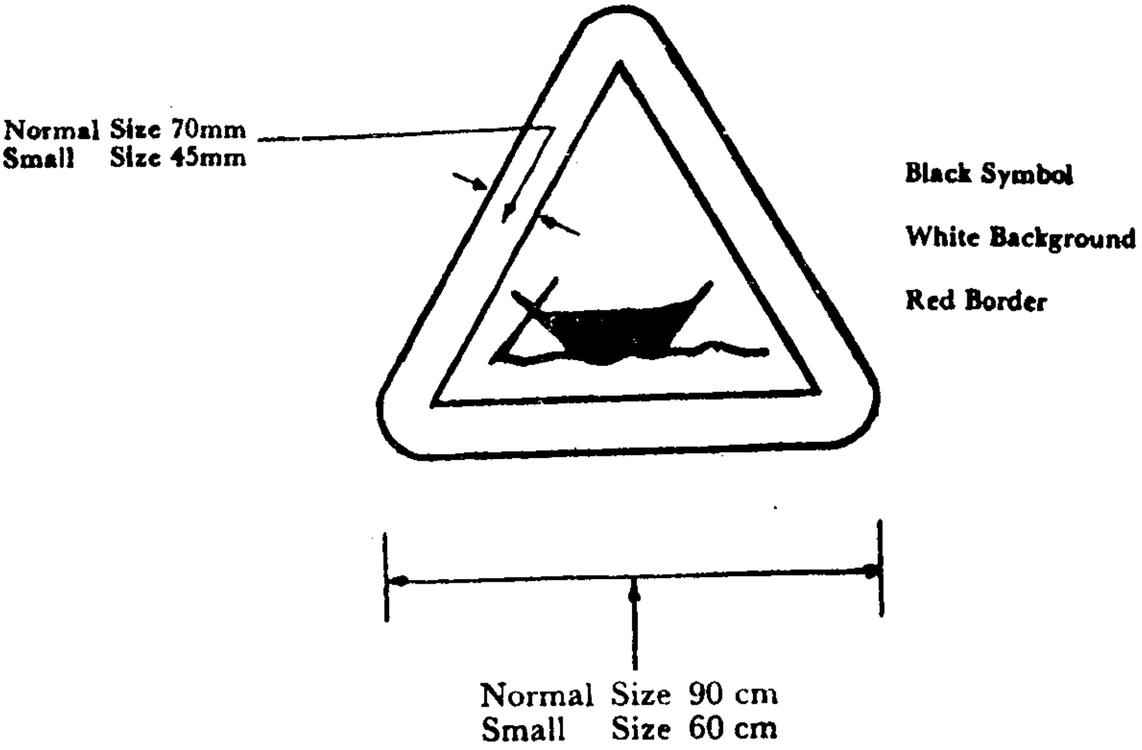


## No. C22—CROSS ROAD

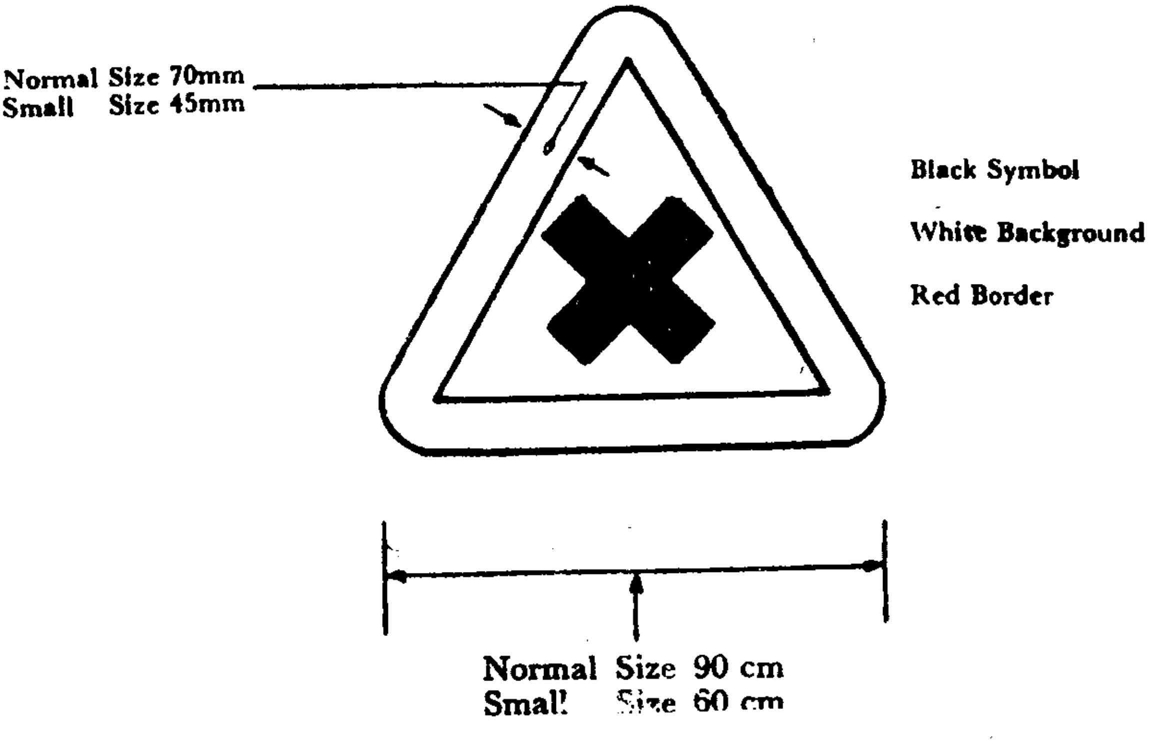

## No. C23—GAP IN MEDIAN

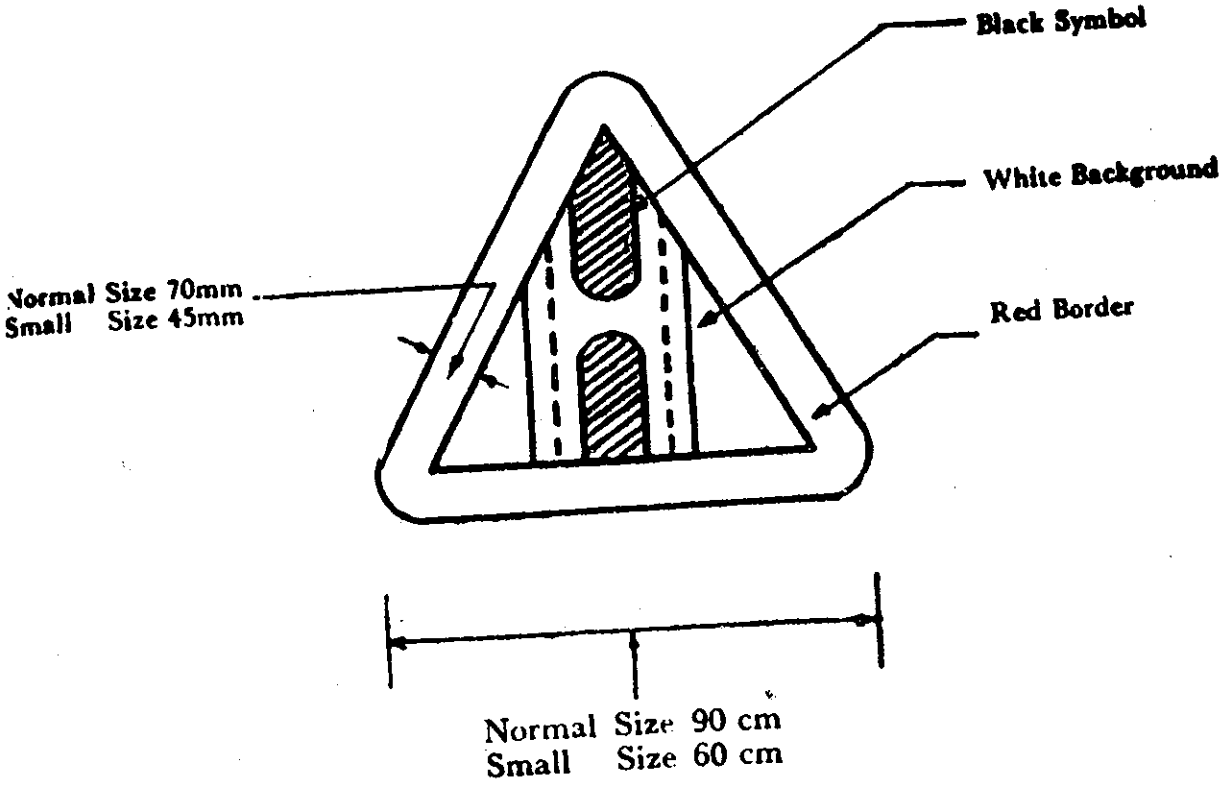


## No. C24—SIDE ROAD RIGHT

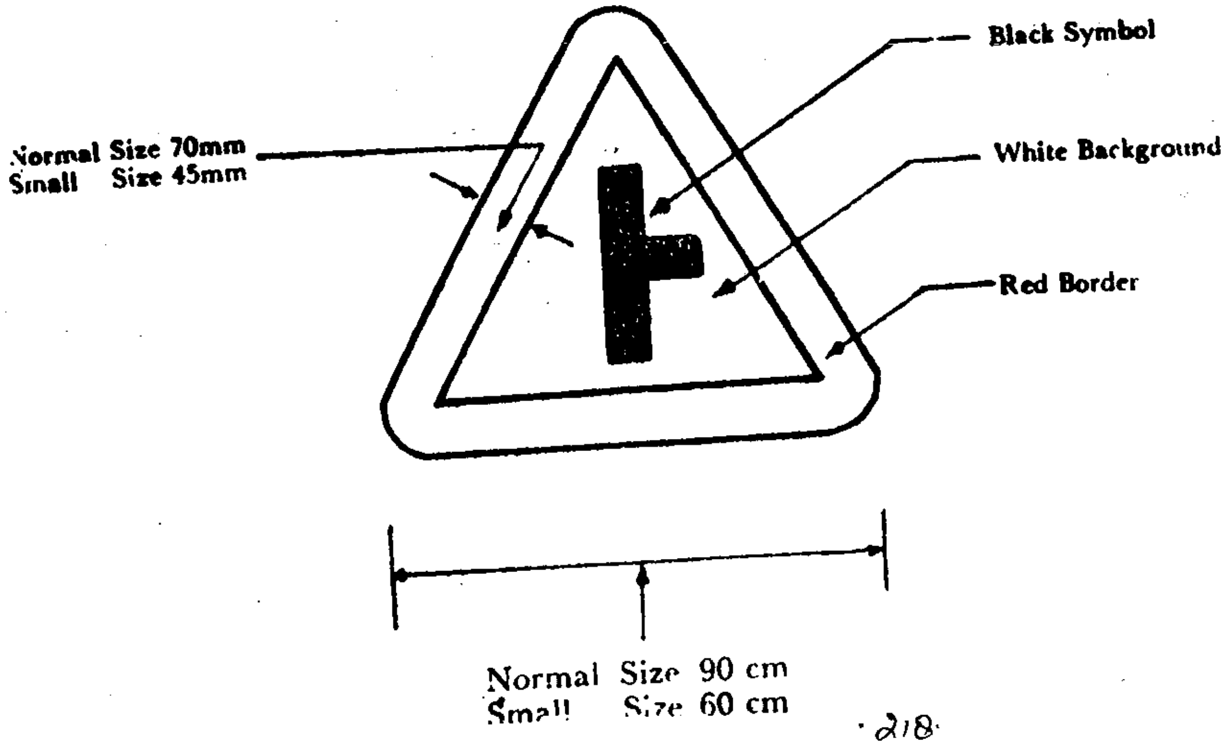


218

## No. C25—SIDE ROAD LEFT

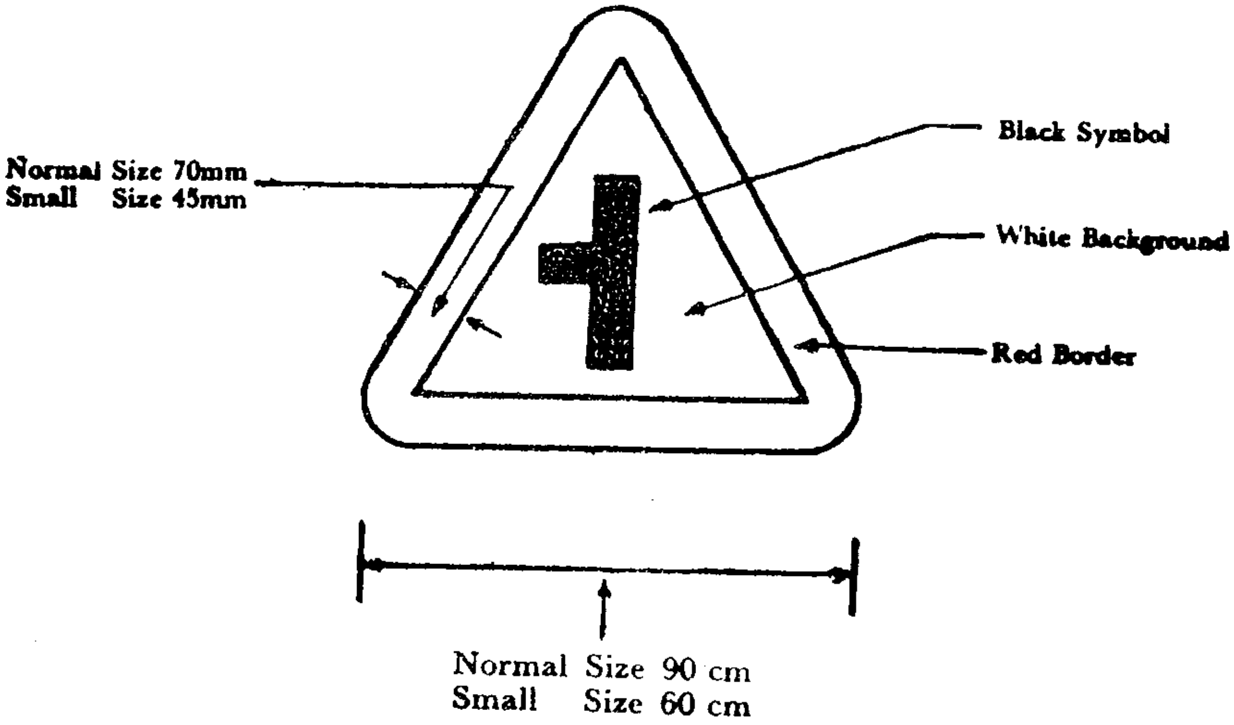


## No. C26A — Y-INTERSECTION

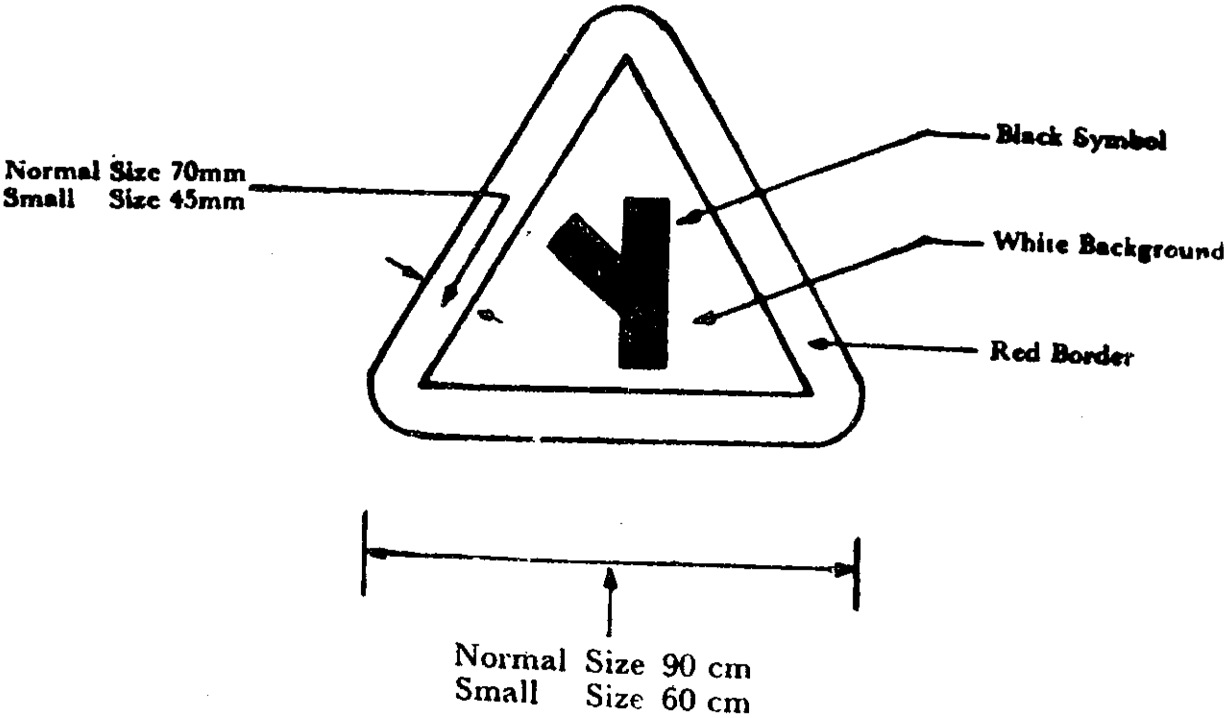

## No. C26B-Y—INTERSECTION

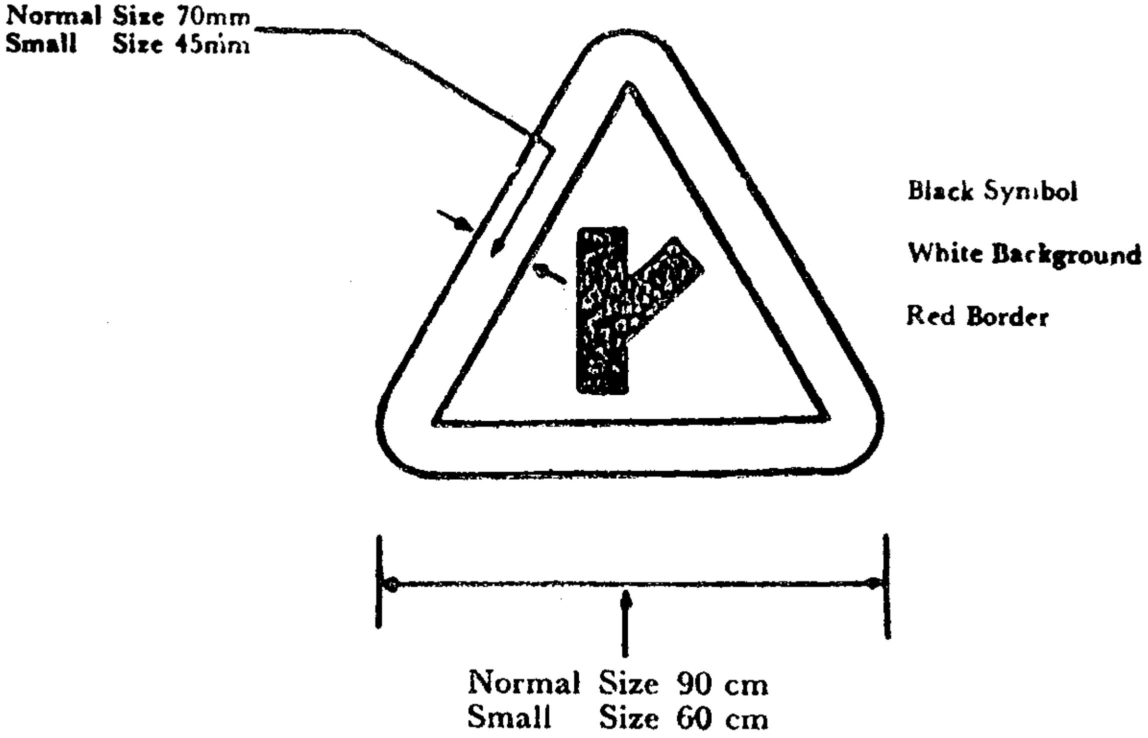


## No. C26B — Y-INTERSECTION

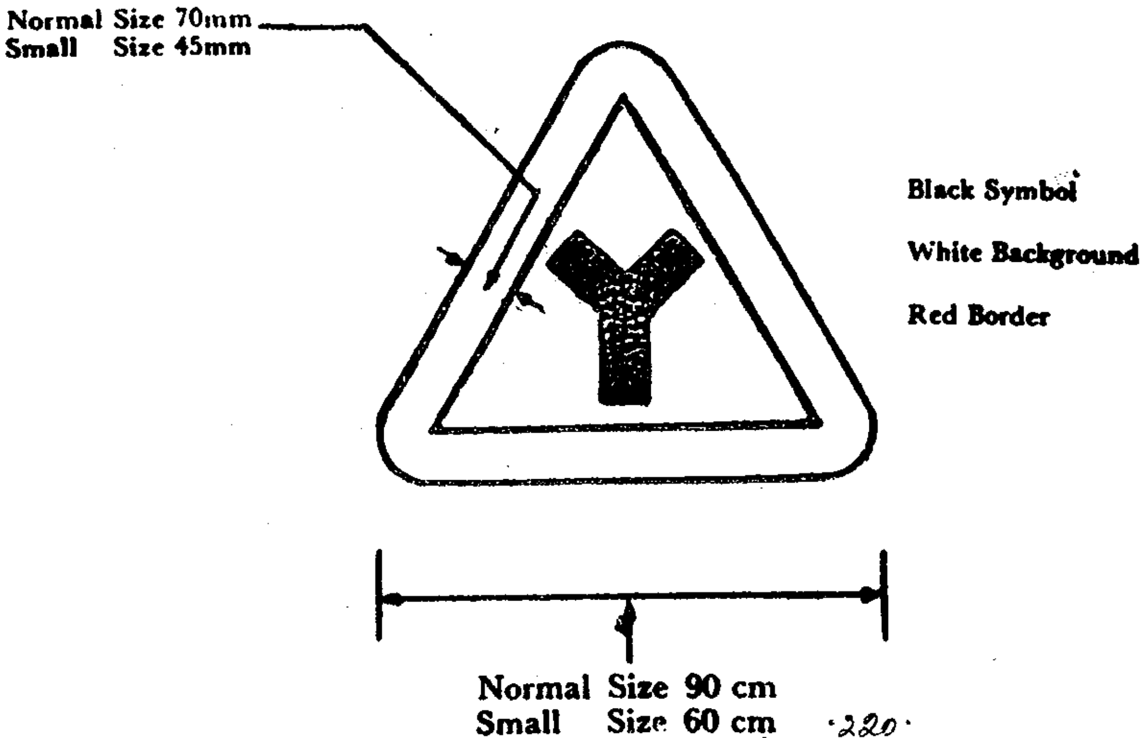

## No. C27 — T-INTERSECTION

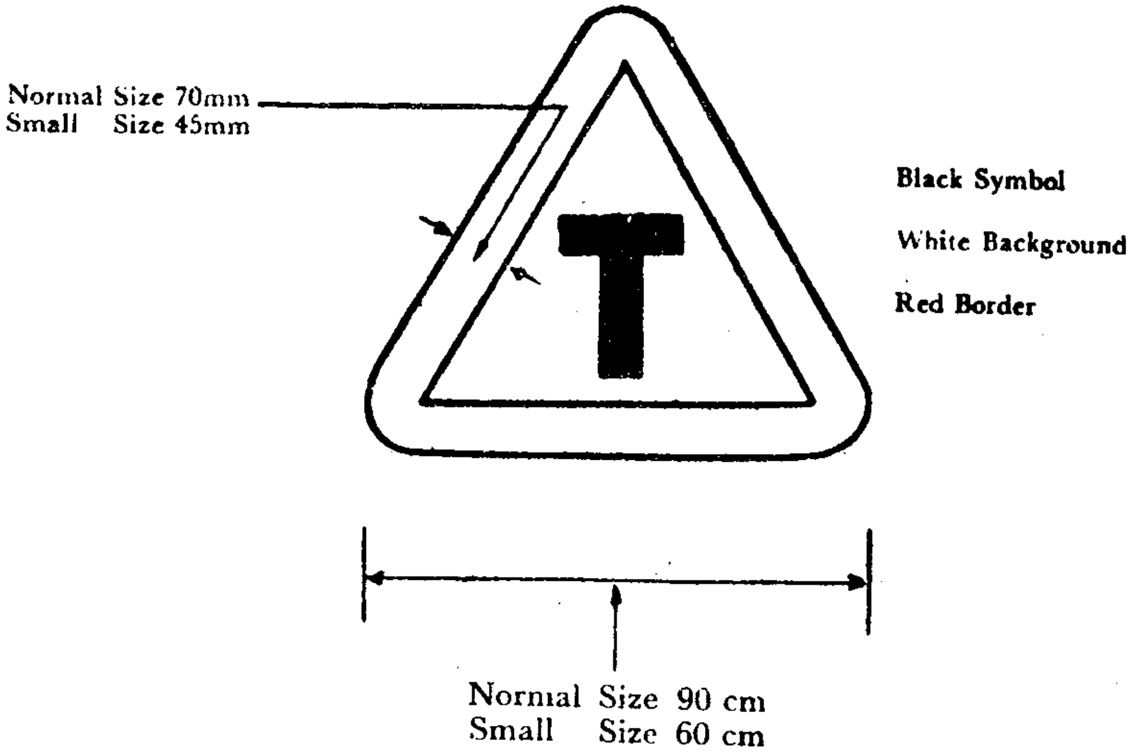


## No. C28A—STAGGERED INTERSECTION

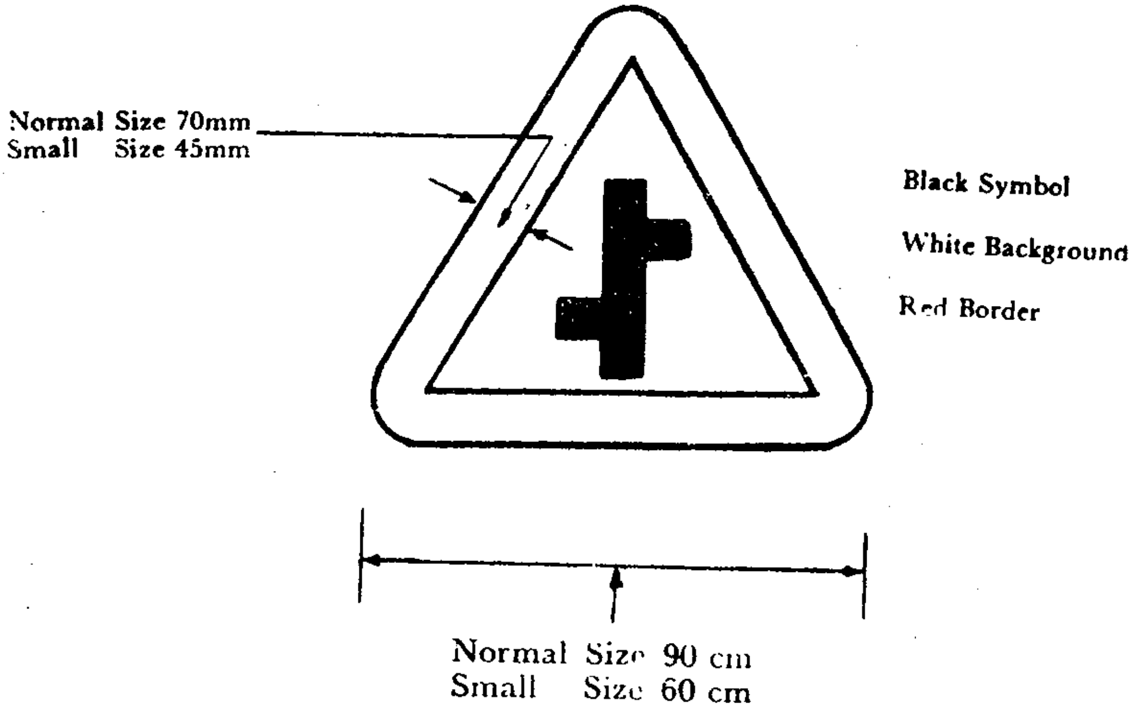

## No. C28B—STAGGERED INTERSECTION

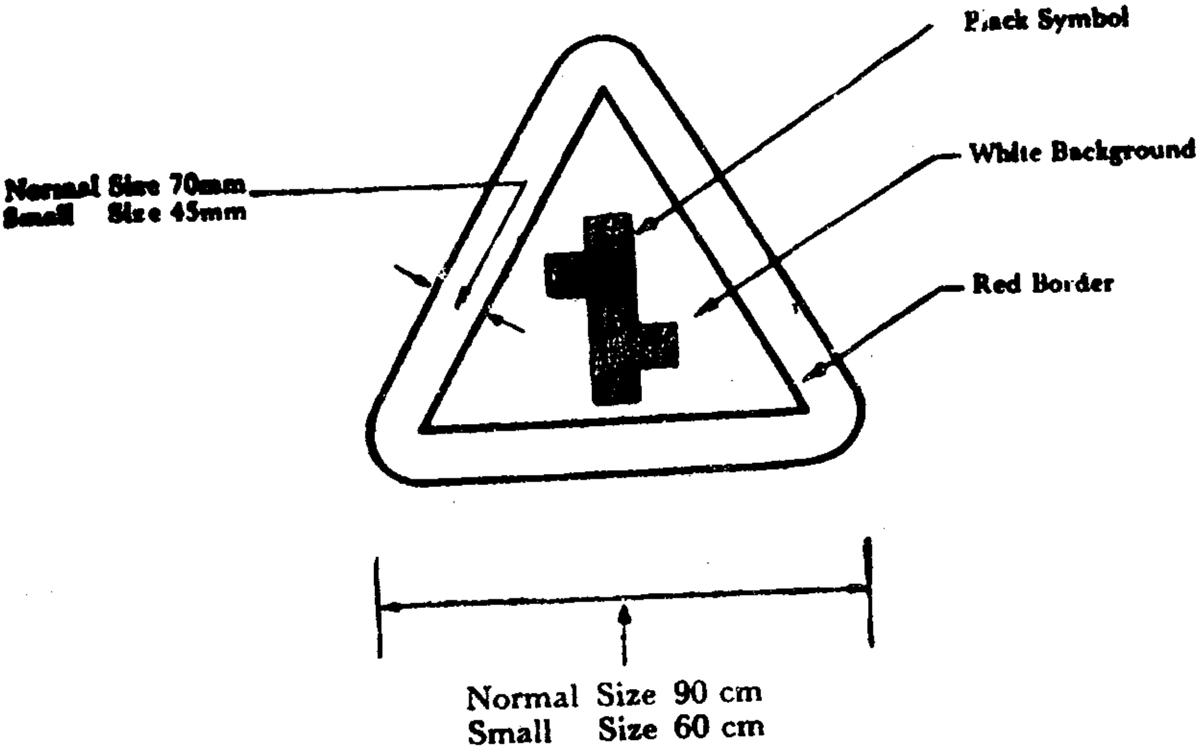


## No. C29A—MAJOR ROAD AHEAD

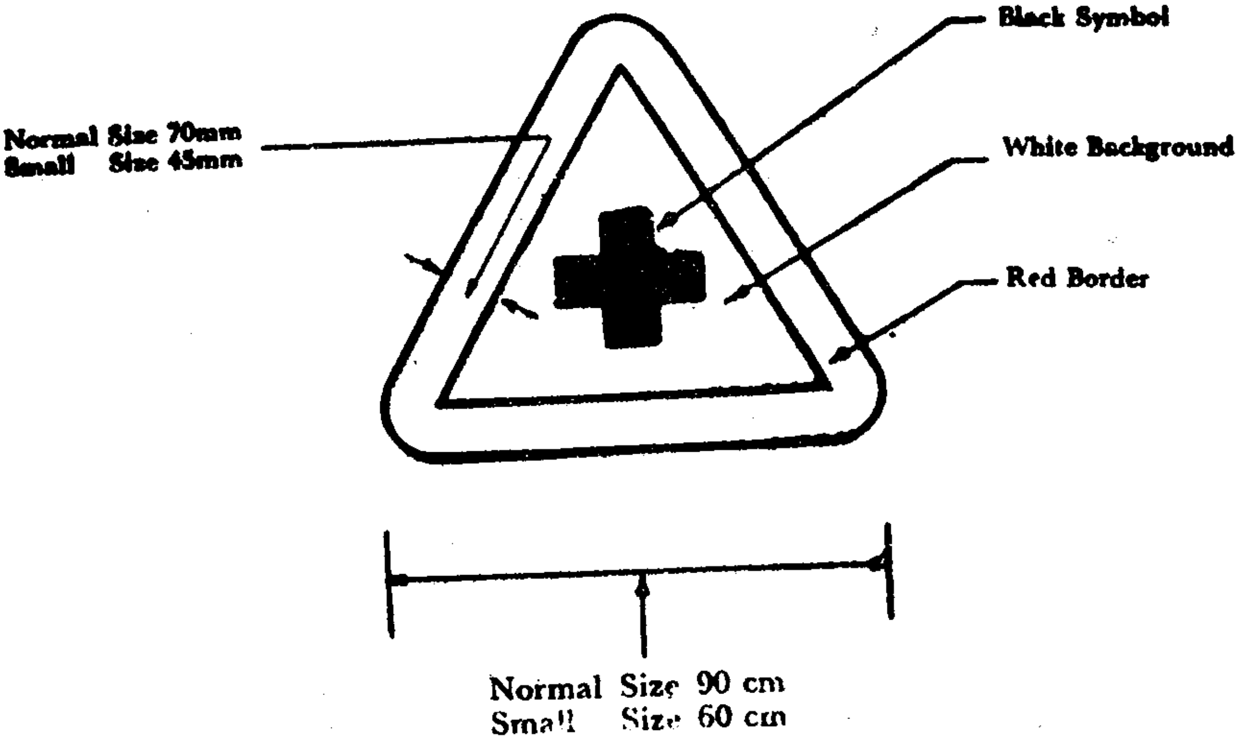

## No. C29B—MAJOR ROAD AHEAD

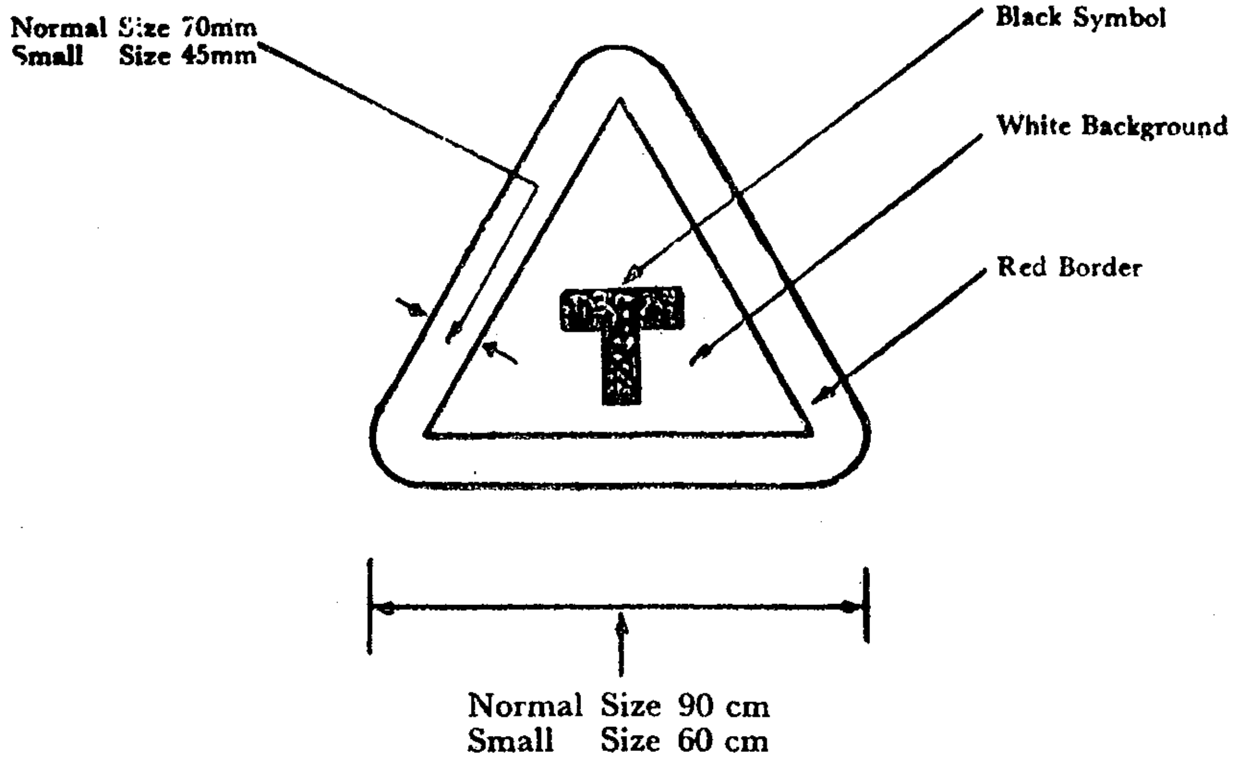


## No. C30—ROUNDABOUT

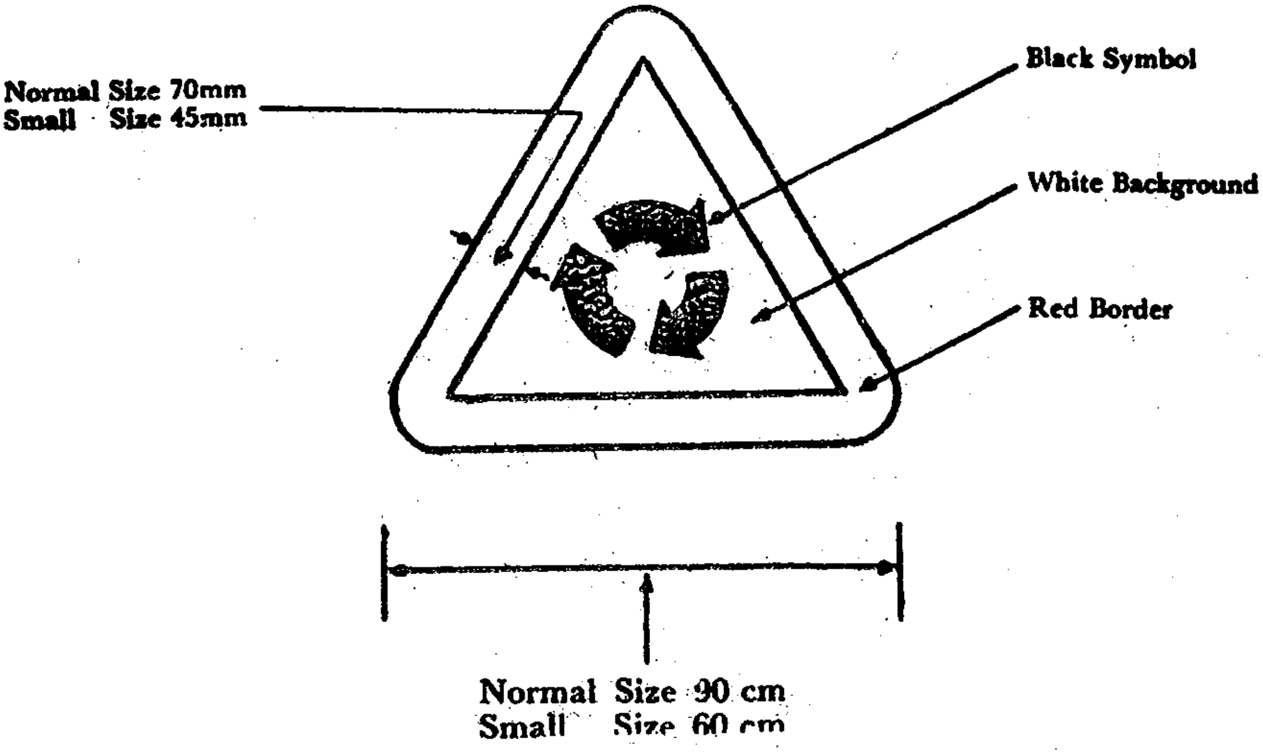

## No. C31—DANGEROUS DIP

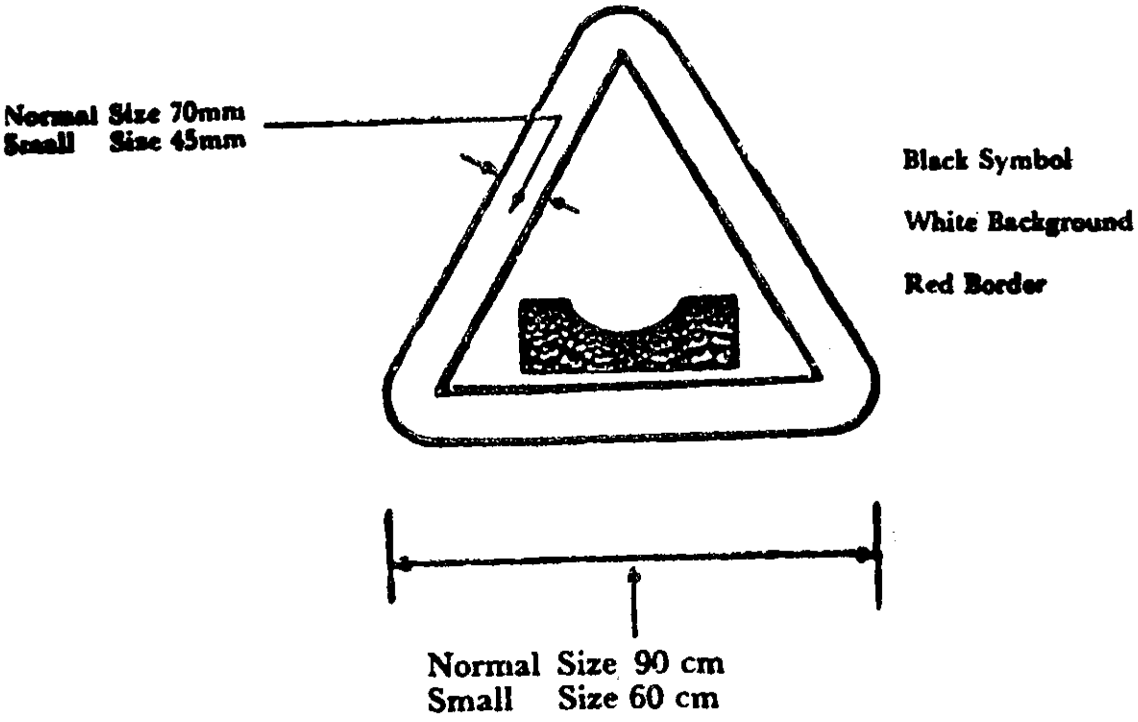


## No. C32—HUMP OR ROUGH ROAD

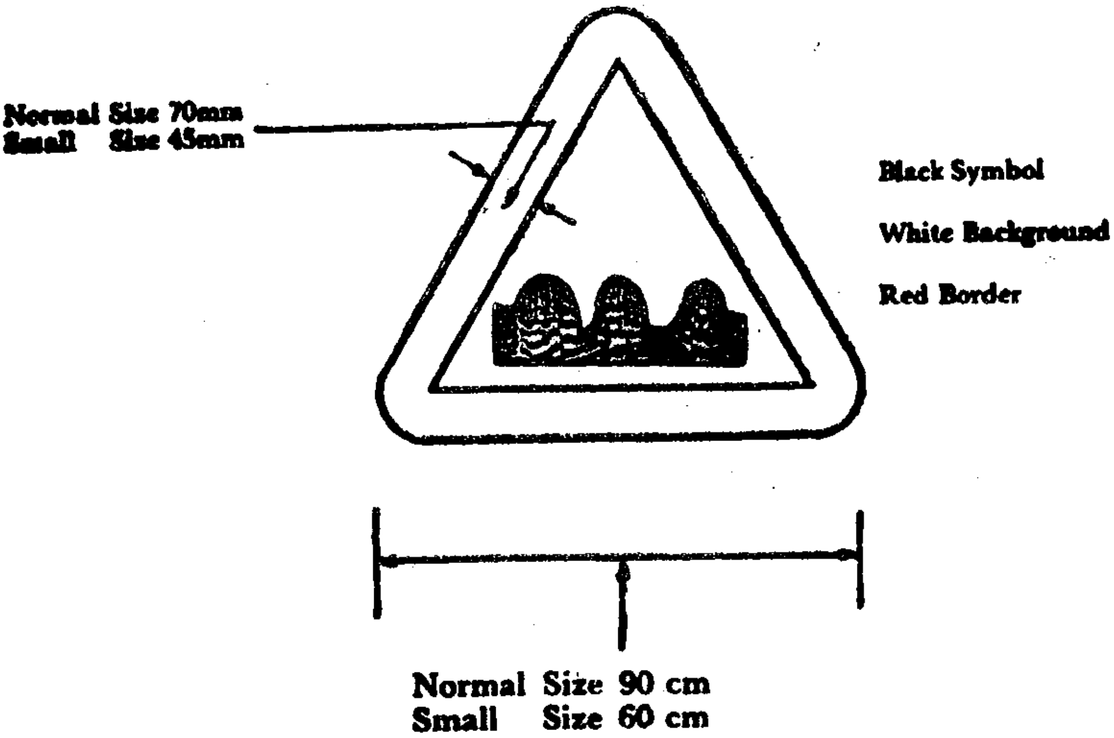

## No. C33—BARRIER AHEAD

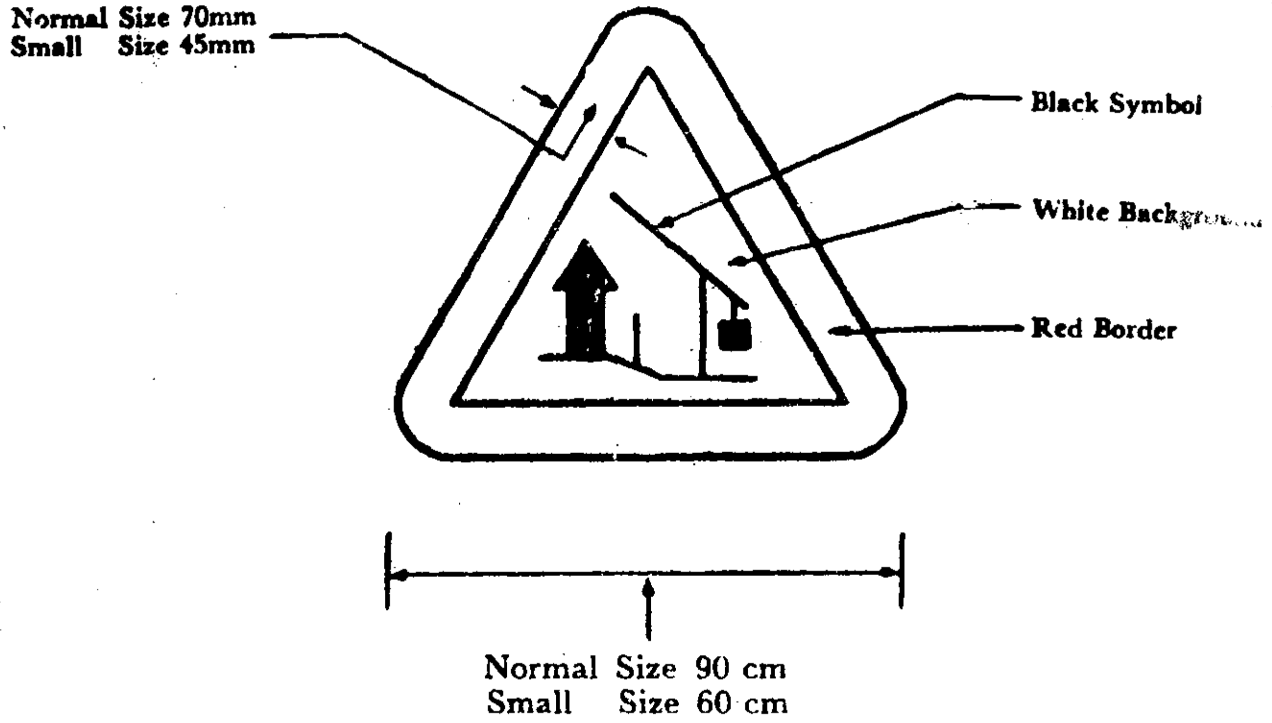


***Note.***—**A Definition Plate may be attached with the sign indicating the distance to the barrie and any other instructions.**

## No. C34—UNGUARDED LEVEL CROSSING (200 METERS)

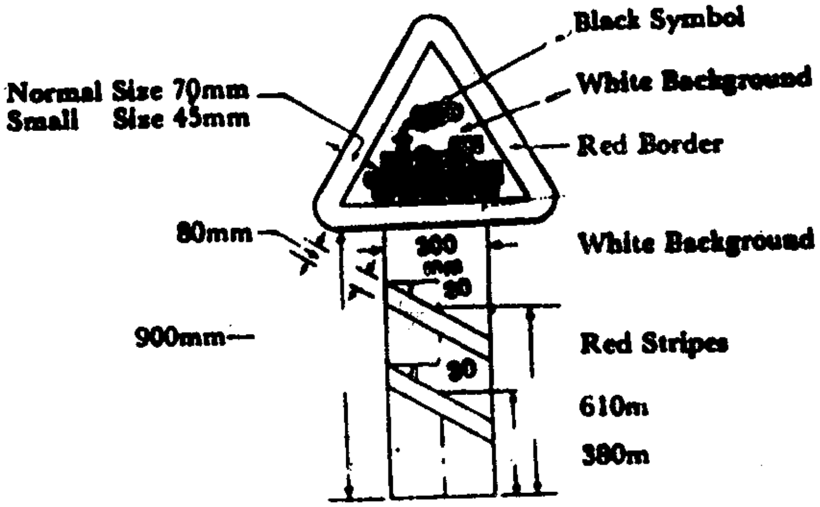


*Note.*—For each crossing, both sign Nos. C34 and C35 are to be used. Distance of sign from the crossing is indicated in brackets below the sign heading.

## No. C35—UNGUARDED LEVEL CROSSING (50—100 METRES)

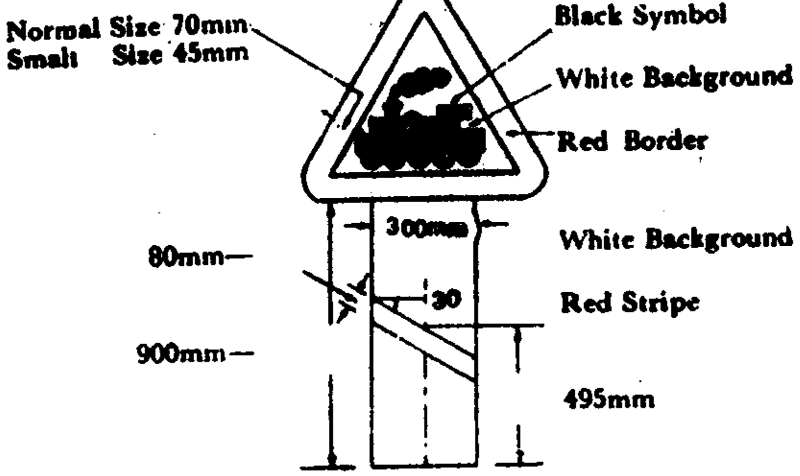


---

*Note.* — For each crossing, both sign Nos. C34 and C35 are to be used. Distance of sign from the crossing is indicated in brackets below the sign heading. In hilly terrain distance may be reduced to 30—60m.

## No. C36 — GUARDED LEVEL CROSSING (200 METRES)

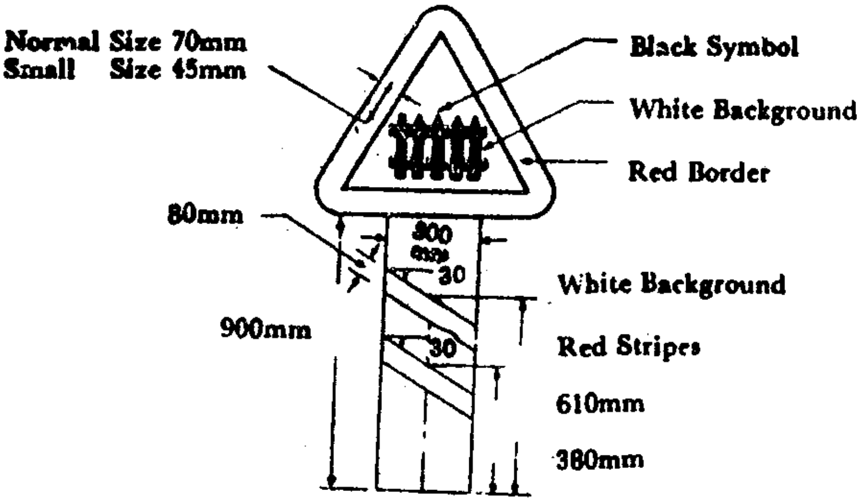


***Note.***—For each crossing, both sign Nos. C36 and C37 are to be used. Distance of sign from crossing is indicated in brackets below the sign heading.

## No. C37—GUARDED LEVEL CROSSING (50—100 METRES)

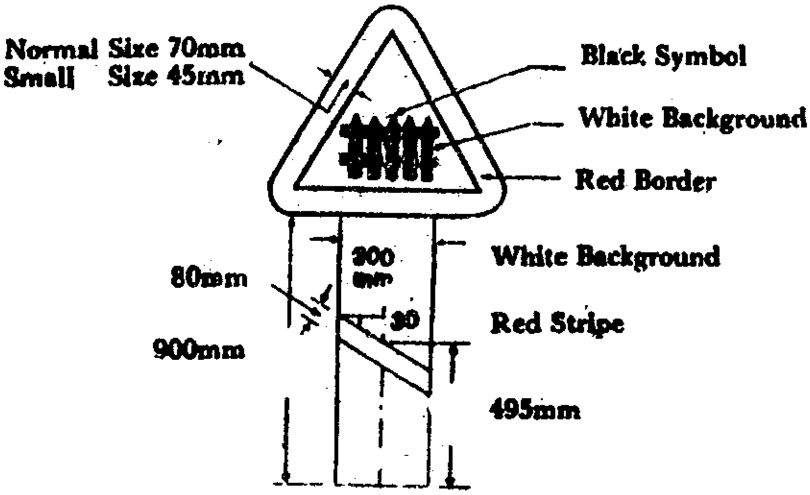


***Note.*** — For each crossing, both sign Nos. C36 and C37 are to be used. Distance of sign from the crossing is indicated in brackets below the sign heading. In hilly terrain distance may be reduced to 30—60m.

# INFORMATORY SIGNS OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT, 1988

## No. E1—ADVANCE DIRECTION SIGN

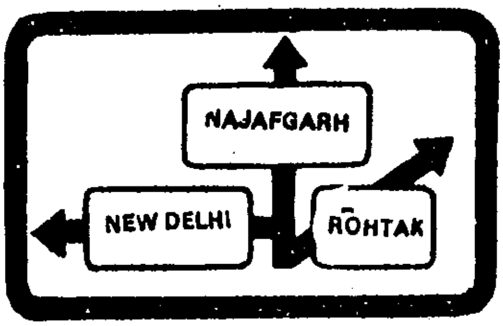


White Background

Black Letter & Arrows

Black Border

*Note* 1.—The sign is illustrative. On national highways, inscription in regional languages may be added as required. In the case of other roads languages of inscription may be as necessary.

2.—The size of the sign depends on the message and size of letters.

## No. E2—DESTINATION SIGN

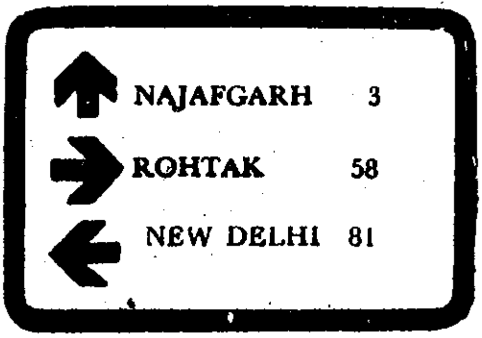


White Background

Black Letters & Arrow

Black Border

*Note* 1.—The sign is illustrative. On national highways, inscriptions in regional languages may added as required. In the case of other roads languages of inscription may be as necessary.

2.—The size of the sign depends on the message and size of letters.

## No. E3—DIRECTION SIGN

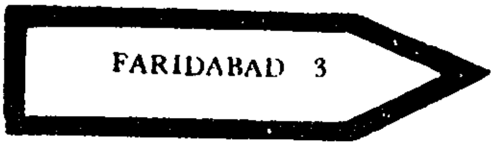


White Background
Black Letters
Black Border

*Note* 1.—The sign is illustrative. On national highways, inscriptions in regional languages may be added as required. In the case of other roads languages of inscription may be as necessary.

2.—The size of the sign depends on the message and size of letters.

## No. E4—RE-ASSURANCE SIGN

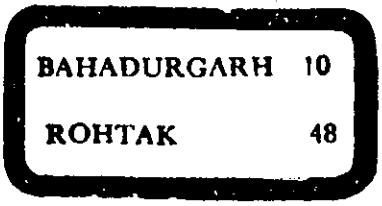


White Background

Black Letters

Black Border

*Note* 1.—The sign is illustrative. On national higways, inscriptions in regional languages may be added as required. In the case of other roads languguges of incription may be as necessary.

2.—The size of the sign depends on the message and size of letters.

## No. E5—PLACE IDENTIFICATION SIGN

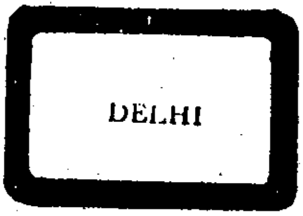


White Background

Black Letters

Black Border

*Note* 1.—The sign is illustrative. On national highways, inscription in regional languages may be added as required. In the case of other road languages of inscription may be as necessay.

2.—The size of the sign depends on the message and size of letters.

## No. E6—PUBLIC TELEPHONE

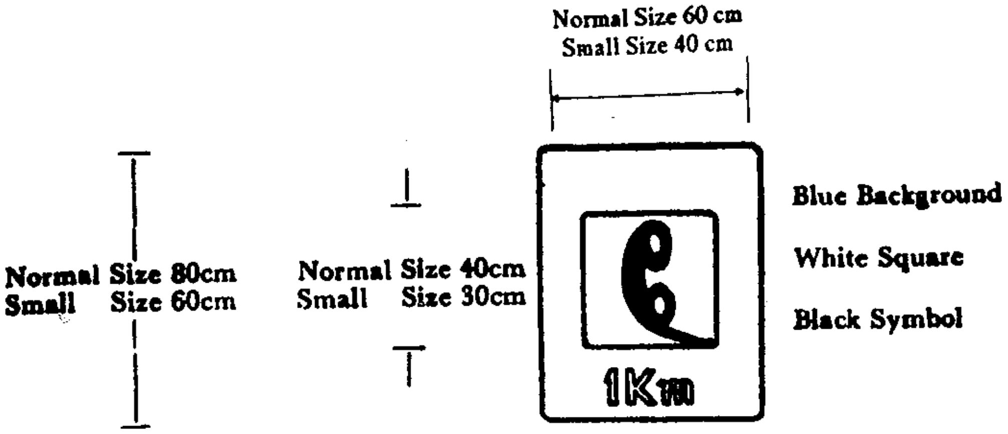


*Note.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white. Such inscription shown in the sign above is only illustrative.

## No. E7—PETROL PUMP

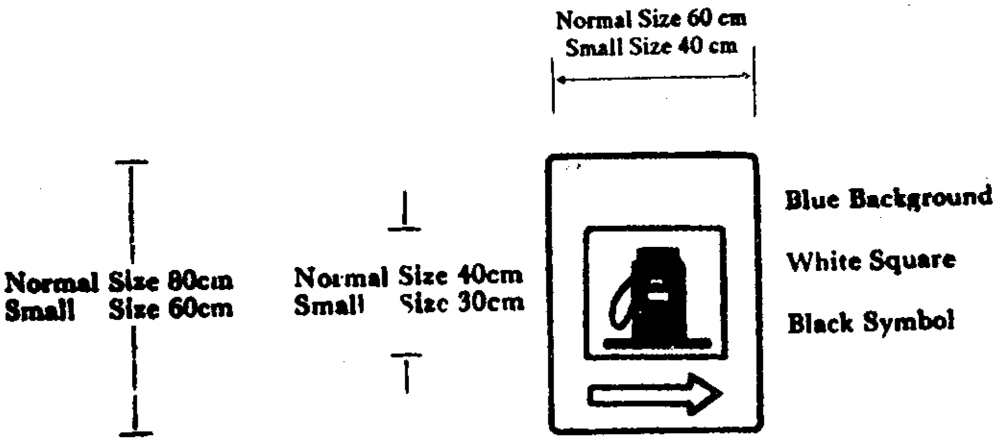


*Note.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white. Such inscription shown in the sign above is only illustrative.

## No. E8—HOSPITAL

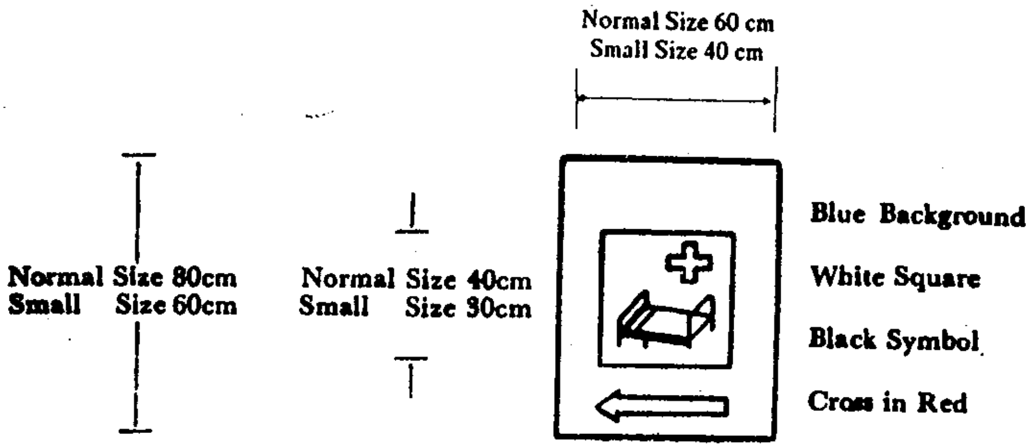


*Note.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white. Such inscription shown in the sign above is only illustrative.

## No. E9—FIRST-AID POST

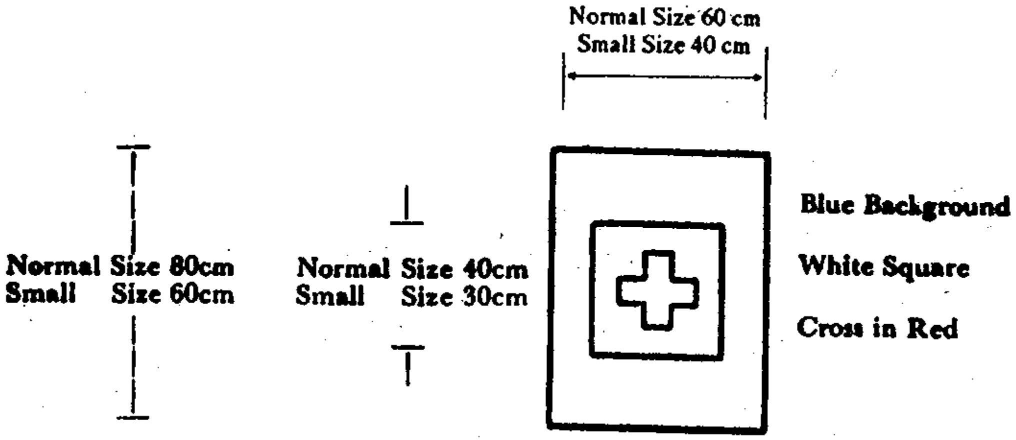


*Note.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white.

## No. E10—EATING PLACE

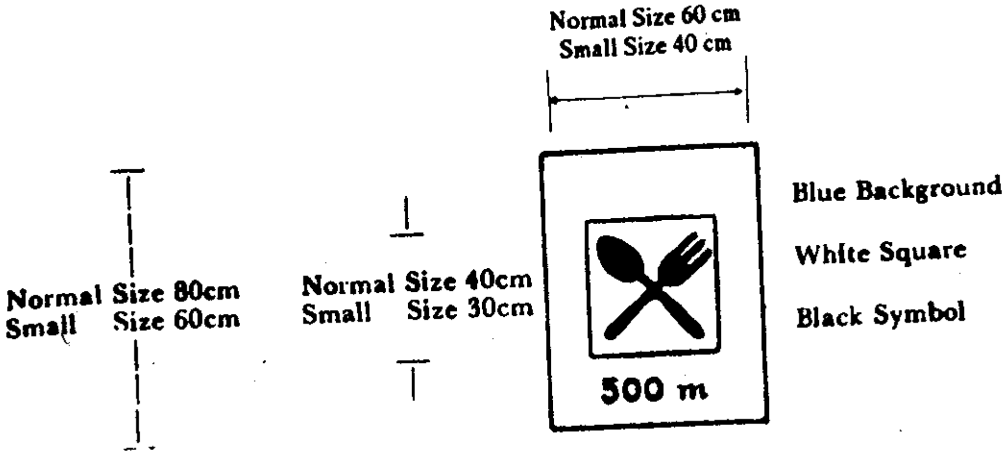


***Note.***—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the directio may be inscribed in white. Such inscription shown in the sign above is only illustrative.

## No. E11—LIGHT REFRESHMENT

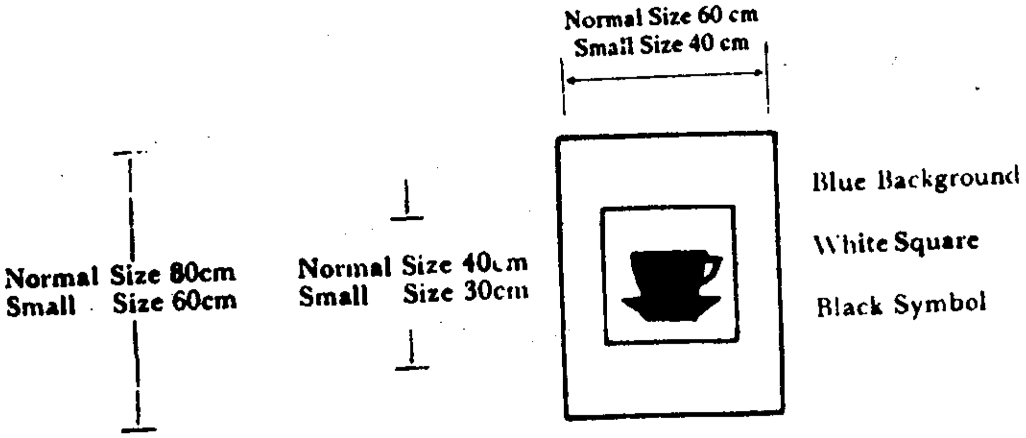


***Note.***—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the directi may be inscribed in white.

## No. E12—RESTING PLACE

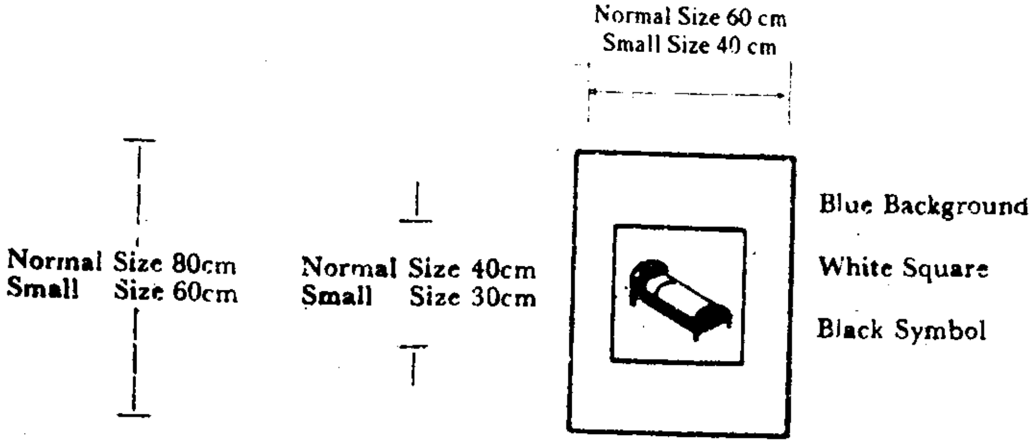


*Note 1.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white.

2.—A definition plate may be attached indicating whether the place is resthouse, hotel or motel.

## No. E13—NO THOROUGH ROAD

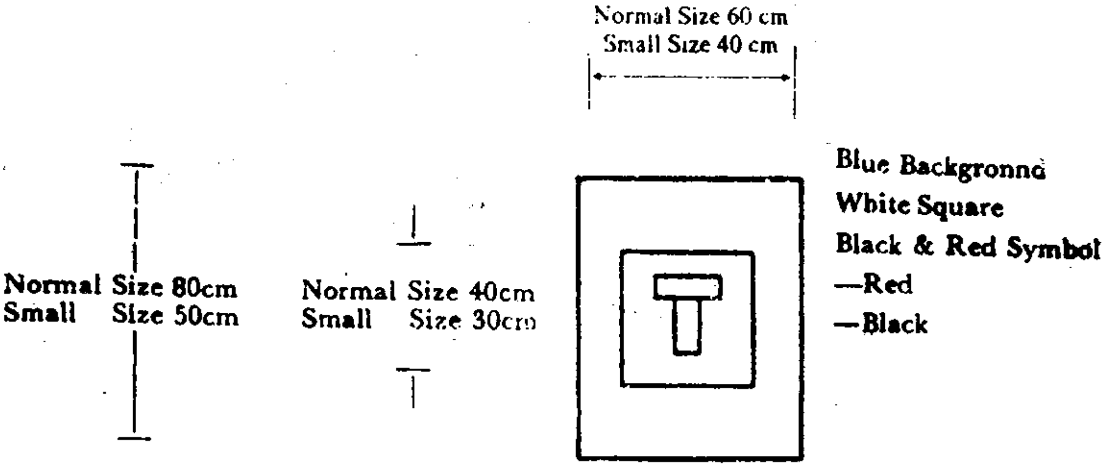


*Note.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white.

## No. E14—NO THOROUGH SIDE ROAD

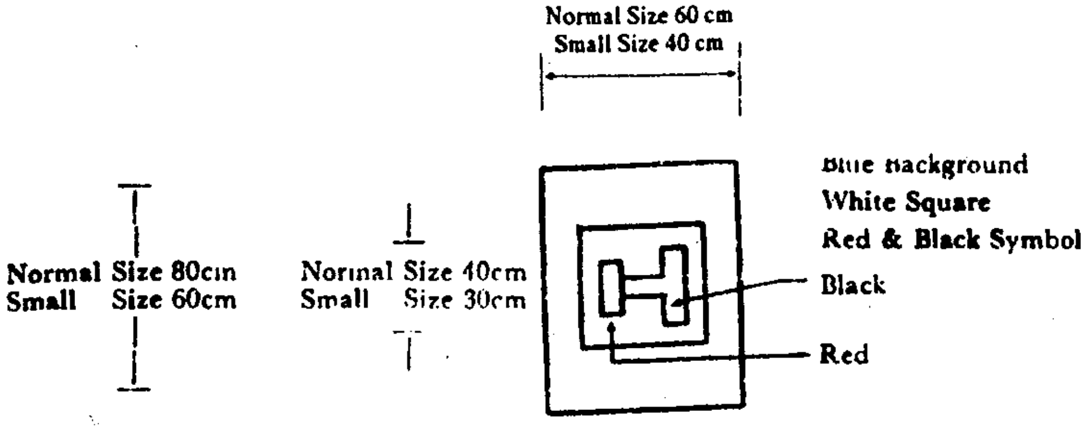


*Note.*—On the Blue Band at the bottom of the sign, the distance to the facility or the direction may be inscribed in white.

## No. E15—PARK THIS SIDE

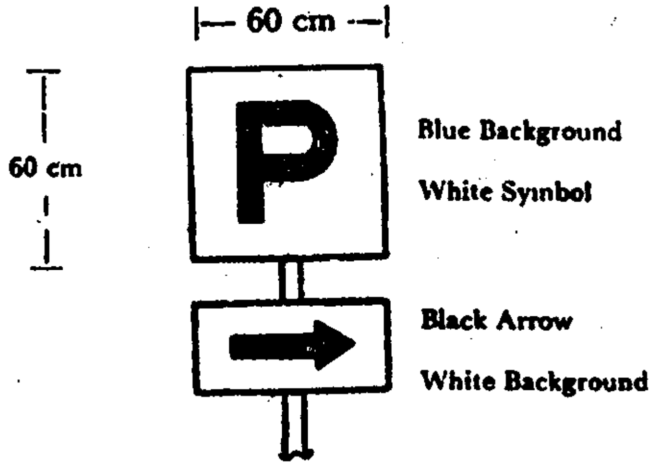

**No. E16—PARKING BOTH SIDES**

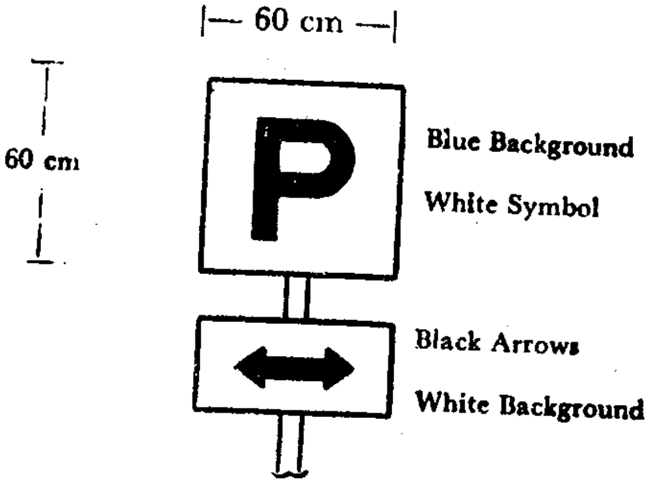


**No. E17—PARKING LOT—SCOOTERS AND MOTOR CYCLES**

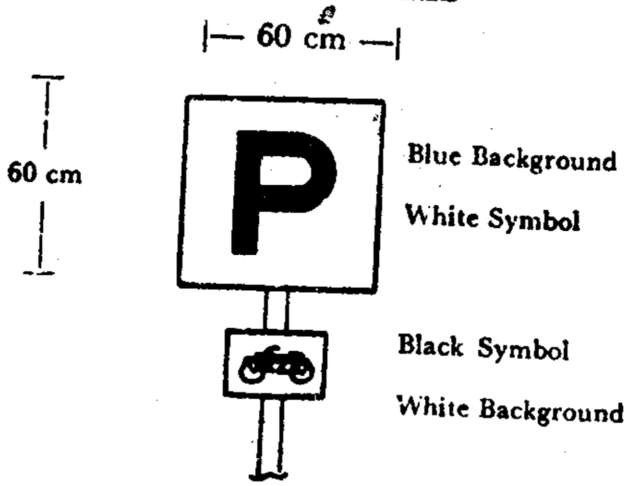

## No. E18—PARKING LOT—CYCLES

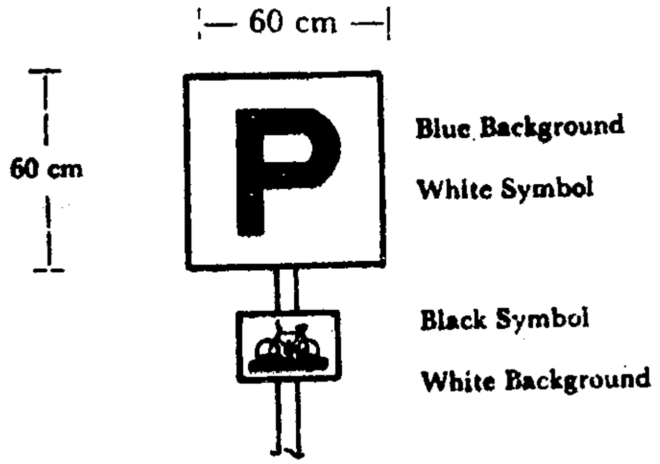


## No. E19—PARKING LOT—TAXIS

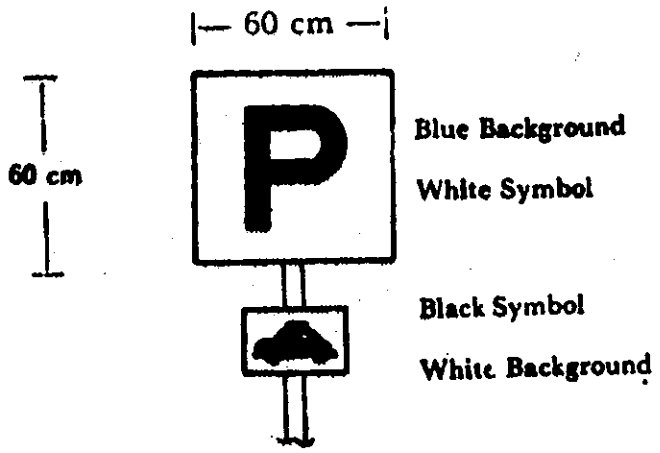

## No. E20—PARKING LOT—AUTO RICKSHAWS

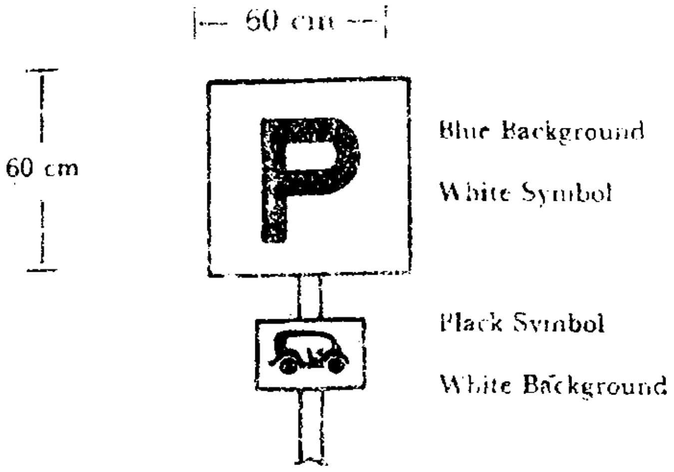


## No. E21—PARKING LOT—CYCLE RICKSHAWS

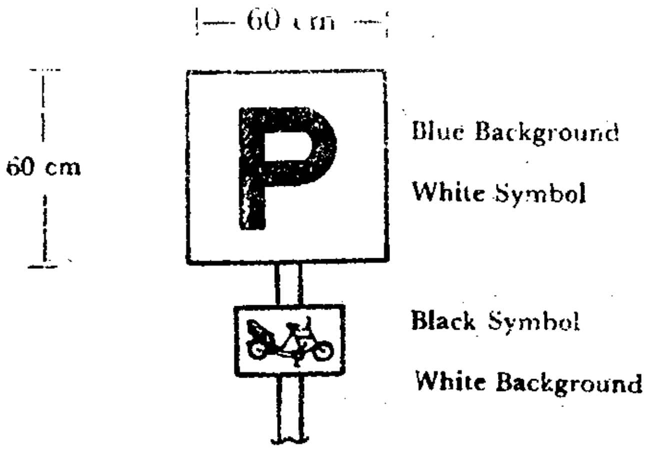


## No. E22—FLOOD GAUGE

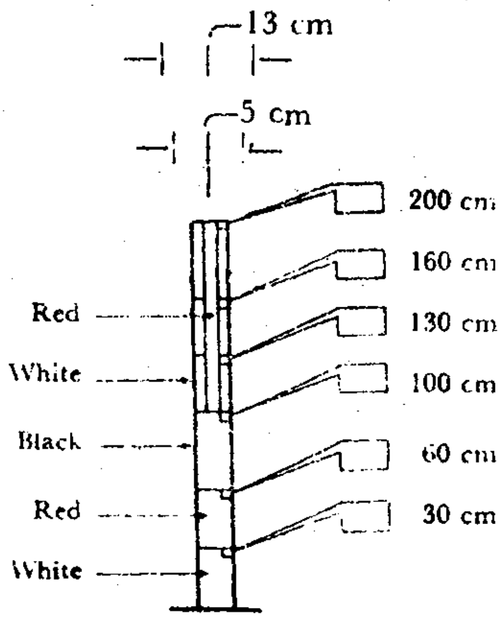

# Explanatory Notes

(i) Normal Size, wherever specified, is the minimum size of the sign which is intended to be used in rural areas on highways declared to be National Highways or State Highways under any law for the time being in force in such rural areas;

(ii) the Small Size, wherever specified, is the minimum size of the sign which is intended to be used—

(a) on all roads, other than the said National Highways and the State Highways, in the rural areas; and

(b) on all roads within the urban areas;

Provided that sign on any appropriate size may be used on billiards or alongside traffic light signals on such roads;

(iii) the colour scheme of these signals shall be as specified there in and the reverse side of all such sign plates shall be painted gray;

(iv) the posts of all these signs shall be painted in 25 cms. wide bands alternatively black and white and the lowest band next to the ground shall be black;

(v) the definition plate, wherever specified with a sign where required to make the meaning, of a sign more explicit shall have white background, black letters and black border 20 mm. wide and shall be of adequate size for legibility but not too large as to be obtrusive.]

# द्वितीय अनुसूची

(देखें धारा 163-क)

## घातक दुर्घटना में क्षति सम्बन्धी दावे में तीसरे पक्षकार को प्रदत्त की जाने वाली प्रतिकर की अनुसूची

1. आघात दुर्घटना

| वार्षिक आय | | रुपये 3000 | रुपये 4200 | रुपये 5400 | रुपये 6600 | रुपये 7800 | रुपये 9000 | रुपये 10200 | रुपये 11400 | रुपये 12000 | रुपये 18000 | रुपये 24000 | रुपये 36000 | रुपये 40000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षतिग्रस्त व्यक्ति की उम्र | गुणाक | हजार में रुपये मृत्यु की दशा में नुकशानी | | | | | | | | | | | | |
| | | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| 15 वर्ष तक | 15 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 180 | 204 | 228 | 240 | 360 | 480 | 720 | 800 |
| 15 वर्ष तक 20 वर्ष तक | 16 | 57 | 79.8 | 102 | 125.4 | 148.2 | 171 | 193.8 | 216.6 | 228 | 342 | 456 | 684 | 760 |
| 20 वर्ष तक 25 वर्ष तक | 17 | 54 | 75.6 | 97.2 | 118.8 | 140.4 | 162 | 183.6 | 205.2 | 216 | 324 | 432 | 648 | 720 |
| 25 वर्ष तक 30 वर्ष तक | 18 | 51 | 71.4 | 91.8 | 112.2 | 132.6 | 153 | 173.4 | 193.8 | 204 | 306 | 408 | 612 | 680 |
| 30 वर्ष तक 35 वर्ष तक | 17 | 50 | 67.2 | 86.4 | 105.6 | 174.8 | 144 | 163.2 | 192.4 | 192 | 288 | 384 | 576 | 640 |
| 35 वर्ष तक 40 वर्ष तक | 16 | 50 | 63 | 81 | 99 | 117 | 135 | 153 | 171 | 180 | 270 | 360 | 540 | 600 |
| 40 वर्ष तक 45 वर्ष तक | 15 | 50 | 58.8 | 75.6 | 92.4 | 109.2 | 126 | 142.8 | 159.6 | 168 | 252 | 336 | 504 | 560 |
| 45 वर्ष तक 50 वर्ष तक | 13 | 50 | 50.4 | 64.8 | 79.2 | 93.6 | 108 | 122.4 | 136.8 | 144 | 216 | 286 | 432 | 480 |
| 50 वर्ष तक 55 वर्ष तक | 11 | 50 | 50 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 120 | 180 | 240 | 360 | 400 |
| 55 वर्ष तक 60 वर्ष तक | 8 | 50 | 50 | 50 | 52.8 | 62.4 | 72 | 81.6 | 91.2 | 96 | 144 | 192 | 286 | 320 |
| 60 वर्ष तक 65 वर्ष तक | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 61.2 | 68.4 | 72 | 108 | 144 | 216 | 240 |
| 65 वर्ष की उम्र से ऊपर | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 57 | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 |

नोट—घातक दुर्घटना के मामले में इस तरह से निर्धारित की गई प्रतिकर की धनराशि में खर्च के परिणाम स्वरूप जिसे कि पीड़ित पक्षकार ने स्वयं अपने ऊपर खर्च किया है उसका 1/3 भाग कम कर दिया जायेगा।

2. प्रतिकर की धराशि 50,000 रुपये से कम नही होगी।

3. सामान्य क्षति (मृत्यु के मामले में)

ऊपर निर्धारित प्रतिकर में निम्न धनराशियों में देय होगी—

(i) दाह संस्कार में किया गया खर्च ............ रुपये 2000

(ii) दम्पत्ति को हुई मानसिक क्षति ............ रुपये 5000

(iii) सम्पत्ति की हानि ............ रुपये 25000

(iv) चिकित्सकीय व्यय जिसके समर्थन से बिल प्रस्तुत किया जाये ............ रुपये 15000

4. क्षति और अयोग्यता के मामले में सामान्य क्षति—

(i) पीड़ा एवं कष्ट

(a) गातक क्षति ............ रुपये 500

(b) सामान्य क्षतियाँ ............ रुपये 1000

(ii) चिकित्सकीय व्यय जिसके समर्थन में बिल प्रस्तुत किया जाये ............ रुपये 13000

5. सामान्य दुर्घटनाओं में प्राप्त निर्योग्यता—

साधारण दुर्घटना में हुई निर्योग्यता में निम्न क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

निर्योग्यता अवधि में आय की कमी जो कि 52 सप्ताह से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त निम्न भी देय होगा।

(a) पूर्ण एवं स्थायी निर्योग्ता की स्थिति में देय प्रतिकर की धनराशि वह होगी जो आयु के गुणक के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण की तिथि पर आर्थिक आय के गुणक के आधार पर आकलित की जाएगी।

(b) स्थाई किन्तु अपूर्ण निर्योग्यता की दशा में प्रतिकर की धनराशि पूर्वोक्त धनराशि का वह प्रतिशत होगा जो नियत किया जायेगा।

स्थायी एवं पूर्ण/अस्थाई एवं पूर्ण निर्योग्यता के कारण कार्यक्षमता में कमी के कारण हुई क्षति के प्रतिशत का आकलन कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अनुसार अनुसूची के अधीन किया जायेगा।

6. जो दुर्घटना के पूर्व कोई आय नहीं करते थे उनके संदर्भ में प्रतिकर निर्धारण हेतु राष्ट्रीय आय उन दुर्घटनाओं में जो घातक नहीं है, उत्पन्न निर्योग्यता—

(a) वे व्यक्ति जो कमाई नहीं करते हैं ............ रुपये 15,000

(b) दम्पत्ति ............ आये करने वाले उत्तरजीवी दम्पत्ति का 1/3 भाग

अन्य क्षतियों की दशा में केवल सामान्य क्षतिपूर्ति देय होगी।

240

**व्यक्तिगत टिप्पणी**